खण्ड-4, अंक-4
सोमवार, 3 मार्गशीर्ष, शक संवत् 1923
(3 दिसम्बर, 2001 ई०)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(अनन्तिम विधान सभा)
(तृतीय सत्र, 2001)

(खण्ड 4 में 4 अंक हैं)
उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2003

मूल्य:-
वार्षिक चन्दा:-

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्यों की सूची	क
प्रश्नोत्तर	1-34
निधन के निदेश	34
शिक्षकों को पंचम वेतनमान स्वीकृत किए जाने के संबंध में घोषणा ...	34-37
गाँव बिन्दुखत्ता, जिला नैनीताल, वन क्षेत्र को राजस्व ग्राम घोषित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	37
जनपद पिथौरागढ़ में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पेयजल सम्पर्क मार्ग के निर्माण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	37
पूर्व वन मंत्री द्वारा स्वीकृत कार्यों को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	37-38
उत्तरांचल में बसे बंगाली समुदाय को अनुसूचित जाति घोषित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	38
पथरी, वन खण्ड के अन्तर्गत कमला नगर, पुरुषोत्तम नगर को राजस्व ग्राम घोषित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	38-39
ग्राम औरंगाबाद में पेयजल आपूर्ति हेतु नलकूप की बोरिंग कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	39
नियम 300 के अन्तर्गत सूचनाएं	39-40
सत्र के दौरान सदन से बाहर घोषणा करने सम्बन्धी दी गई सूचना पर औचित्य का प्रश्न	40-41
विधान सभा चुनाव में मतदाताओं हेतु फोटो पहचान-पत्र के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	41-42
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रमों के निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	42-44
व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास	44
उत्तरांचल में बसे बंगाली समुदाय के नमःशूद्र पोण्ड एवं माझी जाति के लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प...... (स्वीकृत) ...	44
नियम 88 के अन्तर्गत प्रस्तुत संकल्प के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	44-46
कार्य स्थगन की सूचनाएं	46-55

विषय	पृष्ठ संख्या
दिनांक 21 नवम्बर, 2001 को श्री अम्बरीष कुमार, श्रीमती इन्दिरा हृदयेश और श्री मुन्ना सिंह चौहान द्वारा प्रस्तुत प्रक्रिया नियमावली के नियम 300 के अन्तर्गत अभिसूचित औचित्य के प्रश्न की सूचना पर पीठ से निर्णय	55–57
उत्तरांचल की चीनी मिलों को पर्याप्त गन्ना आपूर्ति हेतु गन्ना कमाण्ड क्षेत्र उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तरांचल में सम्मिलित किए जाने हेतु प्रयास के सम्बन्ध में श्री अम्बरीष कुमार द्वारा प्रस्तुत संकल्प (अस्वीकृत)	57–63
अनन्तिम विधान सभा का कार्यकाल अधिकतम एक वर्ष निर्धारित किया जाये, के सम्बन्ध में श्री मुन्ना सिंह चौहान द्वारा प्रस्तुत संकल्प..... (अस्वीकृत)	63
उत्तरांचल राज्य की सीमा से लगे जनपदों को उत्तरांचल में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में श्री भारत सिंह रावत द्वारा प्रस्तुत संकल्प....... (वापस लिया गया)	63–69
प्रदेश में बेरोजगारी दूर करने के लिए उद्योगों को सुविधा प्रदान कर उद्योगों का जाल बिछाये जाने के सम्बन्ध में श्री अम्बरीष कुमार द्वारा प्रस्तुत संकल्प..... (अस्वीकृत)	69–83
नव गठित उत्तरांचल राज्य की विधान सभा में मंत्रियों के बैठने का स्थान एवं शासन सचिवालय एक ही स्थान पर करने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र सिंह व श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा द्वारा प्रस्तुत संकल्प..... (वापस लिया गया)	83–85
मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे को उत्तरांचल राज्य में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में काजी मोहिउद्दीन द्वारा प्रस्तुत संकल्प.....(अस्वीकृत)	85–88
प्रदेश के किसानों की आर्थिक स्थिति के सुधार के उद्देश्य से उसकी फसलों का अधिकाधिक लाभकारी मूल्य दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री राम सिंह सैनी द्वारा प्रस्तुत संकल्प..... (अस्वीकृत) ...	88–95
श्री रघुनाथ सिंह चौहान, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत दिए गये प्रस्ताव "नवगठित उत्तरांचल राज्य की राजधानी दोनों मण्डलों (कुमायूँ–गढ़वाल) के मध्य बनाया जाय।" का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा (प्रस्ताव वापस लिया गया)	95–100
श्री इसम सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव "उत्तरांचल राज्य की शिक्षा नीति रोजगारपरक हो।"..... (अस्वीकृत)	100–102

विषय	पृष्ठ संख्या
श्रीमती इन्दिरा हृदयेश, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत दिए गये प्रस्ताव "उत्तरांचल में कार्यरत सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप, पद से पद की समानता के आधार पर वेतनमान अनुमन्य किये जायें।" का प्रस्तुतिकरण व इस पर चर्चा एवं मतदान (अस्वीकृत)	103
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	103–104
अन्तरिम राजधानी देहरादून की स्थापना से सम्बन्धित निर्माण एवं साज–सज्जा सामग्री के क्रय सम्बन्धी कथित अनियमितताओं के सम्बन्ध में मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल का वक्तव्य ...	104–106
जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत नगर पंचायत, दिनेशपुर के अध्यक्ष द्वारा किये गये लाखों रुपये के घोटाले से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री मुन्ना सिंह चौहान, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य	106
उत्तरांचल के अधिकांश जनपदों में सूखे के कारण कृषकों की खरीफ एवं रबी की फसल पर कुप्रभाव पड़ने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री मातबर सिंह कण्डारी द्वारा दी गई नियम 51 की सूचना पर कृषि मंत्री का वक्तव्य	107–110
विधान सभा के तृतीय सत्र, 2001 में नियम 51 के अन्तर्गत श्री रघुनाथ सिंह चौहान द्वारा दी गई सूचना पर मा0 मुख्यमंत्री का वक्तव्य ...	110–111
प्रदेश में कृषकों के गन्ना मूल्य का भुगतान न होने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत मा0 सदस्य, श्री राम सिंह सैनी द्वारा दी गई सूचना पर गन्ना मंत्री का वक्तव्य	111–112
सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित करने हेतु प्रस्ताव...... (स्वीकृत)	112–119
राष्ट्रगान	119
नत्थियाँ	120–168

3 दिसम्बर 2001 को निम्नांकित सभी माननीय सदस्य उपस्थित थे

उपस्थित सदस्य

1—श्री अजय भट्ट

2—श्री अम्बरीष कुमार

3—श्रीमती इन्दिरा हृदयेश

4—श्री इशाम सिंह

5—श्री केदार सिंह फोनिया

6—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा

7—काजी मो० मोइउद्दीन

8—श्री तिलक राज बेहड़

9—श्री तीरथ सिंह रावत

10—श्री नारायण सिंह राणा

11—श्री नारायण राम दास

12—श्रीमती निरूपमा गौड़

13—श्री बिशन सिंह चुफाल

14—श्री भगत सिंह कोश्यारी

15—श्री भारत सिंह रावत

16—श्री मातबर सिंह कण्डारी

17—श्री मुन्ना सिंह चौहान

18—श्री मोहन सिंह रावत "गांववासी"

19—श्री रघुनाथ सिंह चौहान

20—श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"

21—श्री राजेन्द्र सिंह

22—श्री राम सिंह सैनी

23—श्री लाखी राम जोशी

24—श्री बंशीधर भगत

25—श्री सुरेश चन्द्र आर्य

26—श्री हरबंस कपूर

27—श्री ज्ञान चन्द

सोमवार, दिनांक 3 दिसम्बर, 2001

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री प्रकाश पन्त की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

नियम 311 के अन्तर्गत सूचना को उठाने का प्रयास

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, यह नियम 311 का प्रश्न है। यह गम्भीर मसला है, एक किसान की मौत हो गई।

(विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह परम्परा ठीक नहीं है।

तारांकित प्रश्न

देहरादून का लम्बी–धार–किमाड़ी मार्ग के निर्माण में हुई अनियमितता के सम्बन्ध में

*1–श्री राजेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद देहरादून का लम्बी–धार–किमाड़ी मार्ग कब स्वीकृत हुआ था?

तथा इसके निर्माण हेतु कितना धन स्वीकृत हुआ था?

स्वीकृत धन के विरुद्ध कितनी धनराशि उक्त मार्ग में व्यय कर दी गयी है?

क्या उक्त मार्ग का कार्य पूर्ण हो चुका है?

यदि नहीं तो कब तक पूर्ण हो जायेगा?

क्या उक्त मार्ग निर्माण में हुई अनियमितताओं की कोई जाँच हुई है?

यदि हाँ तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

यदि नहीं तो क्यों?

लोक निर्माण एवं धर्मस्व कार्य मंत्री (श्री केदार सिंह फोनिया)–

वर्ष 1992 में।

रु0 596.41 लाख।

रु0 595.19 लाख।

जी नहीं।

पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति विचाराधीन है।

जी हाँ।

जाँच आख्या का परीक्षण किया जा रहा है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री राजेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि 1992 में मार्ग स्वीकृत हुआ था, अभी तक इसमें कार्य चल रहा है। मेरे द्वारा पूर्व में भी शिकायत की गई थी। क्या उसकी जाँच रिपोर्ट उत्तरांचल शासन को मिल गई है? इसमें कितने लोग दोषी पाये गये? माह जुलाई–अगस्त में स्लैब हटाने का कार्य किया गया। क्या वह कार्य किया जाना आवश्यक था ? क्योंकि अभी मार्ग चलने लायक नहीं हुआ है, इसमें पैसे का दुरूपयोग हुआ है। क्या दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ?

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, सन् 1992 में मार्ग निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। मार्ग की कुल लम्बाई 21 किलोमीटर है। मार्ग का 4 किलोमीटर का क्षेत्र वन अधिनियम में आता है, इस कारण देरी हुई, लेकिन अब मार्ग का पूर्ण रूप से निर्माण हो चुका है। इसमें तीन सेतु आते हैं। दो सेतु बन चुके हैं और एक का बनना अभी बाकी है इसलिए मोटर वाहनों का चलना अभी सम्भव नहीं हो सका है। सड़कों का रखरखाव करना आवश्यक है। पुल बन जाने के पश्चात् मार्ग तुरन्त वाहनों के चलने के लिए उपयुक्त हो सके इसलिए स्लाइड को हटाना आवश्यक था। जाँच रिपोर्ट में जो अधिकारी दोषी पाये गये हैं उनके खिलाफ शीघ्र कार्यवाही की जायेगी, उनके खिलाफ आरोप पत्र जारी करने के आदेश दे दिये गये हैं। दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जायेगा।

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि दो सेतु बन चुके हैं। मैंने कहा था कि जो सेतु निर्मित हो चुके हैं उसमें स्टोन क्रेसर न लगाकर पत्थर का कचरा उसमें लगा दिया गया है। क्या तकनीकी हिसाब से यह उपयुक्त है पुल में लगाने के लिए। क्या इसकी जाँच मा0 मंत्री जी करायेंगे?

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, मुझे बड़ा हर्ष है यह कहते हुए कि माननीय सदस्य बहुत खोजी प्रवृत्ति के हैं। मुझे बड़ी खुशी है और मैं मानता हूँ कि सही किस्म का माल प्रयोग नहीं किया गया और जाँच का प्रमुख मुद्दा भी यही था। इसलिए जिन अधिकारियों को दोषी पाया गया है, उनके खिलाफ आरोप पत्र जारी करने के आदेश दिये गये हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, इसमें एक अधिशासी अभियन्ता और मुख्य अभियन्ता सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

श्री अध्यक्ष–

इसमें आरोप–पत्र दिया जा रहा है। मा0 मंत्री जी ने कह दिया कि इस पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, निर्माण हेतु रु0 596.41 लाख स्वीकृत हुआ और मार्ग में रु0 595.19 लाख खर्च कर दिया। आप ने लिखा मार्ग का कार्य पूर्ण हो चुका है, विरोधाभास यह था कि जी हां पूरा हो गया। आप ने कहा एक पुल नहीं बना है, फिर इससे उभर कर आया कि अनियमिततायें हुई हैं तो दोनों चीजों का उत्तर विरोधाभास है। जो आप ने दिया वह लगभग पूरा लग गया। विलम्ब होने के कारण कास्ट बढ़ गई और आपको खर्च करना पड़ा। तो क्या इसके लिये कोई निर्धारित समय नहीं रखा था। क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, विरोधाभास कहीं नहीं है, मार्ग का निर्माण हो चुका है। जब मार्ग की बात करते हैं तो मार्ग से मतलब यह होता है कि पहले तो कटिंग की बात होती है और कटिंग हो चुकी है, उस पर कहीं–कहीं सोलिंग नहीं हुई है। इसलिए सोलिंग के दृष्टिकोण से मार्ग का पूरी तरह से निर्माण नहीं हो पाया है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, मैं बीच में व्यवस्था चाहती हूँ कि माननीय सदस्यों के प्रश्नों का लिखित उत्तर जो विभाग देगा, वही अधिकारिक उत्तर माना जाता है। अगर उत्तर यह आया कि क्या उक्त मार्ग का कार्य पूर्ण हो चुका है। मा0 मंत्री जी ने दस्तखत करते समय इसे स्वीकार किया, जी नहीं, तो इसके माने मार्ग पूरा नहीं हुआ। इससे सदन में गलत परम्परा भी पड़ती है।

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, हम लोगों की जिन्दगी जी हां, और जी नहीं, कहते हुए गुजर गई। जी नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक सेतु अभी निर्मित होना बाकी रह गया है।

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, कब तक मार्ग पूरा हो जायेगा।

श्री केदार सिंह फोनिया–

श्रीमन्, अब पुराने आंकलन से काम होना सम्भव नहीं है। विभाग ने एक पुनरीक्षित

आंकलन शासन को भेजा है, जो 920 लाख का है, जिस दिन इसकी स्वीकृति मिल जायेगी तो काम शुरू हो जायेगा।

श्री राम सिंह सैनी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह कार्य वर्ष 1992 में प्रारम्भ हुआ था, उस समय इसका आंकलन रू0 596.41 लाख का था। अब यह काम निर्धारित अवधि में नहीं हो पाया तो जो अधिकारी इसमें दोषी हैं, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे। आंकलन फिर बढ़ गया है, क्योंकि अधिकारियों ने समयबद्ध तरीके से कार्य नहीं किया।

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, जो इस कार्य में जो दोष है वह यह कि इसमें विलम्ब क्यों हुआ, गलत मैटीरियल क्यों लगा, दाम क्यों बढ़ गया इन सारे कार्यों की जाँच हो चुकी है। जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश दिये जा चुके हैं।

प्रशासनिक अकादमी को देहरादून में सी0डी0एस0 शाखा को विश्व बैंक द्वारा आर्थिक सहायता के सम्बन्ध में

*2–श्री रघुनाथ सिंह चौहान–

क्या मुख्यमंत्री बतायेंगे कि नैनीताल स्थित प्रशासनिक अकादमी की सी0डी0एस0 नाम की कोई शाखा देहरादून में कार्यरत है? यदि हाँ तो उस संस्था को विश्व बैंक से आज तक कितनी आर्थिक सहायता किस–किस मद में प्राप्त हुई तथा प्राप्त धनराशि का उपयोग किन–किन मदों में किया गया? क्या सरकार उक्त संस्था के कार्य–कलापों की जाँच करायेगी? यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कठिनाई है?

मुख्यमंत्री (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल के अन्तर्गत 1993 में स्थापित सेन्टर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज (सी0डी0एस0) का मुख्यालय अकादमी परिसर, नैनीताल में है। सेन्टर फॉर डेवलपमेन्ट स्टडीज की एक इकाई देहरादून में स्थापित की गयी है जहाँ से अकादमी के उक्त सेन्टर के गढ़वाल क्षेत्र के कार्यक्रमों का समन्वयन भी किया जाता है।

प्रशासनिक अकादमी के उक्त सेन्टर को विश्व बैंक से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती है।

प्रशासनिक अकादमी के उक्त सेन्टर (सी0डी0एस0) के कार्यों का अनुश्रवण नियमित रूप से बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स एवं कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता है तथा आय–व्यय एवम् लेखों की लेखा परीक्षा (ऑडिट) प्रतिवर्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स द्वारा की जाती है। उक्त सेन्टर के कार्य कलापों की जाँच कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ 120 पर।)

(श्री अध्यक्ष द्वारा प्रश्न संख्या 2 पुकारे जाने पर प्रश्नकर्ता श्री रघुनाथ सिंह चौहान सदन में अनुपस्थित थे)

उत्तरांचल में कमिश्नरी को समाप्त करके जिलों को अधिक अधिकार दिया जाना

*3–श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल राज्य में कमिश्नरी को समाप्त करके जिलों को अधिक अधिकार सम्पन्न बनाने पर विचार चल रहा है ?

यदि हां, तो नई संरचना की रूपरेखा क्या है ?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीमती "डा०" इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, क्या यह सही नहीं है कि हमारे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री जी द्वारा यह घोषित किया गया था कि अब कमिश्नर के पद नहीं रहेंगे और जिलाधिकारी ही कार्य देखेंगे। क्या आपकी परिस्थिति में परिवर्तन कर दिया गया है, क्या यह घोषित नहीं किया गया था ?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, यह पहले भी हम लोगों ने तय नहीं किया था कि हम कमिश्नरी समाप्त करेंगे और हमने कमिश्नरी समाप्त भी नहीं की है।

गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों का बी० पी० एल० राशन कार्ड बनाया जाना

*4–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जिन परिवार के लोगों के बी० पी० एल० राशन कार्ड नहीं बने हैं क्या सरकार उन परिवारों के बी० पी० एल० राशन कार्ड बनायेगी ? यदि बनायेगी तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री तिलकराज बेहड़)–

भारत सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश सं०–437/29/खाद्य–डेस्क–1(9)/97, दिनांक 20 सितम्बर, 1997 के द्वारा उत्तरांचल के लिए लक्ष्य 3,46,715 रखा गया था। लक्ष्य के अनुसार 3,46,715 बी० पी० एल० परिवारों का चयन कर समस्त बी० पी० एल० परिवारों के राशन कार्ड जारी कर दिये गये हैं एवं तदानुसार खाद्यान्न आवंटित किया जा रहा है।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूँ कि प्रदेश में अन्त्योदय के अन्तर्गत गरीबी रेखा से जो नीचे जी रहे हैं, क्या उनके राशन कार्ड जारी किये जायेंगे ?

श्री तिलकराज बेहड़–

मान्यवर, पिछले दिनों 5 अक्टूबर, 2001 को माननीय खाद्य मंत्री शान्ता कुमार जी देहरादून आये थे। उन्होंने भारत सरकार की सहमती से बी०पी०एल० परिवार के 17 प्रतिशत से

बढ़ाकर 40 प्रतिशत तक ले जाने की बात कही थी। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। जैसे ही प्रस्ताव की प्राप्ति हो जायेगी, बी0पी0एल0 के कार्ड पुनः बनाने की कार्यवाही की जायेगी।

श्रीमती "डा0" इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, बी0 पी0 एल0 कार्ड नहीं बन रहे हैं। क्या माननीय मंत्री जी इस बी0 पी0 एल0 कार्ड को बनाने के संबंध में जो भी औपचारिकता है, उन्हें पूरा कर अधिकारियों को निर्देश देंगे ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय इन्दिरा जी, इसमें माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि यह भारत सरकार की योजना है। तो राज्य सरकार ने प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है, जैसे ही वहाँ से स्वीकृति आयेगी, बी0 पी0 एल0 कार्ड दोबारा से बनने लगेंगे।

श्रीमती "डा0" इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह बता दें कि क्या प्रस्ताव भेजा गया है ?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, 5 अक्टूबर, 2001 को भारत सरकार के खाद्य मंत्री जी यहां आये थे, उनके साथ वार्ता हुई और वार्ता के दौरान 17 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक बी0 पी0 एल0 परिवार को ले जाने की बात कही गयी है और जैसे ही प्रस्ताव वहां से आ जायेगा, तो फिर से कार्ड बनने लगेंगे।

राज्य में धान की खरीद के सम्बन्ध में

*6–श्री राम सिंह सैनी–

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में धान की खरीद में समुचित व्यवस्था न हो पाने के अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार ने गेहूं की खरीद की कोई रणनीति तैयार की है ? यदि हां, तो नीति क्या है ?

श्री तिलक राज बेहड़–

रबि विपणन सत्र 2001–2002 में राज्य सरकार द्वारा मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूं क्रय के लिये ठोस नीति तैयार की गयी थी। गेहूँ खरीद का दायित्व भारतीय खाद्य निगम एवं सहकारिता विभाग को सौंपा गया था। सहकारिता विभाग द्वारा 1,12,871 मी0 टन गेहूं तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा 27,031 मी0 टन गेहूँ का क्रय किया गया। इस प्रकार काश्तकारों से कुल 1,39,902 मी0 टन गेहूँ का क्रय किया गया रुपये 610/– प्रति कुन्तल की दर से क्रय किये गये 1,39,902 मी0 टन गेहूँ का समस्त भुगतान रुपये 85,34,02,200 काश्तकारों को कर दिया गया है।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, चाहे खरीफ की फसल को क्रय करने की बात हो, चाहे रबी की फसल को क्रय करने की बात हो। सरकार द्वारा गेहूँ खरीदा जाता है, या धान खरीदा जाता है,

तो उसमें घोर अनियमितताएं होती हैं। बिचौलिये लोग काश्तकारों से कम दामों पर गेहूँ खरीद कर सरकारी क्रय केन्द्रों पर पहुँचा देते हैं। इस प्रकार किसानों का शोषण हो रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या शासन के पास कोई ऐसी पारदर्शी योजना है, जिससे इस प्रकार से किसानों का शोषण न हो सके और सरकारी मूल्य का सीधा भुगतान किसानों को हो सके ?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, पिछली बार गेहूँ खरीद का काम सहकारिता विभाग और भारतीय खाद्य निगम को दिया गया था, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपने काम को अंजाम दिया। उत्तरांचल के अन्दर जितना गेहूँ किसानों से खरीदा गया, उसका भुगतान किया गया। पिछली बार की योजना बहुत कारगर सिद्ध हुई और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार की योजना भी बहुत अच्छी है। पिछली बार जो एक–आध प्रकरण अनियमितताओं के सामने आये थे, उन पर जांच चल रही है।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, मैंने पूछा था कि क्या पारदर्शी नीति तैयार करने पर सरकार का विचार कर रही है ? हमारी व्यक्तिगत जानकारी है कि इस प्रकार के घोटाले हर केन्द्र पर होते हैं। इस विषय में एक पारदर्शी नीति बनायी जानी चाहिए। क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, यह एक सतत् प्रक्रिया है। पिछले साल की भूलों को हम इस बार कुछ कम कर रहे हैं। हम लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि हमारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ किसानों को मिल सके।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार को जानकारी है कि अभी धान के क्रय केन्द्र नहीं खुले हैं और 85 प्रतिशत धान बिचौलियों द्वारा बाजार में खरीदा गया ? यहां पर भूल सुधार क्यों नहीं किया गया ?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मैंने कहा, जहां कहीं भी कमियां रह गयी हैं, उनको दूर किया जा रहा है। हमने समय पर काम करना शुरू कर दिया था, कुछ स्थान पर यह गति पकड़ चुका है और हो सकता है कि कुछ स्थानों पर अभी इसने गति न पकड़ी हो। मैंने अभी आंकड़े इकट्ठे नहीं किये हैं, आप कहेंगी तो हम आंकड़े इकट्ठे करवा लेंगे। फिर आप किसान तो हैं नहीं, आप इस विषय में क्यों चिन्ता कर रही हैं, किसान हमसे संतुष्ट हैं।

(श्री अध्यक्ष द्वारा प्रश्न संख्या–7 पुकारे जाने पर प्रश्नकर्ता श्री कृष्ण चन्द पुनेठा सदन में उपस्थित नहीं थे)

गुरूकुल कांगड़ी को पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा देकर राज्य के समस्त संस्कृत महाविद्यालयों को गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया जाना

*7-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि हरिद्वार में स्थित प्रसिद्ध शिक्षा संस्थान गुरुकुल कांगड़ी जो विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है, को पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा देकर राज्य के समस्त संस्कृत महाविद्यालयों को गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करायेगी ?

क्या सरकार उक्त विश्वविद्यालय में वैदिक गणित, अध्यात्म विज्ञान व खगोलशास्त्र हेतु उच्च शिक्षा व्यवस्था करने पर विचार करेगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगत सिंह कोश्यारी-

सम्प्रति कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालय है जो कि प्रदेश सरकार के नियंत्रण में नहीं है।

(देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 121 पर)

हरिद्वार में वर्ष 1999 तथा वर्ष 2000 में लेवी चावल का क्रय किये जाने के सम्बन्ध में

*8-श्री अम्बरीष कुमार-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरिद्वार में वर्ष 1999 तथा वर्ष 2000 में लेवी का कितना चावल माह नवम्बर/दिसम्बर में क्रय किया गया था ?

क्या यह मात्रा पूर्व वर्ष से कम रही है। यदि हां, तो कमी का क्या कारण है ?

श्री तिलक राज बेहड़-

आलोच्य अवधि में हरिद्वार जनपद में लेवी चावल की क्रय की स्थिति निम्नवत् रही थी :-

नवम्बर, 1999-3038 मी0 टन
दिसम्बर, 1999-1620 मी0 टन
नवम्बर, 2000-3132 मी0 टन
दिसम्बर, 2000-3684 मी0 टन

नहीं। स्पष्ट है कि माह नवम्बर/दिसम्बर, 2000 में हरिद्वार जनपद में लेवी में खरीदी गयी चावल की मात्रा नवम्बर/दिसम्बर, 1999 से अधिक है, कम नहीं।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि नवम्बर, 2001 में लेवी का कितना चावल हरिद्वार जनपद में खरीदा गया और मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी लेवी चावल की खरीद के लिए रुड़की से सेन्टर ऋषिकेश या देहरादून करने पर विचार करेंगे ?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, मैंने पहले भी बताया कि नवम्बर-दिसम्बर में कितना खरीदा गया। हरिद्वार के अन्दर कुल 4558 मीट्रिक टन खरीदा गया, वर्ष 2000 में 6816 मीट्रिक टन खरीदा गया और आपने जो कहा पिछले वर्ष से 2158 मीट्रिक टन ज्यादा खरीदा गया।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, चूँकि 2001 का अद्यतन आंकड़ा नहीं है। आप चाहेंगे तो अभी हम मंगा लेंगे।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, वर्ष 2001–2002 में गढ़वाल मण्डल में कुल 92 मीट्रिक टन लेवी चावल की खरीद हुई है। यह हरिद्वार जनपद को मिलाकर है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मैंने निवेदन किया है कि मैं अभी अद्यतन आंकड़ा दे दूँगा।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह स्थिति बड़ी हास्यास्पद है कि माननीय मंत्री जी 92 टन गढ़वाल का आंकड़ा लेकर आये और माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर पर्दा डालना चाह रहे हैं। मंत्री जी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और 92 टन पूरे गढ़वाल का बताया, बहुत महत्वपूर्ण बात है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि अभी मैं अद्यतन आंकड़ा लाकर देता हूँ।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मैं किसी बात को छिपाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। नवम्बर का महीना अभी-अभी बीता है और मैं अभी आपको अद्यतन आंकड़ा दे दूँगा।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानकारी करना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी ने कहा कि माह नवम्बर, 2001 में कुल 92 मीट्रिक टन चावल पूरे गढ़वाल मण्डल में खरीदा गया।

मैंने प्रश्न किया था कि हरिद्वार में कितना खरीदा गया। उन्होंने कहा कि पूरे गढ़वाल मण्डल में 92 मीट्रिक टन खरीदा गया और मान्यवर, पिछले वर्ष केवल हरिद्वार में 3132 मीट्रिक टन खरीदा गया था तो इस गिरावट का क्या कारण है?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, वैसे तो माननीय सदस्य की जिज्ञासा तो ऋषिकेश को सेन्टर करने के बारे में है और आपने पहले मुझसे फोन पर वार्ता भी की थी। इसके आदेश कर दिये गये हैं। ऋषिकेश सेन्टर शुरू हो जायेगा और दूसरा आपने खरीद में कमी की बात कही है। हमारी खरीद की जो पालिसी थी वह थोड़ा देरी से बनी और विशेष रूप से हरिद्वार के अन्दर चावल का उठान भी कम है, पैदावार भी कम है। कुमायूं ने 20339 मीट्रिक टन चढ़ चुका है। जितना भी आ रहा है गढ़वाल का हम उसको बराबर ले रहे हैं।

श्री राम सिंह सैनी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, अभी उन्होंने कहा कि हरिद्वार में उठान कम है और पैदावार कम है। अभी माननीय अम्बरीष जी ने पूछा था कि गत वर्ष की तुलना में इस बार क्यों वहाँ पर धान कम खरीदा गया। अगर पैदावार कम थी तो पिछले साल भी कम थी। मान्यवर, माननीय मंत्री जी का उत्तर सटीक उत्तर तो है नहीं।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, लेवी का चढ़ना अभी लेट शुरू हुआ है। मात्र 10–15 दिन से लेवी शुरू हुई है। अभी दो महीने का सीजन बाकी है।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से यह कहना है कि सरकार हरिद्वार का चावल खरीदने के मामले में बिल्कुल भी गम्भीर नहीं है। माननीय मंत्री जी ने बताया कि वार्ता के बाद भी वहां चावल नहीं खरीदा जा रहा है। मंत्री जी कह रहे हैं कि चावल हरिद्वार में होता नहीं। मान्यवर, बासमती चावल देहरादून के बाद सबसे अच्छा हरिद्वार का ही है। हमारे जनपद में बहुत चावल होता है। पिछले साल 3000 टन खरीदा गया और अब पूरे गढ़वाल में 92 मीट्रिक टन खरीदा गया। इसका मतलब सरकार किसानों की घोर उपेक्षा कर रही है। इसके विरोध में मैं और सैनी साहब हम दोनों सदन का त्याग करते हैं।

(श्री अम्बरीष कुमार और श्री राम सिंह सैनी सदन त्याग कर बाहर चले गये।)

शिक्षा मित्र तथा बन्धुओं को नियमितीकरण के सम्बन्ध में

*9–श्री मुन्ना सिंह चौहान–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने शिक्षा मित्रों तथा शिक्षा बन्धुओं को भविष्य में नियमितीकरण करने की कोई योजना बनायी है ?

यदि हाँ, तो योजना का संक्षिप्त विवरण क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के राजकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों के दृष्टिगत शैक्षिक हित में क्रमशः शिक्षा मित्र एवं शिक्षा बन्धु की नितान्त अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है। वर्तमान में कार्यरत शिक्षा मित्र नियमानुसार अनिवार्य अर्हता, आयु सीमा एवं प्रशिक्षण धारक नहीं हैं। शिक्षा बन्धु के सम्बन्ध में भविष्य में विचार किया जायेगा।

अतारांकित प्रश्न

देहरादून में प्राथमिक एकल अध्यापकीय विद्यालयों अन्य अध्यापकों की व्यवस्था/नियुक्ति

1–श्री राजेन्द्र सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद देहरादून के किस–किस विकास खण्ड में कितने–कितने प्राथमिक विद्यालय एकल अध्यापकीय हैं ?

क्या एकल अध्यापकीय विद्यालयों में अन्य अध्यापकों की व्यवस्था/नियुक्ति करने हेतु सरकार कोई प्रयास कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं तो शिक्षण कार्य प्रभावित होने से कैसे बचाया जायेगा ?

बेसिक शिक्षा, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री तीरथ सिंह रावत)–

जनपद देहरादून के विकास खण्डों में एकल अध्यापकीय विद्यालयों की संख्या निम्नवत् है :–

विकास खण्ड	विद्यालयों की संख्या
1–रायपुर	21
2–डोईवाला	23
3–सहसपुर	03
4–विकासनगर	15
5–कालसी	19
योग	81

एकल अध्यापकीय विद्यालयों में बी0टी0सी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों तथा विशिष्ट बी0टी0सी0 के अन्तर्गत चयनित/प्रशिक्षित अभ्यर्थियों से भरे जाने की योजना है।

कार्यवाही प्रचलित है।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तपोवन को वर्ष 2000–2001 के लिए हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में

2–श्री राजेन्द्र सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तपोवन जो भवनहीन है, को वर्ष 2000–2001 के लिए हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट परीक्षा केन्द्र बनाया गया है ?

यदि हाँ, तो परीक्षार्थियों के बैठने की क्या व्यवस्था की गई है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् (मॉडल स्कूल) के कक्षों को परीक्षा हेतु उपयोग करने के लिए विभाग द्वारा कोई आदेश हुआ है ?

यदि हाँ, तो मॉडल स्कूल के छात्रों का पठन–पाठन कैसे कराया जायेगा तथा उसका समय क्या होगा ?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

जी हाँ।

विद्यालय में परीक्षा संचालन हेतु 03 शिक्षण कक्ष तथा 01 प्रशासनिक कक्ष उपलब्ध है। परीक्षार्थियों को 03 शिक्षण कक्षों तथा उसी परिसर में स्थित मॉडल स्कूल के 02 कक्षों में बैठने की व्यवस्था की गई थी।

मॉडल स्कूल के कक्षों को परीक्षा के उपयोग में लाने हेतु बेसिक शिक्षा अधिकारी टिहरी की सहमति प्राप्त की गयी थी।

परीक्षा अवधि में मॉडल स्कूल के छात्रों का पठन–पाठन प्रातः 10.30 बजे से अपराह्न 1.30 बजे तथा परीक्षा अवकाश के दिनों में प्रातः 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था।

उत्तरांचल में जहरीली शराब पीने से हुई मौत के सम्बन्ध में

3–श्री राम सिंह सैनी–

क्या आबकारी मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गत वर्ष जहरीली शराब पीने से उत्तरांचल के 13 जनपदों में कितने लोगों की मौतें हुई हैं ?

आबकारी तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)–

गत वर्ष उत्तरांचल के 13 जनपदों में जहरीली शराब पीने से किसी व्यक्ति की मृत्यु की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। जहरीली शराब की बिक्री रोकने हेतु जनपद तथा

प्रवर्तन इकाइयों द्वारा समय–समय पर दबिश देकर प्रभावी कार्यवाही की जाती है तथा विशेष अभियान भी चलाये जाते हैं।

जिला योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश में सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि विभागों को आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में

4–डा0 इन्दिरा हृदयेश–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश में सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि विभागों को आवंटित अवमुक्त कर दी गई है ?

यदि हाँ, तो इसका विवरण क्या है ?

श्री केदार सिंह फोनिया–

जी हाँ।

वर्ष 2001–2002 में उत्तरांचल शासन से जिला योजना के अन्तर्गत मार्ग/सेतु कार्यों हेतु जनपदवार धनराशि का आवंटन निम्नवत् किया गया है :–

जनपद का नाम	आवंटित धनराशि (लाख रु0 में)
1–उत्तरकाशी	177.00
2–देहरादून	154.00
3–टिहरी	220.00
4–पौड़ी	235.00
5–चमोली	187.00
6–रुद्रप्रयाग	27.00
7–हरिद्वार	240.00
8–पिथौरागढ़	120.00
9–अल्मोड़ा	130.00
10–नैनीताल	170.00
11–बागेश्वर	190.00
12–चम्पावत	120.00
13–उधमसिंहनगर	320.00
योग	2300.00

राजकीय महाविद्यालय, नारायण नगर, पिथौरागढ़ में विज्ञान वर्ग की स्वीकृति

5–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1981 में स्थापित राजकीय महाविद्यालय, नारायण नगर, पिथौरागढ़ में केवल साहित्यिक वर्ग की स्वीकृति प्रदान की गयी थी ?

क्या सरकार विज्ञान वर्ग की स्वीकृति प्रदान करेगी ?

यदि करेगी तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

जी हाँ।

राजकीय महाविद्यालय, नारायणनगर, पिथौरागढ़ को साहित्यिक वर्ग की स्वीकृति पूर्व से प्राप्त थी।

जी हाँ।

प्रश्नगत महाविद्यालय को विज्ञान संकाय की अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति दिनांक 18–07–2001 को प्रदान की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

नैनीताल की सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि विभागों को आवंटित/अवमुक्त के सम्बन्ध में

6–डा0 इन्दिरा हृदयेश–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल की सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि विभागों को आवंटित/अवमुक्त की जा चुकी है ?

अवमुक्त धनराशि का विवरण क्या है ?

श्री केदार सिंह फोनिया–

जी हाँ।

रु0 170.00 लाख की धनराशि वित्तीय वर्ष 2001–2002 हेतु जिला योजना के अन्तर्गत मार्ग/सेतु कार्यों हेतु आवंटित की गई है।

हवालात में बन्द कैदियों के भोजन व्यवस्था के सम्बन्ध में

9—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा—

क्या सरकार को ज्ञात है कि हवालात (लॉकअप) में बन्द कैदियों को नाम मात्र का भोजन जो वर्ष 1980 से पूर्व लागू था, वह आज भी दिया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार कैदियों के मानवीय अधिकार की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये कैदियों के भोजन पर पुनर्विचार करेगी ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्री भगत सिंह कोश्यारी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्प्रति हवालात में बन्द कैदियों को बढ़ी हुई दर पर रु0 17.60 (सत्रह रुपये साठ पैसे मात्र) प्रतिदिन भोजन के निमित्त व्यय अधिकृत किया जा चुका है।

देहरादून स्थित चन्द्रलोक कॉलोनी के अवैध गेटों को जनहित में हटाया जाना

11—श्री राम सिंह सैनी—

क्या नगर विकास मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून स्थित चन्द्रलोक कॉलोनी, राजपुर रोड के ए एवं बी लेन के निवासियों ने अधिकृत रूप से उक्त दोनों सड़कों पर स्थायी गेट लगाकर, ताला लगाकर मलिन बस्ती, ब्रजलोक कॉलोनी एवं चन्द्रलोक कॉलोनी एल लेन का रास्ता बन्द कर दिया है ?

यदि हाँ, तो क्या जनहित में इन गेटों को हटाया जाएगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

आवास एवं शहरी विकास मंत्री (श्री हरबंस कपूर)—

चन्द्रलोक कॉलोनी, राजपुर रोड में कॉलोनी के ए0 एवं बी0 लेन के निवासियों ने सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस विभाग व मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण की मौखिक सहमति से गेट लगाए हैं। कॉलोनी के एल लेन सहित सभी गलियों के रास्ते राजपुर रोड को खुले हैं। एल लेन का रास्ता बन्द नहीं है और इससे आवागमन में कोई बाधा नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उक्त गेट लगाए रखना सुरक्षा की दृष्टि से उचित है तथा इससे आवागमन बाधित नहीं है।

उत्तर प्रदेश की भाँति उत्तरांचल में निर्माण निगम का गठन किया जाना

12—श्री राजेन्द्र सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम की कितनी इकाई उत्तरांचल में कार्यरत हैं ?

क्या उत्तर प्रदेश की भांति उत्तरांचल निर्माण निगम का गठन किया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो निर्माण निगम उत्तरांचल में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को किन विभागों में समायोजित किया जायेगा ?

श्री केदार सिंह फोनिया—

उत्तरांचल में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम की कुल 8 इकाईयां कार्यरत हैं।

उत्तरांचल में भवन निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में नीतिगत निर्णय लिये जाने हेतु परीक्षण किया जा रहा है। तत्समय इस बिन्दु पर भी परीक्षण किया जायेगा कि उत्तरांचल में भवन निर्माण कार्यों के लिए पृथक से निर्माण निगम के गठन की आवश्यकता है अथवा नहीं ? तथा क्या भवन निर्माण कार्यों को उत्तरांचल से सम्बन्धित अभियन्त्रण विभागों के द्वारा ही कराया जाना श्रेयस्कर नहीं होगा ?

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार ही निर्णय लिया जायेगा।

मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा और उप जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के मध्य समस्याओं का निराकरण

13—श्री ईश्वर सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री के संज्ञान में है कि दिनांक 25—10—2000 को लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता, अल्मोड़ा और उप जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के मध्य कतिपय समस्याओं के निराकरण हेतु एक समझौता हुआ था ?

यदि हाँ, तो क्या समझौता का अनुपालन दिनांक 30—11—2000 तक किया गया?

श्री केदार सिंह फोनिया—

जी हाँ, श्री गणेश चन्द्र टम्टा सहा0 अभि0 द्वारा अपनी विभिन्न मांगों के सम्बन्ध में दि0 23—10—2000 से जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के कार्यालय परिसर में किये जा रहे आमरण अनशन के क्रम में दि0 25—10—2000 को उप जिलाधिकारी सदर, अल्मोड़ा की मध्यस्ता में

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) लो०नि०वि०, अल्मोड़ा से वार्ता के उपरान्त एक समझौता हुआ था।

समझौते के अन्तर्गत एक जाँच समिति गठित की गई थी जिसके द्वारा दि० 30-11-2000 तक जाँच आख्या उपलब्ध करायी जानी थी। जाँच अधिकारी द्वारा जाँच आख्या उपलब्ध करा दी गई है। जाँच आख्या पर विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

श्री महेन्द्र सिंह चेतानी पुत्र श्री भूरामल चेतानी, नजीबाबाद रोड, कोटद्वार के दुकान पर जबरदस्ती कब्जा रोकने के सम्बन्ध में

16—श्री अम्बरीष कुमार—

क्या मुख्यमंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री महेन्द्र सिंह चेतानी पुत्र श्री भूरामल चेतानी, नजीबाबाद रोड, कोटद्वार ने दिनांक 21-12-2000 को थानाध्यक्ष, कोटद्वार को प्रार्थना-पत्र देकर राजेश पन्त और पारस पन्त द्वारा दुकान पर जबरदस्ती कब्जे से रोकने एवं उपरोक्त दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही का अनुरोध किया था ?

यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही हुई ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगत सिंह कोश्यारी—

जी हाँ।

विवेचना के आधार पर आवेदक द्वारा लगाये गये आरोप सत्य नहीं पाये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

संयुक्त शिक्षा निदेशक, कुमायूँ, नैनीताल द्वारा वर्ष 1998 में सामान्य वर्ग, एल०टी० के विज्ञापित पदों के सम्बन्ध में

17—श्री रघुनाथ सिंह चौहान—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि संयुक्त शिक्षा निदेशक कुमायूँ नैनीताल द्वारा वर्ष 1998 में सामान्य वर्ग एल०टी० में कितने पद विज्ञापित किये गये थे ?

क्या विज्ञापित पदों के आधार पर नियुक्ति न देकर विज्ञापित पदों को घटा दिया गया ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्री भगत सिंह कोश्यारी—

संयुक्त शिक्षा निदेशक, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल द्वारा वर्ष 1998 में सामान्य वर्ग एल०टी० में कुल 116 पद विज्ञापित किये गये थे।

जी हां। नियुक्तियाँ वास्तविक सामान्य वर्ग के रिक्त 76 पदों पर की गयी थी। विज्ञापन में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि विज्ञापित पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

विज्ञापित पदों के सापेक्ष नियुक्तियां वास्तविक रिक्त पदों के आधार पर की गयी थी। अतएव किसी को दोषी नहीं पाया गया।

मा० मुख्यमंत्री जी एवं मा० मंत्रिगणों के देहरादून नगर से बाहर हुए दौरों में हैलीकॉप्टर के किराये में हुआ व्यय।

19-श्री अम्बरीष कुमार-

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 06-11-2000 से 28-02-2001 तक माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रिगणों के देहरादून नगर से बाहर हुए दौरों पर हैलीकॉप्टर के किराये के रूप में कितना व्यय हुआ ?

पैट्रोल पर कितना व्यय हुआ ?

तथा जेब खर्च के रूप में कुल कितनी धनराशि बनी।

श्री भगत सिंह कोश्यारी-

माननीय मुख्यमंत्री जी की हवाई यात्राओं हेतु हैलीकॉप्टर किराये पर लिये जाने पर 09-11-2000 से 28-02-2001 तक कुल रुपये 21,88,550.00 की धनराशि व्यय हुई। अन्य माननीय मंत्रिगणों के उपरोक्त प्रकार की यात्राओं के लिये कोई धनराशि व्यय नहीं हुई।

किराये पर लिये जाने वाले हैलीकॉप्टरों के लिये पैट्रोल मद में अलग से व्यय नहीं किया जाता है। यह मद किराये में जुड़ी रहती है।

09-11-2000 से 28-02-2001 तक जेब खर्च के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी सहित अन्य माननीय मंत्रिगणों के लिये जेब खर्च के रूप में कुल रुपये 10,26,690.00 की धनराशि व्यय की गई है।

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद्, देहरादून में कार्यरत कनिष्ठ लेखा अधिकारी की नियुक्ति तिथि से आज तक एक ही स्थान पर तैनाती के संबंध में

20-श्री मुन्ना सिंह चौहान-

क्या मुख्यमंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् देहरादून में कार्यरत कनिष्ठ लेखाधिकारी की तैनाती नियुक्ति की तिथि से आज (22-03-2001) तक देहरादून-ऋषिकेश में है ?

उक्त अधिकारी को एक ही स्थान पर तैनाती किये जाने का क्या औचित्य है ?

क्या उनके स्थानान्तरण के संबंध में कोई कार्यवाही करेंगे ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरबंस कपूर–

जी नहीं।

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, देहरादून में कार्यरत कनिष्ठ लेखाधिकारी श्री पी० पी० गुप्ता, देहरादून/ऋषिकेश में अपनी नियुक्ति की तिथि से नहीं बल्कि दिनांक 18–07–84 से 20–06–90 एवं 4/91 से 20–06–2001 तक लगभग 16 वर्ष तैनात रहे।

श्री गुप्ता का स्थानान्तरण दिनांक 18–06–2001 द्वारा सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय रुद्रपुर जिला उधमसिंह नगर को कर दिनांक 20–06–2001 से इन्हें कार्यमुक्त किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कुमायूं इंजीनियरिंग कालेज, द्वाराहाट, अल्मोड़ा समूह क, ख, ग, घ में कार्यरत अ०जा०/अ०ज०जा०/पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के संबंध में

21–श्री इसम सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि कुमायूं इंजीनियरिंग कालेज, द्वाराहाट, अल्मोड़ा में, वर्तमान में, समूह क,ख,ग,घ में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ?

इनमें समूह क,ख,ग,घ में अ०जा०/अ० ज० जा०/पिछड़ा वर्ग के कितने–कितने कर्मचारी कार्यरत है ?

क्या उपरोक्त संस्था में नियुक्तियों में आरक्षण कोटा पूर्ण है ?

यदि नहीं, तो क्यों ? और आरक्षित पदों पर कब तक नियुक्ति करा दी जायेगी ?

समाज कल्याण एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री नारायण रामदास)–

कुमायूं इंजीनियरिंग कालेज, द्वाराहाट, अल्मोड़ा में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या–

समूह "क"	07
समूह "ख"	15
समूह "ग"	38
समूह "घ"	22
योग	82

कुल 82 कर्मचारी कार्यरत हैं।

अ0जा0/अ0ज0जा0/पिछड़ा वर्ग के कार्यरत कर्मचारी:–

समूह	अनु0 जाति	अनु0 जन0 जाति	पिछड़ा वर्ग
क	–	–	1
ख	4	–	3
ग	5	–	4
घ	4	–	3
कुल	13	–	11

कुल 24 कर्मचारी कार्यरत हैं।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जाति उत्पीड़न रोकने व पीड़ित को राहत देने के सम्बन्ध में

22–श्री इसम सिंह–

क्या मुख्यमंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि श्री सुरेश चन्द पुत्र श्री सोहन चन्द, ग्राम गुमानीवाला (रोषा फार्म) थाना ऋषिकेश जिला देहरादून का प्रार्थना–पत्र दिनांक 05–02–2001 को अनुसूचित जाति उत्पीड़न को रोकने से सम्बन्धित था, उनको प्राप्त हुआ?

यदि हाँ, तो अभी तक इस सम्बन्ध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

यदि नहीं, तो क्यों और उत्पीड़ित व्यक्ति को कब तक राहत प्रदान की जायेगी।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

नेशनल हाई वे रोड को उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को स्थानान्तरण एवं मार्ग के किनारे बसे हुए बंगाली समाज को पुर्नवासित किये जाने के सम्बन्ध में

23–श्री इसम सिंह–

क्या मुख्यमंत्री के संज्ञान में है कि नेशनल हाई वे रोड, हापुड़, गजरौला, मुरादाबाद मार्ग, रामपुर, बिलासपुर, रुद्रपुर हल्द्वानी, जौलीकोट, नैनीताल व रुद्रपुर किच्छा, सितारगंज खटीमा, पानीपत व गदरपुर, दोहराहा, बाजपुर, काशीपुर, जसपुर, देहरादून, मार्ग लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश से केन्द्र लोक निर्माण विभाग को स्थानान्तरण हो चुका है ?

यदि हाँ, तो मार्ग की चौड़ाई हेतु रोड के किनारे बसे हुए बंगाली समाज को पुर्नवासित किये जाने हेतु राज्य सरकार की क्या योजना है और उन लोगों को कब तक पुर्नवासित कर दिया जाएगा ?

श्री केदार सिंह फोनिया–

प्रश्नगत मार्गों के उत्तरांचल में पड़ने वाले भाग लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल के अधीन हैं, और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित नहीं होना है।

मार्ग पूरी चौड़ाई में उपलब्ध है। अतः मार्ग को चौड़ा बनाने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है। जिस कारण पुनर्वास का प्रश्न ही नहीं उठता।

महाविद्यालयों में प्रवक्ता के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु उच्च शिक्षा आयोग का गठन

24–श्री अम्बरीष कुमार–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महाविद्यालयों में रिक्त प्रवक्ता पदों को भरने के लिए चयन हेतु उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जा रहा है?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्या व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है ?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रकरण विचाराधीन है।

लिपिकीय त्रुटि को सुधारे जाने के सम्बन्ध में

25–श्री के0 सी0 सिंह "बाबा"–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जूनियर हाईस्कूल, बसई ब्लाक जसपुर तहसील काशीपुर जिला ऊधमसिंहनगर का उच्चीकरण सन् 1998 में हुआ था ?

परन्तु लिपिकीय त्रुटिवश रा0उ0मा0 विद्यालय, हरियावाला ब्लाक जसपुर जिला ऊधमसिंहनगर हो गया तथा इसी नाम से कक्ष हेतु धन स्वीकृत हो चुका है ?

जबकि हरियावाला ग्राम में न तो कोई जूनियर हाईस्कूल है और न ही विद्यालय के लिए भूमि ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इस गलती के सुधार हेतु इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

जी नहीं।

मा० विधायक जी की संस्तुति पर हरियावाला में हाईस्कूल की स्थापना की गयी है और इसी नाम से कक्षा हेतु धन स्वीकृत हुआ है।

जी हाँ।

मा० विधायक जी की संस्तुति के आधार पर राजकीय उ०मा०वि०, हरियावाला की स्थापना की गयी है। इसमें कोई लिपिकीय त्रुटि विभाग स्तर पर नहीं हुई है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

सूचना विभाग द्वारा सचिवों एवं अधिकारियों के नाम एवं पते एवं टेलीफोन निर्देशिका प्रकाशित न कराये जाने से असुविधा

26–श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

क्या मुख्यमंत्री को जानकारी है कि उत्तरांचल के सूचना विभाग द्वारा सचिवों एवं अधिकारियों के नाम, पते एवं टेलीफोन की कोई निर्देशिका (डाइरेक्ट्री) न प्रकाशित कराए जाने के कारण जनहित के दैनिक कार्य करने में जन प्रतिनिधियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हाँ, तो शासन सम्बन्धित सूचना कब तक जन प्रतिनिधियों को उपलब्ध करा देगा ?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

सूचना विभाग द्वारा सूचना निर्देशनी का प्रकाशन किया जा चुका है तथा उसका वितरण भी माह मई, जून, 2001 में जन प्रतिनिधियों को किया जा चुका है।

सी० पी० एड० अभ्यर्थियों के नियुक्ति के सम्बन्ध में

27–श्री के० सी० सिंह "बाबा"–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं ?

रिक्त पदों की सूची के साथ प्रशिक्षित अभ्यर्थियों, विशेषकर सी०पी०एड० बेरोजगारों की संख्या कितनी है ?

क्या सरकार शारीरिक शिक्षा को मद्देनजर रखते हुए सी०पी०एड० अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के संदर्भ में कोई कार्यवाही कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तीरथ सिंह रावत–

उत्तरांचल के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 5780 पद रिक्त हैं।

प्रशिक्षित अभ्यर्थियों, विशेषकर सी०पी०एड० बेरोजगारों का पंजीयन विभाग में न होने के कारण संख्या ज्ञात होना सम्भव नहीं है।

बी०एड० / एल०टी० / सी०पी०एड० / बी०पी०एड० / डी०पी०एड० अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों का चयन विशिष्ट बी०टी०सी० में किये जाने की व्यवस्था की गई है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

वार्षिक वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में

28–श्री राजेन्द्र सिंह–

क्या मुख्यमंत्री, कृपया बतायेंगे कि मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण में कार्यरत सहायक अभियंता श्री यशपाल शर्मा की वार्षिक वेतन वृद्धियाँ, उनके विरुद्ध बिना कोई जाँच कराये ही रोक दी गयी हैं ?

यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध किन आरोपों की जाँच करायी गयी ?

क्या मंत्री जी विधिवत जाँच कराकर ही इनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के आदेश देंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरबंस कपूर–

जी हाँ।

श्री शर्मा की सेवायें सत्यापित न होने के कारण वेतन वृद्धियाँ नहीं दी जा रही हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री यशपाल शर्मा, सहायक अभियन्ता का आमेलन

29–श्री राजेन्द्र सिंह–

क्या मुख्यमंत्री बतायेंगे कि मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण में कार्यरत श्री यशपाल शर्मा, सहायक अभियंता का आमेलन मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण में हो चुका है ?

यदि हाँ, तो श्री शर्मा आमेलन नियमावली, 1984 के नियम 7 के अधीन उ०प्र० सरकार

की सेवा से सेवा निवृत्त हो चुके हैं ?

यदि हाँ, तो श्री शर्मा की नियुक्ति प्राधिकरण में किस आधार पर की गई ? तथा इनकी सेवा निवृत्ति तिथि क्या है ?

श्री हरबंस कपूर–

जी हाँ, अनन्तिम रूप से आमेलित किये गये हैं।

जी नहीं।

श्री शर्मा उ0 प्र0 शासन के अधिकारी हैं, उनकी सेवा निवृत्ति के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय उ0 प्र0 शासन द्वारा ही किया जायेगा।

मानचित्रों की स्वीकृति पर लिए जाने वाले इको फण्ड के सम्बन्ध में

30–श्री राजेन्द्र सिंह–

क्या मुख्यमंत्री बतायेंगे कि मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण के मानचित्रों की स्वीकृति पर लिए जाने वाले इको फण्ड के रूप में प्राधिकरण द्वारा 1997 से अब तक कुल कितनी धनराशि प्राप्त की गई है ?

प्राप्त धनराशि का उपयोग किन–किन मदों पर किया गया है ?

प्राधिकरण द्वारा उक्त राशि से वृक्षारोपण कहाँ–कहाँ कराये गये हैं ?

क्या उक्त मद से किये गये वृक्षारोपण की जाँच वन विभाग से करायेंगे ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरबंस कपूर–

मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा इको फण्ड से वर्ष 1997–98 में रु0 29.82 लाख, 1998–99 में रु0 48.71 लाख, 1999–2000 में रु0 58.67 लाख, 2000–2001 में रु0 60.04 लाख की आय मानचित्र स्वीकृति से प्राप्त की गई।

उक्त आय के सापेक्ष वर्ष 1997–98 में रु0 20.29 लाख, 1998–99 में रु0 53.85 लाख, 1999–2000 में रु0 58.22 लाख तथा 2000–2001 में रु0 24.85 लाख का व्यय हुआ, जिसके अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में रेलिंग, तारबाड़, बोर्ड, पार्कों का विकास, पर्यटन स्थलों में सड़कों का निर्माण एवं विभिन्न सड़कों में डिवाईडर का कार्य तथा वृक्षारोपण के कार्य कराये गये।

वृक्षारोपण का कार्य प्राधिकरण द्वारा मुख्यतः सड़कों में जैसे चकराता रोड, बाईपास रोड, न्यू कैंट रोड, रेसकोर्स, बॉटनीकल गार्डन, सहारनपुर रोड एवं बाईपास रोड में कराया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत वृक्षारोपण के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

सहायक अभियन्ता के विरुद्ध जाँच

31–श्री राजेन्द्र सिंह–

क्या मुख्यमंत्री बतायेंगे कि मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण में कार्यरत एक सहायक अभियन्ता के विरुद्ध उ0 प्र0 शासन के अनुभाग 5 द्वारा जारी शासनादेश संख्या 3720/9–आ–5–97–287/ई/96, दिनांक 24 अगस्त, 1998 में उल्लिखित जाँच का परिणाम क्या था ?

क्या जाँच के परिणाम के आधार पर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो वह कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ?

श्री हरबंस कपूर–

श्री यशपाल शर्मा के विरुद्ध संचालित खुली सतर्कता जाँच, उ0प्र0 शासन के समक्ष विचाराधीन है। जाँच का परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है।

जाँच परिणाम प्राप्त होने के उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

लोक निर्माण विभाग में उत्तर प्रदेश से सहायक अभियन्ताओं के उत्तरांचल के लिए विकल्प के सम्बन्ध में

32–श्री राम सिंह सैनी–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि लो0नि0वि0 में उत्तर प्रदेश से कितने सहायक अभियन्ता, जिन्होंने उत्तरांचल के लिए अपना विकल्प दिया है ?

अब तक उत्तरांचल में योगदान किया है।

तथा उनमें से कितने की अब तक खण्डों में तैनाती कर दी गयी है ?

श्री केदार सिंह फोनिया–

कुल 46 सहायक अभियन्ता।

कुल 40 सहायक अभियन्ताओं ने।

40 सहायक अभियन्ताओं की खण्डों में तैनाती कर दी गयी है।

प्रदेश में अपहरण, बलात्कार, हत्या, डकैती तथा उत्पीड़न कर धन वसूलने के सम्बन्ध में

33–श्री अम्बरीष कुमार–

क्या मुख्यमंत्री जानकारी देने की कृपा करेंगे कि 15 जनवरी, 2001 से 10 अप्रैल, 2001 में

प्रदेश में अपहरण, बलात्कार, हत्या, डकैती (बैंक डकैती सहित) तथा उत्पीड़न कर धन वसूलने की कुल कितनी घटना हुई ?

वर्ष 2000, 1999 में इसी अवधि के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

सूचना निम्न प्रकार है :–

अपहरण	20
बलात्कार	14
हत्या	59
डकैती	06 (बैंक डकैती सहित)
उत्पीड़न कर धन वसूलने की घटना	07

तुलनात्मक आंकड़े निम्न प्रकार हैं :–

	वर्ष 2000	वर्ष 1999
अपहरण	24	22
बलात्कार	10	15
हत्या	64	51
डकैती	02 (बैंक डकैती सहित)	02
उत्पीड़न कर धन वसूलने की घटना	06	06

चम्पावत जनपद सलना–पमदा पेयजल योजना में लाखों रुपये का घोटाला

34–श्री राम सिंह सैनी–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि चम्पावत जनपद सलना–पमदा पेयजल योजना में लाखों रुपये के घोटाले का मामला प्रकाश में आया है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इस प्रकरण की जाँच करायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास तथा पेयजल मंत्री (डा० रमेश पोखरियाल "निशंक")–

दि० 09–06–2001 के दैनिक हिन्दुस्तान समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाश में आया है कि सलना–पमदा पेयजल योजना में अनियमिततायें बरती गई तथा ग्रामीण जनता को पेयजल उपलब्ध नहीं कराया गया।

इस प्रकरण की जाँच जिलाधिकारी, चम्पावत से कराई जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रा० विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के वेतन के सम्बन्ध में

36–श्री राम सिंह सैनी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से सम्बन्धित प्रा0 विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को वेतन, वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत दिया जा रहा है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तीरथ सिंह रावत–

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

रुड़की विश्वविद्यालय में कार्यरत सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के दो पदों पर नियुक्ति सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के वेतन विसंगति

37–श्री राम सिंह सैनी–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि रुड़की विश्वविद्यालय में कार्यरत सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के दो पदों पर नियुक्त सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष को अलग–अलग वेतनमान दिया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इस विसंगति को दूर कराने हेतु कार्यवाही करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण राम दास–

जी हाँ।

जी नहीं।

रुड़की विश्वविद्यालय को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 21–09–2001 में प्राप्त होने के कारण।

अध्यापकों के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में

38–श्री राम सिंह सैनी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्री गाँधी बाल निकेतन, रुड़की जनपद हरिद्वार में प्राथमिक कक्षाओं के विभाग द्वारा सात अध्यापकों को अगस्त, 2000 से वेतन का भुगतान शासन कब तक करायेगा ?

यदि नहीं तो क्यों ?

क्या भुगतान न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तीरथ सिंह रावत–

श्री गाँधी बाल निकेतन (नर्सरी किण्डर गार्डन), रुड़की, जनपद हरिद्वार, बेसिक शिक्षा वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आता है। विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा विद्यालय की आय से वेतन भुगतान किया जाता है। विद्यालय कक्षा 6 से 8 तक अनुदान सूची पर है जिनके अध्यापकों का नियमित वेतन भुगतान किया जा रहा है।

विद्यालय की प्राथमिक कक्षायें अनुदान सूची पर नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

सी0एस0आर0वाई0 के तहत पिथौरागढ़ एवं चम्पावत में लोक निर्माण विभाग द्वारा मोटर मार्गों का निर्माण

43–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार को जानकारी है कि वर्ष 1993–94 एवं 94–95 में सुनिश्चित रोजगार योजना सी0एस0आर0वाई0 के तहत पिथौरागढ़ एवं चम्पावत में लो0नि0वि0 द्वारा अनेक मोटर मार्ग/हल्का वाहन मार्गों का निर्माण किया गया है ?

सड़कों का उचित रख–रखाव न होने के कारण सभी मार्ग बन्द हैं।

यदि हाँ, तो क्या सरकार ऐसे अवरुद्ध मार्गों को खुलवाने के लिए धन की व्यवस्था करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केदार सिंह फोनिया–

जी हाँ।

<u>जनपद पिथौरागढ़</u>

मोटर मार्ग	3
हल्का वाहन मार्ग	2

<u>जनपद चम्पावत</u>

मोटर मार्ग	5
हल्का वाहन मार्ग	6

जनपद चम्पावत में 6 हल्का वाहन मार्ग बन्द है।

जी हाँ।

चालू वित्तीय वर्ष में।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल में पेयजल योजनाओं के सम्बन्ध में

44–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या पेयजल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल में पेयजल योजनाओं का कार्य जल निगम द्वारा विभागीय/मस्टररोल में करवाया गया है। जिससे योजनाओं के आगणन से चार गुना धनराशि खर्च हुयी ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार ऐसे कार्यों की जाँच करवाकर ऐसी रीति एवं नीति निर्धारित करने के जिम्मेदार अधिकारियों को दण्डित करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

पेयजल योजनाओं का कार्य जल निगम द्वारा निविदा के अतिरिक्त विभागीय/मस्टररोल पर भी कराये गये हैं, किन्तु किसी योजना में आगणन से चार गुना धनराशि व्यय नहीं हुई।

योजनाओं के निर्माण कार्य में अनियमितताओं की पुष्टि होने के बाद दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। वैसे विभागीय/मस्टररोल पद्धति से कार्य न कराने हेतु शासनादेश सं0 1258, दिनांक 21–06–2001 द्वारा निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।

उपरोक्तानुसार।

मोटर मार्गों का नवीनीकरण

45–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल बनने के बाद मोटर मार्गों के नवीनीकरण हेतु पिथौरागढ़ में कितना धन आवंटित हुआ ?

तथा कितने किमी0 लम्बी सड़कों का डामरीकरण हुआ ?

क्या यह सही है कि निर्धारित मानकों के अनुसार सड़कों का नवीनीकरण/डामरीकरण नहीं किया गया ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्री केदार सिंह फोनिया–

उत्तरांचल बनने के बाद मोटर मार्गों के नवीनीकरण हेतु पिथौरागढ़ जनपद में वर्ष 2000–2001 में कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी।

वर्ष 2001–2002 में नवीनीकरण हेतु रु0 34.50 लाख धनराशि आवंटित की गयी है। जिसके विरुद्ध अभी तक 15.00 किमी0 लम्बाई में सड़कों का डामरीकरण किया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

वार्षिक मरम्मत कार्य हेतु धन का आवंटन

46–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि गत वित्तीय वर्ष में लोहाघाट एवं चम्पावत में डिविजनों में वार्षिक मरम्मत कार्य हेतु कितना धन आवंटित हुआ था ?

व किन–किन सड़कों में किन कार्यों हेतु खर्च किया गया ?

क्या मानक के अनुसार आवंटित धन खर्च किया गया ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केदार सिंह फोनिया–

गत वित्तीय वर्ष 2000–2001 में लोहाघाट एवं चम्पावत खण्डों को वार्षिक मरम्मत मद में निम्नवत् धन आवंटित हुआ :–

1–लोहाघाट खण्ड	रु0 24.73 लाख
2–चम्पावत खण्ड	रु0 67.18 लाख

सड़कों की सूची संलग्न है। उक्त मद से निम्न कार्य कराये गये–टूटी दीवारों की मरम्मत, सर्फेस ड्रेसिंग, स्लिप सफाई, नाली सफाई, बन्द स्कपरों की सफाई, बैली ब्रिज की मरम्मत, पैच रिपेयर आदि।

जी हाँ, मानक के अनुसार एवं कार्य स्थल की वास्तविक आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि व्यय की गयी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 121 पर)

लोक निर्माण विभाग में अवर अभियन्ताओं के रिक्त पदों के सम्बन्ध में

47--श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में अवर अभियन्ताओं के कितने पद रिक्त हैं ?

क्या इन रिक्त पदों को भरने हेतु सरकार [illegible] है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केदार सिंह फोनिया--

अवर अभियन्ताओं के कुल 271 पद रिक्त हैं।

जी हाँ।

प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सड़क निधि से घाट--पंचेश्वर तक का सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

48--श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद पिथौरागढ़ एवं चम्पावत की सीमा में स्थित घाट--पंचेश्वर का क्षेत्र अति पिछड़ा एवं दुरूह है। जहाँ अभी तक कोई सड़क मात्र नहीं है ?

क्या सरकार केन्द्रीय सड़क निधि से घाट--पंचेश्वर तक सड़क का निर्माण करवायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केदार सिंह फोनिया--

जी हाँ।

आगामी वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय सड़क निधि से वित्त पोषण हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत सरकार द्वारा विशेष सड़क निधि एवं विशेष केन्द्रीय सहायता

49--श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भारत सरकार द्वारा विशेष सड़क निधि एवं विशेष

केन्द्रीय सहायता के तहत कितनी धनराशि उत्तरांचल को मिली है तथा उक्त निधि द्वारा कौन-कौन सी सड़कों एवं पुलों का निर्माण किया गया है ?

श्री केदार सिंह फोनिया-

भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि योजना में 12 कार्यों हेतु रुपया 12.46 करोड़ एवं विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत 3 कार्यों हेतु रु0 18.24 करोड़ की राशि स्वीकृति की गई।

स्वीकृत निर्माणाधीन कार्यों की सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ सं0 122 पर)

गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं कुमाऊँ मण्डल विकास निगम द्वारा विदेशी मदिरा खरीदे जाने के सम्बन्ध में

50-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या सरकार को जानकारी है कि गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं कुमाऊँ मण्डल विकास निगम द्वारा विदेशी मदिरा खरीदी गयी जो बहुत मंहगी एवं सामान्य प्रचलन में नहीं है ? ऐसी विदेशी मदिरा खरीदने में कितना धन व्यय हुआ ? व कितनी राजस्व की हानि हुई ? क्या सरकार राजस्व हानि के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को दण्डित करेगी? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 अजय भट्ट-

गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0 द्वारा फुटकर अनुज्ञापियों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए, महंगे/मीडियम/सस्ते व क्षेत्र में प्रचलित सभी ब्राण्डों की विदेशी मदिरा क्रय की गयी। माह अप्रैल, 2001 से अक्टूबर, 2001 तक कुल 3,99,51,266/- रुपये मूल्य के मंहगे ब्राण्डों की मदिरा क्रय की गयी, जिसमें से 2,66,39,981/- रुपये मूल्य की मदिरा फुटकर अनुज्ञापियों को बेच दी गयी तथा वर्तमान में 1,33,11,285/- रुपये मूल्य की मदिरा अवशेष है। अवशेष मदिरा के मूल्य का भुगतान, निगम द्वारा फुटकर अनुज्ञापियों को मदिरा बेच दिये जाने के उपरान्त ही सप्लायर डिस्टिलरियों को किया जायेगा। मदिरा के समस्त ब्राण्ड विक्रय की प्रक्रिया में हैं और इसमें राजस्व हानि का प्रश्न ही नहीं है, अतः किसी को दण्डित किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

शहीद की विधवा के आवास मार्ग को कब्जेदारों से मुक्त कराया जाना

51-श्री राजेन्द्र सिंह-

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 01-12-2000 के साथ श्रीमती मधु नेगी पत्नी स्व0 शहीद सूबेदार भगत सिंह, निवासी नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल, का पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें शहीद की विधवा के आवास के मार्ग को अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराकर खोले जाने की मांग की गयी है। यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरबंस कपूर–

जी हाँ।

आवागमन के रास्ते को कब्जेदारों के विरुद्ध सार्वजनिक भू–गृहादि अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर ने बेदखली के आदेश किये हैं, जिसके विरुद्ध विपक्षी द्वारा माननीय सत्र न्यायाधीश, टिहरी गढ़वाल में अपील दायर की है, जो अभी विचाराधीन है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत तदर्थ एवं अंशकालिक शिक्षकों को विनियमितीकरण किया जाना

52–श्री राजेन्द्र सिंह–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत तदर्थ एवं अंशकालीन शिक्षकों को विनियमितीकरण की कार्यवाही विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो कब तक इस सम्बन्ध में निर्णय ले लिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

जी हाँ।

परीक्षणोंपरान्त यथासम्भव।

प्रश्न नहीं उठता।

सचिवालय में ताला तोड़ कर कई कमरों में से चोरों द्वारा सामान चोरी

54–श्री राम सिंह सैनी–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 02–09–2001 को राजकीय सचिवालय में ताला तोड़ कर कई कमरों में से चोर सामान चोरी कर ले गये ?

यदि हाँ, तो जिन अधिकारियों की लापरवाही से घटना घटित हुई उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

दिनांक 03–09–2001 को प्रातः 9.30 बजे आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ (ई0ओ0सी0) के दरवाजे का कुण्डा उखड़ा हुआ पाया गया। कक्ष में फाइलों एवं कम्प्यूटर का सामान बिखरा हुआ पाया गया एवं कक्ष में से एक ट्यूब लाइट सैट, सात पेन, दो रजिस्टर का चोरी होना पाया गया।

कर्मचारियों/अधिकारियों पर कार्यवाही विवेचना के निष्कर्ष और उस पर शासन के अन्तिम निर्णय पर निर्भर है।

निधन के निदेश

श्री अध्यक्ष–

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री बर्फिया लाल जुवांठा जी का निधन दिनांक 23–24 नवम्बर, 2001 की रात्रि 2.30 बजे ह्रदय गति रुकने के कारण ग्राम पुरौला, जिला उत्तरकाशी में हो गया। बर्फिया लाल जुवांठा जी का जन्म सन् 1942 में 01 जनवरी को ग्राम पुरौला, जिला उत्तरकाशी में हुआ था। स्व0 श्री जुवांठा जी की प्रारम्भिक शिक्षा दीक्षा पुरौला में हुई तथा हाईस्कूल उत्तरकाशी कीर्ति नगर इण्टर कालेज तथा इण्टर मीडिएट टेहरी तथा बी0ए0, एम0ए0 भूगोल की स्नातकोत्तर की शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। विद्यार्थी जीवन से ही श्री जुवांठा जी की साहित्य, कविता और राजनीति में रुचि रही, जिसमें उन्होंने रवांई क्षेत्र का इतिहास लिखा और तिलाड़ी काण्ड काव्य की रचना भी की और कई कवितायें लिखीं। इलाहाबाद में छात्र आन्दोलन के दौरान राजनीति में रुचि होने के कारण तीन–चार बार जेल भी गये। श्री जुवांठा जी ने सर्वप्रथम 1974 में उत्तरकाशी विधान सभा अनुसूचित जाति क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में श्री बलदेव सिंह आर्य के विरुद्ध चुनाव लड़ा था जिसमें वे बहुत कम मतों से पराजित हुए। इसके बाद 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर उत्तरकाशी से अनुसूचित जाति विधान सभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। वर्ष 1989 में उत्तरकाशी विधान सभा क्षेत्र से जनता दल प्रत्याशी के रूप में विधायक चुने गये तथा दि0 06–12–89 को श्री मुलायम सिंह यादव की सरकार में पर्वतीय विकास मंत्री रहे। श्री जुवांठा के निधन से उत्तरांचल राज्य को अपूर्णनीय क्षति हुई है। दिवंगत आत्मा के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए कृपया दो मिनट के लिए मौन रखें।

(दो मिनट का मौन)

शिक्षकों को पंचम वेतनमान स्वीकृत किए जाने के सम्बन्ध में घोषणा

मुख्यमंत्री (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं सदन में घोषणा करना चाहता हूँ। सदन में और सदन के बाहर सब लोगों ने बहुत लम्बे समय से यह अपेक्षा की थी कि उत्तरांचल के अन्दर आधे से अधिक कर्मचारियों को पंचम वेतनमान आज दिया जा रहा है, वहीं हमारे शिक्षक और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए कर्मचारियों को यह पंचम वेतनमान हम नहीं दे पाये थे। हमने पिछली बार सदन में घोषणा की थी कि 27 तारीख को बैठक कर विचार विमर्श करेंगे। हमने सारे शिक्षक प्रतिनिधियों को बुलाया था प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक के, और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे सभी शिक्षक बन्धुओं ने, शिक्षक संगठनों ने हमारी बात को माना।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, हमारे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, इसमें हमने केवल शिक्षकों को ही बुलाया। हम लोगों ने शिक्षकों को 01 जनवरी, 1996 से पंचम वेतनमान को नोशनल रूप में स्वीकार कर लिया है। उसके बाद संशोधित वेतनमान 01–07–2001 से लागू हो जायेगा। सभी शिक्षक संघों का मैं आभारी हूँ कि उन लोगों से कहा कि 01–07–2002 से वेतनमान नकद दिया जायेगा तो इसको सभी ने स्वीकार कर लिया है। मैं आप सब की ओर से उनको धन्यवाद देता हूँ।

मान्यवर, मैं एक और सूचना आपके सामने देना चाहता हूँ कि हमारे पूरे उत्तरांचल के अन्दर अभी तक बहुत से जिले ऐसे थे, विशेषकर गोपेश्वर, उत्तरकाशी, बागेश्वर, चम्पावत और रुद्रप्रयाग, ये अभी तक वर्गीकृत नहीं थे, उनको हमने "सी" श्रेणी में कर दिया है और देहरादून को भी हमने जनसंख्या के आधार पर "बी" श्रेणी में उच्चीकरण कर दिया है। इसके कारण से हमारे शासन को 16 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय आयेगा। इस प्रकार से जो शिक्षकों को अध्यापकों को वेतनमान दिया है उसमें हम लोगों को 174 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार शासन के ऊपर आयेगा।

एक और सूचना देना चाहता हूँ कि गढ़वाल मण्डल विकास निगम और कुमाऊँ मण्डल विकास निगम भी बहुत दिनों से इस वेतनमान की मांग कर रहे थे और इनका कहना था कि हम शासन के ऊपर कोई व्यय भार नहीं करेंगे, केवल निगम के माध्यम से अपना काम चलायेंगे। तो गढ़वाल मण्डल विकास निगम और कुमाऊँ मण्डल विकास निगम को भी हमने वेतनमान दे दिया है, तो इससे ये लोग भी लाभान्वित होंगे।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह बहुत चिन्ता की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पांचवें आयोग की बात घोषित की और जुलाई, 2002 से देने की बात की और तब यह सरकार में नहीं होंगे। (व्यवधान)

मान्यवर, यह मेरा दायित्व है कि आपने कहा कि एक अरब रुपया है, माननीय मुख्यमंत्री जी बतायें कि उसका बजट में प्राविधान कहाँ है ? क्योंकि मेरे जीवन भर का संसदीय अनुभव है कि बिना वित्तीय व्यवस्था के किसी प्रकार की घोषणा करना सिर्फ कोरी बयानबाजी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को यह उत्तर देना पड़ेगा सदन में, कि इस वित्तीय व्यवस्था का किस बजट में प्राविधान है ?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मुझे लगता है कि मैंने शिक्षकों को पांचवें वेतनमान को देने की घोषणा की तो इसके लिए आप मुझे बधाई देंगी। (व्यवधान)

आपने कहा कि आप कहाँ से देंगे, तो शासन जो निर्णय करता है वह फाइनल निर्णय है। वह पूरे वित्त से क्लियर करके पूरा सोच–समझकर के, पूरा उसका आकलन करने

के बाद उसकी व्यवस्था की गई है और बिना व्यवस्था के कोई काम नहीं किया जाता है और उस व्यवस्था के माध्यम से किया गया है। आपसे यह भी निवेदन है कि आप बार-बार मत कहिये कि आप नहीं रहेंगे, यह आप 1991 से लगातार कह रही हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं यह स्पष्टीकरण चाहती हूँ, क्योंकि बजट सदन में पारित किया जाता है। शिक्षकों की प्रतिनिधि होने के नाते मेरा यह अधिकार है कि मुझे इस बात की जानकारी हो कि बजट में इसका प्राविधान कहाँ है, बिना सदन में पारित कराये हुए कौन सा व्यय कहाँ से कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

सदन के अन्दर माननीय नेता सदन सरकार की नीतियों से सम्बन्धित घोषणा कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचम वेतनमान देने की नीतिगत घोषणा की है। अब यह आश्वासन बन गया है।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, आपका निर्णय शिरोधार्य है, आपके निर्णय से हमें आपत्ति नहीं है लेकिन थोड़ी सी जिज्ञासा यह है कि इसमें जो धन व्यय होगा, उसकी व्यवस्था कहाँ से की जाएगी। इसको तो इस सदन में स्वीकृत कराना ही होगा, या तो माननीय मुख्यमंत्री जी साफ तौर पर यह कह दें कि अगले बजट में इसका प्राविधान किया जाएगा, तो स्थिति साफ हो जाएगी।

शिक्षा, ग्राम्य विकास एवं पेयजल मंत्री (श्री रमेश पोखरियाल "निशंक")–

मान्यवर, मुझे इस बात का आश्चर्य है कि जब शिक्षकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर सिद्धान्तः 01 जनवरी, 1996 से स्वीकृत कर लिया है, तो इसमें बहस का क्या औचित्य है।

श्री अध्यक्ष–

इस विषय पर मैंने कोई चर्चा तो स्वीकार नहीं की, जो आप लोग इस प्रकार बिना अनुमति के बोल रहे हैं। अब यह आश्वासन बन गया है, इस पर संविधान के अनुसार जो व्यवस्था होगी, वह की जाएगी।

(थपथपाहट)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

सरकार ने इस विषय में पैसे की कोई व्यवस्था नहीं की है, यह सिर्फ चुनावी घोषणा है। इसलिए मैं इस सदन का बहिष्कार करती हूँ।

(श्रीमती इन्दिरा हृदयेश सदन त्याग कर चली गयीं)

काजी मो0 मोइउद्दीन–

मान्यवर, मैं एक शेर कहना चाहता हूँ– "जो अब भी न तकलीफ फरमाइएगा, बस हाथ ही मलते रह जाइएगा, हमीं जब न होंगे तो क्या रंगे महफिल, किसे देखकर आप शर्माइएगा।"

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

गांव बिन्दुखत्ता, जिला नैनीताल वन क्षेत्र के राजस्व ग्राम घोषित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री इसम सिंह–

मान्यवर, गांव बिन्दुखत्ता, जिला नैनीताल वन क्षेत्र में 45000 जनसंख्या आबादी निवास करती है। उक्त आबादी, गढ़वाल मण्डल एवं कुमायूं मण्डल के विभिन्न जिलों के क्षेत्रों से आकर इस गाँव में बस गए हैं। यह आबादी सन् 1982 से आबाद होने के पश्चात भी आज तक वन क्षेत्र होने के कारण, वहाँ की जनता आज भी, मूल भूत समस्याओं पानी, बिजली, स्वास्थ्य केन्द्र, रोड के न होने के कारण जूझते रहते हैं। अतः बिन्दुखत्ता गांव को राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु जनहित में शासन से वक्तव्य की मांग करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

इसे मैं आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज रहा हूँ।

जनपद पिथौरागढ़ में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पेयजल एवं सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, अगस्त 2001 में जनपद पिथौरागढ़, तहसील मुन्स्यारी, ग्राम सैंपराथी में अतिवृष्टि से रास्ते, सम्पर्क मार्ग, पेयजल की योजनायें क्षतिग्रस्त हो गई तथा पैदल पुल मार्ग भी बह गया था। पुल बह जाने से ग्राम सैंपराथी के लोगों को 5 किमी0 अतिरिक्त पैदल मार्ग पर चलना पड़ता है। ग्राम पंचायत सैंपराथी की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए पुल का निर्माण किया जाय जिससे गाँव के लोगों का आपस में सम्पर्क बना रहे तथा क्षतिग्रस्त पेयजल सम्पर्क मार्ग का निर्माण भी किया जाय। अतः इस लोक महत्व के विषय पर चर्चा की जाय।

पूर्व वन मंत्री द्वारा स्वीकृत कार्यों को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर मैं पूर्व वन मंत्री की हैसियत से उत्तरांचल वन मंत्री के पद पर रहते हुए–

1. उत्तरांचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन 6 माह पूर्व करवा दिया था।
2. वन विभाग तथा उत्तरांचल वन विकास निगम दोनों के प्रशासनिक ढाँचे का अनुमोदन भी पत्रावली में 4 माह पूर्व कर चुका था।

3. वन नीति का भी अनुमोदन पत्रावली में तीन माह पूर्व कर चुका हूं।

4. चार माह पूर्व वन सेना का गठन भी पत्रावली में कर चुका था।

क्योंकि वन विभाग के अधिकारी नहीं चाहते हैं कि वन सेना का गठन न हो, क्योंकि यह सेना अवैध पातन, अवैध खनन, अवैध शिकार एवं अतिक्रमण पर प्रतिबन्ध लगायेगी। प्रशासनिक ढाँचा बड़ा नहीं बनाया गया, अधिकारीगण चाहते थे कि अधिकारियों की बड़ी फौज रहे ताकि उनकी पदोन्नति हो सके। किन्तु जनता पर भारी आर्थिक बोझ इससे पड़ेगा इसलिए वन विभाग/वन निगम का वर्तमान में जो ढाँचा चल रहा है उसे यथावत् रखा गया है जनहित में अच्छी वन नीति बनायी गयी थी। किन्तु सभी पत्रावलियों को दबा दिया गया है।

मैं चाहूँगा कि उक्त चारों बिन्दुओं पर जनहित में आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिया जाए।

उत्तरांचल में बसे बंगाली समुदाय को अनुसूचित जाति घोषित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, उत्तरांचल राज्य की तराई में बसे बंगाली समुदाय के लगभग दो–ढाई लाख बंगाली विगत 6 माह से लगातार हड़ताल, धरने क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि देश के अन्य राज्यों की तरह उन्हें भी अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाय उनकी जाति के लोग अन्य राज्यों में अनुसूचित जाति के हैं। उनके बच्चों को शिक्षा तथा नौकरियों में वे सभी सुविधायें दी जायें जो अनुसूचित जाति के बच्चों को मिलती हैं।

उत्तरांचल राज्य गठन के बाद से नागरिकता प्रमाण–पत्र की कठिनाइयों के कारण विद्यालयों में प्रवेश तथा सेवाओं से वंचित रहने के कारण यह समुदाय काफी आक्रोशित है।

राज्य सरकार का दायित्व है कि राज्य में निवास करने वाले दो लाख–ढाई लाख बंगाली समुदाय की कठिनाइयों का समाधान तत्काल करें, स्थिति अत्यन्त विस्फोटक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा करने हेतु अनुमति प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष–

इसमें आवश्यक कार्यवाई के लिए भेज रहा हूं।

पथरी वनखण्ड के अन्तर्गत कमला नगर, पुरूषोत्तम नगर को राजस्व ग्राम घोषित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, पथरी वन खण्ड के अन्तर्गत कमला नगर, पुरूषोत्तम नगर ऐसे आवासीय क्षेत्र हैं जिनमें अधिकांश अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लोग निवास करते हैं। इन आवासीय क्षेत्र में बसे लोगों, उनके पूर्वजों ने पिछले 70–71 वर्षों से टोंगिया के रूप में वन को लगाने संवर्धन तथा रक्षण एवं पोषण का कार्य किया है। इनमें से कुछ लोग

आस-पास के अन्य गाँवों में बस गये और अधिकांश ने कमला नगर, पुरुषोत्तम नगर में रहना प्रारम्भ कर दिया, परन्तु अत्यन्त दुःखद स्थिति है कि आज तक भी इन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित नहीं किया गया जिसके कारण वे सभी सुविधाओं से वंचित हैं।

अब इन वनों को काटकर वन गूजरों को बसाया जाने का कार्य किया जा रहा है। इन टोंगिया मजदूरों की माँग है कि वन गूजरों को बसाने के साथ-साथ उन्हें भी खेती करने के लिए भूमि के पट्टे दिये जायें तथा उनके गाँवों को राजस्व ग्राम घोषित किया जाये।

अपनी माँगो को लेकर ये टोंगिया मजदूर लगभग 2 माह से आंदोलनरत् हैं जिसके कारण गूजरों का पुनर्वास कार्य भी प्रभावित हो रहा है तथा इन्हें मिल रहे वन समर्थन से क्षेत्र में कानून व्यवस्था भी प्रभावित होगी।

यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का विषय है अतः सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

इसे मैं आवश्यक कार्यवाई के लिए भेज रहा हूँ।

ग्राम औरंगाबाद में पेयजल आपूर्ति हेतु नलकूप की बोरिंग कराए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम सिंह सैनी-

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम औरंगाबाद विकास खण्ड बहादराबाद में कई वर्षों पूर्व लाखों-लाख रुपया व्यय कर पानी की टंकी का निर्माण कराया गया था तथा पाईप लाईनें भी बिछाई गई हैं और यह आशा थी कि इस चाड़ क्षेत्र स्थित इस गाँव में शुद्ध पानी की आपूर्ति हो सकेगी, परन्तु टंकी में पानी की आपूर्ति हेतु नलकूप का बोरिंग वर्षों से लम्बित है। गाँव में शुद्ध पेय जल व्यवस्था ना होने से ग्रामवासियों में भारी असन्तोष, रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर समस्या के निराकरण की माँग करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

सातवीं सूचना श्री मुन्ना सिंह चौहान जी की है।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री मुन्ना सिंह चौहान जी का नाम पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थे)

नियम 300 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

नियम 300 की सूचना माननीय डा0 इन्दिरा हृदयेश जी की है, इसे मैं निरस्त करता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इसका संवैधानिक महत्व है। जब सत्र चल रहा हो उस समय माननीय मंत्री जी सदन के बाहर घोषणा नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष–

सदन के बाहर कोई घोषणा नहीं हुई।

सत्र के दौरान सदन से बाहर घोषणा करने सम्बन्धी दी गई सूचना पर औचित्य का प्रश्न

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह सदन की अवमानना है। मान्यवर, आप रक्षा करें। इसकी दो बातों की ग्राह्यता पर सुन लें। नम्बर–1 परम्परा का प्रश्न है, संवैधानिक व्यवस्था है कि यदि सत्र चल रहा हो तो सरकार का कोई मंत्री या मुख्यमंत्री सत्र चलते समय सदन में ही घोषणा करेंगे। सदन के बाहर नहीं करेंगे। मेरी जानकारी सदन के बाहर की घोषणा से हुई। उसी से पता चला, इसलिए मैंने आपत्ति की कि 2002 जुलाई में नकद भुगतान करेंगे इसके बाद जी०पी०एफ० आदि की जानकारी दी है तो मान्यवर, नकद भुगतान जब तक किसी शिक्षक के हाथ में और जी०पी०एफ० के पैसे का बजट में प्राविधान नहीं है। मैंने तीन बिन्दुओं पर इसमें ध्यान आकर्षित किया है कि बजट में प्राविधान नहीं है नम्बर–1, सबको विश्वास में नहीं लिया गया नम्बर–2, और इसलिए 2002 के जुलाई में घोषणा की गयी तो मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा अब की तब करते तो ठीक था। लेकिन मान्यवर, सत्र चल रहा हो तो कम से कम यह हमारा दायित्व भी है कि इस सदन में मान्य परम्पराओं के प्रति ध्यान आकर्षित भी करें और सदन की अवमानना होने से बचाएं।

मुख्यमंत्री (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, न तो मैंने कोई बाहर घोषणा की है, यहां तक कि मेरी जानकारी में जो मीडिया है उसमें भी घोषणा की कोई बात नही है। . . . .

मान्यवर, मैंने सदन से बाहर कोई घोषणा नहीं की है। मैंने सदन में कहा था कि अध्यापकों को बुलायेंगे और मैंने सदन की भावनाओं का ध्यान रखते हुए उसका पालन किया है। उनसे विचार विमर्श के बाद जो निर्णय लिया वह उनके हित में लिया।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे मैं निरस्त करता हूं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी दे दें तो हम उन्हें यहीं बधाई दे देते हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह नियमों के दायरे में नहीं आता है।

दूसरी सूचना है श्री मातबर सिंह कण्डारी जी की इसे मैं स्वीकृत नहीं करता हूँ। तीसरी सूचना है श्री मुन्ना सिंह चौहान जी की (श्री अध्यक्ष द्वारा श्री मुन्ना सिंह चौहान का नाम पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थे) चौथी सूचना श्री राम सिंह सैनी जी, काजी मो0 मोइउद्दीन जी और श्री अम्बरीष कुमार जी की है, जो राज्य में होने वाले विधान सभा चुनाव में मतदाताओं के लिए फोटो पहचान–पत्र के सम्बन्ध में है।

विधान सभा चुनाव में मतदाताओं हेतु फोटो पहचान–पत्र के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, प्रजातंत्र की नींव जो हमारे यहाँ परम्परागत चुनाव होते हैं, उन पर आधारित है और चुनाव में पारदर्शिता हो संविधान में प्रदत्त अधिकारों का अनुपालन हो। उत्तरांचल प्रदेश के आगामी विधान सभा चुनाव होने जा रहे हैं। हम लोगों की जानकारी है जो चुनाव होंगे वह फोटो पहचान–पत्र के माध्यम से होंगे, लेकिन जो पूर्व में फोटो पहचान–पत्र बने थे वह खो चुके हैं। पूर्व में भी इसमें काफी खामियाँ थी कि नाम किसी और का, फोटो किसी और का। मान्यवर, व्यवस्था अभी बहुत खराब है। हमारे जनपद में फोटो खींचाने का काम हो रहा है, चुनाव भी शीघ्र होने वाले हैं। यह औचित्य का प्रश्न बनता है। मैं व्यवस्था चाहता हूँ कि इस जटिल समस्या का समाधान कैसे हो। यह हमारा अधिकार है, इससे काफी लोग वंचित रह जायेंगे। इससे जनता में आक्रोश व्याप्त है। इसलिए इस सम्बन्ध में व्यवस्था चाहता हूँ।

काजी मो0 मोइउद्दीन–

मान्यवर, यह समय पक्ष या विपक्ष का नहीं है, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और चुन कर आये हैं और जनकल्याण की बात सोचते हैं। अगर फोटो पहचान–पत्र से चुनाव होगा तो 6–7 प्रतिशत से ऊपर वोट नहीं पड़ पायेंगे। अगर आज से फोटो खींचने का काम युद्ध स्तर पर किया जाय तो कम से कम एक साल तो इसमें लग जायेगा, उसके बाद जाँच में 6 महीने लग जायेंगे। इतने कम समय में यह काम सम्भव नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमारी भावनाओं से चुनाव आयोग को अवगत करा दें।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा अभी माननीय काजी जी ने, माननीय सैनी जी ने कहा। फोटोग्राफी का जो प्रोसीजर है वह काफी कॉम्प्लीकेटेड है और जितनी निरर्थकता हमारे प्रदेश में है उसके संदर्भ में यह सम्भव नहीं है। अभी 7 दिसम्बर तक मतदाता सूची में नाम शामिल कराने की तिथि है, उसके बाद जाँच होगी और फिर मतदाता सूची को अन्तिम रूप दिया जायेगा, तो मान्यवर इस तरह से बहुत समय लग जायेगा। मान्यवर, एक बूथ पर लगभग एक हजार मतदाता होते हैं और प्राप्त सूचनाओं के अनुसार हम में से 100 मतदाता भी ऐसे नहीं हैं, जिनके पास पहचान–पत्र हों। मान्यवर, इसको अगर पूरे नियम और कानून से चलाया गया तो जो चुनाव फरवरी में सम्भावित हैं, वह चुनाव नहीं हो पायेंगे। वह भी लोकतंत्र के साथ एक मजाक होगा, लोकतंत्र के साथ न्याय नहीं होगा। अगर फोटो की

अनिवार्यता समाप्त करने की बात नहीं हुई और फोटो के आधार पर चुनाव कराया गया तो मुश्किल से 5–7 प्रतिशत ही वोट डाल पायेंगे, जो भी सरकार होगी वह प्रतिनिधि सरकार नहीं होगी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप पक्ष और विपक्ष दोनों की राय लेकर, आप उचित समझें तो इलेक्शन कमीशन को सदन की भावना से अवगत करा दें कि अगर फरवरी में चुनाव होना है तो उसके संदर्भ में यह काम पूरा होना सम्भव नहीं है और अगर यह अनिवार्यता रखी गई तो इससे लोगों के मताधिकार का हनन होगा।

श्री भारत सिंह रावत–

मान्यवर, हमारा उत्तरांचल राज्य में अधिकतर पर्वतीय क्षेत्र है और यह कहा गया है कि जहाँ पर पोलिंग स्टेशन है वहीं पर परिचय–पत्र बनेगा। पहाड़ में आज भी 7–8 किलोमीटर की दूरी पर पोलिंग स्टेशन बने हुये हैं, तो वहाँ के लोगों को कोई इच्छा नहीं होती कि वह अपना समय देकर वहाँ जायें। मान्यवर, दूसरी बात यह है कि अभी जो परीसीमन हुआ है, उसमें पोलिंग स्टेशन का भी निर्धारण नहीं हुआ है, तो इसी जगहों पर हमने देखा है कि आधा हिस्सा उधर है तो आधा हिस्सा इधर है। कहाँ वो लोग जायेंगे। तो मैं समझता हूँ कि सदन का एक प्रस्ताव चुनाव आयोग के सामने अवश्य जाना चाहिए कि अभी ऐसी परिस्थितियाँ नहीं हैं कि फोटो पहचान–पत्र के माध्यम से यहाँ पर हों।

श्री अध्यक्ष–

इस प्रकरण का विषय निर्वाचन आयोग के क्षेत्राधिकार में है और यह सदन आयोग के कृत्यों पर चर्चा नहीं कर सकता है। विषय चूँकि महत्वपूर्ण है, अतः शासन से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने स्तर से इस सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग को संस्तुति करे और चूँकि यह सूचना नियमों के दायरे में नहीं आता, इसलिए मैं अग्राह्य करता हूँ।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रमों के निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 3 दिसम्बर, 2001 की बैठक में सिफारिश की है कि दिनांक 3 दिसम्बर के उपवेशन में समस्त सरकारी कार्य तथा असरकारी कार्य ले लिये जांय तथा कार्य समाप्ति पर सदन अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दिया जाय, तदनुसार समिति ने दिनांक 3 दिसम्बर, 2001 के उपवेशन का कार्यक्रम को निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :–

1. सरकारी संकल्प–

"यह सदन उत्तरांचल राज्य में बसे बंगाली समुदाय के नमःशुद्र, पोण्ड एवं मांझी जाति के व्यक्तियों जो, भारतीय नागरिकता के हों, को उत्तरांचल राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने की संस्तुति करता है।"

2. गत द्वितीय सत्र के लम्बित निम्नलिखित असरकारी संकल्पों पर चर्चा जारी :–

(क) "इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल की चीनी मिलों को पर्याप्त गन्ना आपूर्ति हेतु गन्ना कमाण्ड क्षेत्र, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तरांचल में सम्मिलित किए जाने हेतु प्रयास किये जायें।"

(ख) "यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि अन्तरिम विधान सभा का कार्यकाल अधिकतम एक वर्ष निर्धारित किया जाए।"

3. असरकारी संकल्प :-

(क) "उत्तरांचल राज्य की सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था हेतु राज्य की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर के छुटमलपुर, मोहण्ड तथा बिहारीगढ़, जनपद बिजनौर के मोटाढांगतल्ला, जाफराबाद क्षेत्र के गाँव कौड़िया, सुलेमान, शिकोहपुर, कादरगंज, अफजलगढ़, जामुनगला, कादराबाद तथा भिक्कूवाला क्षेत्रों को उत्तरांचल राज्य में सम्मिलित किये जाने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश की जाय।"

(ख) "प्रदेश में बेरोजगारी दूर करने के लिये उद्योगों को सुविधा प्रदान कर उद्योग का जाल बिछाया जाना आवश्यक है।"

(ग) "इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि नवगठित उत्तरांचल राज्य की विधान सभा मंत्रियों के बैठने का स्थान एवं शासन सचिवालय एक ही स्थान पर हों।"

(घ) "यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि वर्ष 1994 में उत्तरांचल राज्य के निर्माण की माँग के लिये दिल्ली जाते हुये जनपद मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा पर उत्तरांचल के निवासियों के शहीद स्थल स्मारक को उत्तरांचल राज्य में सम्मिलित किया जाय।"

(ड़) "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से उनकी फसलों का अधिकाधिक लाभकारी मूल्य दिलाया जाय।"

4. "नियम 103 के अन्तर्गत सर्व श्री रघुनाथ सिंह चौहान, बिशन सिंह चुफाल, कृष्ण चन्द्र पुनेठा, सदस्य विधान सभा द्वारा अधिसूचित तथा श्री रघुनाथ सिंह चौहान द्वारा दिनांक 15 मई, 2001 को निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-

"इस सदन का निश्चित मत है कि नवगठित उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी दोनों मण्डलों (कुमाऊँ-गढ़वाल) के मध्य ही बनायी जाय।"

(ख) "दिनांक 15 मई, 2001 को नियम 103 के अन्तर्गत श्री इसम सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल राज्य की शिक्षा नीति रोजगारपरक हो।"

(ग) "दिनांक 17 मई, 2001 को नियम 103 के अन्तर्गत डा0 इन्दिरा हृदयेश, सदस्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-

"इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल में कार्यरत सरकारी एवं गैरसरकारी शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप, पद से पद की समानता, के आधार पर वेतनमान अनुमन्य किये जायें।"

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)-

मान्यवर, कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि संसदीय कार्य मंत्री द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है, तो यह सदन स्थगित है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

(व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास)

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। इससे पूर्व 21 नवम्बर को जब सदन की बैठक हुई थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि भ्रष्टाचार से सम्बन्धित मामलों की जो रिपोर्ट आयी है, उसको सदन के समक्ष रखेंगे।

श्री अध्यक्ष–

इस विषय पर मेरा निर्णय सुरक्षित है। जब तक निर्णय सुरक्षित रहेगा, इस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती।

उत्तरांचल में बसे बंगाली समुदाय के नमःशूद्र पोण्ड एवं मांझी जाति के लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने के सम्बन्ध में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "यह सदन उत्तरांचल राज्य में बसे बंगाली समुदाय के नमःशूद्र, पोण्ड एवं मांझी जाति के व्यक्तियों जो, भारतीय नागरिकता के हों, को उत्तरांचल राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने की संस्तुति करता है।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प "यह सदन उत्तरांचल राज्य में बसे बंगाली समुदाय के नमःशूद्र, पोण्ड मांझी जाति के व्यक्तियों जो, भारतीय नागरिकता के हों, को उत्तरांचल राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने की संस्तुति करता है।" को स्वीकार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

नियम 36 के अन्तर्गत प्रस्तुत संकल्प के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, आप नियम 36 में एक व्यवस्था दे दें। मान्यवर, जो नियमावली है, उसमें लिखा है कि मंत्री कोई संकल्प प्रस्तुत करना चाहें तो वे 7 दिन पूर्व सूचना देंगे और इस संकल्प की प्रति सचिव को भेजेंगे जो साधारणतया प्राप्ति के 48 घण्टों के अन्दर उसकी प्रतिलिपियां सदस्यों को भिजवायेंगे और ये सदन शुरु होने के बाद भिजवाई गईं।

श्री अध्यक्ष–

यह विशेष परिस्थितियों में हुआ है। परम्परा यही है कि नियमावली के अनुसार कार्य हो। लेकिन विशेष परिस्थितियों में मेरे द्वारा इसकी स्वीकृति दी गई है।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, यह सदन नियमों से चलता है। शासन को जो भी काम करना है, नियमावली के अन्तर्गत करना चाहिए। ये आपकी पीठ से व्यवस्था आनी चाहिए। शासन ने नियम 86 के अन्तर्गत संकल्प प्रस्तुत किया और नियम 86 में स्पष्ट प्राविधान है कि 7 दिन पहले सूचना आपको देंगे और सचिव उसकी प्राप्ति के 48 घण्टों के अंदर प्रतिलिपि सदस्यों को भिजवायेंगे। मान्यवर, आप हमारे अधिकारों के संरक्षक हैं, अधिकार हम आपसे चाहते हैं। शासन इतना निरंकुश कि जब यह सदन प्रारम्भ हो गया तब इसकी प्रतिलिपि पहुँचाई गई। अगर हम केवल फॉरमेलिटि करने के लिए यहां आयेंगे तो इससे ज्यादा दुखद बात कोई और नहीं हो सकती है। सत्ता पक्ष के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वह नियमावली के अनुसार कार्य करे अगर सरकार अपने राजनैतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए नियमावली का उल्लंघन करे तो यह लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। आज के बाद यह सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जायेगा। मान्यवर, आप शासन को यह निर्देश देने की कृपा करें कि नियमों का पालन किया जाये।

आबकारी एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)–

मान्यवर, चूँकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला था, तात्कालिक था और जब कोई विरोध कहीं पर नहीं होता है और ऐसे मामले को संसदीय कार्यमंत्री सरकार की तरफ से अनुरोध करते हैं और एजेण्डा में आ जाता है तो उस पर कोई टीका–टिप्पणी करना उचित नहीं होता है। पक्ष–विपक्ष दोनों ओर से इसे मान लिया गया है।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि तात्कालिक है। यह प्रश्न ऐसा नहीं है कि जिसकी तात्कालिकता आज बनी हो। ऐसा भी नहीं है कि ऐसी कोई स्थिति आ गई हो कि आज ही यह संकल्प प्रस्तुत करना जरूरी हो। मान्यवर, मैं मानता हूँ कि आपातकाल में मर्यादा की कोई मान्यता नहीं होती है।

मान्यवर, यह प्रश्न ऐसा नहीं है जिसकी तात्कालिकता आज ही बनी हो और तत्काल यह आवश्यक हो कि कोई ऐसी घटना पूरे प्रदेश में हो गई हो जिसके कारण शासन को कोई संकल्प आज ही प्रस्तुत करना जरूरी हो और ऐसी कोई स्थिति होती तो इसमें पक्ष विपक्ष दोनों सहमत होते हैं। आपातकाल में मर्यादा कोई स्थान नहीं रखती है। यह नियमों को तोड़ने–मरोड़ने का प्रयास है।

पर्यटन एवं लोक निर्माण मंत्री (श्री केदार सिंह फोनिया)–

मान्यवर, हम सब लोग यहाँ पर जनहित की बातों से चिन्तित हैं। मा० संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है वह नियमों का उल्लंघन नहीं है। यह नियमों का शिथिलीकरण है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, नेता सदन ने प्रस्ताव रखा और संसदीय कार्य मंत्री ने संकल्प पढ़ा, समर्थन का जहाँ तक प्रश्न है विपक्ष की ओर से समर्थन हुआ। मान्यवर, उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया। इसके महत्व के प्रति किसी ने विवाद नहीं किया है। नियमों का पालन सदन में किया जाय, ताकि यह परम्परा बनी रहे। मान्यवर, आपने कहा चर्चा का समय नहीं है, मैंने आपसे अनुरोध किया था, आपने कहा नहीं लिया जाना चाहिए। कार्य मंत्रणा में बात हुई कि परम्परा बिगड़ जायेगी। क्योंकि जनहित में था, इसलिए इसको लायें।

श्री अध्यक्ष–

चूँकि शासन के अनुरोध को स्वीकार करते हुए, नियमों को शिथिल करते हुए विशेष परिस्थितियों में यह अनुमति दी गई।

कार्यमंत्रणा में इसकी संस्तुति की जा चुकी है, और संकल्प भी स्वीकृत हो चुका है, इसलिए इसमें चर्चा तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें मैं व्यवस्था दे रहा हूँ। मैं शासन को निर्देशित करता हूँ कि कार्य संचालन नियमावली के अनुसार ही सदन संचालित होना चाहिए इसके नियमों का वायलेशन न हो। इस परम्परा की भविष्य में पुनरावृति न हो।

कार्यस्थगन की सूचनाएं

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, राज्य सरकार ने सभी सिद्धान्तों और नियमों को ताक पर रख कर करोड़ों रुपये के..........

श्री अध्यक्ष–

इन्दिरा जी आप ग्राह्यता पर बोलें क्योंकि सूचना आ गई है। चूंकि यह आधारभूत सदन है। यहाँ हमने जितनी परम्परा डाल दी वह आगे के लिए नजीर बन जायेगी। नियम 58 में यह परम्परा नहीं है कि उसकी सूचना को पढ़ा जाय, क्योंकि ग्राह्यता पर बोलने की परम्परा पहले से बनी है, इसलिए इस सदन को परम्परा का अनुपालन करना चाहिए, आगे यह परम्परा न बने।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, राज्य सरकार ने सभी सिद्धान्तों एवं नियमों को ताक पर रख कर करोड़ों रुपये के खर्च बिना वित्तीय मंजूरी के किये हैं। बिना मंजूरी के कार्यों में राज्य सरकार ने राज्य सम्पत्ति के रु0 48–53 लाख के कार्य करवाये तथा लोक निर्माण विभाग की शासन को प्रेषित भुगतान की फाइलें अभी लम्बित पड़ी हैं। इनमें से अधिकतर निर्माण कार्य यमुना कालोनी स्थित आवासों को मंत्री आवास में तबदील करने के लिए किये गये। इन पर किया गया अंधाधुन्ध व्यय पर्वतीय राज्य के हित में नहीं माना जा सकता। राज्य सम्पत्ति विभाग के विभिन्न पत्रों के अनुपालन में कई उच्चाधिकारियों के आवासों के विशेष मरम्मत कार्य

कराये गये। वर्ष 2000–2001 में सचिवालय परिसर में भवन की मरम्मत तथा जीर्णोद्धार के कई कार्य स्वीकृत किये गये। जिस पर 90–93 लाख रु० व्यय किया गया।

बिना वित्तीय स्वीकृति के कार्य महज आवासों, कार्यालयों, सड़कों तक ही सीमित न हो कर राजकीय समारोह व निजी आवासों की साजसज्जा में भी किये गये हैं। गणतन्त्र दिवस वर्ष 2001 के साजसज्जा सहित अन्य कार्यों के लिए 13–21 लाख रुपये व्यय किये गये। स्वतंत्रता दिवस 2001 के राजकीय समारोह हेतु परेड ग्राउण्ड में सलामी मंच की मरम्मत व रंगाई, पुताई, टैंक निर्माण, कनात, टेन्ट, शामियाना एवं सजावट आदि कार्यों पर 11–75 लाख रुपया व्यय किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश पर खूब धन लुटाया गया। सभी विभागों ने प्रशासनिक आदेशों का पालन तो किया किन्तु भुगतान की समस्या से अब वे जूझ रहे हैं। विभागों के सामने यह समस्या मुंह बाये खड़ी है कि यदि इन कार्यों का भुगतान अन्य स्वीकृत कार्यों हेतु प्राप्त आवंटन शाख सीमा में किया गया तो स्वीकृत कार्यों की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

सरकार के इस गैर जिम्मेदाराना कदम के चलते जहाँ बिना मंजूरी के लाखों रुपयों का कार्य हुआ है वहीं अस्थायी राजधानी में सौन्दर्यीकरण, मंत्रियों के आवास तथा मार्गों के डामरीकरण के नाम पर बिना मंजूरी के लाखों के कार्य किये गये जो इस सरकार का एक अत्यन्त गैरजिम्मेदाराना कदम है। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी इस सरकार की कार्यशैली से जनता आन्दोलित है। नये राज्य में लूट खसोट की इन घटनाओं से राज्य निर्माण में कुर्बानी देने वाले नौजवान एवं महिलाएं आहत हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के तात्कालिक प्रश्न पर चर्चा कराये जाने के लिए सदन से आज का कार्य स्थगित करने का अनुरोध करती हूँ।

मान्यवर, जैसा उन्होंने ध्यान आकर्षित किया कि आपने उस दिन व्यवस्था सुरक्षित रख ली थी। अगर इस अनियमितता के सम्बन्ध में जाँच रिपोर्ट बैठाई गई तो उसको प्रस्तुत कर दिया जाता।

श्री अध्यक्ष–

माननीया इन्दिरा जी, मैंने आपको जिस सूचना पर ग्राह्यता पर बोलने की अनुमति दी उस पर बोलिए। दूसरे नियम पर मेरी व्यवस्था सुरक्षित है इसलिए इस पर चर्चा करना उचित नहीं है।

श्रीमती "डा०" इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, ग्राह्यता पर दो शब्द बोलूँगी। यह अविलम्बनीय इसलिए कि पूरे प्रदेश में एक वातावरण बन गया, उस समय सरकार से अपेक्षा की गई थी कि राजधानी बनी और करोड़ों रुपया व्यय हुआ। तो मान्यवर, सब बतायें जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तब हमें तसल्ली हो जाती कि उनकी ओर से कोई कोताही नहीं बरती गई और दोषी अधिकारियों को दण्डित किया गया है।

वित्त एवं संस्थागत वित्त मंत्री (श्री रमेश पोखरियाल "निशंक")–

मान्यवर, जिसमें आपकी व्यवस्था पहले से ही सुरक्षित है। (व्यवधान)

श्रीमती "डा0" इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, क्या सरकार के भ्रष्टाचार से सम्बन्धी जो प्रश्न है, यदि इनको लगता है कि वह नही है तो क्या अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए वह सदन के सम्मुख नहीं प्रस्तुत करने चाहिए। यदि यह नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब सरकार उसमें पूरी तरह लिप्त है।

श्री अध्यक्ष–

इसमें हमने अपनी व्यवस्था सुरक्षित की है और जब तक उस सुरक्षित व्यवस्था पर मेरा निर्णय नहीं आ जाता तब तक सरकार नहीं कह सकती। (व्यवधान) इसे मैं निरस्त करता हूँ।

दूसरी सूचना श्री इसम सिंह जी की है और काजी जी की है। जिस पर आप ग्राह्यता पर बोल लें।

श्री इसम सिंह–

मान्यवर, भारत और पाकिस्तान का विभाजन होने के पश्चात भारत में विभिन्न जातियों के लोग, पूर्वी व पश्चिमी पाकिस्तान से पुनः देश के विभिन्न भागों में, विस्थापित हुए। उत्तरांचल में भी जिला ऊधमसिंह नगर के कुछ हिस्सों में विस्थापित हो गया था। जिसकी संख्या वर्तमान में लगभग 2 लाख के आस–पास है। बंगाली समाज मेहनतकश व शान्ति प्रिय के साथ–साथ देशप्रेमी भी है। शासन द्वारा बंगाली समाज के बारे में यह कहा जाना कि, यह तो घुसपैठिये हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, लेकिन मानवता के ऊपर कलंक भी है। जिससे बंगाली समाज आज यह सोचने पर मजबूर है कि नया शासन हमें इस देश का नागरिक नहीं मानता, जिसका परिणाम यह है कि पूरा बंगाली समाज आंदोलित है तथा समाज में भारी आक्रोश है। अतः मान्यवर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 व 6 का उल्लंघन भी है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की समस्त कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की माँग करता हूँ।

मान्यवर, शासन के द्वारा बंगाली समाज को घुसपैठिया कहा जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिसका आक्रोश आज भी बंगाली समाज में बरकरार है। अभी मेरे पास पत्र आया है उसके सम्बन्ध में मैं इसे आपके पास भेज रहा हूँ। ये गाँव बरवाबाग है, जिसमें लगभग 700 बीघा जमीन वन विभाग के द्वारा एक व्यक्ति को लीज पर दी गई। तो इससे यह साबित होता है कि शासन की नीति स्पष्ट नहीं है। मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से शासन से यह निवेदन है कि इस सम्बन्ध में जो शासन की सोच है उसके बारे में नीति स्पष्ट करें। क्या यह प्रक्रिया सही है कि किसी भू–माफिया का 700 बीघा जमीन लीज पर दी गई है। शासन के द्वारा व्यक्त हो गया कि बंगाली समाज घुसपैठिया है, वैसे तो यह भारतीय संविधान का

अनुच्छेद 5 और 6 का उल्लंघन है। जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें स्पष्ट है कि 1947 के बाद किसी भी राज्य में विस्थापित भारत के नागरिक माने जायेंगे। तो उत्तरांचल में शासन यह कहता कि बंगाली समाज घुसपैठिया है तो यह मानवता के ऊपर कलंक है।

मान्यवर, यह मानवता के ऊपर कलंक है। इस विषय पर ज्यादा लम्बी चौड़ी बात न करते हुए, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि क्या बंगाली समाज को वहां से उजाड़ा जाएगा। इस सम्बन्ध में अपनी नीति स्पष्ट कर दें।

मुख्यमंत्री (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, हमारी सरकार की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं किया गया कि कोई समाज घुसपैठिया है। घुसपैठिये तो प्रत्येक समाज में होते हैं। बंगाली समाज में भी कुछ घुसपैठिये होंगे। हम तो स्वयं बंगाली समुदाय के हित के लिए एक संकल्प इस सदन में लाए हैं। इस विषय में हमने माननीय अध्यक्ष जी से बहुत अनुनय–विनय किया, चूंकि इसकी सूचना हम पहले से नहीं दे सके थे, चूंकि माननीय अध्यक्ष जी के अधिकार क्षेत्र में था, इसलिए उन्होंने सारे नियमों को शिथिल करते हुए यह संकल्प लाने की इजाजत दी। हम तो उनके हित की बात सोच रहे हैं, ऐसा तो सरकार की तरफ से बोला ही नहीं गया इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसे अग्राह्य कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

इसे मैं अग्राह्य करता हूँ। अगली सूचना है, श्री राम सिंह सैनी जी की।

श्री राम सिंह सैनी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण, अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जैसा कि अभी पूर्व में माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए, उन्होंने इस शासन की कार्य प्रणाली पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया उससे यह तो सिद्ध है कि यह सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसकी कार्य प्रणाली को देखते हुए आज सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं ने भी भारी रूप से भ्रष्टाचार करने का एक व्रत सा ले लिया है। किसानों से गन्ना खरीदा जाता है, तो एक्ट में उसका स्पष्ट प्राविधान है कि गन्ना सहकारी गन्ना समितियों के माध्यम से ही खरीदा जाएगा। कोई भी गन्ना मिल सीधे कृषकों से गन्ना नहीं खरीदेगी क्योंकि यदि सीधे कृषकों से गन्ना खरीदा जाएगा तो उसमें समितियों को मिलने वाला जो कमीशन है, उसकी चोरी होगी, जो टैक्स सरकार के खजाने में जाता है, उसकी चोरी होगी। मान्यवर, यह कमीशन और पर्चेज टैक्स गन्ना मिल मालिक डायरेक्ट किसानों को देकर गन्ना खरीदेगा और यदि किसान उसी गन्ना मिल को गन्ना बेच देंगे तो दूसरी मिलें इससे प्रभावित होंगी, इस प्रकार दूसरी मिलें बन्द होने के कगार पर पहुँच जाएंगी। हमारे यहाँ की एक गन्ना मिल ने पिछले वर्ष भारी मात्रा में गन्ना डायरेक्ट कृषकों से खरीदा। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार से उसने 14.07 लाख रुपये टैक्स और कमीशन की चोरी की लेकिन इस पर यहाँ के शासन और प्रशासन को उसके विरुद्ध जहाँ कार्यवाही करनी चाहिए थी, वहीं उन्होंने

सचिव को लेटर लिख कर भेजा कि तुमने नियम विरुद्ध गन्ना खरीदा है, तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही होगी।

मान्यवर, न तो उसने इस पत्र का कोई जवाब दिया, बल्कि यह प्रचारित किया कि हमने तो ऊपर एक सेटिंग कर रखी है। मान्यवर, ऊपर तो गन्ना मंत्री जी आते हैं। उसने कहा कि इसलिए हमने कोई चोरी नहीं की है। मान्यवर, जो गन्ना एक्ट बना है, उसमें लिखा है कि कोई फैक्ट्री सीधे गन्ना नहीं खरीद सकती है। जब उसने पिछले वर्ष चोरी की तो इस वर्ष उसे सौगात दी गई। दूसरी गन्ना मिलों का सेन्टर काटकर उसे दे दिया गया कि और भ्रष्टाचार करें। यह भ्रष्टाचार से लिप्त बात है। मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है। आप कहेंगे कि नियम 56 में मैं इसे नहीं लेता हूँ। मैं आपको व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर बता रहा हूँ, आप विजिलेन्स जाँच करा दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यह अहम मसला है। मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। मैं इसमें विजिलेन्स जाँच की माँग करता हूँ।

कृषि एवं गन्ना विकास मंत्री (श्री बंशीधर भगत)–

मान्यवर, माननीय राम सिंह सैनी जी जो कह रहे हैं, ऐसा कहेंगे भी क्योंकि मार्च आ रहा है वरना लोग कहेंगे कि आप सदन में क्या करते हैं। माननीया इन्दिरा जी ने कहा कि 85 प्रतिशत धान बाहर तुला है। (विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने में व्यवधान)

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि अगर ये नहीं कहेंगे तो लोग कहेंगे कि आप सदन में क्या करते हैं ?

श्री अध्यक्ष–

यह व्यक्तिगत आक्षेप है, यह उचित परम्परा नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इसे कार्यवाही से निकाला जाये।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, जहाँ तक उत्तम फैक्ट्री का क्षेत्र बढ़ाने की बात है। इस वर्ष के मैं आंकड़े नहीं दे रहा हूँ। पिछले वर्ष का परचेजिंग टैक्स 22.34 लाख रुपये था जिसमें उत्तरांचल का 8.53 लाख रुपया है। हमने सभी गन्ना समितियों के माध्यम से खरीदा। लेकिन आपने यह मुझे बताया नहीं कि बाहर से गन्ना खरीदा जा रहा है। मैं पिछले वर्ष की बात कर रहा हूँ। आपने बीच में मुझे बताया नहीं, वरना मैं इसकी जाँच करवा लेता। आपने कहा कि बाहर से वे सीधे किसानों से खरीद रहे हैं, सोसाइटी कन्ट्रोल के बाहर से खरीद रहे हैं।

मान्यवर, सोसाइटी के बाहर से जो खरीद रहे हैं उसको चैक कर लेंगे। पिछले

वर्ष का जो सोसाइटी का पर्चेजिंग टैक्स है और जो कमीशन 10 लाख 47 हजार रुपये था वह उत्तम शुगर फैक्ट्री ने दे दिया। अगर आप बाहर से खरीदने की बात कर रहे हैं। यह देखना पड़ेगा कि बाहर से कितना खरीदा, कहाँ से खरीदा उसके लिए आपको आश्वस्त करता हूँ कि हम उसकी जाँच करा देंगे।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि उन्होंने किसानों से सीधे गन्ना खरीदा, जो पर्चेजिंग एक्ट है उसके अनुसार गन्ना नहीं खरीदा गया। उनका कहना है कि हमने सोसाइटी को टैक्स दिया है जो उन्होंने रिकार्ड में दर्शाया है उसको तो देना ही पड़ता है। उसके बाद उसने जो गन्ना डारेक्ट खरीदा उसका कमीशन न तो उसने सरकार को दिया और न ही ट्रेड यूनियन को दिया है।

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्य की स्पष्ट जानकारी पर उन्होंने जाँच की माँग की है तो जाँच करायेंगे।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, हमने कहा कि जो वह बाहर से गन्ना खरीद रहे हैं और सोसाइटी के माध्यम से नहीं खरीद रहे हैं...... (व्यवधान)

काजी मो0 मोइउद्दीन–

मान्यवर, मैं भी काश्तकार हूँ और मैंने पिछले सत्र में मा0 मंत्री जी को एक प्रार्थना पत्र दिया था कि हमारे यहाँ दूसरी फैक्ट्री का कांटा लगाने की अनुमति आप दे दें। जो यह उत्तम फैक्ट्री है वह जिला मुजफ्फरनगर तक का गन्ना खरीदता है, हम करीब के हैं हमारा गन्ना नहीं खरीद रहा है। माननीय मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था कि इसको देख लेंगे। मेरी मा0 मुख्यमंत्री जी और मा0 मंत्री जी से निवेदन है कि एक कांटा लक्सर फैक्ट्री की ओर लगा दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, मा0 सदस्य ने मुझे दिया था, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मैंने कार्यवाही के लिए उसे भिजवा दिया है। जहाँ तक कांटा लगाने का सवाल है वहाँ पर अनेक शिष्टमण्डल आते हैं और कहते हैं कि इस कांटे को यहाँ भेज दो उसको वहाँ भेज दो। सेन्टर लगाना और उखाड़ना यह रोज का काम तो नहीं है।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी जाँच किससे करायेंगे यह बता दें।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, काजी साहब ने एक कांटे के लिए कहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि

गन्ना क्षेत्र बंटे हैं। अगर इसमें कोई भीषण कठिनाई आयेगी तो आप हमें बतायें, मैं इसको दिखवा दूँगा। अगर कोई ऐसे बिन्दु होंगे तो मैं इसकी जाँच करवा दूँगा।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसे अग्राह्य करता हूँ।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में अभी माननीय सैनी जी ने, माननीया इन्दिरा जी ने चर्चा की और हम लोग भी कई बार चर्चा कर चुके हैं और बहुत प्रकार के माफियाओं की चर्चा सदन में हुई है। जैसे– शराब, रेत–बजरी, भू आदि माफियाओं के विषय में। लेकिन आज जिस प्रकरण को मैंने उठाया है वह अविलम्बनीय लोकमहत्व का है। यह है मिट्टी के तेल माफियाओं का प्रकरण। मान्यवर, जब हम आर्थिक नीतियों की चर्चा करते हैं तो देश के स्तर पर भी एक नई आर्थिक नीतियों के संदर्भ में यह बिन्दु उभरकर आता है कि 53 वर्ष इस देश को आजाद हुए हो गए हैं और सब्सिडी की बैसाखी इस देश की अर्थ–व्यवस्था से अब हम लोगों को हटा लेना चाहिए, ताकि यह देश की अर्थ–व्यवस्था तरक्की कर सके। लेकिन यह मिट्टी का तेल एक ऐसी वस्तु है, जिस पर गरीब आदमी का जीवन निर्भर है। वह ईंधन के लिए, प्रकाश के लिए प्रयोग करता है। लेकिन हम उस स्थिति में पहुँच गये कि आज हम उस गरीब की रोटी को, गरीब को सब्सिडी जो केन्द्र सरकार देती है, उस सब्सिडी को भी पूरे उत्तरांचल में एक माफियाओं का गैंग बना जो मिट्टी तेल के थोक व्यापारी हैं और उनकी जो कार्य करने की प्रणाली है उसमें इस प्रदेश के अधिकारी भी शामिल हैं और थोक विक्रेता भी शामिल हैं।

मान्यवर, मैं जो तथ्य रखने वाला हूँ वह बहुत चौंकाने वाला तथ्य है। किस किस्म से पूरे प्रदेश में सात लाख से अधिक फर्जी राशन कार्ड हैं और व्यवस्था ऐसी है कि जिनके पास 2 गैस सिलेण्डर हों उनको मिट्टी का तेल बिलकुल भी अनुमन्य नहीं है और जिनके पास एक गैस सिलेण्डर है उनको 3 लीटर प्रति कार्ड अनुमन्य है और जिनके पास यह सुविधा उपलब्ध नहीं है उनको हम 10 लीटर मिट्टी का तेल केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार अनुमन्य करते हैं। लेकिन, जो यहाँ हो रहा है उस के बारे में मैं आपको जो विभिन्न जिलों के जो फर्जी कार्ड हैं, उनकी संख्या 7 लाख 56 हजार 472 है और मैं देहरादून जिले का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि देहरादून की जनसंख्या 2001 के अनुसार 12 लाख 79 हजार थी और 5 प्रतिशत उसमें बढ़ाकर हम मान लें तो 13 लाख 42 हजार 950 हो गया और एक परिवार में 5 व्यक्तियों को मान लें तो उसके आधार पर 2 लाख 68 हजार 590 परिवार हो गये और इनमें से 80 प्रतिशत परिवार जो राशन कार्ड के लिए अनुमन्य हैं उनकी संख्या 2 लाख 14 हजार 872 हो गई। लेकिन, वर्तमान में जो प्रचलित राशन कार्ड इस देहरादून जिले में हैं, उनकी संख्या 3 लाख 59 हजार 846 है और इस प्रकार से 1 लाख 44 हजार 976 राशन कार्ड देहरादून जनपद में फर्जी हैं और जो विभिन्न कम्पनियों से आंकड़े इकट्ठे किये गये उनके अनुसार देहरादून जनपद में 1 लाख 76 हजार 180 डी०बी०सी० है तथा सिंगल वाले 1 लाख 60 हजार 820 हैं। मान्यवर, इसको अगर हम 5 से भी गुणा कर दें तो हमारी कटौती बहुत बैठती थी। लेकिन केवल 45 हजार

डी0बी0सी0 पर कटौती देहरादून में हो रही है और इस प्रकार से आप देखें कि अगर हम 45 हजार भी मान लें तो इसके हिसाब से भी जो सिंगल वाले हैं और जो एल0पी0जी0 रहित राशन कार्ड पर अनुमन्य है, विद्यार्थियों के लिए विशेष आवंटन है। इसको भी जोड़ लें तो 13 सौ 80 किलो लीटर मिट्टी का तेल देहरादून के लिए उचित बैठता है।

मान्यवर, यह जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ ये जुलाई के अन्त के शासन के ही आंकड़े हैं। इसके अनुसार 2533 किलोलीटर तेल देहरादून में आवंटित हुआ है। 1380 और 2533 में कितना अन्तर है, एक हजार किलोलीटर का मतलब है, 10 लाख लीटर मिट्टी तेल का अतिरिक्त आवंटन किया गया। मान्यवर, हरिद्वार जनपद की जनसंख्या देहरादून जनपद से अधिक है लेकिन मिट्टी के तेल का कोटा जो जुलाई में जारी किया गया, उसका 21.32 प्रतिशत अकेले देहरादून जनपद के लिए था और हरिद्वार जनपद, जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, उसके लिए मात्र 11 प्रतिशत था। इससे पता चलता है माननीय मुख्यमंत्री जी, देहरादून, जहाँ आप भी रहते हैं, आपके सारे मंत्रीगण भी रहते हैं और मुख्य सचिव से लेकर सारे अधिकारी जहाँ निवास करते हैं, वहाँ चिराग के तले अंधेरा हो रहा है, इसकी नाक के तले यह सारे माफिया कितना जघन्य अपराध कर रहे हैं। इनमें से मात्र एक पकड़ा गया, जो डीजल के स्थान पर मिट्टी के तेल का आवंटन कर रहा था। 9 रुपया प्रति लीटर मिट्टी के तेल का भाव है, जबकि डीजल का भाव 18 रुपया प्रति लीटर है। यह एक गंभीर स्थिति है, क्योंकि यह केवल चोरी का ही मामला नहीं है बल्कि यह मिलावट का भी मामला है। मान्यवर, इस तरह इस पूरे प्रदेश का कितना भारी नुकसान ये कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि इस पर कटौती करने का प्रस्ताव भी हुआ था लेकिन फिर किन कारणों के चलते फर्जी राशन कार्डों को कम नहीं किया गया। डेढ़ लाख से अधिक परिवारों के पास डबल सिलेण्डर हैं, किन्तु इनमें से सिर्फ 40 हजार परिवारों के मिट्टी तेल की ही कटौती क्यों की जा रही है, सबकी कटौती क्यों नहीं की जा रही ? पूरे प्रदेश में मिट्टी के तेल के माध्यम से करोड़पति बनने का काम यह माफिया कर रहे हैं। यह एक गम्भीर प्रकरण है। यह इस सरकार की अथारिटी को भी चुनौती है कि ये लोग अपने राजनीतिक प्रभाव से इतना दबाव बना सकते हैं। चाहते हुए भी जितनी कटौती होनी चाहिए थी, वह नहीं हो रही है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण और लोक महत्व का अविलम्बनीय प्रश्न है। अतः मैं चाहूँगा कि सारे कार्य रोककर इस पर चर्चा करा ली जाए।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री तिलक राज बेहड़)–

मान्यवर, उत्तरांचल राज्य के अस्तित्व में आने के बाद से फर्जी राशन कार्डों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। चार हजार राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए हैं। पूरे उत्तरांचल में जाँच का कार्य चल रहा है। जहाँ–जहाँ पर मिट्टी के तेल की शिकायतें आ रही हैं, वहाँ पर जाँच की जा रही है और सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि डीजल पम्प तथा पेट्रोल पम्प की भी जाँच करें, जहाँ–जहाँ से गड़बड़ी की रिपोर्ट आएगी, वहाँ–वहाँ पर कार्यवाही की जाएगी।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने एक ऐसा उत्तर दिया जो इस बात को जाहिर करता

है कि इसमें कहीं न कहीं सरकार का भी कुछ दखल है। इतने महत्वपूर्ण प्रश्न का इतना स्पेसिफिक उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया। मेरे पास सरकारी आंकड़े हैं, देहरादून में एक लाख चवालीस हजार नौ सौ छिहत्तर फर्जी राशन कार्ड हैं।

मान्यवर, सरकारी आंकड़े मेरे पास हैं, इनके विभाग के ही ये आंकड़े हैं जिसके अन्तर्गत देहरादून में 1,44,976 फर्जी राशन कार्ड हैं और उसमें से मात्र 4000 रद्द किये गये हैं। इसका मतलब है कि सरकार आई वाश करना चाहती है और इस समस्या के निपटारे के लिए कृत संकल्प नहीं है। मैंने कहा था कि जिन अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी राशन कार्ड बनते हैं। मान्यवर, अगर दूध की रखवाली के लिए आप बिल्ली से रखवाली करवायेंगे तो दूध की चोरी तो होगी ही। उसे कोई रोक नहीं सकता, यह घोटाला चलता रहेगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि मंत्री जी का उत्तर संतोषजनक नहीं है और न ही गम्भीरता को दर्शाता है, इसलिए इस पर आप चर्चा की अनुमति जरूर दें।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जिस विषय को उठाया है, यह उनकी चिन्ता है, उस चिन्ता से मैं अपनी सहमति प्रकट करता हूँ और मैं कम से कम आपसे यह अपेक्षा नहीं करूँगा कि आप मुझसे यह अपेक्षा करें कि मैं माफिया चाहे किसी किस्म का हो। यह शब्द मैंने आज पहली बार इस्तेमाल किया है। कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाएं पिछले दिनों से ऐसी चली आ रही हैं, उसके कारण से जो कमियाँ दिखती हैं मैं भी अनुभव करता हूँ कि बहुत सारी कमियाँ हैं, उनको दूर करना है लेकिन इन कमियों को दूर करने से पहले समाज में जो बुराईयाँ हैं, उनको हमें मिटाना है। एक ओर जन प्रतिनिधि आते हैं, सभी दलों के आते हैं, वे कहते हैं जिनके पास डी०बी०सी० है उनको भी मिट्टी का तेल दिया जाये क्योंकि पहाड़ों में जलाने के लिए मिट्टी का तेल चाहिए। केन्द्र सरकार ने कुछ नार्म्स निर्धारित किये हैं। या तो हम उन नार्म्स के हिसाब से चलें तो फिर उसमें लगता है कि कुछ वर्गों को इससे बड़ी परेशानी होगी। इसलिए इस नीति को तय करने में हमें समय लगेगा। दूसरी बात आपने कही कि आखिर इतने फर्जी राशन कार्ड हैं, इन पर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जब हम कदम उठाएं तो फिर उस समय चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो हम यह न सोचें कि यह मामला तेल का ही हो। हम लोग ऐसा एक सामूहिक निर्णय बैठकर ले लें ताकि कम से कम इस तरह की चीजें सामने न आएं। जैसा आप कह रहे हैं कि तेल मिलाते हैं पहले मैंने भी लोगों को पकड़वाया है और इस सम्बन्ध में जितनी कठोर कार्यवाही हो सकती है, हम करेंगे।

मान्यवर, आपसे निवेदन है कि यह किसी एक को प्रभावित नहीं करता है बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करता है, उस दिशा में हम पूरी कार्यवाही करेंगे। क्योंकि इस पर हम स्वयं गहन कार्यवाही करने वाले हैं और इस पर हम गम्भीरता से विचार कर रहे हैं।

श्री अम्बरीष कुमार–

मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। वास्तव में मा० मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं, भले आदमी हैं, भले को दुष्टों

की जानकारी नहीं है। लेकिन जानकारी करने में समय लगता है। मेरा मा0 मुख्यमंत्री जी से यह कहना है कि उन सफेद पोशों के खिलाफ कार्यवाही हो, चाहे वह इधर के हों ऊधर के हों, ये समाज के दुश्मन हैं और मुख्यमंत्री जी को चिन्हित कर लेना चाहिए कि जो इस वकालत में आये हों कि मिट्टी तेल पूर्ववत बंटता रहे, वहीं लोग इसकी असली जड़ है। वे लोग राजनीति में भी दखल रखते हैं, उन्हीं लम्बे हाथों की बदौलत वे मुख्यमंत्री जी तक पहुँचते हैं। मा0 मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया और उन्होंने मेरी बात की पुष्टि कर दी। इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। मैंने स्पष्ट तौर से यह कहा कि इससे यह परिलक्षित होता है कि चाहे प्रशासन में हों चाहे सरकार में हों उनके हमदर्द जरूर हैं। तीसरी बात मा0 मुख्यमंत्री जी ने कही नीति निर्धारण की कि मिट्टी तेल किस को मिले किस को न मिले। जो केन्द्र सरकार के निर्देश हैं उसमें मा0 मुख्यमंत्री जी सदन को गुमराह न करें कि प्रदेश सरकार को कोई नीति तय करनी है। यह तो केन्द्र सरकार ने तय करके भेजा है कि किस को मिट्टी तेल देना है किस को नहीं देना है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी साफ तौर से बता दें कि मिट्टी तेल का वितरण केन्द्र सरकार की नीति के अनुसार होगा या प्रदेश सरकार की नीति के अनुसार वितरण होगा।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मैंने यह बात इसलिए कही कि बहुत बार हमको केन्द्र को कहना पड़ता है कि इस नीति में ढील दे दी जाये। इसलिए इसमें नीति निर्धारण की बात नहीं है।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, जब तक केन्द्र सरकार इसमें शिथिलता की इजाजत नहीं देती तब तक केन्द्र सरकार के नियमानुसार ही बांटें। जिन लोगों को नाजायज तरीके से दिया जा रहा है उनको बन्द हो और फर्जी राशन कार्ड भी बन्द हों।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मुख्यमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से देखूँगा कह दिया है। इसको मैं अग्राह्य करता हूँ।

दिनांक 21 नवम्बर, 2001 को श्री अम्बरीष कुमार, श्रीमती इन्दिरा हृदयेश और श्री मुन्ना सिंह चौहान द्वारा प्रस्तुत प्रक्रिया नियमावली के नियम 300 के अन्तर्गत अभिसूचित औचित्य के प्रश्न की सूचना पर पीठ से निर्णय

श्री अध्यक्ष–

दिनांक 21 नवम्बर, 2001 को श्री अम्बरीष कुमार, श्रीमती इन्दिरा हृदयेश और श्री मुन्ना सिंह चौहान, सदस्यगण विधान सभा द्वारा प्रक्रिया नियमावली के नियम 300 के अन्तर्गत अभिसूचित औचित्य प्रश्न की सूचना पर निर्णय :–

श्री अम्बरीष कुमार, श्रीमती इन्दिरा हृदयेश और श्री मुन्ना सिंह चौहान, सदस्यगण, विधान सभा ने दिनांक 21 नवम्बर, 2001 को बजट सत्र के अन्तिम दिन राजधानी निर्माणाधीन– मुख्यमंत्री आवास, मंत्रियों, अधिकारियों के आवासों, सड़क बोर्डों तथा खरीद में हुए भ्रष्टाचार

की जाँच के आश्वासन/घोषणा को गम्भीरता से नहीं लिया गया है। श्री अम्बरीष कुमार का कथन है कि दिनांक 18 मई, 2001 को उक्त विषय पर सदन में चर्चा के समय तत्कालीन मा0 मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रकरण की उच्च स्तरीय जाँच कराए जाने के सम्बन्ध में 10–15 दिन के अन्दर निर्णय ले लिया जाएगा। इस पर यह अनुरोध किए जाने पर कि जाँच को समयबद्ध कर दिया जाए, अध्यक्ष पीठ से यह निदेश दिए गए थे कि जाँच समिति गठित होकर तीन माह में जाँच हो जायेगी। 6 माह का समय बीत जाने पर मा0 पीठ के निदेश का पालन नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में डा0 इन्दिरा हृदयेश तथा श्री मुन्ना सिंह चौहान द्वारा भी अपने विचार व्यक्त किए गए। मा0 मुख्यमंत्री जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए इस बात को स्वीकारा कि अगर कल ही इसमें बयान आ गया होता तो अधिक उत्तम रहता, परन्तु किसी कारणवश बयान नहीं आया। मा0 मुख्यमंत्री जी ने यह अवगत कराते हुए कि उनके पास रिपोर्ट की पूरी प्रतियाँ नहीं हैं, यह अनुरोध किया था कि 3 दिसम्बर, 2001 को होने वाले उपवेशन में रिपोर्ट को सदन में रखने की अनुमति प्रदान की जाए। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा अवगत कराई गयी स्थिति को देखते हुए मैंने उपर्युक्त औचित्य के प्रश्न पर अपना निर्णय सुरक्षित रख दिया था।

मैंने दिनांक 18 मई, 2001 के उपवेशन की कार्यवाही के संगत अंशों का अवलोकन किया। उस समय चर्चा के दौरान तत्कालीन मा0 मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम मंत्रिपरिषद् के सदस्यों की राय लेकर उच्च स्तरीय जाँच समिति 10–15 दिन के अन्दर बना देंगे। यह मांग किए जाने पर कि कितने दिन के अन्दर जाँच पूरी हो जायेगी। पीठ से यह कहा गया था कि कमेटी गठित होकर तीन माह में जाँच हो जायेगी।

विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली के नियम 300 के उप नियम (1) में यह प्राविधान है कि औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा। इसके अतिरिक्त नियम 300 (2) में उल्लेख है कि औचित्य प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के सम्बन्ध में उठाया जा सकेगा। अग्रतर उप नियम 6 में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई सदस्य जानकारी मांगने के लिए ऐसा औचित्य प्रश्न नहीं उठायेंगे।

मा0 सदस्यों द्वारा उठाये गये औचित्य प्रश्न में सदन के विगत उपवेशन की कार्यवाही का हवाला दिया गया है और उसके पूर्वार्द्ध में यह कहा गया है कि मा0 मुख्यमंत्री द्वारा विषय की गम्भीरता को देखते हुए यह कहा गया कि प्रश्नगत विषय पर वे अवगत करायेंगे। जो स्पष्ट रूप से आश्वासन के अन्तर्गत आता है। ऐसे प्रकरणों के सम्बन्ध में 5 मार्च, 1984 को श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के औचित्य प्रश्न पर तत्कालीन उत्तर प्रदेश विधान सभा के मा0 अध्यक्ष द्वारा यह व्यवस्था दी गई थी कि "सदन में दिए गये आश्वासनों की पूर्ति के सम्बन्ध में इस सदन की आश्वासन समिति आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सक्षम है। ऐसे मामलों में औचित्य का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।" (उत्तर प्रदेश विधान सभा में अध्यक्ष पीठ से दिए गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन 1974–84, पृष्ठ 201–202) इसको दृष्टिगत रखते हुए उक्त सूचना उक्त नियमों के अनुकूल नहीं है। इसके अतिरिक्त मा0 सदस्यों ने उन नियमों का या संविधान के अनुच्छेद का स्पष्ट उल्लेख भी नहीं किया है जिनके निर्वचन या प्रवर्तन करने की आवश्यकता हो।

प्रश्नगत् सूचना का द्वितीय भाग सदन में पीठ से दिए गए निर्देशों का सरकार द्वारा अनुपालन न किए जाने से सम्बन्धित है। यह सही है कि दिनांक 18 मई, 2001 को सदन में उठाये गये राजधानी निर्माण में भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं के सम्बन्ध में पीठ से सरकार को यह स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि मामले में 3 माह के अन्दर जाँच पूरी करायी जाए। दिनांक 21–11–2001 को इस सम्बन्ध में मा0 मुख्यमंत्री जी ने सदन में यह कहा कि "पिछली बार बात उठने के बाद अपने प्रमुख सचिव गृह से इसकी पूरी जाँच कराई है" उन्होंने आगे यह भी कहा कि प्रश्नगत् विषय पर अगर कल ही इसमें बयान आ गया होता तो अधिक उत्तम रहता, परन्तु किसी कारणवश बयान नहीं आ सका। मा0 मुख्यमंत्री जी ने आगे कहा कि इस मामले में खरीददारी तथा गुणवत्ता में गड़बड़ी के विषय को उन्होंने महालेखाकार को सौंप दिया है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत् प्रकरण पर सदन में प्रथम उपलब्ध अवसर पर शासन का बयान नहीं आ सका। शासन को चाहिए था कि वर्तमान सत्र के पहले दिन ही जाँच समिति के निष्कर्षों से सदन को अवगत कराया जाता और यदि जाँच निष्कर्षों को सदन में रखने में कोई व्यवहारिक कठिनाई थी तो उससे भी अवगत कराया जाना था। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 21 नवम्बर, 2001 को सदन में व्यक्त विचारों से यह प्रतीत होता है कि मा0 मुख्यमंत्री द्वारा सदन में दिए गए आश्वासन एवं अध्यक्ष पीठ के निर्देशों के अनुरूप जाँच को सदन में रखने के पीछे उनकी कोई कदाशयता नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में मा0 मुख्यमंत्री जी को निर्देशित करता हूँ कि प्रमुख सचिव गृह की उल्लिखित जाँच आख्या को आज ही सदन के पटल पर रखें।

वर्णित परिस्थिति में उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मैं उक्त सूचना को नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न के रूप में अग्राह्य घोषित करता हूँ, परन्तु सरकार को यह निर्देशित करता हूँ कि भविष्य में अध्यक्ष पीठ से दिए गए निर्देशों का समयबद्ध रूप से कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, जिससे सदन एवं अध्यक्ष पीठ की गरिमा की दृष्टि से इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो।

उत्तरांचल की चीनी मिलों को पर्याप्त गन्ना आपूर्ति हेतु गन्ना कमाण्ड क्षेत्र उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तरांचल में सम्मिलित किए जाने हेतु प्रयास के सम्बन्ध में श्री अम्बरीष कुमार द्वारा प्रस्तुत संकल्प

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, आप को बधाई और माननीय नेता सदन जो यहाँ बैठे हैं उनसे यह अनुरोध है कि आपकी सलाह को मान लें तो अच्छी परम्परा पड़ जाये। आपने जो परम्परा कायम की है उसके लिए आप बहुत साधुवाद के पात्र हैं। सम्पूर्ण विपक्ष की तरफ से हम कह सकते हैं कि आपके लिए बहुत–बहुत बधाई कि आपने उन परम्पराओं को जिन्दा रखा है। लेकिन जो रिफलेक्शन सरकार के प्रति आपने किये हैं, तो मैं समझता हूँ कि सरकार उसमें जरूर चिन्तन करेगी। अब मैं अपनी चर्चा प्रारम्भ करता हूँ।

मान्यवर यह एक गम्भीर प्रश्न है। हमारे जो मैदानी जिले हैं, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर, इनमें जो चीनी मिलें हैं, उनके लिए गन्ने की सप्लाई का जो क्षेत्र रहा है, वह आज उत्तर प्रदेश में है। जब हम नये राज्य का निर्माण करते हैं तो हम यह आशा करते हैं कि हम

आर्थिक रूप से भी इस प्रदेश को मजबूत बनायेंगे ताकि हर समय अपनी आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए हमें केन्द्र सरकार का मुंह न ताकना पड़े। आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए कृषि और उद्योग मुख्य आधार होते हैं। कृषि क्षेत्र कार्य गन्ना है। गन्ने से शीरा और एल्कोहल तो बनाया ही जाता है, साथ ही बहुत सी दवाइयाँ बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। गन्ने का कमाण्ड एरिया हमारे उत्तरांचल में नहीं है, इसके दुष्परिणामों की तरफ हमने इस सदन का ध्यान आकृष्ट किया था। इस विषय में सरकार की तरफ से बार–बार आश्वासन भी आये। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नित्यानन्द स्वामी जी ने इस सदन को अवगत कराया था कि हमारा अनुबंध उत्तर प्रदेश से हो गया है और हमारी चीनी मिलों को अनवरत रूप से अनन्त काल तक गन्ना मिलता रहेगा, इसलिए कमाण्ड एरिया को मिलाने का कोई औचित्य नहीं है।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूँ कि उत्तरांचल के गठन के विषय में जब लोकसभा में चर्चा हो रही थी तो माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने यह प्रश्न उठाया था कि गन्ना कमाण्ड एरिया को उत्तरांचल में शामिल किया जाना चाहिए और माननीय गृह मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने यह आश्वासन दिया था कि इस पर विचार किया जाएगा लेकिन जिन लोगों ने इसको उत्तरांचल में मिलाने का विरोध किया था, मैं कहना चाहता हूँ कि उनका विचार उत्तरांचल के हित में नहीं था। आज वह स्थिति पैदा हो गयी है, जिसकी तरफ विपक्ष के सभी सदस्य बार–बार इंगित करते रहे। मैंने अपने क्षेत्र के मिल मालिकों से पूछा कि गन्ने की आपूर्ति में कठिनाई तो नहीं हो रही होगी, उत्तर प्रदेश से निरन्तर गन्ना मिल रहा है। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश ने हमारी चीनी मिलों को गन्ना देने से मना कर दिया है। इससे यह स्थिति पैदा हो गयी है कि उत्तम शुगर मिल के मालिक मिल को चलाने के लिए नम्बर दो में उत्तर प्रदेश को ज्यादा पैसा देकर अपनी मिल के लिए गन्ना ले रहे हैं। मान्यवर, मैं सदन के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी एक रैली में बताया कि गन्ने का भाव 100 से 105 रुपया रखा जाएगा, ललकार रैली थी, मुख्यमंत्री जी ने कहा मांग लो, जो मांग सकते हो, उस समय तो उन्होंने किसानों को खुश कर दिया, लेकिन आज स्थिति यह है कि 90 रुपये से अधिक का भाव आज किसी भी किसान को प्रदेश में नहीं मिल रहा है।.........

मान्यवर, जो उत्तर प्रदेश के किसान हैं, जिनसे नम्बर 2 से गन्ना लेंगे उनको अधिक भाव देकर लेंगे। उत्तरांचल के किसानों का गन्ना कम मूल्य पर लिया जायेगा। इससे उत्तरांचल के किसानों को हानि होगी। यह व्यवहारिक बात है कि जितना हमारे को आवश्यक है, इतने शुगर मिल को देखते हुए अगर उसे उत्तरांचल में सम्मिलित कर लिया जाये तो उत्तर प्रदेश से निर्भरता समाप्त होगी, जो गन्ना उत्तर प्रदेश से लाना पड़ता है वह भी नहीं लाना पड़ेगा और हम अपने चीनी उद्योग को मजबूत कर सकेंगे। इसलिए मेरा यह कहना है कि सभी पूर्वाग्रहों को छोड़कर, प्रदेश के हित में यह आवश्यक है कि गन्ना कमाण्ड एरिया उत्तरांचल में मिलाने सम्बन्धी प्रस्ताव हम इस विधान से पारित करके केन्द्र को भेजें। इसलिए मैंने यह संकल्प रखा है।

काजी मो० मोइउद्दीन–

मान्यवर, जैसा अभी माननीय अम्बरीष कुमार जी ने कहा मैंने पिछले साल अनुभव

किया और इस साल भी यह हो रहा है। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर से हमारी फैक्ट्रियाँ गन्ना खरीद रही हैं। उत्तम शुगर फैक्ट्री मुजफ्फरनगर से गन्ना खरीदती है। अब उनको उत्तर प्रदेश ने गन्ना देने से मना कर दिया है तो वे ज्यादा भाव देते हैं। पिछले साल 115 रु0 प्रति कुन्तल तक उन्होंने बाहर का गन्ना खरीदा और उसका किराया भी खुद दिया। जबकि हमारा गन्ना 85 रुपये में खरीदा और हमें खुद वहाँ जाकर डालना पड़ा। उत्तम शुगर फैक्ट्री ने हमारा गन्ना खरीदना कम कर दिया है। उनका एक ब्वायलर भी फुँक गया है। यह बात सही है कि गन्ना उद्योग पर इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है इसलिए जरूरी है कि उस इलाके का जो आश्वासन दिया गया था कि बाद में उसकी व्यवस्था कर दी जायेगी। मा0 गृहमंत्री, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने आश्वासन दिया था, उस पर उनका ध्यान आकर्षित किया जाये। गुड़ उद्योग पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। यह हमारे दिल की पीड़ा है, किसानों की पीड़ा है। हमारी मंडी उजड़ गई, मंडी मुजफ्फरनगर चली गई। मंडी की जो इन्कम होती थी वह नहीं हो पा रही है। मंडी का पैसा मंडी समिति के पास आता है, उससे सड़कें आदि बनती थी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि गन्ना क्षेत्र बढ़ाने का प्रस्ताव केन्द्र को भेजा जाये और मैं समझता हूँ कि केन्द्र उसे मान भी लेगा।

श्री राम सिंह सैनी–

माननीय अध्यक्ष जी जो विचार मा0 अम्बरीष कुमार जी ने, मा0 काजी जी ने व्यक्त किये हैं, मैं अपने आपको उससे सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूँ कि किसी भी उद्योग के पास अगर रॉ मैटेरियल नहीं होगा या कम होगा तो वह बीमार हो जायेगा, वह फैक्ट्री बन्द हो जायेगी। यदि कोई उद्योग बन्द होता है तो हजारों लेबर जो उसमें काम कर रहे हैं वे बेरोजगार हो जाते हैं और उनका परिवार भुखमरी के कगार पर पहुँच जाता है। यह उद्योग तो ऐसा है जो हजारों–हजार किसानों से जुड़ा हुआ है। आज स्थिति यह है कि हम लोग जो हरिद्वार जनपद से आते हैं, बरेली, ऊधमसिंह नगर इत्यादि से जो गन्ना आता था पिछले वर्ष हमने यह सवाल उठाया था और मा0 मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हमारा उत्तर प्रदेश से अनुबन्ध हो गया है। हम लोगों ने उस वक्त भी शंका जाहिर की जो अनुबन्ध आपने किया है उसकी क्या गारन्टी है कि वह लगातार चलता रहे। इस पर मा0 मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गारन्टी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष जो मुजफ्फरनगर, बिजनौर और सहारनपुर से गन्ना हमारे मिलों को मिला वह अनुबन्ध जो उत्तरांचल सरकार ने उ0प्र0 सरकार से किया था उस अनुबन्ध की धज्जियाँ उड़ गई और इस अनुबन्ध को उ0प्र0 सरकार नहीं मान रही है। मा0 गन्ना मंत्री जी जब जवाब देंगे मैं चाहूँगा कि जो उ0प्र0 सरकार के साथ 5 वर्ष के लिए अनुबन्ध हुआ था उस अनुबन्ध का पालन केवल एक वर्ष क्यों हुआ, 5 साल क्यों नहीं हुआ ? हम तो चाहते हैं कि यहाँ की अर्थ व्यवस्था सुदृढ़ हो।

मा0 नारायण दत्त तिवारी जी जो कि उ0प्र0 के कई बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं और भारत सरकार में भी मंत्री पद पर रहे हैं, वे बहुत अनुभवी भी हैं, उन्हें विकास पुरुष भी कहा जाता है। उन्होंने संसद में यह बात रखी। उन्होंने उत्तरांचल के किसानों के हित में चीनी मिलों कि हित में कहा कि गन्ने का कमाण्ड एरिया भी उत्तरांचल में सम्मिलित किया जाय। जहाँ तक भाजपा की सरकार प्रतिपक्ष कांग्रेस का है। प्रतिपक्ष का नेता यह बात कहे, इससे गृह मंत्री जी भी सहमत हैं और उन्होंने यह कहा कि गन्ना का कमाण्ड एरिया उत्तरांचल

में रखा जायेगा। यह किसानों के हित में तो है ही उद्योगों के हित में भी है। मेरा मा० मंत्री जी से अनुरोध है कि लच्छेदार भाषणों से काम चलने वाला नहीं है आपको सटीक निर्णय देना होगा। तीनों मिलें बन्द होने की कगार पर हैं जो दूसरे धन्धे भी बन्द हो रहे हैं। इन तीनों फैक्ट्रियों से लाखों लोगों की आर्थिक सुदृढ़ता जुड़ी हुई है। वह ताला बन्दी के कगार पर पहुँच जायेंगे।

मान्यवर, किसान तालाबंदी की कगार पर पहुँच जायेंगे, तो मैं कहना चाहता हूँ कि गन्ने का कमाण्ड एरिया उत्तरांचल में सम्मिलित होना चाहिए और प्रस्ताव पारित होना चाहिए और केन्द्र को जाना चाहिए। मैं इन शब्दों के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

श्री इसम सिंह–

मान्यवर, माननीय अम्बरीष जी, माननीय काजी जी, माननीय राम सिंह सैनी जी के विचारों के साथ अपने विचारों को सम्बद्ध करते हुए मैं इसमें मुख्य बात जोड़ रहा हूँ। हमारे हरिद्वार जनपद में इकबालपुर, लक्सर और उत्तम तीन चीनी मिलें हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो एरिया लगा हुआ है, विशेषकर मुजफ्फरनगर में रोहाना, सहारनपुर में देवबन, टोडरपुर आदि चीनी मिलें हैं। तो यह समस्या बराबर बनी रहेगी। चूँकि हर स्टेट का अपना शासन प्रबन्ध अलग होता है, उत्तर प्रदेश का अलग शासन प्रबन्ध है। इसलिए यह अनिवार्य है कि गन्ना कमाण्ड एरिया उत्तरांचल में सम्मिलित किया जाए। इसका विचार करने योग्य है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

कृषि एवं गन्ना विकास मंत्री (श्री बंशीधर भगत)–

मान्यवर, जो भी गन्ने का कमाण्ड एरिया के बारे में माननीय सदस्यों द्वारा जो बात कही गई है वास्तव में उनकी चिन्ता उचित है कि जो पहले से कमाण्ड एरिया है उसके लिए प्रयास होने चाहिए। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष भी बड़े गम्भीर रूप से प्रयास किया गया और पिछले वर्ष से वह गाँव जो पहले से वहाँ की मिलों के कमाण्ड एरिया में आते थे, उनका पूरा गन्ना हमने खरीदा और उत्तर प्रदेश के साथ एक एम०ओ०यू० भी हुआ है। जिसमें हमारे यहाँ के गन्ना आयुक्त और वहाँ के गन्ना आयुक्त, यहाँ के प्रमुख सचिव और वहाँ के गन्ना सचिव सबके हस्ताक्षर हुए हैं। दोनों प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्रियों की 3 बार बैठक हुई है। हमारे स्तर से भी गन्ना मंत्री से बात हुई और एक एम०ओ०यू० हुआ जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया कि "उत्तरांचल राज्य में अवस्थित चीनी मिलों के कार्य क्षेत्र में पड़ने वाले जो ग्राम उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, जिनका गन्ना अभी तक उत्तरांचल में अवस्थित चीनी मिलों को आपूर्ति होता रहा है उत्तर प्रदेश में अवस्थित चीनी मिलों के कार्यक्षेत्र में पड़ने वाले जो गाँव उत्तरांचल में पड़ते हैं, उनका उत्तर प्रदेश चीनी मिलों को आपूर्ति होता रहेगा। दोनों प्रदेशों के गन्ना उत्पादकों के हित में उनके निकट चीनी मिलों पर गन्ना आपूर्ति की सुव्यवस्था उपलब्ध किया जाना आवश्यक है।"

मान्यवर, चीनी मिलों को पर्याप्त मात्रा में गन्ने की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाना, चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक है। पिछले वर्ष हमने जो एम०ओ०यू० किया था, वह पूरे वर्ष लागू रहा। इस वर्ष पता नहीं क्यों उत्तर प्रदेश ने थोड़ा–बहुत परिवर्तन कर दिए हैं। अगर इसकी सूचना हमको पहले से मिल जाती तो

हम स्थिति को सुधार सकते थे। पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश के 539 गाँव हमें 75 लाख कुन्तल गन्ने की सप्लाई करते थे और उत्तरांचल के 146 गाँवों से उत्तर प्रदेश को 15 लाख कुन्तल गन्ना सप्लाई किया जाता था। इस समय भी हम लगभग सभी सेन्टरों से गन्ना ले रहे हैं। परन्तु उत्तर प्रदेश ने 3–4 जगहों पर अपने सेन्टर खोल दिए हैं। इस विषय में हमने वहाँ के गन्ना मंत्री जी से बात की, हमारे सचिव ने भी वहाँ के गन्ना सचिव से बात की, गन्ना आयुक्त से स्वयं हमने वार्ता की, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम इसमें सुधार ला रहे हैं। निश्चित रूप से हम उनसे पुनः बात करेंगे और उन सेन्टरों को हम लेंगे। तब तक के लिए हो सकता है कि जिस मिल के कांटे खुले उसको हम उतना लाभ न दे सकें। लेकिन हमारी सितारगंज मिल के कांटे कुछ कम हुए तो हमने भी वहाँ की मझौला चीनी मिल से अपने कांटे खोल दिए हैं। यदि इस व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो कोई बहुत बड़ा अन्तर पिछले साल की अपेक्षा में नहीं पड़ने वाला है, ज्यादा से ज्यादा 7–8 लाख कुन्तल का अन्तर पड़ेगा लेकिन हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि हम बराबर वहाँ के गन्ना मंत्री और गन्ना आयुक्त के सम्पर्क में हैं। हम इस विषय को माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाए हैं। मुख्यमंत्री जी की ओर से एक पत्र उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज दिया गया है और हमें पूरा विश्वास है कि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से जो थोड़ा सा डिस्टरबेंस पैदा हुआ है, उसको हम जल्द ही दूर कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश के गन्ना सचिव इस बात से सहमत हैं कि जो समझौता हुआ है, वह लागू रहना चाहिए।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो मैं माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए साधुवाद देता हूँ कि हम लोगों ने जो बात रखी उसको आपने स्वीकार किया। माननीय मंत्री जी ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक न हुआ तो हमें लगभग 7–8 लाख टन गन्ने की कमी रह जाएगी, वह भी हमारे लिए परेशानी की बात है, मैं तो कहता हूँ कि इससे ज्यादा कमी रहेगी लेकिन यदि फिर भी इसको स्वीकार कर लें तो हमको उत्तर प्रदेश से जो गन्ना लेना है वह 75 लाख टन है और हम उत्तर प्रदेश को जो गन्ना सप्लाई करेंगे, वह 15 लाख टन है, इस प्रकार बैलेन्स उत्तर प्रदेश के पक्ष में है। यदि यह समझौता कल को खारिज हो जाता है तो हम अधिक से अधिक यही कर सकते हैं कि जो हमारा 15 लाख टन गन्ना है, उसको यहाँ पर समायोजित कर लें। आज तो यह संयोग है कि दोनों प्रदेशों में एक ही पार्टी की सरकार है, लेकिन भविष्य के गर्भ में क्या है, इसको न तो मैं जानता हूँ न ही आप। यदि यह समझौता टूट गया तो न तो 60 लाख टन गन्ने का उत्पादन प्रदेश में बढ़ा सकते हैं और यदि उत्तर प्रदेश ने हमको गन्ना न दिया तो, न ही हम इन चीनी मिलों को चला सकते हैं।

मान्यवर, इस संकल्प की जो मूल भावना है और जो माननीय गृहमंत्री, भारत सरकार ने आश्वासन दिया, यह प्रदेश के हित में है। माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से यह सिद्ध है कि वह कमाण्ड एरिया लिया जाना आवश्यक है, शुगर मिलों के लिए आवश्यक है। तो फिर वह कौन सी आपत्ति है जिसके चलते हम यह संकल्प पारित नहीं कर सकते। यह कोई आपत्ति माननीय मंत्री जी ने सदन में नहीं रखी। मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किये और जो स्वीकारोक्ति की, लेकिन जो

इसकी मूल भावना है उस पर उन्होंने प्रकाश नहीं डाला है।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कहा कि व मेरी भावनाओं से सहमत हैं। मैंने तो केवल यह कहा कि जो थोड़ी कमियाँ हैं उसको हमने स्वीकार किया है। दूसरा जो आपने पक्ष रखा है आप गन्ना कमाण्ड एरिया को शामिल करने की बात कर रहे हैं या उत्तरांचल की सीमा बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हम गन्ना कमाण्ड एरिया को अपने उत्तरांचल में बनाये रखेंगे, सीमा बढ़ाने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी से कहें। आप मुझसे गन्ना की बात करें। जो उत्तर प्रदेश से गन्ना यहाँ आ रहा है, वह आता रहेगा और जो उत्तरांचल का गन्ना उत्तर प्रदेश जाता है, वह जाता रहेगा। यह समझौता हो चुका है। आपका प्रस्ताव है कि उत्तरांचल की सीमा बढ़ाई जाये तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रश्न करें, इस पर कैबिनेट ने विचार किया जायेगा। (विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

चूँकि आपने जो बात कही वह मंत्री परिषद् की सामूहिक जिम्मेदारी है।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पर कैबिनेट विचार करेगी। मैंने जो यह संकल्प प्रस्तुत किया उसमें लिखा है कि उत्तरांचल में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रयास किया जाय। अगर माननीय मंत्री जी यह समझते हैं कि यह इनके विभाग से सम्बन्धित नहीं है तो यह उनका आन्तरिक मामला है। अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक व्यवस्था के दौरान यह बताया कि जो विषय सदन की कार्यसूची में सम्मिलित हो गया, उस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती। यह औचित्य का प्रश्न है, इस पर आप व्यवस्था देने का कष्ट करें।

मुख्यमंत्री (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

माननीय अध्यक्ष जी अभी मैं चर्चा सुन रहा था कि गन्ना कमाण्ड एरिया हमको मिले। मेरा आपसे अनुरोध है कि यह विषय दो राज्यों के बीच का विषय है, इसका अच्छा संदेश नहीं जायेगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको आप वापस ले लें।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की भावनाओं का आदर करता हूँ। अगर वे स्पष्ट आश्वासन दे दें तो मैं संकल्प वापस ले लूंगा। मैं अपने इस प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, उत्तरांचल का स्वरूप कैसा हो इस बारे में चर्चा हो।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल की चीनी मिलों को पर्याप्त गन्ना आपूर्ति हेतु गन्ना कमाण्ड क्षेत्र, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तरांचल में सम्मिलित किए जाने हेतु प्रयास किए जायें।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

अन्तिम विधान सभा का कार्यकाल अधिकतम एक वर्ष निर्धारित किया जाये, के सम्बन्ध में श्री मुन्ना सिंह चौहान द्वारा प्रस्तुत संकल्प

श्री अध्यक्ष–

(श्री मुन्ना सिंह चौहान जी का नाम पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थे)

कोई मा० सदस्य इस पर अपना विचार व्यक्त करना चाहता है तो वह अपने विचार व्यक्त कर सकता है।

(चूँकि कोई मा० सदस्य अपने विचार व्यक्त नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूँ)

प्रश्न यह है कि "यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि अन्तिम विधान सभा का कार्यकाल अधिकतम एक वर्ष निर्धारित किया जाए।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से अस्वीकृत हुआ)

अब हम उठते हैं 3.00 बजे तक के लिए।

(सदन 1 बजकर 30 मिनट पर भोजनावकाश के लिए स्थगित हुआ)

(भोजनावकाश)

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में अपरान्ह 3 बजे पुनः आरम्भ हुई)

उत्तरांचल राज्य की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के जनपदों को उत्तरांचल में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में श्री भारत सिंह रावत द्वारा प्रस्तुत संकल्प

श्री भारत सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि "उत्तरांचल राज्य की सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था हेतु राज्य की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर के छुटमलपुर, मोहण्ड तथा बिहारीगढ़, जनपद बिजनौर के मोटाढांगतल्ला, जाफराबाद क्षेत्र के गाँव कौड़िया, सुलेमान शिकोहपुर, कादरगंज, अफजलगढ़, जामुनगला कादराबाद तथा मिवकूवाला क्षेत्रों को उत्तरांचल राज्य में सम्मिलित किये जाने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश की जाये।"

मान्यवर, उत्तरांचल राज्य बनने के बाद व्यवहारिक रूप से जो कठिनाइयाँ आ रही हैं। हमारे उत्तरांचल राज्य की सीमा से लगे बहुत से गाँव ऐसे हैं जो हमारे साथ मिलना चाहते हैं और उनकी भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक, भाषा, रीति-रिवाज हमसे मिलते हैं। मान्यवर, अफजलगढ़ का इलाका कालागढ़ से लगा हुआ वह गाँव भूतपूर्व सैनिकों का गाँव है, जो वहाँ बसाये गये हैं, उन लोगों की माग भी उत्तरांचल से मिलने की आकांक्षा है। कालागढ़ से रामनगर, कोटद्वार, हरिद्वार की जो सड़क है वहाँ जो गाँव मिले हैं उत्तरांचल राज्य से। उन लोगों की भी मंशा है कि हम इसमें सम्मिलित हों। इनके सम्मिलित न होने से बहुत सी कठिनाइयाँ हमें प्रशासनिक रूप से हो रही है, आपको पुलिस की कई चौकियाँ, सेल्स टैक्स की चौकियाँ बनानी पड़ रही हैं, तो इस तरह से बहुत बड़ी विसंगति है। तो मेरा मानना है कि इस इलाके के लोगों की इच्छा के अनुरूप और उत्तरांचल की प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक करने के हित में उनको उत्तरांचल राज्य में सम्मिलित किया जाए और यह माग इस सदन के माध्यम से भारत सरकार को भेजा जाए और जिस प्रकार से जब हमारे उत्तरांचल का विधेयक पार्लियामेन्ट में था, उस समय हमारे गृहमंत्री माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी कहा था कि यह असंगत क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को भविष्य में जोड़ा जा सकता है उत्तरांचल में। तो मैं समझता हूँ कि यह प्रस्ताव इस सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा।

काजी मोहम्मद मोइउद्दीन–

मान्यवर, मैं भारत सिंह रावत जी को बधाई देता हूँ कि वह इस तरह का प्रस्ताव लाए हैं, उससे मैं पूर्ण इत्तिफाक करता हूँ। मान्यवर, हमसे कहा जाता है कि एक तरफ तो आप हरिद्वार को अलग करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ उत्तरांचल की सीमायें बढ़ाये जाने की बात करते हैं, यह विरोधाभास आपमें क्यों है ? मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि कल्चरल, सोशल, ज्याग्राफिकल कण्डीशन हैं और उनका प्रभाव हम लोगों पर पड़ता है। जब उत्तरांचल बन रहा था तो पूरे जिला सहारनपुर ने, जिला मुजफ्फरनगर ने, जिला बिजनौर ने यह कहा था कि हम को भी उत्तरांचल में शामिल कर लिया जाए। अगर वास्तव में शामिल कर दिया जाता या कर लिया जाए, तो फिर पूरा उत्तर प्रदेश हमारी खुशामद करे कि तुम उत्तर प्रदेश में आ जाओ तो हरिद्वार वाले हरगिज उत्तर प्रदेश में जाना पसन्द नहीं करेंगे।

मान्यवर, हमने तो सुना था कि ऊँचे स्थानों पर रहने वाले लोग बहादुर होते हैं, जब इंगलैण्ड की हुकूमत थी तो उसमें गढ़वाल रेजीमेंट और गोरखा रेजीमेंट हुआ करती थी। आज अंग्रेज नहीं हैं लेकिन आज भी गोरखा रेजीमेंट बनी है। उनकी बहादुरी की वजह से उनको फौज में रखा जाता है लेकिन मुझे यह देखकर खेद हुआ कि पहाड़ के जवान जितने बहादुर होते हैं, यहाँ के लीडर उतने बहादुर नहीं है, वह डरते हैं कि अगर 4 एम0एल0ए0 बढ़ जायेंगे तो हमारा वर्चस्व नहीं रहेगा। तो मान्यवर, अभी माननीय गन्ना मंत्री जी ने कहा था कि हमारा तो एग्रीमेंट हो गया है और उत्तर प्रदेश गन्ना आपूर्ति करता रहेगा। तो हम भी एग्रीमेंट कर सकते हैं, अम्बरीष जी हैं, सैनी जी हैं, मैं हूँ कि अगर हमारे विधायक ज्यादा आ गए तो हम अपना मुख्यमंत्री नहीं बनायेंगे आप ही में से मुख्यमंत्री बनायेंगे। यह एग्रीमेंट अगली पीढ़ी में भी लागू रहेगा, यह आप हमसे लिखवा लीजिए, वर्चस्व आपका

ही रहेगा। आपके यहाँ पण्डित गोविन्द बल्लभ पन्त जी पैदा हुए, सम्पूर्णानन्द जी पैदा हुए, नारायण दत्त तिवारी जी पैदा हुए, बहुगुणा जी पैदा हुए, वे इतने बड़े लीडर थे कि आज भी हमारे घरों में उनमें से बहुतों के फोटो लगे हुए हैं। दुनिया से उठ जाने के बाद भी हम उनका सम्मान दिल से करते हैं। वे हमारे मुख्यमंत्री रहे और हमारे नेता रहे, हम उनका सम्मान करते हैं। वे डरते नहीं थे कि ये मैदान के लोग हैं लेकिन पता नहीं आप लोगों की सोच क्या है, यह एरिया ले लिया तो विधायक बढ़ जायेंगे, हमारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष–

एक संशोधन कर लीजिए, नारायण दत्त तिवारी जी अभी जीवित हैं।

काजी मो0 मोइउद्दीन–

मान्यवर, संशोधन के लिए धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूँ कि उनमें से बहुत से लोग अब नहीं रहे। जब वर्चस्व की बात आती है तो हरिद्वार वालों को यह महसूस होता है कि हमको गुलाम बनाया जा रहा है और हमको गुलाम समझा जा रहा है, अक्सरियत की बदौलत। इसलिए वह चाहते हैं कि हम गुलामी का पट्टा तोड़ें और हम उत्तर प्रदेश में शामिल हो जाएं। अगर भाई चारा रखना है तो भौगोलिक आधार पर सीमाओं का विस्तार कीजिए। जब स्वामी जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने कहा था कि पूरे पहाड़ में अपराध कम हुए हैं लेकिन वास्तव में हरिद्वार में बढ़े हैं और उसका भौगोलिक कारण है, अपराधी सहारनपुर और मुजफ्फरनगर से आते हैं, उनकी हरिद्वार में रिश्तेदारी है और अपराध करके भाग जाते हैं। हमारी पुलिस मजबूर हो जाती है, उनको पकड़ नहीं पाती। वाकई यह बात सही है कि अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गये हैं। अभी पिछले हफ्ते मेरे क्षेत्र में कुछ बदमाश आए और उन्होंने एक नौजवान का अपहरण कर लिया और जब अपहरण करने के बाद भाग रहे थे तो उनकी गाड़ी पलट गई। उस समय तो वे लोग भाग गए लेकिन कुछ देर बाद वह उस पल्टी हुई गाड़ी को लेने फिर आए, तो वहाँ लोगों ने एक आध को पकड़ लिया, मारपीट की, तो उन्होंने मुजफ्फरनगर के बदमाशों के नाम बताए लेकिन मुजफ्फरनगर पुलिस नहीं गयी, हमारे ही लोग गए और वहाँ से बदमाश को पकड़ लाए, तो उससे बजाय कुछ पूछ-ताछ करने के थाना झबरेड़ा की पुलिस ने उनका साधारण तौर पर अपहरण में चालान कर दिया और कुछ भी नहीं हुआ।

मान्यवर, ये मैं फोटो लाया था उनके बच्चों के, 6 बच्चे थे। उनका प्रार्थना पत्र भी था, वह कहीं गुम हो गया है उसे मैं आपके पास भिजवा दूँगा, आप उसे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भिजवाने का कष्ट करें। मान्यवर, अगर हमारी सीमाएं बढ़ी होती तो शायद अपराध इतने न बढ़े होते। मेरा कहना है कि बधाई के पात्र हैं सिंह साहब जो यह प्रस्ताव लाये। हम से अगर कोई कहे कि तिब्बत को हम इसमें रखना चाहते हैं तो मैं तो खुशी से कहूँगा कि सीमा बढ़ाओ। जब मैं उत्तर प्रदेश में वन मंत्री था तो एक बार मीटिंग में मैं हिमाचल प्रदेश गया था। उत्तर प्रदेश के मंत्री का ऐसा स्वागत हुआ कि मुख्यमंत्री का भी क्या होगा। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि इस तरह का एक प्रस्ताव केन्द्र को भेजा जाये। हम कहते हैं कि भारत माता हमारी माँ है। अगर माँ से कोई बच्चा यह कहे कि उसे दो

रोटी के बजाये तीन रोटी दे दी जाये तो माँ बुरा नहीं मानेगी। हम अपने प्रदेश के विस्तार के लिए कभी भी कह सकते हैं। जब सीमाएं बढ़ेंगी तो अपराधों पर भी नियंत्रण प्राप्त होगा। मान्यवर, मैं प्रोटम स्पीकर भी रहा तो पुलिस के लोग छोड़ने के लिए जाया करते थे, उत्तरांचल की सीमा समाप्त होने पर वे वापस हो जाते थे, आगे उत्तरांचल की सीमा प्रारम्भ होने पर फिर दो सिपाही और एक दरोगा मिल जाते थे। यह बड़ा बुरा लगता है। जागराफिकल कण्डीशन कहती है कि राज्य की सीमा का विस्तार किया जाये। मैं माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी को विश्वास दिलाता हूँ कि हम अपने वर्चस्व का दावा हरगिज भी नहीं करेंगे। मान्यवर, मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूँ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैं माननीय भारत सिंह रावत जी को बधाई देता हूँ। माननीय काजी जी ने जो प्रस्ताव रखा उसमें यह संशोधन करना चाहता हूँ कि जनपद बिजनौर को भी उत्तरांचल में जोड़ा जाये। इस प्रदेश को आत्म निर्भर बनाने के लिए जिन क्षेत्रों की चर्चा माननीय काजी जी ने और माननीय भारत सिंह रावत जी ने की उसके साथ–साथ बिजनौर को भी उसमें जोड़ा जाये। हरिद्वार से कुमाऊँ जाने के लिए बिजनौर होकर जाना पड़ता है।

मान्यवर, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हो, ऐसी बात नहीं है कि केन्द्र सरकार इस बात को स्वीकार न करे। यह प्रदेश के हित में होगा कि अगर हम भौगोलिक रूप से एक इकाई ऐसी बना लें कि हम को प्रदेश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए कहीं दूसरे प्रदेश से न गुजरना पड़े। उसमें केवल गुजरने की कठिनाई नहीं है। व्यापार कर की भी उसमें अत्यन्त कठिनाई है। एक सिरा उत्तर प्रदेश का फिर उत्तरांचल का फिर उ0प्र0 फिर उत्तरांचल, हमें जो व्यापार कर और अन्य कर वसूल करने पड़ते हैं उनका निर्वहन में भी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। आप भी इस बात को जानते हैं कि सहारनपुर को जो कमिश्नरी बनाया और पुलिस रेंज भी बनाया गया वह इसीलिए बनाया गया था कि मेरठ में बैठकर यह सम्भव नहीं था। जो ये तीन जिले आपस में जुड़े हुए हैं–सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और हरिद्वार, इनमें जो अपराध घटित होते हैं, हम समन्वित रूप से नियंत्रण कर लें यह मेरठ में बैठकर नहीं हो पा रहा था इसलिए इसको एक नई रेंज बनायी और कमिश्नरी बनायी गई। यही स्थिति बहेड़ी तहसील की भी है हम उसको भी सम्मिलित कर लें। उससे हमारा आर्थिक, भौगोलिक सब आधार पुष्ट होते हैं। हम सब एक प्रदेश के रहने वाले हैं जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वह इसी प्रदेश का बनेगा। अगर मैदान के लोग ज्यादा होंगे तो बहुसंख्यक तो आपस में लड़ते हैं उसका फायदा उनको होता है जो कम होते हैं। मेरा यह संशोधन भी है और मैं भारत सिंह रावत जी के प्रस्ताव का समर्थन भी करता हूँ। अगर मा0 मुख्यमंत्री जी अपनी उस घोषणा को असली जामा पहना दें तो उत्तरांचल के सम्पूर्ण स्वरूप पर चर्चा करके जो भी प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजना हो उसमें सब की राय ले लें, यह उत्तरांचल के भविष्य के लिए अच्छा होगा।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी आज मा0 भारत सिंह रावत जी द्वारा जो संकल्प प्रस्तुत किया

और निचाई में रहने वाले लोगों ने जिस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की इससे एक घालमेल तो सामने आ ही रहा है, जितना छुपाने की कोशिश करें लेकिन यह घालमेल समझ में आ रहा है। इस प्रस्ताव को या संकल्प को पारित करके मकसद सीमाओं को घटाना बढ़ाने का नहीं है। यह सत्ताधारी दल की एक निहायत राजनीतिक साजिश है। मैं बड़े गम्भीर और स्पष्ट तौर पर सत्ताधारी दल के ऊपर आरोप लगा रहा हूँ। मेरा यह खुद का दुर्भाग्य रहा कि आज मैंने इस विषय के ऊपर एक संकल्प प्रस्तुत किया था जिस पर चर्चा जारी थी, श्रीमन्, आपने कृपापूर्वक उसमें चर्चा की अनुमति दी थी। जिसके अन्दर मैंने स्पष्ट व्यवस्था करने की माँग की थी कि अन्तरिम सरकार का अन्तरिम विधान सभा को जिस देश के अन्दर पूर्व दृष्टान्त रहे हैं कि अन्तरिम सरकार और अन्तरिम विधान सभा इनको किसी को भी एक वर्ष से अधिक कार्यकाल नहीं दिया गया। एक वर्ष के अन्दर निर्वाचन हो कर के जनता द्वारा निर्वाचित सरकार निर्वाचित विधान सभा इसके अन्दर बने इस आशय का मैंने संकल्प किया था कि एक वर्ष निर्धारित किया जाय।

मान्यवर, दुर्भाग्यवश हमारे एक मित्र की असमय मृत्यु होने की वजह से मुझे सदन से विरत रहना पड़ा, प्रथम आधे भाग के अन्दर। चर्चा में सदन के नियमानुसार उस पर वोट हो गया मेरी अनुपस्थिति में। लेकिन आदरणीय भारत सिंह रावत जी ने मेरी बात को कहने का एक अवसर प्रदान कर दिया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार आज इस प्रदेश के अन्दर चुनावों का सामना करने में अपने आप को असमर्थ पाती है, इसलिए जानबूझ कर यह संकल्प एक माननीय विधायक के द्वारा सदन के अन्दर लाया गया। ताकि इस संकल्प को पारित करके केन्द्र सरकार को सिफारिश भेजी जा सके और किसी न किसी बहाने इस चुनाव को टाला जा सके, यह इनकी साजिश है। इसलिए श्रीमन् इस अवसर पर हम समझते हैं कि यह निश्चित रूप से एक भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए यह संकल्प लाया गया है। इसलिए इस मौके पर इस संकल्प का किसी भी तरीके से समर्थन नहीं किया जा सकता है। मान्यवर, यह बहुत वेल कैल्कुलेटेड मूव है और निश्चित रूप से इस प्रदेश की जनता किसी भी साजिश बनने को तैयार नहीं है। यहाँ पूरी सद्भावनाएं हैं, कोई मैदान और पहाड़ की बात को लेकर लोगों में विभाजन नहीं है, लोगों में भय का वातावरण नहीं है।

श्रीमन्, मैं समझता हूँ कि इस साजिश का निश्चित रूप से हमारी पार्टी पर्दाफाश करेगी और इस बात पर चर्चा भी करेगी कि किस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग चुनावों को टालकर अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकना चाहते हैं। चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि शीघ्रातिशीघ्र प्रदेश में चुनाव हों और यदि ऐसा कोई परिवर्तन हो, तो वह कोई जनप्रिय सरकार करे। इस सरकार को सेमी जनप्रिय तो कहा जा सकता है लेकिन जनप्रिय नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसके सभी सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने गये हैं। इस तरह का कोई फैसला वही सरकार ले सकती है जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी गयी हो। लेकिन आज चुनाव के प्रोसेस को लम्बा खींचने के लिए इस तरह के संकल्प और प्रस्ताव पेश किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से इसकी आवश्यकता नहीं है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

श्री राम सिंह सैनी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय भारत सिंह रावत जी द्वारा जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है, निश्चित रूप से यह हम लोगों की भावनाओं का द्योतक है। हम लोग चाहते हैं कि उत्तरांचल की सीमाओं का विस्तार निश्चित रूप से हो। जहाँ तक जनप्रिय सरकार की बात है। उत्तर प्रदेश की सरकार, जनप्रिय सरकार थी, वहाँ से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ था कि हरिद्वार को उत्तरांचल में शामिल न किया जाए। लेकिन केन्द्र सरकार ने फासिस्टवादी नीतियों का परिचय देते हुए हरिद्वार को उत्तरांचल में शामिल कर दिया। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो यह बहुत अनुचित है। यहाँ से जब हम रुड़की के लिए चलते हैं तो कभी उत्तरांचल पड़ता है, कभी उ०प्र०, कभी पहाड़ी क्षेत्र तो कभी मैदानी क्षेत्र। यदि उत्तरांचल के नक्शे को देखें तो, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर के रूप में दो टाँग सी लगा दी है। किसी भी देश का नक्शा सीधा होता है, उत्तरांचल का नक्शा भी सीधा होना चाहिए, उसके लिए चाहे बरेली का क्षेत्र जोड़ना पड़े, चाहे सहारनपुर का पूरा क्षेत्र। हमारे बहुत से माननीय मंत्रीगण यहाँ चाहे कुछ भी कहें, लेकिन बाहर हमसे कहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि सहारनपुर को उत्तरांचल में शामिल कर लिया जाए। माननीय भारत सिंह रावत जी जब बाहर मिलते हैं तो कहते हैं, हम तो चाहते हैं कि हरिद्वार को अलग कर दिया जाए। जब से उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ है, हमारे लिए परेशानियाँ बढ़ गयी हैं।

मान्यवर, प्रशासनिक इकाई का कन्ट्रोल कैसे हो यह बहुत ही जरूरी है। जैसा माननीय रावत जी ने कहा है इसमें और क्षेत्र सम्मिलित होना चाहिए। ताकि हमारे उत्तरांचल राज्य का एक तरह से बहुँमुखी विकास हो सके, प्रशासनिक इकाई पर भी हमारा नियंत्रण हो सके। मान्यवर, मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूँ।

आबकारी एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)–

मान्यवर, और प्रस्ताव भी आ जाएं तो माननीय मुख्यमंत्री जी एक साथ जवाब दे देंगे। (विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

मान्यवर, जैसा माननीय काजी जी, अम्बरीष कुमार और श्री राम सिंह सैनी जी ने माननीय भारत सिंह रावत जी के संकल्प पर अपने विचार व्यक्त किये और माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने इसको चुनाव टालने की साजिश करार दिया है। मान्यवर, यह कोई चुनाव टालने की साजिश नहीं है क्योंकि यह प्रस्ताव सरकार की तरफ से नहीं आया है। एक सदस्य की हैसियत से माननीय भारत सिंह रावत जी ने संकल्प रखा है। इसमें पहाड़ और मैदान की भावना नहीं है। अगर ऐसी भावना होती तो यहाँ के रहने वाले स्व० बहुगुणा जी और माननीय मुरली मनोहर जोशी जी इलाहाबाद से चुनाव न जीतते। पूरे देश में पहाड़ और मैदान की भावना नहीं है। हम लोगों को बहुत जिम्मेदारी पूर्वक ये बातें सदन में उठानी चाहिए। सरकार में जितने लोग हैं, वे अपने हैं। मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्यमंत्री माननीय हुकुम सिंह जी का नाम लेना चाहता हूँ, उन्होंने कहा था कि इसको मेरठ तक बढ़ाया जाना चाहिए। मान्यवर, कुछ सीमाएं होती हैं जिस प्रदेश से मिलना होता है उस प्रदेश से भी प्रस्ताव जाता है। ये बातें मिल बैठ कर भविष्य में तय

करनी होगी। यह दो स्टेट का मामला है। इससे पूर्व भी यह बात आ चुकी है। उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल जब अलग हुआ था तो उसका संकल्प अलग से गया था, उत्तर प्रदेश ने उसमें अपनी सहमति दी थी। मैं तो समझता हूँ कि आज के परिप्रेक्ष्य में इस पर अधिक बात कहना उचित नहीं होगा। मैं माननीय विधायक जी से अनुरोध करूँगा चूँकि, विपक्ष में भी इस पर सहमति नहीं बनी है मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपना प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री भारत सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसके बारे में विपक्ष के साथियों ने अपने विचार व्यक्त किये। विपक्ष ने अपने विचारों के द्वारा राजनीतिक रूप देना चाहा। खासकर माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने कहा कि यह चुनाव टालने की साजिश है। यह आशा मैं नहीं कर रहा था। मैंने जो पक्ष रखा है, वह व्यवहारिक पक्ष है।

मान्यवर, जो हमारे उत्तरांचल से लगे गाँव हैं वे हमारे ही गाँव हैं यहाँ तक कि वहाँ बिजली, पानी, सड़क हमारे द्वारा पोषित होते हैं। आज जब हमारा अलग राज्य हो गया है तो हम बिजली, पानी और दूसरी सुविधायें देने में असमर्थ हैं तो उनके सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई हो गई है। कहीं पर जंगल है जो मीलों दूर तक आर–पार नहीं हो सकते हैं। हमने इस बात को रखा है और व्यवहारिक रूप से इसको बना दिया जाय। हम लोग वहाँ से जाते हैं तो उत्तरांचल में उसके बाद देखते हैं तो उ०प्र० का बोर्ड लगा है फिर उत्तरांचल का बोर्ड लगा है। मैंने कहा व्यवहारिक पक्ष लेकर के उन तमाम लोगों ने जो माँग हमारे सामने प्रस्तुत की है जो उनका मानवीय दृष्टिकोण है या जो परिस्थितियों में रह रहे हैं तो मेरा निवेदन है कि मैंने संकल्प प्रस्तुत किया और सदन ने उसका संज्ञान लिया है तो मैं अपने संकल्प को वापस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "उत्तरांचल राज्य की सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था हेतु राज्य की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर के छुटमलपुर, मोहण्ड तथा बिहारीगढ़, जनपद बिजनौर के मोराढांगतल्ला, जाफराबाद क्षेत्र के गाँव कोड़िया, सुलेमान शिकोहपुर, कादरगंज, अफजलगढ़, जामुनगला, कादराबाद तथा मिक्कूवाला क्षेत्रों को उत्तरांचल राज्य में सम्मिलित किये जाने हेतु सरकार से सिफारिश की जाये।" को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रदेश में बेरोजगारी दूर करने के लिए उद्योगों को सुविधा प्रदान कर उद्योगों का जाल बिछाये जाने के सम्बन्ध में श्री अम्बरीष कुमार द्वारा प्रस्तुत संकल्प

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि "प्रदेश में बेरोजगारी दूर करने के लिए उद्योगों को सुविधा प्रदान कर उद्योग का जाल बिछाया जाना आवश्यक है।"

मान्यवर, अगर हम पिछला इतिहास देखें जब विश्व में औद्योगिक क्रान्ति हुई थी और औद्योगिक क्रान्ति से पहले का यूरोप और औद्योगिक क्रान्ति के बाद का यूरोप रोजगार की दृष्टि से सम्प्रभुता की दृष्टि से या विचारधारा की दृष्टि से अगर हम तीनों बिन्दुओं की दृष्टि से देखने का काम करते हैं तो यूरोप का खासतौर से इंग्लैण्ड का कायाकल्प हो गया था और एक नयी संस्कृति ने जन्म लिया। आज हम भारत के परिदृश्य में देखते हैं कि जिन प्रदेशों में उद्योगों का जाल फैला और उद्योग स्थापित हुए वहाँ की प्रति व्यक्ति आय हो, साक्षरता दर हो, बेरोजगारी की दर हो उन राज्यों की अपेक्षा जिन राज्यों में उद्योग नहीं हैं उनमें बहुत अन्तर है। उन लोगों की सोच चिन्तन और संस्कृति ये सब नये सांचे में ढल गयी और जिन राज्यों में उद्योग नहीं हैं वहाँ पर गरीबी अशिक्षा और निरक्षरता अधिक है और उन प्रदेशों का समुचित विकास भी नहीं हो पा रहा है। एक साल से अधिक इस सरकार को सत्ता में आये हो गया है। बार-बार इस सदन में सभी सदस्यों ने अपनी राय भी रखी और बात भी रखी और शासन से आग्रह भी किया कि उद्योगों को इतनी रियायत दी जाय कि वह दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षा उत्तरांचल में उद्योग लगाना लाभकर समझें और जो अवस्थापना सम्बन्धी सुविधायें हैं उसके बारे में कोई नीति बने। हम कर में क्या छूट दे सकते हैं उसके बारे में कोई नीति बने क्योंकि ये सर्वविदित तथ्य है। हमारे उत्तरांचल में न तो बहुत बड़ा बाजार है न कच्चे माल की बहुतायत है, जिसके आधार पर हम किसी उद्योग को यहाँ आकर्षित कर सकें। सिर्फ शासन द्वारा दी जाने वाली रियायतें और अवस्थापना सम्बन्धी सुविधायें ये दो बिन्दु ऐसे हैं जिससे हम अधिकाधिक उद्योगों को आकर्षित कर सकते हैं।

श्री अम्बरीष कुमार-

मान्यवर, शासन द्वारा दी जाने वाली रियायतें और अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाएं ये दो बिन्दु ऐसे हैं, जिन पर हम अधिकाधिक उद्योगों को आकर्षित कर सकते हैं। कई बार यह प्रश्न भी सामने आता है कि अगर हम उद्योगों को करों में रियायतें देते हैं तो हमारे प्रदेश का जो कर राजस्व है उसमें हानि होती है। लेकिन मान्यवर मैं कहना चाहता हूँ कि यदि कर राजस्व में परोक्ष रूप से कुछ कमी भी हो, कुछ हानि भी उठानी पड़े तो हमको यह भी चिन्तन करना चाहिए कि अप्रत्यक्ष रूप से जो लाभ होने वाले हैं, अन्ततः उससे भी प्रदेश का राजस्व बढ़ेगा। उदाहरण के तौर पर अगर हम एक क्षेत्र में उद्योग की स्थापना करते हैं, लोगों को रोजगार देते हैं तो उससे जो चीजों की हमारी खपत बढ़ती है, उनकी परचेजिंग कैपेसिटी में बढ़ोत्तरी होती है, जो सामान बाहर से हमारे प्रदेश में आएगा उस पर हमें अतिरिक्त कर मिलेगा और जो उद्योगों में लगने वाला सामान है उस सामान के माध्यम से भी हमको कर प्राप्त होगा और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उद्योगों की स्थापना से हमारे प्रदेश का बहुमुखी विकास होगा।

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण बिन्दु यह भी है कि जब हम उद्योग में एक कर्मचारी, श्रमिक की हैसियत से काम करते हैं तो वहाँ पर जो हमारी जातिगत या धार्मिक भावनायें हैं उसके बाद भी हम अपने आप को कर्मचारी के रूप में संगठित करते हैं, जिससे एक नई संस्कृति पैदा होती है। मान्यवर, मैं अपने नगर का उदाहरण देना चाहता हूँ कि सन् 1962-64 में जब तक भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की स्थापना हरिद्वार में नहीं हुई थी, जो

हरिद्वार की संस्कृति थी उस स्थापना के बाद उसमें इतना परिवर्तन आया कि 20 हजार मिडिल क्लास कन्ज्यूमर उस शहर को स्थाई रूप से मिला। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक उद्योग की स्थापना से कितना लाभ हुआ और इस कारण पूरे हरिद्वार के लोगों का चिन्तन भी बदला और आज यही वजह है कि हरिद्वार का उत्तरांचल में 32 करोड़ रुपया सेल्स टैक्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स सरकार को देता है। मान्यवर, यह कह सकते हैं कि हमारे पास भूमि की उपलब्धता नहीं है कि हम लोगों को आकर्षित कर सकें। हम हरिद्वार, देहरादून, ऊधमसिंह नगर में ऐसे उद्योगों की स्थापना कर दें जिनके लिए भूमि की आवश्यकता है। हमारे जो 10 जिले शेष बचते हैं जिनके बारे में चर्चा करते हैं कि पर्यटन उद्योग, जड़ी-बूटी पर आधारित उद्योग, चाय उद्योग जितनी भी नीति हो, उस पर एक साल में कोई ठोस कार्यक्रम नहीं आ पाया। हम यह आशा करते थे कि कोई ऐसी नीति तैयार कर पाते तो एक साल में अगर हम लागू नहीं कर पाते तो एक ब्लू प्रिंट अगली आने वाली सरकार के सामने रख देते तो जो अगली सरकार आएगी उनको जो नीति निर्धारण में समय लगेगा, वह नहीं लगता और जल्दी ही प्रदेश को समृद्धि की राह पर ले जाते।

मान्यवर, आज बेरोजगारी है तो यह सोचना कि हम सरकारी सेवाओं के द्वारा रोजगार के अवसर मुहैया कर सकते हैं तो यह एक दिवास्वप्न के अलावा कुछ नहीं है।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में उपलब्ध जो कच्चा माल है, उन पर आधारित उद्योग जब तक हम नहीं लगायेंगे। करों में छूट देकर उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे तब तक मैं कहना चाहता हूँ कि जिन उद्देश्यों के लिए इस उत्तरांचल राज्य की स्थापना हुई थी कि यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे, इस प्रदेश को समृद्ध करेंगे, तब तक हमारा वह उद्देश्य, हमारा वह स्वप्न पूरा नहीं हो सकता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस विषय में समर्पित भाव से नीति बनायी जाए।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अम्बरीष जी ने जिस महत्वपूर्ण विषय पर इस सदन में चर्चा का प्रस्ताव रखा है, मैं उससे अपने आप को सम्बद्ध करते हुए उसी क्रम में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। श्रीमन्, औद्योगीकरण की जब कभी भी बात की जाती है तो निश्चित रूप से उसकी कुछ आधारभूत जरूरतें हैं और जहाँ कच्चे माल की आपूर्ति उसका एक पहलू हो सकती है, वहीं दूसरी तरफ पावर की नियमित आपूर्ति भी उसका एक पहलू हो सकती है। ऐसी दरों पर पावर आपूर्ति की जाए, जो किसी भी नए उद्योगपति के लिए उत्साहजनक हो। यह बातें ऐसी हैं जो किसी भी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जरूरी हैं। यह नया प्रदेश बना है, निश्चित रूप से इस प्रदेश को यदि उद्योग शून्य प्रदेश कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कुछ चीनी मिलों और राइस मिलों तथा कुछ छुटपुट कारखानों को छोड़ दें तो औद्योगीकरण की जो नीति है, वह लगभग शून्य है। इस हकीकत को भी हम सभी लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा कि राज्य बनने के बाद बहुत सारे उद्योगों का यहाँ से पलायन हो गया है। इनका कुछ कारण है कि यहाँ के उद्योग लगातार सफर करते जा रहे हैं और बन्द होने की कगार पर हैं, जैसे, यदि राइस मिल का उदाहरण लें, तो हम सभी जानते हैं कि चावल की जो मिलें हैं, वहाँ पर निश्चित रूप से

एक सीजनल काम है। जब धान की फसल आती है, उसके बाद चावल बनाने का काम एक सीजन में होता है और उसके बाद वह मिल बन्द हो जाती है। इस प्रकार ये मिलें 6 महीने काम करती हैं और 6 महीने बन्द रहती हैं। लेकिन राइस मिलर्स की जो परेशानी है, वह यह है कि विद्युत के जो मिनिमम चार्जेज निर्धारित कर रखे हैं, वह जब मिल चलेगी उन 6 महीनों में तो देना ही होगा लेकिन जिन 6 महीनों में वह मिल बन्द रहती है, उनमें भी वह मिनिमम चार्जेज देने होंगे।

मान्यवर, इस प्रकार से जो राईस मिलर्स हैं, उनको बिना किसी काम के 6 माह तक बिजली का बिल देना पड़ता है। कोई उद्योगपति पैसा अपनी जेब से नहीं देता है। यह तर्क उचित भी प्रतीत होता है लेकिन इसका दूसरा पहलू यह होता है कि उसको कोई न कोई रास्ता अख्तियार करना पड़ता है। बिजली विभाग के अधिकारी/कर्मचारी बहुत सारी चीजें ले देकर बिल को घटाते हैं। यानी बिजली की चोरी होने लगती है। यदि हम यह रियायत उनको दें कि जिस दौरान कारखाना बन्द रहता है, हम उसे टेम्पररी डिस्कनेक्शन की सुविधा दें। इससे जब कारखाना बन्द रहेगा तो उन्हें बिजली का बिल नहीं देना होगा। इससे बिजली की चोरी भी रुकेगी। दूसरी एक सामान्य बात उत्तरांचल के अन्दर यह भी है कि हम लोग विद्युत उत्पादन के मामले में सरप्लस स्टेज पर हैं और यह भी मानता हूँ कि जब हम लोग माननीय मंत्रीगणों से बात करते हैं तो बिजली उत्पादन जो हम करते हैं, जो हमारी सरप्लस बिजली है, उसको पड़ोस के प्रदेशों में बेचने का काम करते हैं। विद्युत विभाग के अधिकारी कहते हैं कि हमें पैसा वसूलने में बड़ी दिक्कत होती है। लाईन लॉस भी बहुत अधिक होता है। उत्तरांचल के अन्दर हम उद्योग जगत को निश्चित रूप से रियायतें दें। हम उनको इस दर पर बिजली दें कि वे प्रतिस्पर्धा में टिके रह सकें। तो हम उद्योगपतियों को भी आकर्षित कर सकते हैं जो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर है, उसका हम सरलीकरण करें और करों को एक व्यवहारिक सीमा तक नीचे लाएं। कोई भी कारखाना लगाने वाला चाह सकता है कि कोई भी कर न लगे, कोई एक्साईज ड्यूटी न लगे, लेकिन राज्य हित में यह सम्भव नहीं है।

मान्यवर, देश के दूसरे प्रदेशों के टैक्सेशन का जो तरीका है, यदि आप उनकी स्टेडी करेंगे तो निश्चित रूप से यह बात प्रमाणिकता के आधार पर सामने आयी है कि जिन प्रदेशों ने स्ट्रक्चर अपना रखा है, उनको रेवेन्यू ज्यादा हासिल हुआ बजाय उस स्थिति के जो करों की दर थी वह ज्यादा थी लेकिन टोटल रेवेन्यू उनको कम प्राप्त होता था। व्यापारियों के लिए उसको सुविधाजनक बनाया तो उनको रेवेन्यू ज्यादा मिला। यदि हम थोड़ा सोचने की कोशिश करें यह केवल पक्ष या विपक्ष का सवाल नहीं है, यह रोजमर्रा का सवाल है, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, हो सकता है आपने पेपर में कुछ चीजें एनश्योर कर ली हों कि इन्ट्री पाइंट यह होगा, वहाँ पर हम टैक्स लेंगे, दुबारा यह टैक्स नहीं पड़ेगा। लेकिन हकीकत यह है कि व्यापारियों को दोहरे कराधार की समस्या से आज भी रू-ब-रू होना पड़ रहा है। कराधार की समस्या से वह आज भी जूझ रहा है। अगर प्रत्यक्ष रूप से वह दोहरे कराधान से नहीं जूझ रहा है तो दोहरा कराधान उसको न देना पड़े इसके लिए उसे जिस पेचीदा स्थिति से गुजरना पड़ता है उसको पार करने के लिए वह दोहरे कराधान से कम कारक नहीं है जिसको वह हतोत्साहित न करता हो। इसलिए श्रीमन्, इसके लिए आप यह नहीं कि हम लोग एक-एक बात को लेकर चलें। आज उत्तरांचल के

अन्दर जो माइनर मिनरल्स हैं, रेत, बजरी, पत्थर आदि का खनन तो कम ही करते हैं लेकिन उसका चुगान करते हैं। विशेषकर हमारा जो ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार जिला या पौड़ी जिले का कोटद्वार क्षेत्र है यहाँ से हम जितना माइनर मिरल लघु खनिज निकालते हैं। यहाँ वह मिनरल मिलता जरूर है लेकिन इसकी खपत थोड़ी है। जितने हमारे स्टोन क्रेसर हैं वह उ0प्र0 के अन्दर जाता है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ आज तमाम क्रेसर यहाँ से पलायन करने के लिए तैयार है। आपने कहा ईंट हमारे यहाँ आयेगा हम 100 रु0 प्रति हजार ईंट के हिसाब से उस पर इन्ट्री टैक्स लगायेंगे, उ0प्र0 ने उत्तरांचल का जो स्टोन क्रेसर वहाँ पर जाता था, उन्होंने उस पर 530 रु0 प्रति के हिसाब से टैक्स चार्ज कर दिया। उसका नतीजा यह हुआ, यहाँ से जो रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि जाता था वे लोग दूसरे हिस्सों से मंगा रहे हैं। आज यह हालत है कि स्टोन क्रेसर बन्द होने की स्थिति में है। एक कोआर्डिनेटर एप्रोच न होने की वजह से हम आइसोलेटेड कारखाने के बारे में समीक्षा कर रहे हैं। हमको इस तरह की नीति बनानी चाहिए कि जिससे इस प्रदेश के अन्दर यहाँ की परिस्थितियों के मुताबिक औद्योगिक क्रान्ति लायी जा सके।

मान्यवर, इस प्रदेश का जो पर्वतीय हिस्सा है वहाँ पर यदि भारी उद्योग नहीं लग सके तो छोटे उद्योग हैं, जिसमें हम कैनिंग इण्डस्ट्री, माल्ट आदि कह सकते हैं, लेकिन उसमें भी सरकार में हिपोक्रेसी है। अभी इस सदन में डिस्टलरी की चर्चा हो रही थी तो जब डिस्टलरी शब्द को ऐसा बना दिया कि सब ने कह दिया कि हम नशाबन्दी के पक्षधर हैं। मान्यवर, डिस्टलरी से एल्कोहल भी बनता है और इससे दवा भी बनती है। हमारा जो माल्ट है जिसका चमोली में उत्पादन होता है उसके विपणन की कोई व्यवस्था नहीं है। हिमाचल में जो मोहन मेकिन का कारखाना लगा हुआ है वहाँ पर ले जा कर बेच सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों को जो सूट करता है, जो छोटे-छोटे इन्डस्ट्री, उसके बारे में साल भर का समय बीत गया लेकिन एक सुई की नोक बराबर भी सरकार ने आगे बढ़ने का काम नहीं किया। हमारा आग्रह होगा कि निश्चित रूप से उद्योगीकरण के बिना इस प्रदेश के अन्दर रोजगार का अवसर पैदा नहीं किया जा सकता है। उस लक्ष्य को हम हासिल नहीं कर सकते। जो रोजगार का लक्ष्य इस प्रदेश का एक अभिन्न अंग है। जो इस राज्य की मांग के पीछे खाली हाथों को रोजगार मिल सके। यह मेरी भावना थी आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। धन्यवाद।

श्रीमती "डा0" इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय अम्बरीष जी द्वारा प्रस्तुत इस संकल्प का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूँ। मान्यवर, मेरी प्रमुख चिन्ता यह है कि जो उद्योग लगे हुए हैं वह सब बन्द पड़े हैं। जैसे चूरी मिल, कताई मिल, काशीपुर और जसपुर में जिसमें कई हजार कर्मचारी, श्रमिक बेरोजगार हैं और जूते पॉलिस से लेकर रिक्शा चलाने का काम करते हैं। जो यह पब्लिक सेक्टर में लगा है। तो इन उद्योगों की पुनर्स्थापना करने के बारे में हम कोई कार्य नहीं कर पाये, उनको कोई सुविधा नहीं दे पाये, उनके जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनको वेतन नहीं मिल रहा है, उनको रोजगार में आने का अवसर नहीं मिल रहा है, यह चिन्ता की बात है। मान्यवर, जो लगे हुये रोजगार है उसमें सोयाबीन की फैक्ट्री हल्द्वानी में है।

इस साल उच्च सोयाबीन पैदा हो रहा है उसकी भारी मांग पूरे देश–विदेश में है। उस सोयाबीन के माध्यम से वहाँ के किसानों की अच्छी उपज का मूल्य मिल रहा था। इस बार सोयाबीन हुई तो क्रय–केन्द्र खुले नहीं उनको उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, उसका नतीजा यह हुआ कि किसानों ने सोयाबीन न बोने का मन बना लिया, क्योंकि सोयाबीन की फैक्ट्री के चलने का कोई आसार नहीं दिखाई दे रहा है। सोयाबीन फैक्ट्री में पब्लिक सेक्टर का जो करोड़ों रुपया लगा है, फैक्ट्री में भी जंग लग गया तो नये उद्योग की स्थिति तो हमें समझ में नहीं आ रही है।

मान्यवर, एच0एम0टी0 देश का सबसे बड़ा कारखाना है, उसकी अभी बिजली कट गई और उसकी बिजली पैसा न होने के कारण कट गई। जब वह बिजली का पेमेन्ट नहीं कर पाये तो कर्मचारियों के पेमेण्ट की स्थिति क्या होगी। जब पर्यावरण की बात आती है तो उन घड़ियों को खरीदने की बात आई जो चाबी से चलाई जाती है, यानी जिनमें प्लास्टिक का उपयोग न हो। मैंने उस संदर्भ में जाना तो पता चला कि वह घड़ी सर्वाधिक एच0एम0टी0 बना सकती है और जिनका यह डिमाण्ड है उनको हम दे नहीं सकते। अन्ततः यह बन्द होने के कगार में है। वहाँ के नौजवान लड़के मांग कर रहे हैं कि जो 40 वर्ष की छूट सरकार ने दी, वह हम को भी दे दें।

मान्यवर, जितनी प्राईवेट फैक्ट्री थी जैसे श्री राम होण्डा, जैसे सलोरा टी0 वी0 । अभी रुद्रपुर जाने पर मुझे श्री होण्डा के कर्मचारियों ने घेर लिया कि साहब ये तो बन्द करके जा रहे हैं। होण्डा कम्पनी जापान की है भारत के व्यक्ति के साथ उनका समझौता हुआ किन्तु अब उसने छोड़ दिया है और अब वह कम्पनी जापानी हाथों में है, तो वह यहां क्यों रहेंगे, यहां पर उनको इन्फ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है और भी बहुत सारी दिक्कत है तो श्री राम होण्डा, जिसके माध्यम से लोगों को रोजगार मिला, उनके कर्मचारियों ने घेरना शुरू कर दिया कि ये तो बन्द हो रही है, हमने पूछा कि क्या कोई घोषणा की है? तो उन्होंने कहा, साहब, उनका कहना है कि यहां हमारी वाइबेलिटी नहीं है। यहां उनकी वाइबेलिटी नहीं है इसका कारण राज्य बनना भी रहा क्योंकि राज्य बनने के बाद इनको दोहरा टैक्स देना पड़ा।

मुझे सैन्चुरी पेपर मिला जो लालकुआँ में है, उसके मालिकों ने बताया कि राज्य बनने के बाद से डेढ़ करोड़ रुपये का प्रतिवर्ष नुकसान हमें हो रहा है। परन्तु चूँकि इतनी बड़ी इंडस्ट्री को हम ले नहीं जा सकते, वह बिड़ला की फैक्ट्री है इसलिये अन्य उद्योगों के साथ उसके समन्वय के कारण चल रही है लेकिन ऐसी परिस्थितियां भी आ सकती हैं कि वह भी यहां से चली जाए। सलोरा टी0 वी0, प्रकाश ट्यूब्स, जितनी भी इंडस्ट्री लगी, जब वह बन्द हुई तो उनके सैकड़ों कर्मचारी सड़कों पर क्रमिक अनशन पर बैठ गए। इस प्रकार जितनी पब्लिक सैक्टर की फैक्ट्री है, वह बन्द है, जितनी प्राईवेट सैक्टर की फैक्ट्री है, वह बन्द है, वह प्राईवेट लोगों ने लगाई है, कलकत्ता, बम्बई या और जगह जहां भी उनके प्रतिष्ठान है, उसको वहां ले गए, अभी मात्र दो फैक्ट्री चल रही है। माननीय अम्बरीष कुमार जी ने कहा कि उद्योगों का जाल बिछाना चाहिए लेकिन हमारे सामने तो साक्ष्य है कि छोटी–छोटी जड़ी–बूटियों से लगने वाली जितनी आयुर्वेद की फैक्ट्रियां हैं, आज घाटे की वजह बन्दी के कगार पर है। प्रश्न यह है कि इन उद्योगों को स्थापित करें तो इनके लिये इन्फ्रास्ट्रक्चर की टैक्सेज में रियायत की व्यवस्था पहले की जाए। पिछले 10 साल

के अन्दर जो उद्योग चमक रहे थे, आज उनकी चमक फीकी पड़ गई है। हम उद्योगों की पुर्नस्थापना नहीं कर पा रहे है। यह गंभीर चिंता की बात है और उनके सारे कर्मचारी आज बेरोजगार है। नये रोजगार देने की बात तो दूर है, आज जो फैक्ट्रियां बन्द हो गयी है, उनके कर्मचारी भी अनशन पर बैठे हैं। यह प्रश्न उ0 प्र0 में भी उठा था, अब चूँकि यह अलग राज्य बन गया है इसलिए यहां भी उठना स्वाभाविक था, हम इन उद्योगों को जिवित रखने के बारे में कोई प्रयास नहीं कर सके। क्योंकि यह भी मानसिकता होती है कि जिसने लगाया, वह जाने लेकिन सरकार जिसके हाथ में होती है, जानना तो उसे ही होता है।

उद्योगों को रोजगार से जोड़ने और राज्य को समृद्ध बनाने, इन दोनों दृष्टियों से यह संकल्प अम्बरीष जी यहां पर लाए, तो जहां हम रोजगार की संभावनाएं बना सकते है, वहां भी हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। यह भी एक चिंता की बात है कि आखिर उद्योगों के बारे में हमारी नीति क्या है?

मान्यवर जो फैक्ट्री बन्दी के कगार पर है हम उसे चलाना चाहते है या नहीं। हम न शिक्षा में रोजगार दे रहे है, न सरकार नौकरियों में रोजगार दे रही है, न नये कारखाने लगा रही है। मान्यवर, इस पर बोलना आवश्यक है ताकि सरकार के सामने यह प्रश्न रहे कि नये उद्योग तो उन्होंने लगाये नहीं और पुराने उद्योग बन्दी के कगार पर हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर हम नहीं खड़ा कर पा रहे है। इसलिये हमें गंभीर चिंतन करना होगा।

श्री इसम सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य श्री अम्बरीष कुमार जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं। जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और विशेषकर उत्तरांचल की जनता के हित में भी जरूरी है, क्योंकि दुनिया के नक्शों में औद्योगिक क्षेत्र का यदि हम आकलन करें तो अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर विश्व की 30 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है और उसका औद्योगिक क्षेत्र का उत्पादन 90 प्रतिशत है, बाकी 70 प्रतिशत जनसंख्या जहां निवास करती है उसमें विश्व का केवल 10 प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्र का उत्पादन होता है। जहाँ तक भारत की बात है तो भारत में केवल दक्षिणी भारत में हुबली नदी के आस–पास औद्योगिक क्षेत्र विकसित है। जहाँ तक उत्तरांचल स्टेट की बात आती है जब हम उत्तर प्रदेश के साथ थे तो उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र केवल मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा तक सीमित है, लेकिन उत्तरांचल में ऐसी स्थिति नहीं है। यदि हम विश्व के नक्शे में देखे तो जिस–जिस क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र डेवलप हुए है चाहे अमेरिका हो, यूक्रेन हो, रूस हो, ब्रिटेन हो, फ्रान्स हो, जापान हो, जर्मनी हो तो जहाँ–जहाँ सबसे ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र डेवलप हुए है वहां की प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आमदनी भारत के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। उदाहरण के लिए जापान की 14 लाख 67 हजार प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आमदनी है, अमेरिका में 15 लाख के आस–पास है। जब भारत का नक्शा हम देखते है तो विश्व बैंक की रिपोर्ट के आधार पर केवल 14 हजार 723 रुपये प्रति व्यक्ति आमदनी निकल कर आई है। हमारा मकसद उत्तरांचल से है। ऐसा नहीं है कि यहाँ हो नहीं सकता। यदि पिछले 1947 के बाद उत्तरांचल की जनता का माईग्रेट जो हुआ है, पलायन कर गये हैं यदि उसका आकलन हम लोग करें तो केवल दिल्ली में 30 लाख जनसंख्या उत्तरांचल की बस गई है और दिल्ली को छोड़कर 25 लाख जनसंख्या अन्य शहरों में बसी है। यदि

यहाँ औद्योगिक क्षेत्र को हम डेवलप नहीं कर सकते तो सीधी सी बात है कि उत्तरांचल की जो युवा पीढ़ी है उसको भी हम लोग रोजगार उपलब्ध नहीं करा सकते।

मान्यवर, यदि हम उत्तरांचल में औद्योगिक क्षेत्र डेवलप नहीं कर सकते हैं तो यहाँ की युवा पीढ़ी को रोजगार उपलब्ध नहीं करा पायेंगे। मेरा मानना है कि आज तक यहाँ से 55 लाख जनसंख्या पलायन कर गई है। हम यहाँ पर सरकारी क्षेत्र में चार या साढ़े चार प्रतिशत ही युवाओं को नौकरी दे सकते हैं, बाकी जनसंख्या के लिए प्रबन्ध करने पड़ेंगे। यह नहीं है कि यहाँ संसाधन नहीं है। अभी रुड़की के सिंचाई विभाग के इंजीनियरों ने उत्तरांचल के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट बनायी है, मैंने उसे पढ़ा और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह बात कही है। यदि बड़ी विद्युत परियोजनायें केवल गढ़वाल मण्डल में डेवलप की जांय तो 20 हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन यहाँ किया जा सकता है और कुमायूँ मण्डल में 5 हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। यह बात मैं मानता हूँ कि सेन्ट्रल इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड अथारिटी एक हजार चार करोड़ रुपये से बड़ी परियोजना विद्युत की होगी, उस पर आधिपत्य केन्द्र सरकार का होगा। 20% हिस्सा जो केन्द्र सरकार का होता है। बड़ी परियोजनायें न बनायें तो छोटी परियोजनाओं के बारे में भी सिंचाई विभाग के इंजीनियरों की रिपोर्ट है कि 29 हजार मेगावाट लघु विद्युत परियोजनाओं के सम्बन्ध में डेवलप की जा सकती है और यदि 40 हजार मेगावाट विद्युत परियोजनाओं का प्रोजेक्ट तैयार किया जाय तो हमें 1.7 खरब रुपये का राजस्व मिल सकता है, लेकिन इसकी व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी।

इसके साथ-साथ जहाँ तक हमारे पास रॉ मेटेरियल है, सापट स्टोन है, टूथपेस्ट के लघु उद्योग उससे बन सकते हैं। मेडिकल में प्लास्टर आदि करते हैं तो उसकी टेबलेट बनती है उसकी फैक्ट्री हम यहाँ डेवलप कर सकते हैं। अभी मैं जिला बागेश्वर गया था यहाँ पर 1947 तक नदी से सोना निकालने के लिए लाइसेंस दिया जाता था, मैं वहाँ गाँव में गया और मैंने एक मजदूर से पूछा तो उसने बताया कि हम दस लोगों की टीम एक दिन में 10 ग्राम सोना निकालती थी। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं सोना है। यदि हम लोग 10 मैटोलाजिस्ट उत्तरांचल में लगा दें और उसकी खोज करायें तो हमें सोना हासिल हो सकता है। गढ़वाल में लोग लोहा निकालते थे वे पुरानी विधि से दो किलो लोहा निकालते हैं यदि उसको औद्योगिक रूप में दे दिया जाय तो अच्छा राजस्व मिल सकता है, इससे हम युवा वर्ग को रोजगार भी उपलब्ध करा सकते हैं। हमने पिछले बजट अधिवेशन में कहा था फैशन डिजाइन के माध्यम से उत्तरांचल में लघु उद्योग के क्षेत्र को हम बढ़ावा दे सकते हैं। इससे भी हम काफी हद तक युवाओं को रोजगार दे सकते हैं। माननीय अम्बरीष कुमार जी का जो संकल्प है वह बहुत महत्वपूर्ण है, मैं उनका समर्थन करता हूँ।

वित्त एवं संस्थागत वित्त मंत्री (श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')–

मान्यवर, माननीय अम्बरीष जी के द्वारा यह प्रस्ताव संकल्प था, श्री मुन्ना सिंह चौहान जी ने कुछ विशेष बातें उठाई और मेरा नाम भी सदर्भित किया था। वह रहते तो ठीक रहता फिर भी मैं 2-3 चीजें स्पष्ट करना चाहता हूँ। माननीया इन्दिरा हृदयेश जी ने कहा कि सरकार ने कुछ नहीं किया बेरोजगारों की दिशा में। मैं कहना चाहता हूँ कि जितने बेरोजगारों को रोजगार देने की दिशा में सरकार ने काम किया है वह बहुत ऐतिहासिक है। यदि

पिछली बार की तुलना में इस राज्य क्षेत्र को देखा जाए तो वह 15 वर्षों की तुलना में काफी आगे है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, बेरोजगारों को रोजगार देने की दिशा में सरकारी नौकरियों में पर्याप्त स्थान मिला है।

मान्यवर, शुरू में कहते हैं कि उद्योग भाग रहे हैं, पर वह उद्योग पहले से लगभग बन्द हैं और देखा जाए तो उत्तरांचल में जितने भी उद्योग लगे वह 2-3 साल बाद सब्सिडी लेने के बाद उद्योग बन्द हो गये। अब यह सरकार ऐसा नहीं करेगी, केवल सब्सिडी के लिए उद्योग लगाये जाए और फिर बन्द हो जाए। मान्यवर, पब्लिक सेक्टर के लोगों को समय-समय पर अनुदान मिला है, तो इसलिए सरकार ने निर्णय लिया कि इनको बन्द कर दिया जाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि 4 प्रतिशत से लेकर के केन्द्रीय वितीय कर को एक प्रतिशत किया, इस प्रकार से देखा जाए तो 20 लाख की जो लघु इकाइयां थी वह लगभग हजारों इकाइयों को लाभ मिला और 20 लाख से 5 करोड़ तक के लगभग 158 उद्योगों को सीधा-सीधा लाभ मिला। 4 प्रतिशत से 1 प्रतिशत हमने किया जो ऐतिहासिक है। जो राईस मिलों के भागने की बात कह रही थी कि उनको उत्तर प्रदेश से धान लाना पड़ेगा तो वह बन्द हो जाएगी, तो कर में 2 प्रतिशत का समायोजन किया। कच्चे माल की बात, आखिर उस यूनिट को यदि कच्चे माल को लाने के लिए उत्तर प्रदेश-उत्तरांचल दोनों राज्य एक जैसे नियमों पर चले हैं और दोनों पर अनुबन्ध हुये हैं कि ढाई प्रतिशत पर ही कच्चा माल यहाँ आयेगा और यहाँ का कच्चा माल ढाई प्रतिशत पर ही वहाँ जायेगा तो वहाँ भी कमी नहीं आई, यह भी ऐतिहासिक निर्णय रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि कृषि संयंत्रों पर 45 हजार से छूट 1 लाख तक की है, यह भी इस सरकार ने किया है।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने बहुत तेजी से इस दिशा में काम किया है। अब बात आई ईंट की, ईंट पर हमने प्रति हजार 100 रुपया लगाया। मान्यवर, हमने कोई दोहरा कर नहीं लगाया और 400 से भी अधिक डिपोज खोले इसलिए कि लोगों को परेशानी न हो। मान्यवर, हम तो कर लेंगे ही क्योंकि नया राज्य बना है, अगर यह कहें कि यह राज्य कर नहीं ले तो इसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है।

मान्यवर, हम दोहरा कर नहीं लगा रहे हैं। हम अपने राज्य का कर तो ले रहे हैं लेकिन उसके लिए भी जब व्यवहारिक रूप से हमको यह लगा कि इनको संकट है, जहाँ हमने डिपोज खोलने पर काफी दबाव दिया, वहीं हमने यह भी कोशिश की कि यदि किसी व्यक्ति या किसी संस्थान का, जहाँ से वह सामग्री आती है, उसका यहाँ पर कोई एजेण्ट हो, तो हम उसी को निर्धारित कर दें, हम उसी को डिपोज के रूप में मान लें उस पर भी कर नहीं लगेगा। उत्तर प्रदेश का 1991 का शासनादेश है, जिसमें उन्होंने रेत और बजरी पर टैक्स लगाया, अब ईंटों के कारण नहीं लगाया है। जब उत्तरांचल अलग हुआ तो वह स्वतः ही यहाँ पर लागू हो गया। इस सम्बन्ध में भी हम उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं और जहाँ तक प्रश्न है, लघु ग्रामीण क्षेत्र का, मैं कहना चाहता हूँ कि स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत लगभग साढ़े पांच हजार सहायता समूहों का गठन हमारी सरकार ने किया है और उसके माध्यम से 55 हजार लोगों को सीधे-सीधे स्वरोजगार मिलेगा, इसको एक गहन अभियान के तहत हम कर रहे हैं। हमारी यह कोशिश है कि गाँवों में उपलब्ध जो कच्चा माल है, उसको गाँव के लोगों के साथ जोड़कर सहायता समूह

के माध्यम से हम तेजी से उसको आगे बढ़ायेंगे। इस क्रम में जैविक खाद का मैं विशेष उल्लेख करना चाहता हूँ, यह योजना केन्द्र सरकार से सहायतित है। इस राज्य में भी हम इस योजना का व्यापक प्रचार कर रहे हैं। मात्र डेढ़ रुपया जिसकी उत्पादन लागत आती है, मार्केट में वह 20–25 रुपये में बिक रहा है। अभी दिल्ली में मेला लगा था, वहाँ से हमारे पास डिमाण्ड आयी है, वहाँ हमने इसको बेचा है इसलिए हम इस राज्य को जैविक खाद के उत्पादक राज्य के रूप में भी विकसित करने जा रहे हैं। आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

पर्यटन एवं लोक निर्माण मंत्री (श्री केदार सिंह फोनिया)–

श्रीमन्, माननीय अम्बरीष कुमार जी ने इस प्रस्ताव के माध्यम से जो चिन्ता व्यक्त की, उस चिन्ता को हमारी सरकार उसी दिन से धारण किए हुए है, जिस दिन इस राज्य का गठन हुआ और यह जो चिन्ता की बात आई है, यह कोई नयी बात नहीं है। हम लोगों ने इस पर सोच विचार किया है और हमारी सरकार की यह मुख्य चिन्ता है कि किस प्रकार से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं, किस प्रकार नए उद्योगों को आमन्त्रित किया जाए और इसी का नतीजा रहा जो अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट किया कि, टैक्स स्ट्रक्चर को इस प्रकार से हमने ग्राह्य बनाया है कि बाहरी उद्योग धन्धे भी आकर्षित हो रहे हैं। अच्छा तो यह होता यदि माननीय अम्बरीष कुमार जी यह कहते कि रोजगार बढ़ाने के लिए उत्तरांचल की सरकार का आज तक जो सफल प्रयास रहा, उसमें गति आए। इस प्रकार का संकल्प तो स्वागत योग्य था लेकिन यह संकल्प, जहाँ कहा जा रहा है कि प्रदेश में बेरोजगारी दूर करने के लिए उद्योगों को सुविधा प्रदान कर उद्योगों का जाल बिछाया जाना आवश्यक है। ऐसा संकल्प लाना इस शासन के क्रिया कलापों से अनभिज्ञता और अज्ञानता का ही द्योतक है और कुछ नहीं।

मान्यवर, सरकार की चिंता का पहला सबूत– नवम्बर में सरकार बनी और मार्च–अप्रैल में परेड ग्राउण्ड पर एक औद्योगिक मेला का आयोजन किया गया। पूरे राष्ट्र में यह संदेश गया कि छोटा सा राज्य उत्तरांचल औद्योगिक मेला लगाकर उद्योगों को आमंत्रित कर रहा है। इसके बहुत अच्छे नतीजे मिले। बाहर से कई औद्योगिक घराने आये उन्होंने उस औद्योगिक मेले में भाग लिया, उन्होंने जानकारी ली कि सरकार की नीति क्या है। उस समय तक हमारी नीति नहीं बन पाई थी, बहुत जल्दी थी। उन्होंने जानकारी ली कि बिजली की उपलब्धता की क्या हालत है, जमीन की उपलब्धता की क्या कन्डीशन है ये सारी जानकारी ली। हमने चिन्ता की और अपनी चिन्ता को जाहिर किया औद्योगिक मेले के रूप में। उसके तुरन्त बाद हमने एक औद्योगिक नीति का गठन किया। उस औद्योगिक नीति की एक पुस्तिका माननीय अम्बरीष जी को और माननीया डा0 इन्दिरा हृदयेश जी को दी जा चुकी है। लेकिन अभी तक माननीय अम्बरीष जी ने कभी नहीं कहा कि उस नीति में कोई खामी है। इस माननीय सदन के एक सदस्य होने के नाते उनका यह अधिकार बनता है कि वे हमें बताएं कि हमारी नीति में क्या खामियाँ हैं। अम्बरीष जी का कुछ न बोलना इस बात का द्योतक है कि उन्होंने हमारी औद्योगिक नीति को प्रशंसनीय पाया है। (विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी कृपया पीठ की ओर जवाब दें।

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, क्षमा चाहता हूँ। इस औद्योगिक नीति में सबसे बड़ा ध्यान रखा गया टैक्स स्ट्रक्चर का। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने सहयोग किया। 4 प्रतिशत का जो सेल्स टैक्स था उसे घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया गया। मैं बाद में बताऊँगा कि इस एक प्रतिशत सेल्स टैक्स का प्राविधान करने से क्या इफैक्ट पड़ा। टैक्स के बाद जो सरलीकरण का काम है, सिंगल विन्डो सिस्टम है, यह हमने अपनी औद्योगिक नीति में ले लिया। उसी नीति के अनुसरण में दिल्ली में जो एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल है, उनका उद्योग लगाने का प्रस्तावित पत्र आया था वो मैं डा० इन्दिरा हृदयेश जी को भी दिखा चुका हूँ। मान्यवर, पूरे विश्व में भारतीय गारमेन्ट्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल का एक दल यहाँ पर आ चुका है। हमारी कठिनाई यह है कि हम कितनी बिजली उनको दे सकते हैं, हमारी कठिनाई यह है कि हमारे पास कितनी भूमि है, हमारी कठिनाई यह है कि हम किस प्रकार का इन्फ्रास्ट्रक्चर उनके लिए बना सकते हैं। यह रिस्पान्स उसी औद्योगिक नीति का मिला है। पूरे भारत वर्ष में एल्यूमीनियम इंडस्ट्रीज इस समय टॉप पर है। ये जो एल्यूमीनियम के अच्छे बर्तन बनते हैं जिसे आप नोन स्टिक बर्तन कहते हैं, इनके निर्माताओं का एक एसोशिएशन है। इस एक प्रतिशत सेल्स टैक्स की पॉलिसी के कारण उनका एसोसिएशन मसूरी में बैठक कर चुका है और यह निर्णय कर लिया है कि उस एसोसिएशन के कम से कम 200 यूनिट्स उत्तरांचल में आ करके अपने उद्योग–धन्धों की शुरुआत करेंगे। हमारी यह कठिनाई है कि क्या हम उनको बिजली देने की स्थिति में हैं, क्या हम उनको भूमि उपलब्ध कराने की स्थिति में हैं। यह हमारी कठिनाई है।

मान्यवर हमारी दो चिन्तायें हैं, पहली जो हमारे यहाँ उद्योग धन्धे हैं उनकी रक्षा करना। हम बन्द हुए उद्योगों की बात नहीं कर रहे हैं। हमें वे उद्योग चाहिए जो लोगों को रोजगार दे सकें। दूसरी चिन्ता है जो लोग यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए बड़े–बड़े इन्डस्ट्रीयल स्टेट बनाने पड़ेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी विद्युत की उपलब्धता पर कोई संकेत दे दे तो इन चीजों की उपलब्धता होने पर उत्तरांचल में उद्योग उभरता हुआ दिखायी देगा। हमने उन उद्योगों की रक्षा के लिए क्रय वरीयता एवं मूल्य वरीयता को अपनाने की नीति बनाई है। क्रय वरीयता में जैसे पुलिस विभाग को वर्दीयाँ, कम्बल और कैप जो भी खरीदेगा वह उत्तरांचल के उद्योगों से खरीदेगा। हमने जिला उद्योगों की रक्षा के लिए जिला उद्योग मित्र की स्थापना कर दी है उनका गठन हो गया है, जिलाधिकारी उसके अध्यक्ष होंगे। उनकी जो समस्यायें होंगी जिला उद्योग मित्र की बैठक होगी वे उसका समाधान करेंगे। उच्च स्तरीय औद्योगिक परिषद् जिसके अध्यक्ष मा० मुख्यमंत्री जी होंगे, इसकी स्थापना की जा चुकी है उद्योगों को करने में जो भी कठिनाई होगी एक ही बैठक में सिंगल विन्डो के रूप में उनका समाधान हो जायेगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि पूँजी निवेश कहाँ से हो। हमारी आई०डी०एफ०सी० से एम०ओ०यू० हो गया है। जो भी उद्योग धन्धे लगाने के लिए बाहर से आयेगा उनकी सहायता के लिए आई०डी०एफ०सी० आगे आयेगी। ऐसी बात नहीं है कि यह जो सेक्टर है इसमें कोई प्रगति न हुई हो, हम सब लोगों को आँख

खोलकर देखना चाहिए कि हमने उद्योगों के बढ़ावा के लिए कौन–कौन से काम किये हैं। श्रीमन्, आज की स्थिति यह है कि हमारे जो काशीपुर और जसपुर सूती मिलों का मामला है उसके लिए बी0आई0एफ0आर0 ने यू0पी0 वित्त निगम कारपोरेशन से कह दिया कि आप घाटे की पूर्ति हेतु इनकी बिक्री कर दी जाय हमारे पास 20 करोड़ रुपया इसके लिए नहीं है।

मान्यवर, हम ऐसे उद्योग धन्धे चाहते हैं जो अपने पावों पर खड़े होंगे, जिनसे लोगों को रोजी–रोटी मिलेगी। अगर उत्तर प्रदेश सरकार हमें 20 करोड़ रुपया दे देती तो हम उनको काशीपुर, जसपुर और सोयाबीन फैक्ट्री को फिर से चालू करने में सक्षम होंगे और यह निर्णय बी0आई0एफ0आर0 का है।

मान्यवर, खनन की बात आई। बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ ये तीन जिले सोप स्टोन के लिए प्रख्यात हैं। यह बहुत कीमती स्टोन है जिसका अभी तक ठीक से उपयोग नहीं हुआ है। हमने पिछले 20 वर्षों में जितने लम्बित केसेस थे, उनको मंगाकर हमने खनन के लाइसेंस दे दिए। जिससे अब वहाँ लोगों के पास काम है। हमने एक कैनेडियन कम्पनी को प्रास्पेक्टिव लाइसेंस दे दिया है और विदित हुआ कि पिथौरागढ़ जिले के अस्कोट क्षेत्र में जिन्क आदि खनिजों की उपलब्धि हो रही है। हम लोग इस क्षेत्र में खनन, मेजर मिनरल, माइनर मिनरल के औद्योगीकरण है उसके लिए सजग हैं और मेरा निश्चित मत है कि जिस प्रकार का वातावरण इस सरकार ने पिछले एक वर्ष में बनाया वह बहुत ही सराहनीय है।

मान्यवर, माननीय अम्बरीष जी से निवेदन करूँगा कि वे विचार करें कि हम उद्योग किसे कहते हैं, आपने कहा हरिद्वार में कोई उद्योग नहीं है, हरिद्वार में हर साल 2 करोड़ यात्री आते हैं और अगर एक यात्री एक हजार रुपया खर्च करता है तो साल में 2 हजार करोड़ रुपया आता है, तो क्या यह उद्योग नहीं है। हर क्षेत्र की अपनी–अपनी विशेषताएं हैं। अगर हम झारखण्ड की बात करते हैं तो वहाँ केवल खनन उद्योग है, उत्तरांचल की बात की जाएगी तो सबसे बड़ा उद्योग पर्यटन और तीर्थाटन है। अब उद्योग का मकसद यह है कि स्थानीय लोगों को रोजी–रोटी मिले। अगर इन लक्ष्यों को समझे बगैर उद्योग की बात करें तो यह उचित नहीं होगा। इसलिए मैं माननीय अम्बरीष जी से निवेदन करूँगा कि अपना संकल्प वापिस ले लें। धन्यवाद।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय उद्योग मंत्री जी ने जो अपना भाषण यहाँ दिया। मैं तो उम्मीद करता था कि माननीय मुख्यमंत्री कोई सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर कोई ऐसी बात जरूर कहेंगे जिससे सदन को और सदन के माध्यम से इस प्रदेश की जनता को लगता हो कि सरकार वास्तव में उद्योगों का जाल बिछाने के लिए गम्भीर है।

मान्यवर, उद्योग से जुड़े हुए जो परिणाम इस प्रदेश के सामने आने चाहिए, उन परिणामों को ध्यान में रखते हुए इस पर गम्भीरता से विचार करें। मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी उद्योगों के प्रति इतने अधिक चिन्तित हो गए हैं कि इस एक साल में वह बहुत दुबले हो गए हैं। आज ही मुझे लगा कि वास्तव में इन्हें कितनी चिन्ता है, लेकिन

हालत वही है– "रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था।" लेकिन यदि अपने भाषण और मसूरी में बैठक करने से ही उद्योग लग जाते तो यह प्रदेश आज तक कहाँ का कहाँ पहुँच गया होता। इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात तो बार-बार आयी लेकिन माननीय मंत्री जी यह भी बता दें कि इन्फ्रास्ट्रक्चर के नाम पर आपने क्या प्रगति की है। परिवहन का सबसे बड़ा साधन बस है परन्तु आज तक हम अपना परिवहन निगम भी नहीं बना पाए। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की जो टूटी-फूटी बसें हैं, उनमें ही सफर करने को सब लोग मजबूर हैं। उद्योगपतियों को यदि हम आकर्षित करना चाहते हैं तो हमारे पास यातायात की सुविधा होनी आवश्यक है। एयर ट्रैफिक हमारे पास है नहीं, ट्रेन ट्रैफिक है नहीं, ले-देकर बस ही बचती है लेकिन इस एक साल में अभी तक हम यह नीति निर्धारित नहीं कर पाए हैं कि हम इसे सरकारी क्षेत्र में ही रखेंगे, निगम बनायेंगे या निजी क्षेत्र को देंगे, यह काम तो हम आज तक कर नहीं सके, सीधे उद्योग लगाने की बात करने लगे, तो यह कोई सार्थक बात नहीं है। ट्रेनों की बात माननीय मंत्री जी ने बहुत बार कही, हमने तो केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है, शताब्दी चलेगी लेकिन उसका क्या सकारात्मक परिणाम निकला, इसके बारे में माननीय मंत्री जी ने सदन को कोई जानकारी देना उचित नहीं समझा। माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा था कि कनेक्टीविटी होनी चाहिए दिल्ली से हमारे यहाँ दूरस्थ स्थानों तक पहुँचने में यदि किसी उद्योगपति को 4 दिन लग जायेंगे तो फिर वह यहाँ पर उद्योग लगाने में रुचि नहीं लेगा। इस विषय में केन्द्र सरकार के पास कितने प्रस्ताव भेजे गए, केन्द्र का उस पर क्या रुख रहा, इसके बारे में भी कुछ बताने का कष्ट माननीय मंत्री जी ने नहीं किया। माननीय वित्त मंत्री जी ने अभी बताया कि स्टोन क्रेशर के जो उत्पाद हैं, उन पर जो कर लगा, वह 1991 के उत्तर प्रदेश सरकार के एक शासनादेश के आधार पर लगाया गया और हमने अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए ईंटों पर कर लगाया। मान्यवर, मैं इससे इन्कार नहीं करता कि कर के बगैर राज्य नहीं चल सकता लेकिन हमको यह भी तो देखना पड़ेगा कि 1991 के शासनादेश के आधार पर हमारे उत्पादों पर कर लगाने से यदि हमारे उद्योग घटते हैं और ईंटों पर कर लगाने से उसका लाभ हमको नहीं मिलता है तो हमको बीच का रास्ता निकालना चाहिए। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि उद्योगों का रक्षण कैसे हो, हम इस पर भी विचार करेंगे और माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया कि एल्यूमीनियम की 200 फैक्ट्रियाँ हैं, जिनको हम लगाना चाहते हैं लेकिन इस विषय में कोई संकेत माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया कि बिजली की क्या स्थिति होगी, इन्फ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति होगी ?

मान्यवर, वही काम हमारे माननीय मंत्री जी ने कर दिया। सारी बातें तो ठीक हैं उद्योग भी आ जायेंगे 200 एल्यूमीनियम उद्योग वालों ने भी कह दिया कि हम उत्तरांचल में उद्योग स्थापित कर देंगे, लेकिन आखिर में फिर यही कह दिया कि न बिजली है, न अवस्थापना सुविधाएं हैं। मंत्री जी ने यह भी नहीं बताया कि बिजली की क्या स्थिति होगी, सड़कें हैं नहीं, परिवहन की व्यवस्था है नहीं तो आप दिवा स्वप्न देख रहे हैं कि आप उत्तरांचल में उद्योगों को बढ़ावा देंगे। माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि उद्योग नीति के सम्बन्ध में एक पुस्तिका भी दी गई और अच्छा होता कि अम्बरीष जी उस पर अपने विचार व्यक्त करते तो मान्यवर, यह सदन सुझाव देने का ही तो मंच है। अगर मैं यह संकल्प लाया तो इसका आशय तो यही है कि जो प्रदेश की उद्योग नीति है उस पर इस

सदन में लोग अपने विचार रख सकें। अगर इसके अलावा कोई जगह है तो माननीय मंत्री जी वो भी बता दें। मैं तो यही समझता हूँ कि सदन सर्वोच्च है और इसमें हमने अपनी राय और सुझाव देने का अधिकार है। अगर माननीय मंत्री जी व्यक्तिगत रूप से चाहते हैं तो हम व्यक्तिगत रूप से भी दे देंगे। दूसरी बात यह है कि माननीय मंत्री जी ने कहीं आई0टी0 की बात कही, कहीं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेन्ट की बात हुई, एम0ओ0यू0 साईन हो गया। यह सत्र में यह बताते हैं लेकिन एम0ओ0यू0 साईन होने के बाद क्रियान्वित कितने हुए, कितने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेन्ट के या निजी उद्योगों के प्रस्ताव यहाँ पर आये, कितने क्रियान्वित होने की स्थिति में हैं, कब तक कितने क्रियान्वित हो जायेंगे, कितने उद्योग लग जायेंगे इसकी तरफ माननीय मंत्री जी ने कोई ध्यान नहीं दिया और जहाँ तक बन्द होने वाले उद्योगों की बात है माननीय मंत्री जी ने पल्ला झाड़ लिया कि ये बन्द हो गये तो वह उत्तर प्रदेश सरकार की लाईबेलिटी है। यह सम्पत्ति उत्तरांचल में है यह उत्तरांचल की लाईबेलिटी है। सम्पत्ति आप लेंगे तो लाईबेलिटी और एसेट्स दोनों आपको लेने पड़ेंगे। यह कहना कतई व्यावहारिक नहीं है कि लाईबेलिटी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी और एसेट्स हमारे होंगे। यह सरकार अगर कहती है तो अपने दायित्व से भागने का प्रयास मैं कहूँगा। इसके अलावा कोई दूसरा प्रयास इसमें नहीं हुआ। मान्यवर, हरिद्वार में यात्री आते हैं, दो करोड़ यात्री आते हैं, उनसे इतना रोजगार मिलता है, लेकिन माननीय मंत्री जी को शायद यह मैं तो इतनी बड़ी हिमाकत नहीं कर सकता कि माननीय मंत्री जी के सामने गुस्ताखी करूँ लेकिन यह जरूर कहूँगा कि इसका ध्यान कर लेना चाहिए कि दो करोड़ यात्रियों को किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। उनके लिए कौन से उद्योग हरिद्वार में लगे हैं ? सारी चीजें बाहर से आती हैं अगर यात्रियों के प्रयोग में आने वाली चीजों का ही धन्धा हरिद्वार में खुलवा दें तो कम से कम बाहर से तो नहीं आएंगी इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और प्रदेश के राजस्व में भी वृद्धि होगी। यह शायद मालूम नहीं है कि सारे कम्बल पानीपत से आते हैं, सारे गर्म कपड़े लुधियाना से आते हैं जो हरिद्वार में बिकते हैं, नारियल जो प्रसाद चढ़ता है, जो चुनरी बनती है वह भी बाहर से आती हैं और उन 2 करोड़ यात्रियों को अगर फीड करने के लिए उन सब चीजों की व्यवस्था भी हम उत्तरांचल में करवा दें तो माननीय मंत्री जी दो करोड़ आप कह रहे हैं यात्री आते हैं कितना खर्च होता है, वे यहाँ खर्च करते हैं। उसका बहुत ज्यादा लाभ उत्तरांचल को मिलेगा और मान्यवर, जो जड़ी–बूटियों का मामला है, कहने की बात है लेकिन हरिद्वार उसका केन्द्र था, लेकिन गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी तो जैसे–तैसे चल रही है और जड़ी–बूटियों पर आधारित जितनी आयुर्वेदिक दवाई बनाने वाले कारखाने हैं वे सभी हरिद्वार में बन्द हो गये हैं। मान्यवर, सार्वजनिक क्षेत्र की बात आई। आई0डी0पी0एल0, ठीक है उत्तरांचल के निर्माण से पहले बन्द हो गया था, लेकिन केन्द्र सरकार ने पैकेज देकर ऋणमुक्त करने के बाद बेचने की बात कही है। मैंने यह पहले भी कहा था आज फिर आपके माध्यम से इस सदन में कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी सरकार उसको ले ले, जब केन्द्र सरकार ऋणमुक्त कर रही है, एक पैसा भी उस पर ऋण नहीं रहेगा तो कैसे हम उसको वायबल बनाकर अपने स्टेट में औद्योगीकरण को बढ़ावा दे सकते हैं। इस पर माननीय मंत्री जी ने कोई विचार व्यक्त नहीं किया है।

मान्यवर, मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता हूँ कि कितने उद्योग उत्तरांचल बनने

के पहले बन्द हो गये और कितने बाद में बन्द हुए। उत्तरांचल में उद्योग चल नहीं रहे हैं बन्द हो रहे हैं, इन उद्योगों का जो नये खुल रहे हैं उन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। हमारा जो सपना था उत्तरांचल को उद्योग प्रदेश बनाने का वह चकनाचूर हो जायेगा। मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि वे उद्योग नीति पर बोले। मान्यवर, यह सर्वोच्च सदन है हम लोग यहाँ लड़ने के लिए नहीं बैठे हैं एक दूसरे की बात को सुलझाने और उस पर सुझाव देने के लिए बैठे हैं उन सुझावों के बाद जो सेन्सस बनेगी वह इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। हम विपक्ष में बैठे हैं तो हमें विपक्ष का रोल अदा करना है, हर बात का विरोध करना है। आप कहेंगे कि हमें किसी बात को नहीं मानना है। अगर हर बात का विरोध करना है, यही परम्परा चलती रहेगी और सरकार का यही रुख रहेगा तो यह नहीं लगता है कि वह उद्योग प्रदेश बनाने के लिए गम्भीर है, चिन्तित हैं या उनके पास कोई स्पष्ट नीति है। इसलिए मैं अपने संकल्प पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "प्रदेश में बेरोजगारी दूर करने के लिए उद्योगों को सुविधा प्रदान कर उद्योग का जाल बिछाया जाना आवश्यक है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

नवगठित उत्तरांचल राज्य की विधान सभा में मंत्रियों के बैठने का स्थान एवं शासन सचिवालय एक ही स्थान पर करने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र सिंह व श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा द्वारा प्रस्तुत संकल्प

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि "इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि नवगठित उत्तरांचल राज्य की विधान सभा, मंत्रियों के बैठने का स्थान एवं शासन सचिवालय एक ही स्थान पर हों।"

मान्यवर, इससे यह सदन भी अवगत है कि विधान सभा और सचिवालय की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है। हमारी विधान सभा हरिद्वार–देहरादून का जो मुख्य मार्ग है उससे जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आये दिन होने वाले धरना प्रदर्शन के कारण से मा0 विधायकों को ही नहीं आम जनता को भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मान्यवर, जिस समय यहाँ विधान सभा बनी पता नहीं कौन से कारण रहे और कौन सी परेशानी रही कि विधान सभा को यहाँ बनाना पड़ा। मान्यवर, जहाँ सचिवालय है वहाँ विधान सभा बना दी जाती तो यह कठिनाई नहीं आती। देहरादून स्कूल के क्षेत्र में अग्रणी माना जाता है और दूर दराज से यहाँ बच्चे पढ़ने के लिये आते हैं। आप दिखवा सकते हैं कि जिस समय छुट्टी होती है, धरना प्रदर्शन के कारण बच्चे और अभिभावक बहुत परेशान रहते हैं। मैंने मा0 मंत्रीगणों को भी सिर पर हाथ रखे देखा है। मैंने कभी शासन के सचिवों, प्रमुख सचिवों को बुलाया तो पता चला कि वे जाम की वजह से नहीं निकल पाये और उनका मोबाइल आता है कि वे जाम में फंसे हैं। कठिनाई केवल शासन प्रशासन की ही नहीं है, वह आम जनता की है। मान्यवर, अगर कोई विधायक लंच में अपने कार्यों से सचिवालय जाना चाहता है तो

यह धरना प्रदर्शन के कारण नहीं जा सकता है।

मान्यवर, जहाँ से धरना-प्रदर्शन चलना शुरू होते हैं वह अधिकांश परेड ग्राउण्ड से या नगरपालिका मैदान से चलते हैं और यह मुख्य मार्ग से होकर आते हैं, लगभग डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर यह धरना-प्रदर्शन चलता है। तो यहाँ के जनपद के लोगों को तो परेशानी होती ही है साथ में बाहर से आने वाले यात्री को भी परेशानी होती है और उनको भी धरना-प्रदर्शन के पीछे-पीछे चलना पड़ता है। कई-कई घंटों तक उन्हें खड़ा रहना पड़ता है। मान्यवर, इस कारण से भी इसका एक जगह होना नितान्त आवश्यक है। अगर सचिवालय और विधान सभा एक जगह होता तो यह धरना-प्रदर्शनों से छुटकारा मिल सकता था। यदि सुभाष रोड पर होता तो हम राजपुर रोड के लोगों के लिए यातायात की सुविधा दिलवा सकते थे। यहाँ इस जगह पर विधान सभा होने के कारण आम आदमियों को भी इस बात की परेशानी है इस जगह विधान सभा होने के कारण इस सम्बन्ध में आवास समिति द्वारा भी शासन से उत्तरांचल सचिवालय के पास विधान सभा को किये जाने का निर्देश था।

श्री अध्यक्ष--

माननीय राजेन्द्र सिंह जी, क्योंकि समिति ने अभी उसमें प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया इसलिए उस सम्बन्ध में चर्चा न की जाये।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, परन्तु यह आवश्यक है कि एक जगह पर सचिवालय और विधान सभा बने। इसमें 6 किलोमीटर आने जाने में कम से कम 2 लीटर पैट्रोल खर्च होता है, तो 2 लीटर के हिसाब से बहुत पेट्रोल खर्च होता है और समय की भी बरबादी होती है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमारे पास अधिकारियों की कमी है, दूसरी तरफ विधान सभा के सचिवालय आने जाने में जो समय बरबाद हो रहा है उस समय का यदि सदुपयोग हो जाए तो मैं समझता हूँ कि खर्च भी बचेगा और समय का सदुपयोग भी होगा, और हमारे अधिकारीगण बहुत अधिक काम कर पायेंगे और उससे लाभ मिलेगा। मान्यवर, यह मेरा संकल्प इस सम्बन्ध में है।

काजी मो0 मोइउद्दीन--

मान्यवर, यह संकल्प बिल्कुल सही है और जो सिंह साहब ने कहा है वास्तविकता पर आधारित है। हम लोगों को भी दिक्कत है, कुछ काम वाले आते हैं तो सचिवालय जाना पड़ता है बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी आपने डेढ़ बजे से 3 बजे तक के लिए विधान सभा की छुट्टी की तो मैं अपने घर किशनपुर जाना चाहता था, तो रास्ते में पता नहीं क्यों पुलिस रोक रही थी, नतीजा यह कि मैं पहुँच नहीं पाया। तो यहाँ आने और जाने में लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है। आज बीच में कुछ समय मिलता तो लोगों का कुछ काम करा देते लेकिन वहाँ नहीं जा पाये। या तो वे एक दिन और रुकें या उनसे कह दें कि हम सचिव से आपकी बात नहीं कह पाये। तो दिक्कत का सामना है। उत्तर प्रदेश में यहाँ का वहाँ था तो बड़ा आराम था और मंत्रियों को भी सुविधा रहती थी।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में सचिवालय और विधान सभा एक ही स्थान पर है, इसलिए बहुत आराम रहता था। मंत्रियों को भी सुविधा रहती थी कि जब चाहें, सचिव को बुला लें। यहाँ पर बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूँ।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र सिंह जी द्वारा जो संकल्प रखा गया और जिसके समर्थन में वरिष्ठ सदस्य काजी जी ने भी अपने विचार रखे हैं, मैं भी इससे पूर्णतः सहमत हूँ और सरकार इस परेशानी से अच्छी तरह वाकिफ है लेकिन नया राज्य बनने के कारण और यहाँ पर भवन उपलब्ध न होने के कारण ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा है। ऐसे कोई इतना बड़ा परिसर उपलब्ध नहीं हो पाया जिसमें दोनों को एक साथ बनाया जा सकता। अभी देहरादून निजान्त अस्थायी राजधानी के रूप में है, इसलिए भी इस पर कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की जा सकी है। निकट भविष्य में नयी सरकार भी आने वाली है और उसमें राजधानी का मुद्दा भी निपटने के पूरे आसार हैं। वर्तमान में स्थान की अनुपलब्धता और अस्थायी राजधानी के कारण फिलहाल ऐसा नहीं हो पा रहा है इसलिए मैं माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र सिंह जी से निवेदन करूँगा कि आप इस संकल्प को वापस ले लें।

श्री राजेन्द्र शाह–

मान्यवर, मेरा उद्देश्य सदन को अपनी और जनता की परेशानी से अवगत कराना था और माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि वास्तव में कठिनाई है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि जब स्थायी राजधानी बनेगी, तो विधान सभा और सचिवालय दोनों एक ही स्थान पर बनेंगे इसलिए मैं अपने संकल्प को वापस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प, इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि नवगठित उत्तरांचल राज्य की विधान सभा, मंत्रियों के बैठने का स्थान एवं शासन सचिवालय एक ही स्थान पर हो को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे को उत्तरांचल राज्य में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में काजी मोइउद्दीन द्वारा प्रस्तुत संकल्प

*काजी मो० मोइउद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि वर्ष 1994 में उत्तरांचल राज्य के निर्माण की मांग के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिए दिल्ली जाते हुए जनपद मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा पर उत्तरांचल के निवासियों के शहीद स्थल स्मारक को उत्तरांचल राज्य में सम्मिलित किया जाय।

मान्यवर, मैंने तो एक बार इस सदन में यह कहा था कि शहीद केवल वह होता है, जो देश के लिए जान न्योछावर करता है। प्रदेश, जिला, तहसील, गाँव ये तो देश के अंग हैं। अब हरिद्वार को अलग करने के लिए 5-6 लोगों ने जान दी है, तो उन्हें शहीद-ए-हरिद्वार कहा जाएगा, ये शहीदे उत्तरांचल हैं, जब यह कहा गया था कि शहीदों का अपमान किया है। मैं तो इन्हें जांबाज सिपाही कहता था, किन्तु बहुमत ने इन्हें शहीद कहा था, इसलिए मैंने भी शहीद कहना शुरू कर दिया। मान्यवर, मैं एक रोज मुजफ्फरनगर जा रहा था, तो मैंने देखा कि शहीद स्थल पर कुत्ते पेशाब कर रहे थे।

मान्यवर, मुझे यह देखकर बड़ा दुःख हुआ। फिर मैंने सुना कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जी पूरी कैबिनेट के साथ शहीदों के स्थल पर श्रद्धांजलि भेंट करेंगे। मान्यवर, दूसरे के घर में जाकर श्रद्धांजलि भेंट की जाये इससे तो अच्छा है कि उसे अपने घर में मिला लिया जाये और केन्द्र से मांग की जाये कि उसे हमारे क्षेत्र में मिला दिया जाये। भारत माता हमारी माँ है, माँ से मांग की जाती है कि ये हमें दे दो। इसमें कोई बुराई नहीं है। अभी माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने कहा कि यह तो मिली जुली साजिश है चुनाव टालने की। मान्यवर, हमने सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा भी दायर कर रखा है, हरिद्वार को उत्तरांचल से अलग कराने का। हमारे वकील ने कहा कि स्टे के लिए आप अर्जी दे दीजिए। अभी हरिद्वार को अलग करने के आदेश नहीं दिये गये हैं, जब तक आदेश न हो जाएं तब तक चुनाव न कराये जायें। मगर हमने ऐसा करने से मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते। इस तरह की न हमारी कोई नीयत है न नीति है। हमें अपने लिए चुनाव अच्छे नजर आ रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि इसी महीने चुनाव हो जाएं तो और भी अच्छा होगा। मैंने आपसे अनुरोध किया था कि हमारी भावनाओं से चुनाव आयोग को अवगत करा दें। हम बहुत जल्दी से जल्दी चुनाव चाहते हैं। मान्यवर, यह मामला उन जांबाज लोगों का है, अगर हमारी सरकार के मन में सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति है तो इस प्रस्ताव से सहमत होंगे। मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने जानें दी इस प्रदेश को बनाने में, उनका जो शहीद स्थल है उसको बहुत अच्छे ढंग से रखना चाहिए। मान्यवर, मुझे बहुत दुःख हुआ यह देख कर कि उस पर कुत्ते पेशाब कर रहे थे। यह भावनाओं से जुड़ी हुई बात है। मुजफ्फरनगर तिराहे तक की जगह हमको लेनी है, उसके लिए संघर्ष भी करना है। वहाँ शहीदों का बहुत बड़ा अपमान हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इसे विपक्ष की मांग न समझा जाये। शहीदों की सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम शहीद स्थल की देखरेख करें। धन्यवाद।

श्री इराम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य काजी जी के द्वारा प्रस्तुत संकल्प जनपद मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा पर उत्तरांचल के निवासियों के शहीद स्थल स्मारक को उत्तरांचल राज्य में सम्मिलित किया जाय के समर्थन में अपने विचार रखना चाहता हूँ। जब यह हादसा हुआ तब मैं भी वहीं मौजूद था और हम लोगों ने उसका जायजा लिया और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बहिन मायावती जी भी आयी थी। जहाँ पर तीन साथी शहीद हो गये थे उस गाँव में मेरे रिश्तेदार हैं, उन्हीं के यहाँ उनको देखरेख की गई। जब भी हम वहाँ से गुजरते हैं

हमें वह सीन याद आ जाता है। जिस तरह हमको याद आती है उसी तरह उत्तरांचल की जनता चाहे मा0 मुख्यमंत्री जी या मंत्री जी गुजरे चाहे विधायक जी गुजरे तो सबको यह बात याद आती होगी कि यह वही रामपुर तिराहा है जहाँ पर उत्तरांचल के संघर्ष करने वाले व्यक्ति शहीद हुए। मान्यवर, इस बात को सरकार अपना ले तो अच्छा है, अगर यह शासन नहीं करता है तो हमारी सरकार आ जायेगी तो हम जरूर करेंगे। मान्यवर, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि इस पर गम्भीरता से विचार किया जाय और इस एरिया को उत्तरांचल में शामिल किया जाय। धन्यवाद।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, इस संकल्प या प्रस्ताव के माध्यम से मा0 काजी साहब ने आज बहुत सी चीजें स्पष्ट कर दी। मैं उसके लिए उनको बधाई देता हूँ। अभी तक मुझे लगता था कि ये दो नावों पर पाँव रखे हैं, इन जैसे सुलझे हुए ऐसे मा0 सदस्य जिनका मैं आदर करता हूँ, बड़ा अजीब लगता था। आज इस प्रस्ताव के बहाने जब आपने कहा कि हमारे वकील की इस राय के बाद भी कि तुम चुनाव के लिए स्टे ले लो, हम स्टे दिला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से आपने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, स्टे के लिए अपील नहीं करेंगे। मैं सोचता हूँ कि एक प्रकार से अभी तक हम लोगों को लगता था कि हरिद्वार के मामले में कहीं काले सफेद बादल आते हैं आज वह सब साफ हो गये। मैं इसके लिए मा0 काजी साहब को बधाई देता हूँ।

मान्यवर, अब रह गई बात रामपुर तिराहे की, वहाँ पर कोई अच्छा स्मारक बने उसके लिए निश्चित रूप से आपने कहा। आप जिन्हें अभी तक शहीद नहीं मानते थे और अब एक वर्ष में सद्भाव बढ़ा, आपने उनको शहीद माना। आप जैसे सम्मानित सदस्यों की इच्छा है तो निश्चित रूप से मैं निवेदन करूँगा कि अब चाहे वहाँ उत्तर प्रदेश वाले कितनी भी टाँग अड़ायें लेकिन हम बढ़िया स्मारक अवश्य बनायेंगे। जैसा माननीय इताम सिंह जी कह रहे थे कि हमारा काम भावना पहुँचना है, और यह मैंने पहले भी कहा है कि हम लोगों ने उत्तरांचल के बारे में कोई पटाक्षेप कर दिया हो, दरवाजा बन्द कर दिया हो, ऐसा नहीं है। इसलिए सारी चीज के बारे में विचार चलता रहेगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपना संकल्प वापिस ले लें, तो ज्यादा अच्छा होगा।

काजी मो0 मोइउद्दीन–

मान्यवर, मैंने तो बड़े विश्वास के साथ यह संकल्प रखा था कि शहीदों की आत्मायें आज हमारी बातें बड़े ध्यान से सुन रही होंगी और शहीदों के परिवार और उनके गाँववासी भी बड़े गौर से देख रहे होंगे हमारी तरफ कि हमारे दिलों में शहीदों के प्रति कितनी श्रद्धा है। लेकिन, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोलमोल बात कह दी कि स्मारक बनवा देंगे। मैं कहता हूँ कि आप उसके स्वामी बनें और मांग करें, इसमें क्या दिक्कत है। मान्यवर, शहीदों का सम्मान बहुत जरूरी है और वह उस वक्त हो सकता है जब कि हमारी मिल्कीयत उस पर हो। कम से कम हम मांग तो करें, हमारी भावनाओं का पता तो चले, तो केन्द्र को लिखकर भेजने में क्या दिक्कत है। चूँकि भावना से जुड़ा शहीद स्थल है, वहीं पर अपनी सीमा बढ़ाना चाहते हैं, कृपया जो एरिया है वह दे दें। मुझे खेद है कि एक तरफ

यह ड्रामा रचा जाता है कि शहीदों को श्रद्धांजलि भेंट करने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जब मैं यह कहता हूँ कि उन पर कुत्ते पेशाब कर रहे हैं, तो उसको संजीदगी से नहीं लिया जाता, यह उनके साथ खिलवाड़ है। कृपया इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें, इसे पक्ष और विपक्ष के दायरे में न लायें। यह हमारी भावना है और हम सभी की भावना है। लिहाजा इसकी तरफ कोई खास जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया। मैं गुजारिश करूँगा कि इस पर वोटिंग करा लिया जाए। मैं समझता हूँ कि उधर के लोग भी मेरे पक्ष में वोट देंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि वर्ष 1994 में उत्तरांचल राज्य के निर्माण की माँग के लिए दिल्ली जाते हुए जनपद मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा पर उत्तरांचल के निवासियों के शहीद स्थल स्मारक को उत्तरांचल राज्य में सम्मिलित किया जाय।" को स्वीकृत किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

काजी मो० मोइउद्दीन–

मान्यवर, स्पष्ट हो गया कि शहीदों के प्रति आपके दिलों में सम्मान नहीं है, इसलिए मैं इस सदन का बहिष्कार करता हूँ।

(काजी जी सदन त्यागकर चले गये)

प्रदेश के किसानों की आर्थिक स्थिति के सुधार के उद्देश्य से उसकी फसलों का अधिकाधिक लाभकारी मूल्य दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री राम सिंह सैनी द्वारा प्रस्तुत संकल्प

*श्री राम सिंह सैनी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से उनकी फसलों का अधिकाधिक लाभकारी मूल्य दिलाया जाये।"

मान्यवर, उत्तरांचल अभी तक उत्तर प्रदेश का एक अंग रहा है, नए राज्य के सृजन के बाद हम यह आशा करते थे कि किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाया जाएगा। आज आप देखते हैं कि किसानों की आर्थिक स्थिति जर्जर है। बहुत से ऐसे किसान हैं, जिनके पास मकान नहीं है, वह अपने बच्चों को ठीक प्रकार से शिक्षा–दीक्षा भी नहीं दिलवा पाते हैं, उनकी जो रोजाना की जरूरत है, उसको भी पूरा नहीं कर पाते और इसीलिए कहा गया है कि एक भारतीय किसान कर्जे में पैदा होता है, कर्जे में पलता है और कर्जे में ही मरता है। आज स्थिति और भी बद से बदतर होती जा रही है। आज जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य निर्धारित करते हैं तो उसकी उत्पादन कॉस्ट तय की जाती है, यह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देखा जाता है इसको बनाने में कितनी लागत आयी है, उसके उपरान्त मार्जीनल प्रोफिट देखा जाता है और उसके बाद यह आंकलन किया जाता है कि अमुक वस्तु की कीमत क्या होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक किसानों की फसलों का सम्बन्ध है, उसके लिए यह मापदण्ड नहीं अपनाए जाते हैं और इसी कारण आज किसानों की हालत बहुत दयनीय हो गयी है। यदि आप दूसरे देशों में देखें तो वहाँ किसानों को लाभकारी मूल्य की बात आती है तो उनको सब्सिडी दी जाती है, चाहे चीन की बात हो, चाहे अमेरिका की बात हो, वहाँ के किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है लेकिन हमारे यहाँ किसानों की हालत दिन प्रतिदिन गिरती चली जा रही है। माननीय गोविन्द बल्लभ पन्त जी ने एक क्रान्तिकारी परिवर्तन यहाँ की कृषि व्यवस्था में किया था। सदियों–सदियों से यहाँ जमींदारी प्रथा चली आ रही थी और किसानों की स्थिति बड़ी खराब थी, उन्होंने क्रान्तिकारी परिवर्तन कर उत्तर प्रदेश से जमींदारी प्रथा को समाप्त किया और किसानों को भूमि पर स्वामित्व का अधिकार दिया। मान्यवर, आप इस बात से भिज्ञ हैं कि किस प्रकार से हरित क्रान्ति यहाँ के किसानों ने की।

लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे इस विशाल देश के प्रधानमंत्री थे, तो यह सवाल उठा कि हिन्दुस्तान की गरिमा किस तरह से रखी जाए, तो उन्होंने कहा कि सप्ताह में एक दिन उपवास रखा जाए, उस समय यहाँ पर गेहूँ की बहुत कमी थी और अमेरिका जिस लाल गेहूँ को समुद्र में फेंक देता था, हम लोग भिखमंगों की तरह उससे वह गेहूँ मांगते थे लेकिन आज मैं यहाँ के कृषकों को जिन्होंने इतनी जबरदस्त मेहनत की और यहाँ के वैज्ञानिकों को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने नये–नये बीजों का आविष्कार किया और इस देश को स्वावलम्बी बनाया लेकिन आज यह प्रशासन हमारे किसानों को कुछ नहीं दे पा रहा है। एक अर्थ शास्त्री ने कहा था "इफ यू गिव दि ओनरशिप ऑफ ए पीस ऑफ डेजर्ट टु ए फार्मर, ही विल कन्वर्ट इट टु ए गार्डन एण्ड इफ यू गिव ऑन लीज ए गार्डन टु ए फार्मर, ही विल कन्वर्ट इट इन टु ए डेजर्ट।"

मान्यवर, स्वामित्व का इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। जमींदारी प्रथा समाप्त हुई, किसानों को ओनरशिप मिली लेकिन आज भी उनको फसल का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है।

मान्यवर, पंजाब में आप देखें किसानों को बिजली और पानी निःशुल्क दिया जा रहा है। वहाँ के किसानों की हालत दिनों दिन सुधरती जा रही है और आज हिन्दुस्तान में पंजाब का किसान सिर ऊँचा करके बात करता है। उनका आप जीवन स्तर देखिए। वे आलीशान मकानों में रहते हैं, गाड़ियाँ उनके पास हैं, उनके बच्चे अच्छे–अच्छे विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में देखिए, वहाँ के किसानों के पास छोटे–छोटे खेत हैं, वे बैल रखते हैं, उनके पास छोटी–छोटी गाड़ियाँ हैं। उनके विकास की कोई योजना नहीं बनाई गई है, उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं दिया जा रहा है। जिस तरह पंजाब में बिजली और पानी मुफ्त दिया जा रहा है उसी तरह यहाँ भी दिया जाये। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है जो सब्सिडी उत्तर प्रदेश में दी जा रही थी वह यहाँ समाप्त कर दी गई है। यहाँ न हर हाथ को काम दिया जा रहा है और न हर खेत को पानी दिया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कर आये थे कि गन्ना का मूल्य 105 रुपये दिया जाये जब हरियाणा में गन्ने का

मूल्य 120 रुपये प्रति कुन्तल दिया जा रहा है तो हम क्यों नहीं दे सकते हैं। हमारे उत्तरांचल में इच्छा शक्ति की कमी है। किसानों के प्रति यह शासन उदासीन है, उनकी प्रगति की न इनकी कोई योजना है न इच्छा शक्ति है। मैं कहना चाहता हूँ कि फसलों का उन्हें समुचित मूल्य मिलना चाहिए। चाहे गेहूँ हो, गन्ना हो हर फसल का उन्हें समुचित मूल्य मिलना चाहिए। कृषि से हमारी लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ी हुई है। किसानों की जो फसल है उनका समुचित मूल्य उन्हें मिलना चाहिए। उन्हें आज और मार्जिनल प्राफिट के साथ मिलना चाहिए तो उसका मूल्य भी निर्धारित होना चाहिए। अभी तक पिछले वर्ष जो गन्ना किसानों ने सप्लाई किया था, उसका भुगतान अभी भी बकाया है और न उनको सूद दिया जायेगा, न उनका भुगतान होगा ये सारी जिम्मेदारी शासन की है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि किसानों के साथ यह अन्याय नहीं तो और क्या है और इसलिए इस संकल्प के द्वारा यह कह रहा हूँ कि किसानों की फसलों का समुचित मूल्य यह सरकार दिलाये।

*श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, माननीय राम सिंह सैनी जी ने जो संकल्प रखा है जिसमें मांग की गई है कि प्रदेश के किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उनकी फसल का अधिकाधिक लाभकारी मूल्य किसानों को दिलाया जाये। मान्यवर, मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूँ और इस सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि जब हम स्वतंत्रता संग्राम कर रहे थे और इस देश की मुक्ति का युद्ध हो रहा था तो अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ जनाक्रोश उभरने का सबसे बड़ा कारण किसानों की दुर्दशा ही थी। आप राष्ट्रीय आन्दोलन में महात्मा गाँधी के नेतृत्व को लें, पटेल जी के नेतृत्व को लें या बिहार में राजेन्द्र प्रसाद जी के नेतृत्व को लें अधिकांश नेता ऐसे थे जो किसान के बीच से निकल कर आये थे।

मान्यवर, चम्पारण बिहार से सरदार पटेल जी के नेतृत्व में किसानों का आन्दोलन बारदोलाई में पनपा और पुष्पित हुआ। पंजाब के किसानों ने हुंकार लगायी 'पगड़ी सम्भाल जट्टा' तो पंजाब का किसान भी लामबन्द हुआ। उत्तर प्रदेश में जमींदारों के आतंक से परेशान बेहाल किसान भी खड़ा हुआ और इस तरह जब देश का किसान खड़ा हुआ तब यह देश आजाद हुआ और आज आजादी के बाद भी देश की 70% जनता कृषि पर निर्भर करती है, इसलिए यह कल्पना करना कि किसानों की हालत सुधारे बगैर उनकी समृद्धि के बगैर यह देश और समाज, यह प्रदेश तरक्की कर सकता है यह विकास कर सकता है इसका कोई अर्थ नहीं है। किसान की जब हम बात करते हैं तो हम गाँव के उस खेतीहर मजदूर की बात करते हैं जिसका किसान से अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। किसान मजदूर के बगैर अपना काम नहीं कर सकता है, मजदूर किसान की समृद्धि पर निर्भर है। मा0 राम सिंह सैनी जी ने कहा कि यह तय होना चाहिए कि उत्पादन लागत कितनी है और लाभांश कितना हो उसके हिसाब से किसान की फसल का मूल्य होना चाहिए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि मा0 मंत्री जी जिस जिले से आते हैं वहाँ पन्त नगर कृषि विश्वविद्यालय है उसके बड़े–बड़े फार्म हैं उनमें हम गेहूँ,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चावल, गन्ना आदि भी उगाते हैं। मा0 मंत्री जी के संज्ञान में यह भी होगा कि वहाँ पर गेहूँ उगाने की लागत क्या आती है और चावल, गन्ना की लागत क्या आती है या अन्य जो फसलें हैं उनकी लागत क्या आती है। क्या कारण है कि जो लागत उत्पादन की आती है जो मूल्य तय होता है, किसानों को उससे कम मूल्य हम देते हैं तो क्या हम यह मानते हैं कि पन्तनगर विश्वविद्यालय में जहाँ हम आइडियल खेती करते हैं वहाँ खर्च कम होता है। किसान को हम घाटा देंगे उसका उचित मूल्य तय नहीं करेंगे तो वह सरवाइव कर सकता है। माननीय मंत्री जी इस पर भी चिन्तन करें। जितना मूल्य हम किसान को देते हैं वह इसको तैयार करने में महीनों इसकी प्रतीक्षा करता है, पानी देता है, बीज देता है, खाद भी देता है, जो उसकी भूमि है उसकी लागत भी उसमें शामिल होती है, सारी मेहनत शामिल होती है। मण्डी तक लाता है वह सब शामिल है। मान्यवर, लेकिन एफ0सी0आई0 का हैण्डलिंग चार्जेज अधिक होता है। यह गम्भीर असमानता और विषमता है। इस पर सरकार को विचार करके ऐसा रास्ता निकालना चाहिए। मा0 मंत्री जी कहेंगे कि प्रोपेयरनेंट प्राइज फिक्स करना केन्द्र सरकार का काम है। मान्यवर, जो सरकारें किसानों की हितैषी हैं जैसे पंजाब, हरियाणा की सरकार है वह अपने किसानों को उसका उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए वह अपनी तरफ से बोनस की भी घोषणा करते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मा0 सैनी साहब ने बिल्कुल ठीक बात कही कि किसान कर्ज में जीता है कर्ज में ही मरता है। आप उदाहरण ले लें अगर किसी किसान ने कोई ट्रैक्टर के लिए लोन ले लिया या दूसरे कृषि उपकरणों के लिए लोन ले लिया तो शायद ही कोई ऐसे केसेज होंगे जहाँ उसको अपनी सम्पत्ति बेचनी न पड़ी हो, जिसके लिए उसने ट्रैक्टर लिया।

मान्यवर, जिस प्रकार की धांधली आज किसान के साथ है ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा, जिस प्रकार किसान का उत्पीड़न और शोषण है ऋण देने में। उसके साथ पुरानी जमींदारी की प्रथा तोड़कर ये आधुनिक ऋण संस्थाओं का सृजन करके हमने यह आशा की थी कि इससे किसानों को राहत मिलेगी। लेकिन वह राहत आज तक नहीं मिल पा रही है। तो इन परिस्थितियों में क्या यह सम्भव है कि क्या हमारा किसान तरक्की नहीं करता तो, हमारा प्रदेश तरक्की कर सकता है। विद्युत की बात जो माननीय सैनी जी ने उठायी मैं उनका समर्थन करता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि पंजाब और हरियाणा का उदाहरण अगर हम लें तो उन्होंने अपने किसान को बिजली दी, पानी दिया और अन्य सुविधायें दी, ऋण की अच्छी सुविधायें दीं और उसका माल मण्डियों तक पहुँचाने की कोशिश की और मण्डियों में भी जो आधुनिक संचार सुविधायें हैं, आई0टी0 का इस्तेमाल करके किसान को सुविधा देने का काम कई प्रदेशों ने किया है, जिससे किसान अपनी उपज अच्छे मूल्य पर बेच सकता है। इसकी भी उसको जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश की। मान्यवर, इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आये और उन प्रदेशों ने तरक्की भी की। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस संकल्प का समर्थन करता हूँ और यह निवेदन करना चाहता हूँ कि विज्ञान को खेती से जोड़ दें, उसका कैल्कुलेशन सही ढंग से करके, अगर हम किसान को समृद्ध बनाने का काम करेंगे तो अप्रत्यक्ष रूप से जो हमारी 70 फीसदी आबादी कृषि पर आधारित है उसकी तरक्की होगी तो प्रदेश की तरक्की होगी। इसलिए इस संकल्प पर मैं समर्थन करता हूँ।

श्री बंशीधर भगत–

माननीय अध्यक्ष जी, जो संकल्प अभी सैनी जी द्वारा रखा गया है और उसका समर्थन माननीय अम्बरीष जी द्वारा किया गया है, निश्चित ही मैं उनकी भावना को समझता हूँ। अगर प्रदेश में खुशहाली को बनाये रखना है तो यहाँ के बहुसंख्यक किसानों को समृद्धशाली बनाना निश्चित करना पड़ेगा और हमने इसके बारे में प्रयास भी किया है। लेकिन पैदा होते ही बच्चे से कह दिया जाये कि तू काम पर लग जा तो यह सम्भव नहीं है। उदाहरण के लिए पंजाब और हरियाणा को कहा गया, उनमें और हममें बहुत अन्तर है, लेकिन जो हमने प्रयास किये हैं वह किसान के हित में किये हैं। चाहे वह लाभकारी मूल्य देने की बात हो, चाहे उसको तकनीकी शिक्षा देने की बात हो। अभी पन्त नगर की बात की गई, पिछले कई वर्ष पुरानी इण्डस्ट्री कभी भी सीधा–सीधा किसान को प्रशिक्षण नहीं दे सकती। हमने उत्तरांचल राज्य बनते ही बहुत बड़ी उपलब्धि की है। किसानों को तकनीकी शिक्षा देने के लिए पन्तनगर इण्डस्ट्री का कृषि विभाग के साथ समन्वय कराया है। वर्ष में 3–4 बैठकें उनकी हम कराते हैं और सीधा निर्देश इण्डस्ट्री को दिया है कि जहाँ सिंचित भूमि हो वहाँ सिंचित भूमि के लायक शोध कार्य करें, जहाँ असिंचित भूमि हो वहाँ उसके लायक शोध कार्य करें। जहाँ जैसी जलवायु हो, जैसा मौसम हो उस हिसाब से शोध कार्य करें। इतना ही नहीं हमने इण्डस्ट्री और कृषि विभाग से मिलकर भारत सरकार से एक मांग की है और उसमें भारत सरकार ने हमें सहयोग कि हमने 13 जनपदों में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव भेजा है।

मान्यवर, हमने 13 जनपदों में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव किया है ताकि किसानों को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ से पन्तनगर न आना पड़े, वहीं पर हम उनको तकनीकी शिक्षा दे सकें। वहाँ कृषि केन्द्र खोल कर किसानों को तकनीकी शिक्षा का ज्ञान दें, इसके लिए 25–25 एकड़ भूमि भी हमने कृषि विभाग को उपलब्ध करा दी है। पन्तनगर यूनिवर्सिटी से उनमें तकनीकी शिक्षक जायेंगे और वह किसानों को यह बतायेंगे कि किस प्रकार की फसल उनको किस समय लगानी चाहिए और कौन–कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। बार–बार अनुदान की बात की जाती है, मेरा मानना है कि एक सीमा तक तो यह ठीक है लेकिन यदि पिछले इतिहास को देखें तो भारत की आर्थिक तंगी के कारणों में बहुत बड़ा कारण अनुदान भी है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि अनुदान आदमी को पंगु बनाता है। अनुदान की दृष्टि से लिया गया ऋण आदमी को कमजोर कर देता है। हम लोग चाहते हैं कि किसान को तकनीकी शिक्षा देकर किसानों को वैज्ञानिकों द्वारा कृषि पण्डित बनायेंगे ताकि उसी खेत से, जहाँ से वह एक कुन्तल पैदा कर रहा था, वहीं से 4–4, 5–5 कुन्तल पैदा करे। हमारे पास उदाहरण है, अभी आप ही ने कहा, लाल गेहूँ हम बाहर से लाते थे और आज यह स्थिति है कि हमारे पास इतना गेहूँ है कि हमें यह सोचना पड़ता है कि इसे हम कहाँ बेचें। तकनीकी शिक्षा देकर हम किसान को मजबूत करना चाहते हैं। अभी माननीय सैनी जी ने किसानों को लाभकारी मूल्य देने की बात कही, गन्ने के बारे में कहा गया कि अभी तक पेमेंट नहीं किया है। मैं यह बात स्वीकार करता हूँ कि 4 करोड़ के लगभग किसानों का पैसा अभी 2–3 मिलों द्वारा दिया जाना शेष है। प्राइवेट मिलों ने अपने गन्ने का भुगतान कर दिया है लेकिन सहकारिता के क्षेत्र में जो मिलें काम कर रही हैं, सितारगंज, डोईवाला और गदरपुर, इनका कुछ गन्ने का पेमेंट बकाया है लेकिन

पिछले वर्ष की तुलना में हम देखें तो पिछले वर्ष जो पैसा देना था उसकी अपेक्षा इस वर्ष लगभग 2–3 करोड़ रुपये की देनदारी कम है।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, पिछले वर्ष था, 487 लाख और इस बार है 400 लाख, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, थोड़ा बहुत तो है न, मान्यवर, मेरा कहने का मतलब यह है कि पिछले वर्ष जब हम यहाँ आए थे तो गन्ने की पेराई प्रारम्भ हो गयी थी और दूसरा, पिछले वर्ष गन्ने में बहुत नुकसान हुआ, पानी भराव के कारण से या अन्य बीमारियों के कारण गन्ना हमारे पास बहुत कम रहा। इस कारण हमारे पेमेंट पर फर्क पड़ा। फिर भी हमने पिछले वर्ष की अपेक्षा ज्यादा पेमेंट किया है और हम प्रयास कर रहे हैं कि बकाया मूल्य का पेमेंट जल्दी हो जाए। इसीलिए हमने इकबालपुर मिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, क्योंकि उन्होंने पैसे का भुगतान नहीं किया है। हमने डोईवाला मिल को भी मुकदमा दायर करने के लिए नोटिस दिया है। हम प्रयास कर रहे हैं कि गन्ने का पेमेंट किसानों को जल्दी मिले लेकिन हमने इस स्थिति को देखते हुए भी कि मिल मालिक चिल्ला रहे हैं कि अगर गन्ने का दाम बढ़ाया तो हम मजबूर होकर मिल बन्द करने की स्थिति में आ जायेंगे, फिर भी इस प्रदेश में उत्तर प्रदेश से पूर्व हमने किसानों के गन्ने की मूल्य वृद्धि की है। यह हमारी उपलब्धि है। हमने गन्ने का मूल्य बढ़ाकर किसानों को लाभकारी मूल्य देने का एक प्रयास किया है। इसी प्रकार से हमने खाद्य विभाग के द्वारा पिछले वर्ष रिकार्ड धान खरीद किया, गेहूँ भी अच्छे समर्थन मूल्य पर खरीद लिया और इतना खरीद लिया, जितना कृषि विभाग ने कहा कि हमारे यहाँ इतना पैदा होता है, उससे अधिक, ताकि किसानों को बाजार में सस्ते दाम पर न बेचना पड़े। इस वर्ष भी हमने धान का मूल्य बढ़ाकर 530 और 560 रुपया किया है और 50 केन्द्र हमने सहकारिता विभाग और खाद्य विभाग के माध्यम से स्थापित किये हैं।

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि हम अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। किसान के एक–एक दाने धान को अपने खरीद केन्द्रों पर खरीदेंगे, किसान को उसका लाभकारी मूल्य देंगे। इसी प्रकार फल–सब्जी परियोजना के माध्यम से हमने राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड से सम्पर्क किया, उसका हमको लाभ भी मिला। एक तो सीधा–सीधा लाभ हमको नैनीताल जनपद में जो हमारी रामगढ़ में खाद्य प्रशिक्षण इकाई थी, जो कई वर्षों से बन्द थी। हमने उत्तर प्रदेश में भी प्रयास किया कि इस फैक्ट्री को या तो प्राईवेट को दे दिया जावे या फिर सरकारी स्तर पर खोला जाये जहाँ फल उत्पादकों को उचित मूल्य मिले इसलिए इस फैक्ट्री का चलना बहुत जरूरी है, लेकिन हम उत्तर प्रदेश में इसे चालू नहीं करा पाये। यहाँ आते ही हमने इसको सीधे–सीधे राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड से सम्पर्क कराया है और जिसके कारण वह फैक्ट्री चली है। बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ पर लोगों ने अपने फलों को जो लगभग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं जो फल बाजार में अच्छे भाव पर नहीं बिक पाते हैं। इस फैक्ट्री के माध्यम से हमने उसको खरीदा है और आगे भी बहुत बड़ी

मात्रा में खरीदने की योजना है। हम पूरे 13 जनपदों में मदर डेरी फल एवं सब्जी योजना के माध्यम से राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को जोड़े है ताकि किसानों को उसका लाभकारी मूल्य मिल सके। स्थान-स्थान से लाकर के हम फल-सब्जी और दूध तक को मदर डेरी योजना से जोड़े है ताकि किसानों को उसका लाभकारी मूल्य मिल सके। कृषि विविधीकरण परियोजना हम लाये। इसके माध्यम से हम जहाँ तकनीकी शिक्षा देते हैं, वहीं जो लाभकारी पौधे हैं उसको हम दे रहे हैं, तिन शेडों का निर्माण हम गाँवों में करा रहे हैं। टनकपुर में एक मंडी को हमने स्वतंत्र मंडी का दर्जा दिया, 3 मंडियों को फिर स्वतंत्र मंडी का दर्जा दिया गया है। मंडी के माध्यम से हमने अपने खाद्य गोदामों की कमी को दूर करने का प्रयास किया है। तीन 10-10 हजार मीट्रिक टन के गोदाम हम उत्तरांचल में बना रहे हैं ताकि स्टोर करने की जो क्षमता है जिसके कारण से हमें बड़ी दिक्कत आती थी, वह दिक्कत हमारी दूर होगी। मंडी से हमने 25 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया और 50 किलोमीटर आगे प्रस्तावित है ताकि किसान अपनी सब्जी को मंडी तक सुविधाजनक रूप से ला सकें। बहुत से स्थानों पर हमने नीलामी चबूतरे, पेयजल व्यवस्था, रहने के लिए रैन बसेरा भी मंडी के माध्यम से बनाये हैं। ताकि किसानों को लाभ मिल सके। किसानों के हितों का विचार करना इस सरकार की मंशा है। जैसा मैंने पहले कहा अभी-अभी राज्य का निर्माण हुआ है, आर्थिक स्थिति हमारी क्या यह माननीय सदस्यों से छिपी नहीं है, मंशा में कहीं को खराबी हो तो आप हमको कह सकते हैं। हमारी मंशा है कि हम किसान को समृद्धशाली बनाएं। पशुपालन और दुग्ध विकास के माध्यम से हमने किसान को समृद्धशाली बनाने का प्रयास किया है। हम बहुत नजदीक से किसान को जानते हैं क्योंकि मैं खुद किसान का बेटा हूं। मैंने तो स्वयं कृषि पंडित का पुरस्कार मा0 कृषि मंत्री, भारत सरकार से लिया है और अपने हाथों से खेती की है। यह कहना कि हम किसान की तकलीफ को नहीं समझ रहे हैं, बिल्कुल सत्य से परे है। किसान की पूरी जो स्थिति है, वह हमारे सामने है। जो-जो संसाधन हमको उपलब्ध हो रहे हैं तत्काल हम किसान की सेवा के लिए उसको उपलब्ध करा रहे हैं।

मान्यवर, माननीय सैनी जी और मा0 अम्बरीष कुमार जी आपकी और हमारी सोच और लक्ष्य एक ही हैं कि किसानों को समृद्धिशाली बनाना, उसमें हम साथ चलने को तैयार हैं। मेरा निवेदन है कि आप अपने इस संकल्प को वापस ले लें।

श्री राम सिंह सैनी-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने लच्छेदार भाषण तो दे दिया जो हमारा लक्ष्य था। किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाया जाय। दूसरा इन्होंने कहा कि किसानों को सब्सिडी देने से किसान आलसी हो जायेगा। आज यहाँ पर किसानों को न खाद पर, न बीज पर सब्सिडी दे रहे हैं। कनाडा, अमेरिका और चीन जितने भी कृषि प्रधान देश हैं वह अपने किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए खाद और बीज पर सब्सिडी दे रहे हैं, इसलिए वहाँ के किसानों की हालत ठीक है। मान्यवर, आपने कहा कि अभी-अभी राज्य बना है, राज्य बने एक साल हो गया है एक साल में आपने कुछ नहीं किया तो बाद में क्या कर पायेंगे, पता नहीं बाद में आपकी सरकार आती है या नहीं आती है। मान्यवर, चार लाइनों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और मैं अपने संकल्प को वापस नहीं ले

रहा हूँ, क्योंकि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा कोई कार्ययोजना नहीं बतायी गई :

तूने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे,
मेरे आँसू तेरे आँखों से निकल सकते थे,
तुम तो ठहरे ही रहे, झील के पानी की तरह,
दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से उनकी फसलों का अधिकाधिक लाभकारी मूल्य दिलाया जाये।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री रघुनाथ सिंह चौहान, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत दिए गये प्रस्ताव "नव गठित उत्तरांचल राज्य की राजधानी दोनों मण्डलों (कुमायूँ–गढ़वाल) के मध्य बनाया जाये" का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा

*श्री रघुनाथ सिंह चौहान–

मान्यवर, उत्तरांचल राज्य की जनता लगातार राज्य निर्माण के लिए संघर्ष करती रही थी, चूँकि उत्तरांचल राज्य का जो समुचित विकास होना चाहिए था वह आजादी के 50 वर्षों में भी नहीं हो सका था। उत्तरांचल राज्य के गठन होने के उपरान्त उत्तरांचल की जनता को बहुत बड़ी आशायें थी कि राजधानी को दो मण्डलों के बीच स्थापित किया जायेगा। मगर राज्य गठन के बाद उत्तरांचल राज्य की अस्थायी राजधानी देहरादून में रखी गयी, इससे वहाँ की जनता को निराशा हुई। उत्तरांचल राज्य का उद्देश्य था कि जो हमारे सुदूर पर्वतीय क्षेत्र हैं उनका विकास हो, गरीब किसान, मजदूर और जो अंतिम छोर पर बैठा है उसको भी शासन का लाभ मिले। वहां के लोगों को रोजगार मिल सके और पेयजल की योजनाओं की व्यवस्था सुदृढ़ की जाय, मोटर मार्ग का निर्माण हो, विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से हो, यह उद्देश्य राजधानी निर्माण का था। उत्तरांचल की राजधानी दोनों मण्डलों के बीच में इसलिए होनी चाहिए थी कि दोनों मण्डलों की यातायात की सुविधा उपलब्ध हो, रेल की सुविधा उपलब्ध हो और उसका भौतिक विकास हो सके, उसका आर्थिक विकास हो, उसका सामाजिक विकास हो, यह तमाम बातें इस पर नीहित थी।

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया गया कि स्थान के अभाव में हम सचिवालय और विधान सभा एक जगह नही कर पाए। मान्यवर, यह अपने आप में स्पष्ट करता है कि हमारे पास स्थान भी नहीं है। मान्यवर, अगर राज्य की राजधानी महानगर में ही बनानी थी तो उत्तर प्रदेश से अलग होने का कोई औचित्य नहीं था। हमारा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर्वतीय क्षेत्र है, आप जानते हैं कि 700 कि0मी0 यहां से धारचूला पड़ता है, इसी तरह से बागेश्वर का क्षेत्र है, वहाँ के लोगों को 2–3 दिन का समय लगता है। तो मान्यवर, इस प्रदेश का उद्देश्य था पर्वतीय क्षेत्र का विकास हो और यहाँ के रहने वालों को लाभ मिले। यहाँ जो राजधानी अस्थाई रूप से बनी है, हम सब मित्र हैं कि सचिवालय के कर्मचारी, विधान सभा के कर्मचारी, विधायक, मंत्रीगण हैं उनके लिए भी आवासीय स्थान का अभाव है। और एक साल से अधिक समय हो गया है और कर्मचारी, विधायक, मंत्रियों को आवास नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। यह तमाम खामियाँ हैं यहाँ पर।

दूसरी बात यह है कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र के प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति सेना में भर्ती है। और मनी आर्डर की व्यवस्था आज भी हमारे पर्वतीय क्षेत्र के अन्दर ठीक नहीं है। मान्यवर, हमारे लोगों को रोजगार तब तक नहीं मिल पाएगा, जब तक हम अपने पर्वतीय क्षेत्र के अन्दर कोई उद्योग स्थापित नहीं करते। हमारे पर्वतीय क्षेत्र में काफी उत्पादन होता है और बाजार तक लाने के लिए काफी पैसा खर्च करना पड़ता है तो उससे समुचित लाभ उसको अपनी उत्पादित वस्तु का नहीं मिल पाता है। तो यह भी कठिनाई है। मान्यवर, युवा पीढ़ी लगातार पलायन करती जा रही है और युवा पीढ़ी को भी आशा की किरण जगी हुई थी कि जो विकास की किरण है उस पर रोशनी पड़ेगी हम को रोजगार मुहैया होगा। लेकिन, अभी तक उत्तरांचल राज्य की राजधानी के बारे में कोई निर्णय शासन की ओर से नहीं हो पाया है और इससे पहले एक सदस्यीय आयोग का भी गठन उत्तरांचल राज्य की स्थाई राजधानी के लिए यहां पर स्थापित किया गया था, लेकिन उस एक सदस्यीय आयोग को 6 महीने का समय दिया गया था, जिसमें मैंने स्पष्ट किया था कि 6 महीने का कार्यकाल एक सदस्यीय आयोग के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन वह 6 महीने का समय काफी पहले व्यतीत हो चुका है, उस आयोग का कोई अता–पता नहीं है।

उत्तरांचल की जनता ने इसके लिए संघर्ष किया था और उस संघर्ष को मंजिल तक पहुँचाने तक उत्तरांचल राज्य का गठन हो, उस संघर्ष को मंजिल तक पहुँचाने में हमारे जो शहीदों ने अपने प्राण न्यौछावर किये थे। हम उनकी भावना के अनुरूप सपनों का उत्तरांचल बना सकें और स्थाई राजधानी दोनों मण्डलों के बीच में स्थापित कर सकें। तभी जो शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को शान्ति मिल पाएगी।

मान्यवर, इसीलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उत्तरांचल की राजधानी ऐसी जगह पर बनायी जाए जहाँ पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, तथा यातायात के साधन उपलब्ध हों। इस महानगर के लोगों से पूछा जाए तो ये लोग भी परेशान हैं। यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने से यातायात में असुविधा हो रही है साथ ही प्रदूषण भी बहुत अधिक बढ़ गया है। यहाँ लोग भी नहीं चाहते कि देहरादून में स्थायी राजधानी बने। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि उत्तरांचल राज्य की राजधानी दोनों मण्डलों के मध्य में किसी स्थान पर होनी चाहिए।

काजी मो0 मोइउद्दीन–

मान्यवर, माननीय चौहान जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उससे हम लोग भी पूर्णतः

सहमत हैं। उत्तरांचल राज्य के लिए जो आन्दोलन हुआ था, वह उन लोगों ने किया था जो फटे हुए कपड़े पहनते थे और जिनके पैरों में जूते नहीं होते थे लेकिन व्हाइट कॉलर लोगों ने यहाँ की सत्ता संभाल ली, वे लोग आज भी महरूम हैं। कहते हैं राजधानी अस्थायी है लेकिन लगता है कि स्थायी हो गयी, यहाँ पर विधायक निवास भी बनाया जा रहा है। मैंने इस सम्बन्ध में प्रश्न भी रखा था लेकिन वह रिजेक्ट कर दिया गया, क्यों किया गया, इसका कारण मुझे नहीं बताया गया, उत्तर प्रदेश में तो रिजेक्ट होने का कारण बता दिया जाता था। जो लोग शहीद हुए उनको भुला दिया गया, शहीद स्थल को भुला दिया गया। मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि कालागढ़ को राजधानी बनाया जाए और अलग राज्य बनने के बाद जिन नौजवानों को आशा बंधी थी कि हमें रोजगार मिल जाएगा, उनको इसका लाभ मिलना चाहिए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि एक सदस्यीय आयोग का जो गठन किया गया था, उसका क्या हुआ, उसकी रिपोर्ट को सदन में रखा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर इस बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के सम्बन्ध में माननीय श्री रघुनाथ सिंह चौहान जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। जब उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि उत्तरांचल की राजधानी राज्य के केन्द्र में बनेगी। उत्तरांचल राज्य का अधिकांश भाग पर्वतीय क्षेत्र में है। यहाँ पर विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। आज यदि लोग पिथौरागढ़ के कुछ क्षेत्रों से देहरादून आना चाहें तो पहले उन्हें 2–2 दिन का पैदल रास्ता तय करना पड़ता है। इसलिए स्थायी राजधानी का निर्माण राज्य के केन्द्र में ऐसी जगह पर करना चाहिए जहाँ तक राज्य के प्रत्येक क्षेत्र से ज्यादा से ज्यादा 8 से 12 घण्टे में पहुँचा जा सके।

मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसमें उत्तरांचल राज्य की जनता के हित को देखते हुए उत्तरांचल की राजधानी राज्य के केन्द्र में बनायी जाये। मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तरांचल की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए उत्तरांचल की स्थाई राजधानी राज्य के केन्द्र में बनाई जाये।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, माननीय रघुनाथ सिंह चौहान जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ। राजधानी का मकसद है कि राजधानी राज्य के केन्द्र में स्थित होनी चाहिए। देहरादून इतनी छोटी सी जगह है कि यहाँ सारे के सारे कार्यालयों की स्थापना नहीं हो सकती है। मान्यवर, हम जाते हैं राजस्थान तो सारे कार्य जयपुर में हो जाते हैं, लेकिन उत्तरांचल में क्या होता है यदि राजधानी का मामला हो तो हमें देहरादून आना होगा, हाईकोर्ट का मामला हो तो हमें नैनीताल जाना होगा, हाईस्कूल के बच्चों का मामला हो तो हमें रामनगर जाना होगा। मान्यवर, यह विडम्बना नहीं तो और क्या है। राजधानी के लिए ऐसा स्थान चयनित होना चाहिए जहाँ सारे के सारे कार्यालय बन सकें। उत्तर प्रदेश में हमारे सारे कार्य लखनऊ या इलाहाबाद में हो जाते हैं। जबकि उत्तरांचल में यह

स्थिति नहीं है। जनहित में निर्णय होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि कालागढ़ उत्तरांचल के केन्द्र में स्थित है, यहाँ कई इमारतें हैं और यह एक रमणीक स्थान है। कालागढ़ का चयन राजधानी के लिए होना चाहिए न कि केवल कुण्ठाग्रस्त होकर हम कहें कि राजधानी देहरादून ही रहेगी। मान्यवर, राजधानी दुर्गम स्थान पर भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होगा। राजधानी चयन के लिए एक सदस्यीय आयोग बना है, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई है यह जनता के हित में नहीं है। जनहित में निर्णय होना चाहिए। मैंने जिस स्थान कालागढ़ का जिक्र किया है, उसका चयन होना चाहिए ताकि सारे कार्यालय एक स्थान पर हो सकें।

मान्यवर, जितने भी कार्यालय हैं वे एक जगह होने चाहिए ताकि लोगों का पैसा खर्च न हो। नैनीताल में हमारे किसान जाते हैं और बहुत परेशान रहते हैं। इलाहाबाद में हम लोग जाते थे तो शाम को लिंक एक्सप्रेस में बैठते थे और सुबह पहुँच जाते थे। वहाँ पर रहने के लिए धर्मशालायें 10–15 रुपये में कमरा मिल जाता था, नैनीताल में तो 800 रुपये में भी कमरा नहीं मिलता है। मान्यवर, अगर किसी के मुकदमें में डेट 15 दिन लग गई तो उसकी तो 10 बीघा जमीन बिक जायेगी। मा0 अध्यक्ष जी इस प्रकार के जनहित के निर्णय तो सोच समझ कर होने चाहिए। यही मेरा अनुरोध है और चौहान साहब के प्रस्ताव का मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। राजधानी के चयन के मसले पर सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है। इनकी नीति विरोधाभासों से भरी हुई है। सर्वप्रथम तो निर्णय यह लिया गया कि एक सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया गया है वह अपनी रिपोर्ट देगा कि स्थायी राजधानी कहाँ बनेगी। उसके बाद उस आयोग का कार्यकाल बढ़ा और घटा, उसके बारे में इस सदन को जानकारी नहीं है। इससे पूर्व भाई राजेन्द्र शाह जी ने एक संकल्प प्रस्तुत किया था और उसमें माँग की थी कि सचिवालय और विधान सभा ये सब कार्यालय एक ही परिसर में हों और जो असुविधा वहाँ हो रही है उससे बचा जाय, तो सरकार की तरफ से संसदीय कार्यमंत्री जी का वक्तव्य आया था कि यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी है। अगली सरकार जो चुनकर आयेगी उस समय इन सब चीजों का ध्यान रखा जायेगा। मान्यवर, जो और नीतियाँ हैं जैसे कृषि नीति, शिक्षा नीति, उद्योग नीति हो तब तो यह नहीं कहते हैं कि अगली सरकार बनायेगी, तब तो ये खुद ही बनाते हैं। यह विरोधाभास है इनके आचरण में जो इस बात को स्पष्ट करता है कि इनका साहस नहीं है कि राजधानी के मसले पर कोई निर्णय इनकी सरकार ले। यह लुन्ज–पुन्ज सरकार है क्योंकि आधे लोग तो इस सदन में ऐसे हैं जो डारेक्ट चुने हुए नहीं हैं, संयोग है कि वह यहाँ बैठे हैं। तो मेरा कहना है कि अब तो चेन्ज ऑफ गार्ड हो गया, निर्णय लेने का साहस करें, लोगों को परेशानी होती है विभिन्न विभागों के चक्कर काटने में इसलिए सब कार्यालय एक जगह करके उसको हम मिनी सचिवालय बनायें। लखनऊ का बापू भवन है उसमें मंत्री जी का कक्ष, सचिवों का कक्ष, अन्य बाबू हैं उनका कक्ष है, उनको एक करने की योजना बना दी। अगर हमने किसी सचिव को बुलाया, पता चला कि वह तो लंच में गये हैं। बराबर में पता चलेगा कि सचिव जी हैं या नहीं हैं। कार्यालय तो

फाइल आने में तीन दिन लगते हैं, इसमें फाइल साथ–साथ आयेगी। इससे हमारी कार्य संस्कृति में सुधार होता है।

मान्यवर, तुष्टीकरण का यह आरोप लगाते हैं और इसका अनावश्यक बोझ इस प्रदेश की जनता पर पड़ रहा है। जो कहते हैं कि हमारे पास धन की कमी है, बहुत भारी परेशानी है। सरकार जो अलग–अलग नीतियाँ बना रही है तो इस पर भी सरकार हिम्मत के साथ फैसला ले, प्रदेश के हित में फैसला ले। यह बात सही है कि कालागढ में मैदान, रेल, बस सब साधनों की व्यवस्था है और कुमाऊँ और गढ़वाल के बीच में भी है। वहाँ विचार कर लें हम लोगों की भी राय ले लें, अपने लोगों की राय भी ले लें और इस पर निर्णय कर लें और चुनाव के पहले कम से कम यह मैसेज दे दें कि यह सरकार निर्णय लेने वाली सरकार है।

मुख्यमंत्री (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, यह जो राजधानी के बारे में आज विचार आये हैं। निश्चित रूप से पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से जिस प्रकार के संतुलित विचार आये। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपके जो सुझाव हैं उन सुझावों को अत्यन्त गम्भीरता और आदर के साथ लेंगे। ऐसा नहीं कि श्री स्वामी जी राजधानी के मामले में या अन्य मामलों में कोई निर्णय नहीं लेते थे। हम लोगों ने जो भी काम किया वह सामूहिक काम किया। चूँकि उस समय यह सोचा गया था कि कोई आयोग बनाया जाये तब इसका गठन भी किया गया, चूँकि तात्कालिक आवास आदि की कुछ समस्यायें वहाँ बन चुकी हैं, इसलिए हम लोगों का मत यह बना कि इसको तात्कालिक महत्व न देकर आगे सोच विचार करके इसमें काम किया जाए। उत्तर प्रदेश से अभी हम लोग अलग हुए हैं अभी हमें बहुत सी चीजें सम्भालनी हैं, इसलिए प्रारम्भिक चीजों को पहले प्रायरटी दी जायेगी और उसको सेकेण्ड प्रायरटी पर रखा जाए। बस इतना था, इसमें यह नहीं था कि इसमें निर्णय नहीं लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। हम लोग जनता के भाव को समझ रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें हम लोग जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे। हमने आयोग का जिनको अध्यक्ष बनाया है उन्होंने तात्कालिक परिस्थितियों को समझते हुए, स्वयं कहा है कि मैं अपना कार्य फिलहाल स्थगित करता हूँ और अच्छा यह होगा कि आगे आप जो चाहेंगे वह करेंगे।

मान्यवर, निश्चित रूप से जो भावनाएं यहाँ पर व्यक्त की गयी हैं, वह किसी भी आयोग या भविष्य में यहाँ पर जो सरकार होगी, उनके लिए मार्गदर्शक का कार्य करेंगी। आप लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छे सुझाव दिए, मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूँ लेकिन माननीय घुघताल जी और माननीय चौहान जी से मेरा अनुरोध है कि इस समय आप इस प्रस्ताव को वापस ले लीजिए।

श्री रघुनाथ सिंह चौहान–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी अपने वक्तव्य में कहा कि हम इस पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि इस विषय पर पूरा सदन सहमत है। मैं विशेष रूप से माननीय काजी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने कहा कि इस राज्य की राजधानी कालागढ में बननी चाहिए। इससे यह आभास भी हो रहा है

कि हरिद्वार को उत्तरांचल से अलग करने की मांग को लेकर आपने जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखा है, उसे आप भी ड्रा करने जा रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे इस प्रस्ताव का सम्मान किया इसलिए मैं अपने इस प्रस्ताव को वापस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि इस सदन का निश्चित मत है कि नवगठित उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी दोनों मण्डलों (कुमायूँ–गढ़वाल) के मध्य ही बनायी जाए, को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री इसम सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत दिए गये प्रस्ताव "उत्तरांचल राज्य की शिक्षा नीति रोजगारपरक हो"

*श्री इसम सिंह–

मान्यवर, शिक्षा यदि रोजगार परक हो तो वह जनता के साथ–साथ समाज, देश और राज्य सभी के हित में होती है हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में 1791 में पहला आयोग बना और 1791 से लेकर 1998 तक हमारे देश के अन्दर 20 आयोग और सलाहकार समितियाँ बनी लेकिन एक दो आयोगों को छोड़कर बाकी किसी भी आयोग या सलाहकार समिति का स्पष्ट मत यह नहीं रहा है कि इस देश के अन्दर शिक्षा रोजगार परक हो। उत्तरांचल राज्य में शिक्षा नीति रोजगार परक हो, वहाँ पर इसका ट्रायल कर लिया जाए, इसी सम्बन्ध में मैंने यह संकल्प रखा है। उत्तरांचल राज्य की आर्थिक और भौगोलिक परिस्थितियाँ भिन्न हैं।

मान्यवर, ऐसा नहीं है कि वहां वे संसाधन उपलब्ध नहीं कराये जा सकते हैं, लेकिन वह शिक्षा के ऊपर निर्भर करेगा। जापान में 1948 में बुद्धिजीवी वर्ग ने सोचा कि हमारी शिक्षा नीति रोजगारपरक हो और आज दुनिया के नक्शे में जापान नम्बर वन पर है और ऐसा शिक्षा नीति के कारण ही हो सका है। जापान ने अपना लक्ष्य रखा है 7–8 प्रतिशत विकास दर का। उसके बाद जापान औद्योगिक क्षेत्र में घुसा। मान्यवर, हमारे देश के अन्दर विशेषकर कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा कर्नाटक में 37 प्रतिशत होता है, नम्बर 2 पर केरल में 33 प्रतिशत कॉफी का उत्पादन होता है। उत्तरांचल में ऐसे स्थान बहुत हैं जहां पर अच्छी क्वालिटी का कॉफी का उत्पादन किया जा सकता है। कॉफी की खेती 600 मीटर से 900 मीटर की ऊँचाई पर की जाती है और ऐसे स्थान उत्तरांचल में बहुत से हैं। मेरा मानना है कि हम विश्व के मार्केट में नम्बर 1 पर अपना स्थान हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए विशेषकर किसान भाईयों को जो 600–900 मीटर की हाईट पर रहते हैं, उनको शिक्षा देनी होगी। दूसरा नम्बर है चाय का, उसको भी हम विकसित कर सकते हैं। मान्यवर, मैं द्वाराहाट गया था वहाँ प्लेन जगह बहुत है यदि वहाँ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के किसानों को प्रशिक्षित कर दें तो बहुत अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं। इसके साथ-साथ उत्तरांचल में ये विशेषकर एक फल नासपाती पैदा होता है। हम छोटे-छोटे उद्योग लगा सकते हैं और जो नासपाती सड़ जाती है उसका शीतल पेय बना सकते हैं। कुछ लोगों ने छोटे-छोटे लघु उद्योग लगाये हुए हैं, वे अचार आदि बनाते हैं, आम और अदरक का अचार बनाते हैं लेकिन वे लिमिटेड क्षेत्र में हैं, यदि पूरे उत्तरांचल में शिक्षा दी जाये तो इसका प्रसार किया जा सकता है। इसी प्रकार टैल्कम पाउडर, टूथपेस्ट, बिजली के सामान जैसे इन्सूलेटर आदि का भी प्रशिक्षण दें तो मेरा यह मानना है कि यहाँ की जनता को अपने पैरों पर खड़ा किया जा सकता है।

मान्यवर, इसके साथ-साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ उत्तरांचल में पर्यटन विभाग मुख्य बिन्दु है। पर्यटन विभाग को 77 % बजट दिया गया तो इतने बजट से हम पर्यटन नीति डेवलप नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता है इसमें हम 33% जनता को रोजगार दे सकते हैं, उसी के साथ उनको शिक्षा देनी पड़ेगी। राम नगर में नेशनल जिम कार्बेट पार्क है वहाँ विदेशों से लोग आते हैं, वहाँ पर गाइडर हो सकते हैं, उनको इसका प्रशिक्षण देना पड़ेगा, इस प्रकार यह भी एक व्यवसाय से जुड़ सकता है। वहाँ पर बड़ी भारी संख्या में मौन पालन हो सकता है, हमें उसकी शिक्षा देनी पड़ेगी। सबसे अहम है उड क्राफ्टिंग, सहारनपुर से करोड़ों रुपये का एक्सपोर्ट होता है। उत्तरांचल में रॉ मेटेरियल है अगर हम उड क्राफ्टिंग के माध्यम से प्रशिक्षण दें तो बहुत बड़ा कारोबार हमको मिल सकता है। मान्यवर, उत्तरांचल में शिक्षा नीति रोजगारपरक हो, इसके बारे में गम्भीरता से विचार करें। हमारे देश में 10 या 11 फैशन डिजाइनिंग के कालेज हैं, मगर उत्तरांचल में एक भी नहीं है। मान्यवर, सबसे ज्यादा रेडीमेड का कपड़ा भारत से एक्सपोर्ट होता है। यदि फैशन डिजाइनिंग के दो कालेज उत्तरांचल में खोल दें और उसके माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाय तो उससे काफी हद तक बेरोजगारी की समस्या दूर हो सकती है। इसी के साथ मैं इस संकल्प को बल देते हुए अपनी बात यहीं रोकता हूँ। धन्यवाद।

काजी मो० मोइउद्दीन-

मान्यवर, मा० इसम सिंह जी ने बहुत अच्छा संकल्प रखा है। हमारे यहाँ शिक्षा कुछ इस तरह से दी जाती है कि बहुत बड़ा घर हो, बड़ी सी वह शादी कर रहा हो, बहुत सारे लोगों को वह इनवाइट कर दें और यह पता नहीं कि कितने लोग आयेंगे कितना खायेंगे, प्लानिंग कोई नहीं है। हमारे वन विभाग हैं पूरे सौ साल तक का पता रहता है कि कितने पेड़ हमें लगाने हैं, कितने काटने हैं और कितने सूखेंगे। शिक्षा के बारे में हमारी कोई नीति नहीं है। हमें सर्वे कराना चाहिए कि आज से 20 साल बाद हमको कितने इंजीनियरों की जरूरत पड़ेगी, कितने शार्टहैण्ड वालों की जरूरत पड़ेगी, कितने टाइपिस्टों की जरूरत पड़ेगी, उसी के अनुसार हम शिक्षा दें।

मान्यवर, हम दूसरे मोहल्ले में इंजीनियरिंग कालेज खुल रहे हैं, फिर वह इंजीनियर मारे हुये फिरेंगे। तो इसका कोई स्वरूप बदलकर एक सर्वे करायें और फिर उसी आधार पर हम शिक्षक रखें और शिक्षा लोगों को दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, शिक्षा एक ऐसा विषय है, जो माननीय सदस्य ने बोला, मैं उससे कहीं असहमत नहीं हूँ। लेकिन जब शिक्षा की बात करेंगे तो मैं शिक्षा को केवल एक रोजगार का साधन व्यक्तिगत रूप से नहीं मानता हूँ, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य मानव निर्माण है। शिक्षा का वास्तविक जो उद्देश्य रहता है वह मानव को उसके अन्दर जो महाशक्ति है उसको जागृत करना है। वरना बिना शिक्षा के आदमी रोजगार प्राप्त कर लेता है। वस्तुतः शिक्षा वास्तव में जिन मूल्यों के आधार पर होनी चाहिए और जिस लक्ष्य से होना चाहिए उस लक्ष्य को जानने का शिक्षा का पहला कर्तव्य है। पिछले 50 सालों में शिक्षा तो सिर्फ बाबू पैदा करने वाला बनाया। शिक्षा को ऐसा बना दिया कि आदमी को केवल बाबू, चपरासी ही बना सकती है। या ज्यादा से ज्यादा किसी ने इंजीनियरिंग, आई०टी०आई० कर ली, लेकिन कोई ऐसा लक्ष्य नहीं रहा कि जिसमें मनुष्य स्वयं ही शिक्षा प्राप्त करके अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हमारी सरकार ने काफी प्रयास किये हैं। शिक्षा पर मंथन हुये हैं, राष्ट्रीय स्तर पर मंथन हुये हैं और उस दृष्टि से काफी विचार सामने आये हैं। जिस दृष्टि से माननीय इसम सिंह जी रोजगारपरक बात कही है उस रोजगारपरक की दृष्टि से भी मैं सोचता हूँ कि हमारे यहाँ काफी सुविधायें हैं। हमारे यहाँ इतने आई०टी०आई० बने हैं, हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना की जा चुकी है। हमारे यहाँ और अच्छे उच्च रोजगार मिले, विदेशों में रोजगार मिले, इस दृष्टि से हम लोगों ने आई०आई०टी० तक का केन्द्र ने रुड़की में स्वीकृत किया है। पंतनगर में हम लोग काफी लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में हम सब लोग कोशिश में हैं और मैं सोचता हूँ कि केन्द्र भी कोशिश में है और काफी चिन्तन का विषय बना हुआ है और उस दृष्टि से हम लोग स्वयं काफी चिन्तित हैं और मैं सोचता हूँ कि निकट भविष्य में और अच्छी शिक्षा हो। तो इस दिशा में सरकार स्वयं प्रयत्नशील है और सरकार काफी काम कर रही है। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री इसम सिंह–

मान्यवर, ज्यादा लम्बी–चौड़ी बात नहीं करता हूँ। मानव विकास रिपोर्ट के आधार पर 174 राष्ट्रों की श्रेणी में हमारा देश का नम्बर 128वाँ है और उसमें एक से लेकर 128 तक उसमें उसकी क्राइटएरिया क्या है, जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि और मूल वस्तुओं की सेवाओं को खरीदने की शक्ति, 3 बिन्दु बताये हैं।

मान्यवर, जहाँ तक शिक्षा के क्षेत्र की बात है। उस रिपोर्ट में यह बात भी कही गयी है कि भारत का जो पिछड़ापन है, उसका प्रमुख कारण अशिक्षा है। हम लोग इस पर गंभीरता से नहीं सोचते हैं। जहाँ पर शिक्षा को रोजगारपरक बनाया गया है, वहाँ पर मानवता के प्रति रिपोर्ट अच्छी दर्शायी गयी है। मैं चाहता हूँ कि इस पर गंभीरता के साथ विचार किया जाए, इसी के साथ मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल राज्य की शिक्षा नीति रोजगारपरक हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत दिए गये प्रस्ताव "उत्तरांचल में कार्यरत सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप, पद से पद की समानता के आधार पर वेतनमान अनुमन्य किए जाएँ।" का प्रस्तुतीकरण व इस पर चर्चा एवं मतदान

श्री अध्यक्ष–

चूँकि इस प्रस्ताव से सम्बन्धित घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कर दी गयी है, इसलिए इस पर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं इस विषय में दो बातें बोलना चाहती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा कर दी कि जुलाई 2002 से नगद देंगे, इस समय जी0पी0एफ0 में देंगे, तो मैं यह जानना चाहती हूँ कि यह राजाज्ञा कब हो जाएगी, वह पैसा जी0पी0एफ0 में किस तिथि में जमा करवा देंगे। दूसरा, इसके लिए बजट में प्राविधान कहाँ है ? मुझे इन सवालों का जवाब मिल जाएगा तो यह बात समाप्त हो जाएगी।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मैं तो इस पर सुबह बोल चुका हूँ। मंत्री परिषद में विचार करने के बाद ही यह घोषणा की गयी है। इसमें बजट की व्यवस्था न होने की तो बात ही नहीं है। राजाज्ञा का पालन होने में 10–15 दिन तो लगते ही हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस प्रस्ताव को वापस ले लीजिए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जब तक शिक्षकों को पंचम वेतनमान नहीं मिल जाता तब तक वापस लेने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं अपने प्रस्ताव पर बल देती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल में कार्यरत सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप पद से पद की समानता के आधार पर वेतनमान अनुमन्य किए जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 51 के अन्तर्गत दो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना, श्री इक्ष्म सिंह की महालक्ष्मी शुगर मिल, इकबालपुर में सीजनल कर्मचारियों की गैर कानूनी छटनी के सम्बन्ध में है, इसे मैं वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूँ और दूसरी सूचना श्री मातबर सिंह कण्डारी जी

की पिंडारा खण्ड देवप्रयाग, टिहरी गढ़वाल में गम्भीर पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इसे भी मैं वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूँ।

अन्तरिम राजधानी देहरादून की स्थापना से सम्बन्धित निर्माण एवं साज–सज्जा सामग्री के क्रय सम्बन्धी कथित अनियमितताओं के सम्बन्ध में मा० मुख्यमंत्री उत्तरांचल का वक्तव्य

मुख्यमंत्री (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, अंतरिम राजधानी देहरादून की स्थापना के सम्बन्ध में दिनांक 18 मई, 2001 को माननीय श्री अम्बरीष कुमार जी ने प्रश्न उठाया था कि राजधानी निर्माण में काफी अनियमितताएं हुई हैं और इस सम्बन्ध में यह कहा गया था कि इसकी जाँच होनी चाहिए। हम लोगों ने सरकार की ओर से आश्वासन दिया था कि इसकी जाँच होगी। इस सम्बन्ध में जैसा पिछले दिनों मैंने 21 नवम्बर को कहा था कि मुझे 20 को ही प्रस्तुत करना चाहिए था। आपने चूँकि प्रश्न उठा दिया था, उत्तर हमारा पहले से ही तैयार था तो भी मैं कहना चाहूँगा कि इसकी हमने एक जाँच श्री आर०एस० टोलिया जो प्रमुख सचिव हैं, उनके द्वारा की गई, रिपोर्ट आपके सामने है। दूसरी जाँच श्री केशव देसिराजु, सचिव के द्वारा की गई, ये रिपोर्ट भी मई में प्रस्तुत कर दी गई थी और उसके बाद यह लगा कि एक और जाँच कराई जाये। जैसा हमने सदन में आश्वासन दिया था उसके अनुरूप हम लोगों ने प्रमुख सचिव गृह से इसकी एक–एक चीज की जाँच कराई। मैं इस बात के लिए अपने सहयोगी प्रतिपक्ष के सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ आपने चाहे प्रस्तुत न करने के लिए कितना ही आक्रोश व्यक्त किया उसका आपको अधिकार था, आपने किया। हम लोगों ने बड़ी गहराई से इसकी जाँच कराई। इस जाँच की जो रिपोर्ट है, वह मैं सदन के सामने प्रस्तुत कर दी है। सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि आधे से ज्यादा काम राज्य बनने से पहले किये गये। दूसरी चीज जब हमने राज्य सम्भाल भी लिया तो शायद हम लोगों के लिए इतनी जल्दी थी, हमें चीज की व्यवस्था करनी थी। शायद हम लोग व्यक्तिगत रूप से चाहे मंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हो। व्यक्तिगत रूप से जितनी मॉनीटरिंग हो सकती है उतनी सम्भव नहीं हो पाई। मुझे तो यह लगता है कि अधिकांश काम हमारे अधिकारियों ने सही किये होंगे। मैं नहीं कहता कि भ्रष्टाचार कहीं पर भी नहीं हुआ होगा, लेकिन उन्होंने अधिकांश कार्य बड़ी लगन से किये हैं। हम इसकी स्टडी करवा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस विषय पर इतना पर्याप्त है।

[दिनांक 18 मई, 2001 को मा० सदस्य श्री अम्बरीष कुमार ने नियम 58 के अन्तर्गत अन्तरिम राजधानी की स्थापना से सम्बन्धित विभिन्न भवनों के पुनरुद्धार एवं अन्य निर्माण तथा साज–सज्जा की व्यवस्था में विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं का प्रकरण उठाया

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 123–168 पर)

गया था। चर्चा के दौरान तत्कालीन मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा आश्वस्त किया गया था कि इस सम्बन्ध में जाँच करायी जायेगी तथा जाँच के तथ्यों से मा0 सदन को अवगत कराया जाएगा।

इसी क्रम में दिनांक 21 नवम्बर, 2001 को जब इस विषय पर चर्चा हुई तो मैंने मा0 सदन को अवगत कराया था कि जाँच आख्या प्राप्त हो चुकी है। चर्चा के दौरान मा0 अध्यक्ष जी ने इस विषय पर व्यवस्था सुरक्षित रखी थी और अब उनके निर्देशानुसार यह वक्तव्य मा0 सदन में दे रहा हूँ।

अन्तरिम राजधानी की व्यवस्थाओं से सम्बन्धित कार्य राज्य के गठन से पूर्व ही पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के क्रम में प्रारम्भ कर दिया गया था। राज्य के गठन के उपरान्त इस सम्बन्ध में विभिन्न स्रोतों से कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई। विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में जाँच प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास डॉ0 आर0एस0 टोलिया को सौंपी गई थी जिन्होंने जाँच आख्या दिनांक 11 अप्रैल, 2001 को प्रस्तुत की। विभिन्न प्रकार की साज-सज्जा आदि से सम्बन्धित सामग्री के क्रय के विषय में जाँच श्री केशव देसिराजू, सचिव, सिंचाई एवं ऊर्जा को सौंपी गई थी जिनके द्वारा रिपोर्ट 3 मई, 2001 को प्रस्तुत की गई।

इससे पहले कि इन जाँच आख्याओं पर अग्रेत्तर कार्यवाही हो पाती मा0 सदस्य द्वारा प्रकरण मा0 सदन में उठाया गया। तत्कालीन मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा मा0 सदन को दिये गये आश्वासन के क्रम में अग्रेत्तर जाँच का कार्य प्रमुख सचिव, गृह श्री एस0के0 दास को सौंपा गया और उनसे यह भी अपेक्षा की गयी कि इस जाँच में पूर्व जाँचों का भी संज्ञान ले लिया जाय।

प्रमुख सचिव, गृह द्वारा प्रस्तुत की गयी विस्तृत रिपोर्ट मैं इस वक्तव्य के साथ मा0 सदस्यगणों की सूचना हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ। जाँच में उल्लिखित तथ्यों का गहनता के साथ परीक्षण किया जायेगा और यदि कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार यथाशीघ्र कार्यवाही की जायेगी।]

श्री अम्बरीष कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन से अपनी बात कही और सदाशयता प्रदर्शित करने का प्रयास भी किया कि जो भी दोषी होगा, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। मान्यवर, यह रिपोर्ट इस सदन की सम्पत्ति है, इस सदन में प्रस्तुत है और कदाचित अगले निर्वाचन से पूर्व यह सम्भव नहीं लगता कि जो सरकार इस पर कार्यवाही करेगी जिसे हम एक्शन टेकन रिपोर्ट भी कहते हैं यानि अगर कोई फाइन्डिग ऐसी आई जो अनियमितताएं या कहीं से भ्रष्टाचार की बात होती है और सरकार ने उस पर क्या एक्शन लिया, इसकी रिपोर्ट सदन को दी जावे। इस पर चर्चा हो जाये। इसलिए आपके माध्यम से मैं नेता सदन से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि सदन को न बुलाकर अगर एक दिन, जिस दिन मा0 मुख्यमंत्री या नेता सदन अपना निर्णय कर लें कि उनकी फाईन्डिग्स क्या है, हम लोग भी उसका अध्ययन कर लें और विधायकों तथा मंत्रियों की

बैठक बिना अधिवेशन के मुख्यमंत्री जी बुला लें और उसमें इस पर चर्चा हो जाये तो मैं समझता हूँ कि अधिक पारदर्शी होगा। चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो हम लोगों का प्रयास यही है कि जो गाढ़ी कमाई का पैसा जनता का लगा है, उसके एक–एक पैसे का सदुपयोग हो और उसमें जो अधिकारी हों, कितने ही बड़े क्यों न हों अगर उन्होंने नियमों की अवहेलना की है, अगर कहीं से भ्रष्टाचार की गंध आती है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही हो और यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, अधिकारी चाहे कितने ही बड़े क्यों न हों अगर उन्होंने नियमों की अवहेलना की या कहीं से भ्रष्टाचार की गंध आती हो तो उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही हो, ये प्रक्रिया पारदर्शी रहे। मा0 मुख्यमंत्री जी इस सुझाव पर भी विचार कर लें कि 10–15 दिन बाद अगर उचित समझें तो एक बैठक बुलाकर अवगत करा दें तो मैं समझता हूँ कि उपकार भी हो और हमें भी जानकारी मिल जायेगी।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मैं स्वयं किसी भी प्रकार की अनियमितता को सहन नहीं करता हूँ। इसलिए आप लोगों के पास सारी रिपोर्ट है, ऐसी कोई भी बात आयेगी तो व्यक्तिगत रूप से आप हमको बता दें। हम उस पर उचित कार्यवाही करेंगे।

जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत नगर पंचायत, दिनेशपुर के अध्यक्ष द्वारा किये गये लाखों रुपये के घोटाले से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री मुन्ना सिंह चौहान, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य

आवास एवं शहरी विकास मंत्री (श्री हरबंस कपूर)–

[अध्यक्ष नगर पंचायत, दिनेशपुर के विरुद्ध मजदूर किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह, निवासी वार्ड नम्बर 3, दिनेशपुर ने सरकारी धन के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं की जांच हेतु एक पत्र उप जिलाधिकारी, रुद्रपुर को उपलब्ध कराया, जिसमें जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर द्वारा उप जिलाधिकारी रुद्रपुर को दिनांक 14–06–2001 को जांच करने के आदेश दिये। उप जिलाधिकारी, रुद्रपुर द्वारा दिनांक 28 सितम्बर, 2001 को शिकायती पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर जाँच कर अपनी जाँच आख्या जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर को उपलब्ध कराई। जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर द्वारा जाँच आख्या के परीक्षणोपरान्त कतिपय बिन्दुओं पर जाँच रिपोर्ट स्पष्ट न होने के कारण पुनः उप जिलाधिकारी रुद्रपुर तथा अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, दिनेशपुर से सुस्पष्ट आख्या मांगी गई है, जो अभी प्राप्त नहीं हुई है। उप जिलाधिकारी रुद्रपुर एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, दिनेशपुर से सुस्पष्ट आख्या जिलाधिकारी को प्राप्त होने के उपरान्त शिकायतें सही पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तरांचल के अधिकांश जनपदों में सूखे के कारण कृषकों की खरीफ एवं रबी की फसल पर कुप्रभाव पड़ने के सम्बन्ध में मा० सदस्य श्री मातबर सिंह कण्डारी द्वारा दी गई नियम 51 की सूचना पर कृषि मंत्री का वक्तव्य

कृषि मंत्री (श्री बंशीधर भगत)–

[उत्तरांचल के जनपदों में इस वर्ष सामान्य रूप से अक्टूबर व नवम्बर माह में वर्षा के अभाव में वर्षा पर आधारित क्षेत्रों पर रबी की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वस्तुस्थिति इस प्रकार है :–

(1) प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में गत वर्ष अप्रैल से अक्टूबर तक औसत वर्षा 1436.12 मि०मी० रही, जबकि इस वर्ष इस दौरान 1124.85 मि०मी० रही जो गत वर्ष की तुलना में 78.33 प्रतिशत रही। उत्तरांचल के विभिन्न जनपदों में माह सितम्बर, अक्टूबर व नवम्बर में सामान्य वर्षा से काफी कम वर्षा हुई है। माह सितम्बर में सामान्य वर्षा 201.67 मि०मी० के स्थान पर 39.80 मि०मी०, माह अक्टूबर में सामान्य वर्षा 34.96 मि०मी० के स्थान पर 2.78 मि०मी० तथा माह नवम्बर में सामान्य वर्षा 6.78 मि०मी० के स्थान पर 0.33 मि०मी० ही हुई है। कम वर्षा के कारण रबी की बुवाई 10–15 प्रतिशत प्रभावित हुई।

(2) प्रदेश में आमतौर पर खरीफ की फसलों की स्थिति सामान्य रही। जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चम्पावत, चमोली तथा टिहरी में चौलाई / रामदाना की फसल कीटों से प्रभावित रही।

(3) प्रदेश में अभी तक 5,03,114 है० रबी बुवाई के लक्ष्य के सापेक्ष 309920 है० में ही बुवाई हुई है। मैदानी क्षेत्रों में जनपद ऊधमसिंह नगर, देहरादून व हरिद्वार में रबी फसलों की बुवाई प्रगति पर है। पर्वतीय क्षेत्रों में कम वर्षा होने के कारण रबी फसलों का जमाव 30–35 प्रतिशत प्रभावित हुआ है।

(4) पर्वतीय जनपदों में रबी फसलों की माँग के अनुरूप बारानी खेती हेतु उपयुक्त प्रजाति के बीजों की उपलब्धता यथासम्भव सुनिश्चित की गई है। माह दिसम्बर के प्रथम पक्ष में यदि वर्षा हो जाती है तो रबी फसल के उत्पादन पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जनपदों में आवश्यकतानुसार ही रोग तथा कीटों से बचाव हेतु कीटनाशकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। प्रदेश में उर्वरक उपलब्धता सामान्य है।

(5) यदि माह दिसम्बर में भी वर्षा नहीं होती है तो वर्षा आधारित क्षेत्रों में शीतकाल के दौरान अन्य किसी रबी फसल का उत्पादन किया जाना सम्भव नहीं है। माह फरवरी–मार्च में कृषकों को मक्का, चैती धान, मटर आदि फसलों का उत्पादन करने हेतु आवश्यक कृषि निवेशों में अतिरिक्त राज सहायता नियमानुसार उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रबी फसलों की स्थिति

जनपद देहरादून	रबी फसलों का आच्छादन 29890 है० के सापेक्ष 19294 है० हुई। शेष प्रगति पर है। उपरांक्त क्षेत्रों में वर्षा के अभाव के कारण बीजों का जमाव प्रभावित हुआ।
जनपद अल्मोड़ा	जनपद में 64395 हजार आच्छादन लक्ष्य के विपरीत 61563 हजार है० की पूर्ति हुई। घाटी क्षेत्रों में बुआई प्रगति पर है। वर्षा आधारित ऊपरी क्षेत्रों में वर्षा की कमी से बीजों के जमाव प्रभावित हुए।
जनपद बागेश्वर	रबी फसलों के आच्छादन के लक्ष्य 23324 है० के सापेक्ष 21000 की पूर्ति हुई। घाटी वाले क्षेत्रों में बुआई प्रगति पर है। उपरांक्त क्षेत्रों में वर्षा के अभाव में बीजों का जमाव प्रभावित हुआ।
जनपद नैनीताल	रबी फसलों के आच्छादन लक्ष्य 26260 है० के सापेक्ष 16050 है० की पूर्ति हुई। जनपद के मैदानी क्षेत्रों में बुआई प्रगति पर है। पर्वतीय विकास खण्डों में वर्षा आधारित खेती में नमी के अभाव में बीजों का जमाव प्रभावित हुआ।
जनपद चमोली	रबी फसलों के 17630 है० आच्छादन के सापेक्ष 7350 है० की पूर्ति हुई। घाटी में बुआई प्रगति पर है। उपरांक्त क्षेत्रों में वर्षा के अभाव में बीजों का जमाव प्रभावित हुआ।
जनपद रुद्रप्रयाग	रबी की फसलों की 13530 है० आच्छादन लक्ष्य के सापेक्ष 7435 है० प्रगति रही। घाटी में बुआई प्रगति पर है। उपरांक्त क्षेत्रों में वर्षा के अभाव में बीजों का जमाव प्रभावित हुआ।
जनपद उत्तरकाशी	रबी की फसलों में 15835 है० आच्छादन लक्ष्य के सापेक्ष 15734 है० की पूर्ति की जा चुकी है।
जनपद पिथौरागढ़	रबी की फसलों में 40700 है० आच्छादन लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 33902 है० की पूर्ति हुई। घाटी क्षेत्रों में बुआई प्रगति पर है। उपरांक्त क्षेत्रों में नमी के अभाव में बीजों का जमाव प्रभावित हुआ।
जनपद चम्पावत	रबी की फसलों के 21640 है० आच्छादन लक्ष्य के विपरीत 19238 है० की पूर्ति हुई। घाटी क्षेत्रों में बुआई प्रगति पर है। उपरांक्त क्षेत्रों में वर्षा के अभाव में बीजों का जमाव प्रभावित रहा।
जनपद पौड़ी	रबी की फसलों के 45140 है० आच्छादन के सापेक्ष 34015 है० की पूर्ति हुई। घाटी क्षेत्रों में बुआई प्रगति पर है। उपरांक्त क्षेत्रों में नमी के अभाव में बीजों का जमाव प्रभावित रहा।

जनपद टिहरी	रबी की फसलों के 42870 है0 लक्ष्य के सापेक्ष 20 अक्टूबर तक 8226 है0 की पूर्ति रही। वर्षा आधारित क्षेत्रों में वर्षा के अभाव में रबी की फसल प्रभावित हुई।
जनपद हरिद्वार	जनपद में रबी फसलों का आच्छादन लक्ष्य 58950 है0 के सापेक्ष 11390 है0 की पूर्ति हुई। जनपद का 82 प्रतिशत क्षेत्र सिंचित है। इसमें रबी की बुआई प्रगति पर है। विकास खण्ड बहादराबाद के न्याय पंचायत औरंगाबाद, कोटा, मुरादनगर तथा लालढांग का क्षेत्र तथा विकास खण्ड भगवानपुर के न्याय पंचायत नाकरागंट (बुग्गावाला), डोडाजलालपुर एवं भेड़ीशिकोहपुर में रबी फसल वर्षा आधारित होने के कारण बुआई नहीं हो पाई।
जनपद ऊधमसिंहनगर	रबी में 94860 है0 आच्छादन लक्ष्य के सापेक्ष 15 नवम्बर तक प्रगति 13790 है0 रही है लेकिन धान की फसल कटने के साथ ही बुआई प्रगति पर है।

आपदा प्रबन्धन विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार गत वर्ष में ऐसा अनुभव किया गया है कि पर्याप्त वर्षा न होने के कारण अथवा मानसून विलम्ब से आने के कारण प्रदेश में कतिपय क्षेत्रों में सूखे की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना बढ़ जाती है। जिससे फसलों के प्रभावित होने के साथ–साथ मनुष्यों के लिए पेयजल समस्या एवं पशुओं हेतु पेयजल के साथ–साथ चारे का संकट भी उत्पन्न हो जाता है। सूखे की स्थिति से निपटने तथा उससे उत्पन्न सिंचाई, पेयजल, ऊर्जा, कृषि, चारे, चिकित्सा आदि समस्याओं का समाधान करने एवं राहत कार्यों एवं बचाव कार्यों हेतु पूर्व निर्धारित योजना एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यान्वयन किये जाने हेतु समस्त जिलाधिकारियों को पूर्व में ही निर्देशित कर दिया गया है। साथ ही साथ सम्बन्धित विभागों सिंचाई, पेयजल, कृषि, चिकित्सा, पशुपालन, ऊर्जा, ग्राम्य विकास, नगर विकास, वन विभाग, खाद्य विभाग से सूखे की योजना को क्रियान्वयन किये जाने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया है।

आपदा राहत कोष की धनराशि भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार व्यय की जाती है। नियमानुसार सूखे से प्रभावित फसलों की क्षति पूर्ति हेतु आपदा राहत कोष से राहत सहायता दिये जाने का प्राविधान नहीं है।

राहत कार्यों के अन्तर्गत सूखे की स्थिति से निपटने हेतु सस्ता गल्ला वितरण की व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया गया है। फसलों के बचाव हेतु सिंचाई के सभी संसाधनों की समुचित व्यवस्था की गई है।

पशुओं के लिए चारे तथा चारागाहों एवं मानवीय टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। पेयजल की कमी वाले स्थानों का चिन्हीकरण कराया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतों की सफाई की जाने की व्यवस्था की गई है। पेयजल हेतु उपलब्ध संसाधनों की मरम्मत की गई है ताकि सूखे की स्थिति से पेयजल, पानी की टैंकरों एवं उपलब्ध संसाधनों से पेयजल आपूर्ति की जा सकेगी।

आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तरांचल राज्य के टिहरी गढ़वाल को छोड़कर अन्य किसी जनपद में सूखे की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। जनपद टिहरी गढ़वाल में कम वर्षा होने के फलस्वरूप सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई है। सूखे से पाँच तहसील (टिहरी, नरेन्द्रनगर, प्रतापनगर एवं घनसाली) तथा उप तहसील (जाखणीधार) प्रभावित हुई है। तहसील नरेन्द्रनगर के 115 ग्राम, तहसील टिहरी के 405 ग्राम, देवप्रयाग के 372 ग्राम, प्रतापनगर के 46 ग्राम, उप तहसील जाखणीधार के 137 ग्राम कुल 1075 ग्राम प्रभावित हुए। उक्त तहसीलों में खरीफ की फसल (धान, झंगोरा, मडुवा एवं दाल आदि) को 40 से 65 प्रतिशत क्षति हुई है। तहसील घनसाली में 20 प्रतिशत से कम की क्षति हुई है। जनपद में सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में सस्ते गल्ले की दुकानों से प्रभावितों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है तथा प्रभावित क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों से पेयजल आपूर्ति की कार्यवाही की जा रही है। इस सम्बन्ध में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति हेतु जनपद टिहरी गढ़वाल को रु0 10–00 लाख की धनराशि का आवंटन कर दिया गया है।

वर्ष 2001–02 में समस्त जनपदों को दैवी आपदा कार्यों हेतु आपदा राहत कोष से रु0 50–50 लाख की धनराशि पूर्व में ही आवंटित कर दी गई है।]

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2001 में नियम 51 के अन्तर्गत श्री रघुनाथ सिंह चौहान द्वारा दी गई सूचना पर मा0 मुख्यमंत्री का वक्तव्य

मुख्यमंत्री (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

[दिनांक 10–11–2001 की रात्रि को अल्मोड़ा नगर के दवा विक्रेता उज्वल पन्त की हत्या की विवेचना सामान्य पुलिस से सी0बी0सी0आई0डी0 को स्थानान्तरित किए जाने के निर्देश दिये गए हैं।

इससे पूर्व दिनांक 26–10–2001 की रात्रि को अल्मोड़ा नगर के निगाजगंज में हुई कवेन्द्र उर्फ बाबी पुत्र चिरंजीलाल की हत्या के सम्बन्ध में कोतवाली अल्मोड़ा में पंजीकृत मुकदमा अपराध सं0 800/2001 अन्तर्गत धारा 302 भा0द0वि0 की विवेचनोपरान्त दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा मृतक के परिवार को रुपये 10000/– (दस हजार रुपये) की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के आदेश दे दिये गए हैं।

नगर एवं जनपद में कानून व्यवस्था को चुस्त–दुरुस्त बनाये रखने के उद्देश्य से सक्रिय अपराधिक तत्वों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही करने के लिये पुलिस को कड़े निर्देश दे दिये गये हैं। नगर में नियमित पुलिस रात्रि गश्त चालू है तथा व्यापार मण्डल व अन्य सामाजिक संगठनों के साथ वार्ता करके उन्हें सुरक्षा के प्रति आश्वस्त किया गया है। साथ ही पुलिस प्रशासन को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिये प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिले में नये पुलिस अधीक्षक की तैनाती कर दी गयी है।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री रघुनाथ सिंह चौहान–

मान्यवर, 10 नवम्बर को करीब 9.00 बजे वहाँ पर दवा व्यापारी श्री अंचल पन्त की निर्मम हत्या कर दी गई। उसके बाद ठीक दशहरे के दिन वहाँ पर राजपुरा निवासी कविन्द उर्फ बाबा की छुरा घोंप कर तथा गला रेंतकर हत्या कर दी गई। इस प्रकार जनपद अल्मोड़ा में जो शान्ति का प्रतीक है, वहाँ पर लगातार हत्यायें हो रही हैं। इस मामले में व्यापारियों द्वारा दो दिन बाजार बन्द रखा गया।

श्री अध्यक्ष–

श्री रघुनाथ सिंह चौहान जी कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए।

श्री रघुनाथ सिंह चौहान–

मान्यवर, 10 नवम्बर से लगातार बाजार बन्द हो रहा है, अभी तक कोई अपराधी पकड़ा नहीं गया है। मेरा निवेदन है कि इसमें तत्काल कार्यवाही की जाय और अपराधी को पकड़ा जाय। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा सी0बी0सी0आई0डी0 जाँच के आदेश हो गये हैं, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। जो भी इसमें आरोपित हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, पहले ही इस पर कड़े निर्देश दिये जा चुके हैं।

प्रदेश में कृषकों के गन्ना मूल्य का भुगतान न होने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत मा0 सदस्य श्री राम सिंह सैनी द्वारा दी गई सूचना पर गन्ना मंत्री का वक्तव्य

गन्ना मंत्री (श्री बंशीधर भगत)–

[गत सत्र 2000–2001 में उत्तरांचल स्थित चीनी मिलों द्वारा खरीदे गये गन्ने पर 34156.17 लाख रु0 गन्ना मूल्य देय हुआ तथा 30–11–2001 तक चीनी मिलों द्वारा 33749.57 लाख रु0 गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया, सम्प्रति 406.60 लाख रु0 गन्ना मूल्य कृषकों को भुगतान किया जाना बाकी है, जिसमें से गदरपुर, सितारगंज तथा डोईवाला, चीनी मिल पर क्रमशः 51.77, 172.82 तथा 182.01 कुल 406.60 लाख रु0 अवशेष हैं, निजी क्षेत्र में स्थित चीनी मिलों पर गत सत्र 2000–2001 का कोई गन्ना मूल्य भुगतान देय नहीं है।

अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु 400 लाख रु0 राज्य सरकार द्वारा ऋण के रूप में चीनी मिल डोईवाला व चीनी मिल सितारगंज को (प्रत्येक को 200 लाख रु0) पूर्व में उपलब्ध कराया गया है, चीनी मिल गदरपुर तथा सितारगंज द्वारा एन0सी0डी0सी0 से गन्ना मूल्य भुगतान हेतु ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है और शासन स्तर से उक्त चीनी मिलों को एन0सी0डी0सी0 से ऋण दिलाने हेतु प्रयास किया जा रहा है।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान न करने हेतु निजी क्षेत्र की चीनी मिल इकबालपुर के विरुद्ध गन्ना मूल्य भुगतान न करने हेतु न्यायालय में वाद दायर किया गया तदुपरान्त इकबालपुर चीनी मिल द्वारा अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है, तथा डोईवाला चीनी मिल पर वाद दायर करने की स्वीकृति जिला मजिस्ट्रेट देहरादून द्वारा प्रदान कर दी गयी है। तदनुसार कार्यवाही की जा रही है। सितारगंज चीनी मिल को विधिक नोटिस जारी किया गया है। विगत सत्र 1999–2000 का चीनी मिलों पर दिनांक 30–11–2000 को 467.59 लाख रु0 का गन्ना मूल्य भुगतान अवशेष था जबकि सत्र 2000–2001 का अवशेष अपेक्षाकृत कम है। अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान को सरकार उच्चतम प्राथमिकता दे रही है।]

सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने हेतु प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाय।

मा0 मुख्यमंत्री (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, अपने विधान सभा के इस सत्र में यद्यपि बहुत कम समय के लिए हमारा यहाँ विचार मंथन हुआ। परन्तु इस तीन दिन के अल्पसमय में भी आपकी पीठ से इस कुशलता से इसका संचालन हुआ है, उसके कारण से मैं सोचता हूँ कि हमारे सदन की गरिमा और बढ़ी है। शासन की ओर से कहीं एक–आध जगह पर भूल–चूक भी हुई है तो उसे आपने उसी रूप में लिया जिस रूप में आपने सबको बड़ी कुशलता से लिया है। मैं प्रतिपक्ष का उनकी ओर से कुशल संचालन के लिए आभार प्रकट करता हूँ। सभी प्रतिपक्ष सहयोगियों माननीय सैनी जी, माननीय काजी जी, माननीया इन्दिरा जी, माननीय अम्बरीष जी, माननीय इसम जी, माननीय मुन्ना जी की ओर से काफी समस्यायें रखी गईं, पर उन सब के बीच में कहीं भी कटुता के दूर तक दर्शन नहीं हुए। बल्कि आज जिन–जिन विषयों पर चर्चा कर रहे थे उसमें सबका समर्थन था तो ऐसा लगता था कि हमारी सब की भावनायें एक हैं और उस दृष्टि से जितना सहयोग हमारे विपक्ष के साथियों ने दिया है मैं उनके प्रति अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूँ। अपने सभी साथियों ने, विधायकों ने इसमें सक्रीयता से सहयोग लिया, मैं उनके प्रति भी धन्यवाद प्रकट करता हूँ। हमारे सचिव विधान सभा और हमारे संसदीय कार्य के सचिव भी पूरी निपुणता के साथ जुटे रहे उनको भी धन्यवाद देता हूँ। हमारे रिपोर्टर, मार्शल और अन्य अधिकारीगणों और मीडिया के बन्धुओं ने भी पूरी सक्रीयता इस सत्र को चलाने में दिखाई है मैं सभी के प्रति भी अपना आभार प्रकट करता हूँ। और जब हम अगली बार मिले तो और अधिक आत्मीयता के साथ मिले। मेरा इसी के साथ आप सब को धन्यवाद।

काजी मो0 मोइउद्दीन–

मान्यवर, आज इस विधान सभा का शायद आखिरी दिन है, हम लोग इकट्ठे बैठे हैं। मुझे बड़ी खुशी है यह कहते हुए कि हमने पुरुषोत्तम दास टण्डन जी का नाम और

कारनामा सुना है। मैं यह कहने में जरा भी नहीं हिचकिचाता कि हमने पुरूषोत्तम दास टण्डन को आपके रूप में देखा है। हमें इस पूरे साल में ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम विपक्ष में हैं या पक्ष में हैं।

मान्यवर, जो बात जायज हुई, आपने सुनी। हमें अपनी बात कहने का पूरा अवसर दिया। आपने सही मायनों में एक अध्यक्ष का जो कार्य होता है, उसको पूरी तरह से किया। बाहर भी जब कभी हमने आपसे कहा कि हमें यह परेशानी है, हमारी यह समस्या है, तो आपने उस पर भी नोटिस लिया। हमने आपसे कहा कि विधायक निधि रिलीज होने में दिक्कत हो रही है, अधिकारी उस पर अड़चन लगा रहे हैं, आपने तुरन्त एक पत्र लिखा और उन अधिकारियों ने अड़चन हटा ली। एक अध्यक्ष का जो कर्तव्य होता है, आपने उसे बखूबी निभाया। सत्ता पक्ष को भी निर्देशित करने में आप कभी नहीं हिचके, जैसे, अभी एक माननीय मंत्री जी ने कुछ आपत्तिजनक शब्द कहे तो हमने कहा कि यह शब्द वापस लिए जाएं, आपने तुरन्त आदेश दिया कि यह शब्द लिखा नहीं जाएगा, इसके लिए मैं आपका बेहद आभारी हूँ।

"गुलशन में शेर, फौज में मिसालें निशां रहो,
जिस जमीं पर रहो, तुम बनकर आसमां रहो।"

मान्यवर, मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि आप जहाँ भी रहें, हमेशा आसमान की ऊँचाइयों को छूते रहें। इसके साथ ही मैं माननीय नेता सदन और माननीय मंत्री परिषद का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने हमारी शिकायतें ध्यान से सुनी। माननीय स्वामी जी ने विपक्ष को बहुत सम्मान दिया लेकिन हम महसूस करते हैं कि घोषणाएं ज्यादा हो जाती हैं और उन पर अमल कम होता है। मैं आशा करूँगा कि वर्तमान मुख्यमंत्री जी घोषणाएं कम करेंगे और जो घोषणाएं करेंगे, उन पर अमल अवश्य होगा। इसको मैंने महसूस भी किया, मैंने ट्यूबवेल के बारे में शिकायत की थी कि यह खराब हो रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से वह ठीक हो गए। एक बार फिर मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और एक शेर कह कर अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा :-

"अबके हम बिछड़े तो शायद फिर ख्वाबों में मिलें,
जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिलें।"

श्री राम सिंह सैनी–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी जो विचार माननीय नेता सदन और माननीय काजी जी ने व्यक्त किए, मैं उनसे अपने आप को सम्बद्ध करता हूँ। सम्भवतः यह हमारी अन्तिम विधान सभा का यह अंतिम सत्र है। इसके बाद तो चुनाव के बाद ही सम्भवतः विधान सभा का सत्र बुलाया जाए। यह सत्र बहुत ही अल्पकालिक रहा लेकिन मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपने जिस प्रकार से इस सदन का संचालन किया वह हमारी प्रजातान्त्रिक परम्पराओं के अनुसार रहा और सबसे बड़ी बात, चूँकि मुझे बहुत से अध्यक्षों को सुनने और देखने का अवसर मिला लेकिन मैंने देखा कि आप कभी भी रोष में नहीं आए।

मान्यवर, हम लोगों के, प्रतिपक्ष के जो हमारे अधिकार हैं उनको पूरा संरक्षण आपकी ओर से मिला। मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। आपकी गरिमापूर्ण उपस्थिति

से यह चेयर सुशोभित हुई है। जो परम्पराएं आपने यहाँ डाली है, वे इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्रिमण्डल के सभी साथियों ने, जो भी हम लोगों ने मुद्दे उठाये, मैं समझता हूँ कि अगर उनका बहुत सटीक उत्तर नहीं दिया तो उसका एक तरह से तिरस्कार भी नहीं हुआ। मैं मंत्रिमण्डल के सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे सचिव महोदय और रिपोर्टर्स को भी अपने दल की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ की जो प्रोसीडिंग है, पहले तो नया-नया संचालन हुआ था, लेकिन अब जो भी हम लोगों ने 20-21 नवम्बर, 2001 में जो भाषण दिया उसकी पूरी की पूरी प्रतियाँ हम लोगों को मिल गई है ताकि उसमें हम संशोधन कर सके। यह इनकी तत्परता और लगनशीलता का प्रतीक है। जहाँ तक हमारे पत्रकार बंधुओं का सवाल है मैं उन्हें भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने निष्पक्षता के साथ जो प्रोसीडिंग छापी है वह इस बात का द्योतक है कि प्रजातंत्र में मीडिया जो चौथा स्तम्भ है, उन्होंने अपनी भूमिका का निर्वहन निष्पक्षता के साथ किया है। मैं विधान सभा के सभी कर्मचारियों को भी बधाई देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि जिस तरह से यह सदन चला है और जो परम्पराएं यहाँ की विधान सभा में पड़ी है वे अपने आप में ऐतिहासिक होगी। धन्यवाद।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, आपके बारे में माननीय नेता सदन, काजी साहब और सैनी जी ने जो कहा, कुछ शेष तो नहीं बचता, लेकिन दो पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ। जो हमारे भारत वर्ष के महान संत थे, सूफी परम्परा के थे संत कबीर, उन्होंने स्वयं को दास कहते हुए कहा है :

"दास कबीर जतन से ओढ़ी,
ज्यों की त्यों धर दीन्हीं चदरिया।"

मान्यवर, इस आसन पर विराजमान रहकर आपने संत कबीर की वाणी को सार्थक कर दिखाया है। जो जिम्मेदारी इस सदन ने आपको सौंपी थी, आपने पूरे प्रयास, निष्ठा और लगन से, अपनी एकाग्रता से, समर्पण से जिस रूप में उस भूमिका का निर्वहन किया। संत कबीर की इन पंक्तियों के बाद कुछ कहने को मेरे पास शेष नहीं रह जाता। नेता सदन का नेता सदन के रूप में पहला विधान सभा का सत्र है जो अल्पकालिक है। हम लोगों के सामने यह कठिनाई रहती है कि मात्र तीन दिन का सत्र है हम किन मुद्दों को उठाएं और किन को छोड़ दें मैं नेता सदन से अनुरोध करूँगा और मा0 अध्यक्ष जी आपके संज्ञान में भी लाना चाहता हूँ कि यदि हम अपनी विधान सभा जो सर्वोच्च सदन इस प्रदेश का है इसकी अधिक से अधिक बैठकें हों तो इससे प्रजातंत्र पुष्ट होता है और जो हमारा घोड़ा है जिसे हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, उसकी लगाम कसने का एक मात्र तरीका सिर्फ यही है कि हम अधिक से अधिक सत्र बुलाएं, जन समस्याओं पर चर्चा हो, मुद्दे उठते रहें।

मान्यवर, अपनी प्राथमिकता तय करने में समय लगता है, उसके बीच भी नेता सदन ने यह सत्र इतनी शीघ्रता के साथ आहूत किया, उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। सबसे बड़ी बात मैं जो कहना चाहता हूँ वह यह है कि हम लोगों को कभी नहीं लगा कि नेता सदन या विपक्ष के लोगों में अन्तर है। हमारे नेता सदन का सबसे बड़ा गुण स्पष्टवादिता रहा

है। मा0 नेता सदन अभी लोक सभा की चर्चा कर रहे थे, अगर हम उसको देखते हैं तो जो अन्तर है उसको हमारे नेता सदन ने दूर किया, इसीलिए यह सदन अच्छे ढंग से और सुचारू ढंग से चल सका। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे मा0 सचिव, विधान सभा सभी प्रतिवेदक, मार्शल सभी अधिकारीगण ने जिस विनम्रता के साथ यहाँ अपने-अपने कार्य में जुटे रहे और लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था को सफल बनाने में जुटे रहे, विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी साधन हीनता के होते हुए भी, उसके लिए वे भी बधाई के पात्र हैं। मान्यवर, मैं तो सबसे कनिष्ठ आदमी हूं उसके बाद भी सभी मंत्रियों की सभी अधिकारियों की नेता सदन की रिस्पोन्स मुझे मिली, मेरे पास शब्द नहीं हैं कि मैं आपका धन्यवाद करूं। जय हिन्द, धन्यवाद।

श्री इसम सिंह-

मान्यवर, उत्तरांचल का यह उच्च सदन है और विशेष कर इस सदन में आपकी भूमिका जो देखने में आई, पक्ष विपक्ष में जो तर्क का निष्कर्ष निकालने के बाद आपने सटीक निर्णय दिया, उसके लिए मैं और हमारी पार्टी की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मा0 नेता सदन मा0 मुख्यमंत्री जी है, आपने भी अपने सूझबूझ से इस सदन को तीन दिन तक सुचारू रूप से चलाया। मा0 मंत्रीगण के सूझबूझ का जो परिचय दिया उससे इस सदन की गरिमा बढ़ी। मा0 विधायकगण हैं और हमारे विपक्ष के साथी लोग हैं। विशेषकर मा0 अध्यक्ष जी और मा0 मुख्यमंत्री जी और मा0 राणा जी हैं, हम लोग विधान परिषद के सदस्य थे। उ0प्र0 में हमारे यहाँ तर्कसंगत विचार चलते थे कोई विवाद नहीं होता था और विधान सभा में इसके विपरीत था। ऐसा लगा कि हम लोग विधान परिषद में ही अपनी चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि जिस सदन के अन्दर विशेषकर तर्कसंगत बातें ज्यादा होती हैं, निष्कर्ष अच्छा निकला करते हैं। मुझे आशा है कि उत्तरांचल के हित में यहाँ की जनता के हित में अच्छा निष्कर्ष निकल कर आयेगा। विधान सभा के सचिव महोदय हैं वे बहुत गम्भीर अधिकारी हैं, दूसरे हमारे सचिव हैं, अधिकारी लोग हैं, आई0ए0एस0 लाबी के हैं इन्होंने उत्तरांचल स्टेट की जनता के हित में कार्य किया अच्छा लगा। पत्रकार बन्धुगण हैं वह स्पष्ट रिपोर्ट देते हैं, दूसरे अन्य कर्मचारी हैं तो सभी को हमारी तरफ से बधाई देता हूँ। आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री अजय भट्ट-

माननीय अध्यक्ष जी, आज हम सब लोग बहुत प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण में यहाँ से विदा होंगे और अगली बार ही यहाँ पर मिलना हो पाएगा। वैसे तो यह बात माननीय नेता सदन ने पहले ही कर दी, लेकिन विपक्ष के माननीय काजी जी, माननीय अम्बरीष जी, माननीय इसम जी, माननीय सैनी जी का कहना काफी महत्वपूर्ण रखता है कि आपका व्यक्तित्व जो सदन में रहा है वह वास्तव में टण्डन जी की याद दिलाता है यह वास्तव में सही रहा है। कई जगहों पर ऐसा देखा गया है कि खुलेआम विपक्ष के साथियों ने अध्यक्ष पीठ पर आरोप लगाये हैं, लेकिन अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में अपने प्रति कड़ा अनुशासन अपनाया है यह बहुत बड़ी सफलता है। पीठ पर बैठने वाले व्यक्ति का किस तरह का व्यक्तित्व होना चाहिए यह आपने साबित करके दिखाया है। और आपसे हमको भी

काफी सीख मिली है कि एक युवा हृदय होने के बाद भी ऐसा व्यवहार किया है कि मानों कई साल से आप इस पद को सुशोभित कर रहे हों। हर जगह पर आपने जो व्यवस्थायें दी हैं तो उसमें अन्तरमन से, निष्पक्ष भाव से किसी की तरफ न झुकते हुए बहुत अच्छे निर्णय देकर इतिहास कायम किया है। उत्तरांचल में लम्बे समय बाद जब लोग इसको पढ़ेंगे, देखेंगे तो आपकी निष्पक्षता का बखान उसमें जरूर आयेगा और आप सबके लिए प्रेरणा होंगे। मुझे भी इस सत्र में संसदीय कार्य मंत्री बनने का मौका मिला इसमें जो सहयोग आपसे माननीय नेता सदन से और प्रतिपक्ष के सभी मेरे बड़े भाइयों से मिला। जब कोई नये काम को सीखता है तो घबराहट होती है तो उसी प्रकार से हमें भी इस कुर्सी पर बैठने में घबराहट हुई थी, लेकिन जिस तरह से आपने मेरा स्नेहपूर्वक मार्गदर्शन किया, इसके लिए मैं बहुत ही आपका आभारी हूँ।

मान्यवर, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी लोग सदन में पक्ष और विपक्ष के जितने भी लोग हैं, अगली विधान सभा में इसी तरह से यहाँ पर मिलें, संख्या का अनुपात छोटा या बड़ा जो भी हो। मैं सचिव विधान सभा को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने रात–रात भर कड़ी मेहनत की है। न्याय सचिव और जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी हैं, प्रतिवेदक, मार्शल और उनका स्टाफ भी रात–रात भर यहाँ पर ड्यूटी देता रहा है, मैं इन सबको धन्यवाद देता हूँ। पत्रकार मित्रों ने रचनात्मक दृष्टि से विधानसभा की कार्यवाही को जनता के सामने बिल्कुल आइने की तरह रखा और एक प्रजातान्त्रिक देश में उनका जो कर्तव्य है, उसका बखूबी निर्वाह किया। हमारे मंत्रिपरिषद के सभी साथियों, अन्य विधायकों ने बहुत अच्छी तरह से इस सत्र में अपनत्वपूर्वक और सौहार्दपूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वाह किया, मैं आप सब को भी धन्यवाद देता हूँ। उत्तरांचल में हमने यह साबित कर दिया कि प्रजातंत्र में केवल हुल्लड़बाजी करके ही नहीं बल्कि चुटकियों और हंसी–ठिठोली में ही कटाक्ष किए जा सकते हैं। हमने विधान सभा की कार्यवाही को एक आदर्श रूप में चलाया है। मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में भी यहाँ का वातावरण ऐसा ही सौहार्दमय बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुन: सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।

वित्त एवं पेयजल मंत्री (डॉ0 रमेश पोखरियाल "निशंक")–

सहदेय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो सभी माननीय सदस्यों ने आपके प्रति यहाँ पर जो भावनाएं व्यक्त की उन सबसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूँ। यह एक सुखद आश्चर्य है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आप पहली बार विधानसभा में आए, उसके बाद भी विधान सभा संचालन प्रक्रिया का कितना अधिक ज्ञान आपको है। आप इतिहास पुरुष तो इस राज्य के हैं ही साथ ही इस गरिमामय पीठ पर आसीन होकर आपने जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए, वह आगे आने वाली विधान सभाओं के लिए प्रेरणा का काम करेंगे।

मान्यवर, हम सब मंत्रि परिषद के लोगों के मार्गदर्शन के रूप में चाहे विपक्ष के बिन्दुओं को और स्पष्ट करने की दिशा में सभी को आपका पूरी तरह से संरक्षण मिला है और माननीय नेता सदन के मार्गदर्शन में जिस तरीके से सरकार के द्वारा यथा सम्भव आपके मार्ग निर्देशन में आपके निर्देशों का पालन करने की कोशिश हुई है और जिस तरीके से विपक्ष ने अपेक्षित तरीके से सहयोग देने की स्थिति यहाँ पर कायम की है मैं सोचता हूँ कि यह खूबसूरत छोटी सी उत्तरांचल की यह विधान सभा, लोग कम थे लेकिन यदि देखा जाये इतने कम समय में जिस ढंग के विचार आये मैं कहना चाहता हूँ कि शायद उन बड़े स्वरूप वाली विधान सभाओं में भी इतने गूढ़ विचार शायद ही लम्बे सदन चलने के बाद

आये होंगे और इसके लिए मैं अपने विपक्ष के मित्रों को भी बधाई देना चाहता हूँ। नेता सदन, संसदीय कार्य मंत्री और सभी लोगों को मैं बधाई देने के साथ ही यहाँ पर सचिव विधान सभा हैं और उनके सभी सहयोगी हैं एक बार मैं पुनः अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ।

पर्यटन एवं लोक निर्माण मंत्री (श्री केदार सिंह फोनिया)–

श्रीमन्, हम सभी लोग यहाँ पर अपने–अपने अनुभव की झोली लेकर आये हैं और मैं बहुत हर्षित हूँ कि मेरी इस झोली में आज एक नये रत्न का इजाफा हो गया और उस रत्न का नाम है प्रकाश पंत। क्षमा करें जब राज्य का गठन हुआ और आप स्पीकर बनें। मन में कुछ आशंका भी थी। इतनी बड़ी विधान सभा जहाँ पर 425 विधायक थे और श्री केशरी नाथ त्रिपाठी सरीखे विद्वान व्यक्ति का परफारमेन्स देखा। किस प्रकार से उन्होंने प्रश्न और उत्तर को टैकल किया, तो कभी–कभी शंका हो रही थी कि प्रकाश पंत, अल्प आयु का प्रकाश पंत, मेरे बेटे की उम्र का प्रकाश पंत इतनी बड़ी जिम्मेदारी सम्भालने के काबिल निकलेगा या नहीं, और आज एक वर्ष के बाद मैं गर्व के साथ कह रहा हूँ कि प्रकाश पंत, केशरी नाथ त्रिपाठी के समतुल्य ही नहीं, बल्कि उनसे भी आगे निकल गया। और माननीय काजी जी ने आपका जो चित्रण किया वह बिल्कुल सही किया। यूँ तो हर व्यक्ति का अपना–अपना व्यक्तित्व होता है और यह कहना कि आप इनके बराबर हैं यह बात ठीक नहीं है। आपका अपना व्यक्तित्व है और हर व्यक्तित्वों की तुलना नहीं की जा सकती। यह सदन श्रीमन्, उत्तरांचल निर्माण का सदन है। हमारे मुख्यमंत्री के रूप में हमें श्री भगत सिंह कोश्यारी मिले। उत्तरांचल, साधु–महात्माओं का ध्यान केन्द्र है, जो अपने मन में विश्व कल्याण की भावना को धारण करके रहे। उन्होंने पूरे विश्व के कल्याण की कल्पना की ठीक उसी तरह से हमारे कोश्यारी जी ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके उत्तरांचल के उत्थान की कल्पना लेकर यहाँ पर विराजमान हैं। मान्यवर, आपका यह तीन दिन का जो सत्र रहा है यह बड़ा ही स्वाभिमान से भरा हुआ रहा। मेरे विपक्ष के साथियों ने मुझे यह अनुभव का अवसर नहीं दिया कि विपक्ष नाम की भी कोई चीज होती है। विपक्ष और पक्ष की जो भी भूमिका रही, एक ही बात की चिन्ता रही कि उत्तरांचल के लिए हम क्या कर सकते हैं। इस प्रकार जो यह सदन है इसमें जो भी हमारे मन में उत्तर प्रदेश की विधान सभा की जो भी अप्रिय बातें याद रही होंगी उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर अपनी अच्छी बातों को प्रदर्शित करके मुझे यह कहने के लिए बाध्य कर दिया कि विधान सभाओं में कटुता का कोई स्थान नहीं है और यदि कोई बात पूर्व में रही होगी तो उसको हम सब लोग भूल जाएं।

हम सभी लोग नया व्रत लेकर उत्तरांचल आये हैं, इसमें हमारे सचिव महोदय, रिपोर्टर महोदय, हमारे पत्रकार बन्धु, हमारे अधिकारी बन्धु इन सब ने घोर तपस्या के रूप में इस सदन की कार्यवाही को सफल बनाया और इसका पूरा श्रेय माननीय अध्यक्ष जी आपको जाता है। मैं इस सफलता के लिए मा0 मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देता हूँ और हमारे विपक्ष के साथियों को भी धन्यवाद देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता सदन, मंत्री परिषद के सभी सदस्य, माननीय काजी मो0 मोइनुद्दीन जी नेता बसपा, माननीय राम सिंह सैनी जी नेता सपा तथा माननीया इन्दिरा हृदयेश जी जो अनुपस्थित हैं और यहाँ पर उपस्थित सभी इस सदन के सम्मानित सदस्यगण आज तृतीय

सत्र का अन्तिम दिवस है। अभी जिस तरह से मुझे महिमामण्डित करके इस बात का श्रेय दिया गया कि सदन का संचालन मेरे द्वारा किया गया और मुझे उन महापुरुषों की श्रेणी में रखने का प्रयत्न किया गया इसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। क्या सही मायने में मैं इसका हकदार हूँ। जब मैं आत्म चिन्तन करता हूँ तो पाता हूँ कि जब मैंने इस पद को संभाला था तो 4 दिन में चार संकल्प किये थे। मैंने कहा था मैं अपने कार्य व्यवहार को दलगत रखूँगा, दूसरा संकल्प लिया था कि मैं संवैधानिक मर्यादा का पालन करूँगा, मैंने तीसरा संकल्प लिया था कि मैं लोकतान्त्रिक मूल्यों का संरक्षण करने का प्रयत्न करूँगा और मैंने चौथा संकल्प लिया था कि मैं विधान सभा सदन की गरिमा अक्षुण्य रखने का प्रयत्न करूँगा। इन चारों संकल्पों को मैं किस हद तक पूरा कर पाया यह तो विश्लेषण का विषय होगा। यदि इन संकल्पों को मैंने पूरा किया तो उसके पीछे भी आप सब लोगों का सहयोग आप सब लोगों का आशिर्वाद जो इस सदन के माध्यम से मुझको मिलता रहा, इस पीठ के माध्यम से आप ही के दिशा निर्देशन में कभी कोई त्रुटि हो इसके लिए भरसक कोशिश की गई कि त्रुटि न हो और इस पीठ की गरिमा बनी रही। मा0 नेता सदन जिन्होंने अचानक मुख्यमंत्री पद का दायित्व सम्भाला था, जिस बखूबी से अपने कर्तव्य का पालन किया उसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जैसाकि उन्होंने खुद कहा कि नया होने के बावजूद इन्होंने इस बात का एहसास नहीं होने दिया, अचानक इनके ऊपर भी जिम्मेदारी आई थी और इन्होंने इस दायित्व का निर्वहन बखूबी से किया, मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। मंत्रि–परिषद के सभी सम्मानित सदस्यों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ इस सदन को संचालित करने में इन्होंने अपना योगदान दिया है। मैं विशेष तौर पर प्रतिपक्ष के सभी नेताओं का मा0 काजी मो0 मोइउद्दीन जी का जिन्होंने इस सदन को हमेशा अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज करायी और साथ ही पूरे सदन का मार्ग निर्देशन करते रहे और विशेष तौर पर मेरी कही बात पर त्रुटियाँ होने की सम्भावना होती तो वह चुपके से इशारा कर देते तो मैं उस बात का संज्ञान ले लेता था, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं माननीय राम सिंह सैनी जी का ह्रदय से आभार व्यक्त करता हूँ, इतने वरिष्ठ सदस्य हैं और इन्होंने कभी एहसास नहीं होने दिया कि इस सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति इस विधान सभा में नया सदस्य है। उन परम्परा का निर्वहन करने में आपने पूर्ण योगदान किया है। माननीया इन्दिरा जी यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, कांग्रेस की वरिष्ठ सदस्य हैं, इन्होंने भी इस सदन को संचालित करने में अपना पूर्ण योगदान दिया है, इनका भी मैं ह्रदय से आभार व्यक्त करता हूँ। श्री मुन्ना सिंह चौहान जी जो अभी उपस्थित नहीं हैं आप इस सदन के विद्वान सदस्य हैं जिन्होंने अपना अमूल्य योगदान इस सदन के संचालन में दिया है, मैं उनका भी ह्रदय से आभार व्यक्त करता हूँ। श्री अम्बरीष कुमार जी जिनके द्वारा समय–समय पर सदन को मार्गनिर्देशन दिया गया, मैं इनका भी ह्रदय से आभार व्यक्त करता हूँ। श्री इन्द्राम सिंह जी ने सदन के संचालन में पूर्ण योगदान दिया इनका भी मैं ह्रदय से आभार व्यक्त करता हूँ। श्री पुनेठा जी, श्री रघुनाथ सिंह चौहान, श्री भारत सिंह रावत, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री राजेन्द्र सिंह, श्री मातबर सिंह कण्डारी और सभी मंत्री परिषद के सम्मानित सदस्यों तथा विशेष तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री माननीय नित्या नन्द स्वामी जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब लोगों ने इस सदन के संचालन में अपना पूर्ण योगदान दिया। मैं आप सब लोगों का ह्रदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सचिव विधान सभा श्री महेश चन्द जी का, संयुक्त सचिव श्री जगदीश चन्द जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इन लोगों ने जिस प्रकार से इस सदन के संचालन में अपना कार्य किया, संचालन को बखूबी से निभाया इसके लिए मैं उनका ह्रदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मुख्य प्रतिवेदक

तथा प्रतिवेदक जिस तरह से इन्होंने इस सदन के संचालन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, मैं इनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं विधान सभा परिवार के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण का आभार व्यक्त करता हूँ। मार्शल, सहायक मार्शल, प्रधान रक्षक तथा रक्षक जिन्होंने पूरे समय में अपना पूर्ण योगदान इस सदन को दिया है, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सचिवालय प्रशासन के सभी अधिकारीगण व कर्मचारीगणों का आभार व्यक्त करता हूँ। चूँकि दीर्घाओं की संज्ञान लेने की परम्परा नहीं है इसलिए उस परम्पराओं का निर्वहन करते हुए मैं दीर्घाओं का संज्ञान नहीं लूँगा और उन्हें अलग से किसी अवसर पर धन्यवाद ज्ञापित करूँगा। मैं आप सभी लोगों का एक बार पुनः धन्यवाद देते हुए और जिस तरह से एक परिवार की भावना से यह सदन संचालित हुआ है इसी शुभकामना के साथ की हम यही भाव बनाये रखेंगे, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने रखा है, उससे यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

अब हम राष्ट्रगान के लिए खड़े होते हैं।........

राष्ट्रगान

जन–गण–मन अधिनायक जय हे।
भारत–भाग्य विधाता।।
पंजाब–सिंधु–गुजरात–मराठा
द्राविड़–उत्कल–बंग।
विन्ध्य–हिमाचल–यमुना–गंगा,
उच्छल–जलधि–तरंगा।
तब शुभ नामे जागे,
तब शुभ आशिष मांगे।
गाहे तब जय गाथा।।
जन–गण–मंगलदायक जय हे,
भारत–भाग्य विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय, जय, जय, जय हे।।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं अनिश्चित काल के लिए।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं0 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 4 पर)

अनुपूरक सामग्री

नैनीताल स्थित प्रशासन अकादमी के अन्तर्गत एक सेन्टर फॉर डेवलपमेन्ट स्टडीज (सी0डी0एस0) की स्थापना विकास एवम् प्रशिक्षण के उद्देश्यों को सार्थक रूप से, कम से कम समय में दक्षतापूर्वक प्राप्त करने के लिए वर्ष 1993 में की गयी थी। उक्त सेन्टर का संचालन बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स एवम् कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता है। सैन्टर के बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स के अध्यक्ष निदेशक, प्रशासन अकादमी, नैनीताल है। बोर्ड के अन्य सदस्य वर्तमान में उपकुलपति, कुमायूँ विश्वविद्यालय, निदेशक, हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, कोसी कटारमल (अल्मोड़ा), निदेशक, हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेन्टर, श्रीनगर तथा प्रशासन अकादमी के नामित अधिकारी/संकाय सदस्य हैं।

प्रशासन अकादमी, नैनीताल के उक्त सेन्टर द्वारा विविध विषयों पर मुख्यतः परियोजना आधारित प्रशिक्षण, चिन्हित क्षेत्रों में अध्ययन, विकास प्रक्रिया, मानव संसाधन विकास आदि से सम्बन्धित कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है जिससे प्रशिक्षण जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता प्राप्त हो सके।

सेन्टर फॉर डेवलपमेन्ट स्टडीज, नैनीताल की एक इकाई देहरादून में स्थापित की गयी है जहाँ से अकादमी के उक्त सेन्टर द्वारा गढ़वाल क्षेत्र के कार्यक्रमों का समन्वयन भी किया जाता है।

सी0डी0एस0 को विश्व बैंक से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती है। पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य तथा उत्तरांचल में विभिन्न विभागों (जैसे– स्वास्थ्य, पेयजल, वन आदि) द्वारा क्रियान्वित की जा रही वाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं के अन्तर्गत क्षमता विकास एवम् प्रशिक्षण आदि से सम्बन्धित कार्यक्रमों के आयोजन का दायित्व भी इन विभागों द्वारा सी0डी0एस0 को सौंपा गया है जिसके अनुरूप सी0डी0एस0 द्वारा, ऐसे कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है।

सी0डी0एस0 द्वारा किये गये कार्यों की प्रगति आख्या एक रिपोर्ट के रूप में तैयार कर प्रकाशित की जाती है जिसमें सी0डी0एस0 द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाता है। सी0डी0एस0 के आय–व्यय एवम् लेखों का लेखा परीक्षण (ऑडिट) नियमित रूप से चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स द्वारा किया जाता है।

उक्त सेन्टर द्वारा संचालित किये जाने वाले कार्यक्रमों का अनुश्रवण सेन्टर के बोर्ड ऑफ डाईरेक्टर्स तथा कार्यकारी समिति द्वारा नियमित रूप से किया जाता है। निदेशक, प्रशासन अकादमी, नैनीताल पदेन रूप से सी0डी0एस0 के अध्यक्ष भी हैं। सेन्टर की गतिविधियों के संचालन के लिए कार्यकारी समिति का गठन किया गया है। प्रशासन अकादमी के संकाय सदस्य/अधिकारी कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में नामित किये जाते हैं।

सी0डी0एस0 के कार्य-कलापों की जाँच कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं0 7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 8 पर)

अनुपूरक सामग्री

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2001 के दूसरे सोमवार के लिये निर्धारित माननीय सदस्य विधान सभा श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 7 की अनुपूरक सामग्री

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार की स्थापना वर्ष 1962 में हुई थी जो डीम्ड विश्वविद्यालय की श्रेणी में आता है तथा इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त होता है। यह विश्वविद्यालय राज्य सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं है। राज्य सरकार बिना विश्वविद्यालय की शिष्ट परिषद् की अनुमति के कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है।

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0 46 का उत्तर पीछे पृष्ठ 30 पर)

गत वित्तीय वर्ष 2000-01 में लोहाघाट एवं चम्पावत् खण्ड द्वारा वार्षिक मरम्मत मद में किये गये कार्यों की सूची :-

<u>लोहाघाट खण्ड</u>

1-मरोड़ाखान-एवटमाउन्ट हल्का वाहन मार्ग
2-मळलक-चुंपरलेटी हल्का वाहन मार्ग
3-कितोली-रौसाल मोटर मार्ग
4-बाराकोट-खेतीखान मोटर मार्ग
5-टनकपुर-अस्कोट पैदल मार्ग
6-पी0सी0एस0 मोटर मार्ग
7-लोहाघाट-पंचेश्वर मोटर मार्ग
8-पदमपुरी-धानाचूली-लोहाघाट मोटर मार्ग
9-लोहाघाट-बाराकोट मोटर मार्ग
10-बाराकोट-लिंक मोटर मार्ग
11-लोहाघाट-चैमेल मोटर मार्ग
12-बाराकोट-सिमलेख्वत मोटर मार्ग
13-कितोली-पुल्ला मोटर मार्ग
14-छिनका-धुरामौनी-सिमलखेत मोटर मार्ग

<u>चम्पावत खण्ड</u>

1—चम्पावत्—मंच—तामिली मोटर मार्ग
2—ककराली—दूलीगाड़ मोटर मार्ग
3—चम्पावत्—खेतीखान मोटर मार्ग
4—घूनाघाट—भिंगराड़ा—रीठा मोटर मार्ग
5—लिपूलेख—भिण्ड मोटर मार्ग
6—सूखीढांग—श्यामलाताल मोटर मार्ग
7—टनकपुर—अस्कोट पैदल मार्ग
8—टून्यास—पूर्णागिरी मोटर मार्ग
9—चम्पावत—खेतीखान पैदल मार्ग
10—निरीक्षण भवन पहुँच मार्ग
11—अम्बेडकर ग्राम कान्डा हल्का वाहन मार्ग
12—दूलीगाड़—भैरव मन्दिर मोटर मार्ग
13—ललुआपानी—बनलेख मोटर मार्ग
14—नरसिंहडांडा—गुरौली मोटर मार्ग
15—पुनाबे—सिप्टी सैन्दर्क मोटर मार्ग
16—पाटी—मैरोली मोटर मार्ग
17—सत्यूड़ा—दुधपोखरा मोटर मार्ग
विटूमिन खरीदने पर व्यय

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0 49 का उत्तर पीछे पृष्ठ 31—32 पर)

लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल में केन्द्रीय सड़क निधि में स्वीकृत कार्यों की सूची :—

1. जनपद नैनीताल में नैनीताल कालाढूंगी—बाजपुर मार्ग कि0मी0 44 में बौरो नदी पर (एमडीआर—29) गडप्पू स्थान पर 45.00 मीटर विस्तार के स्टील गर्डर सेतु का निर्माण तथा कि0मी0 35 से 37 तक राइडिंग क्वालिटी का सुधार।
2. जनपद देहरादून में रिस्पना पुल से प्रिंस चौक तक मुख्य मार्ग का सुदृढ़ीकरण एवं सुधार।
3. प्रिंस चौक से घण्टाघर तक अम्बाला मसूरी मोटर मार्ग का सुधार।
4. विधान सभा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण।
5. पौड़ी—कांसखेत—बांघाट सतपुली मोटर मार्ग का पुनः निर्माण व सुधार कि0मी0 15.50 से 26.00 व 31 से 38 तक।
6. दुगड्डा—लक्ष्मण झूला बैराज मोटर मार्ग का पुनः निर्माण व सुधार। (नीलकंठ मार्ग कि0मी0 88 से 92 तथा 102 से 103.50)
7. लक्ष्मी मार्ग का सुधार। (जनपद देहरादून में)

8. जनपद देहरादून में कावली–पण्डितवाड़ी मार्ग का सुधार।
9. मंगलौर लण्ढौरा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण।
10. कोटद्वार सनेह मार्ग पर गारीघाट पर झूलापुल के पहुँच मार्ग का बचाव कार्य।
11. जनपद पिथौरागढ़ में जौलजीबी मुन्स्यारी मार्ग पर सेराघाट सेतु का निर्माण।
12. जनपद टिहरी गढ़वाल में कर्दूंड़–नवौली मोटर मार्ग का निर्माण।

विशेष केन्द्रीय सहायता :–

1. देहरादून में रिंग रोड का निर्माण।
2. चमोली–गोपेश्वर मार्ग का सुदृढ़ीकरण व मैटलिंग।
3. श्रीनगर–पौड़ी मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण।

नत्थी 'ङ'

(देखिये मा0 मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य का संलग्नक पीछे पृष्ठ 104 पर)

उत्तरांचल की अन्तरिम राजधानी देहरादून में स्थापित करने हेतु विभिन्न भवनों के निर्माण, जीर्णोद्धार एवं साज–सज्जा क्रय के सम्बन्ध में कथित अनियमितताओं पर समीक्षात्मक आख्या

A–पृष्ठभूमि :–

उत्तरांचल राज्य का गठन 1 नवम्बर, 2000 से होने की घोषणा अक्टूबर, 2000 के अन्त में किये जाने के निर्णय के बाद देहरादून में अन्तरिम राजधानी निर्माण करने में 23 अक्टूबर, 2000 को लिया गया था। इसके क्रम में नवसृजित राज्य के लिये राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, विधान सभा सचिवालय एवं मंत्रिगणों के आवास की व्यवस्था करने हेतु आयुक्त, गढ़वाल मंडल एवं जिलाधिकारी, देहरादून को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने हेतु, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्देशित किया गया। तदोपरान्त आवश्यक वित्तीय स्वीकृतियां भी निर्गत की गयी। इसके क्रम में देहरादून में राजभवन के लिये भवन का चयन, मुख्यमंत्री निवास के भवन का चयन, विधान सभा एवं सचिवालय के लिए स्थल एवं भवनों का चयन किया गया। ये सारा कार्य एक निर्धारित अवधि में सम्पन्न किया जाना था।

2. राजभवन के लिए सिंचाई विभाग का बीजापुर गैस्टहाउस, मुख्यमंत्री आवास के रूप में सर्किट हाउस की एनेक्सी, विधान सभा के लिये हरिद्वार रोड स्थित सी0 डी0 ओ0 कार्यालय एवं सचिवालय हेतु राजपुर रोड स्थित आई0टी0आई0, काइट एवं मिनी सचिवालय काम्पलेक्स को चुना गया। इन भवनों को उनमें स्थापित होने वाले आवासीय एवं अनावासीय कार्यालयों की गरिमा के अनुरूप तैयार करने हेतु लो0नि0वि0 एवं आर0 ई0 एस0 को कार्य आवंटित किये गये तथा इन भवनों के पूर्ण हो जाने पर उनकी गरिमा एवं महत्ता के अनुरूप साज–सज्जा से सुसज्जित करने हेतु धनराशि गढ़वाल मण्डल विकास निगम के निस्तारण पर रखी गयी।

3. क्योंकि उत्तरांचल सरकार द्वारा दिनांक 8–11–2000 की मध्यरात्रि 1200 बजे शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाना था, और तद्नुसार उपरोक्त सभी भवनों को सुसज्जित किया जाना था, अतः निर्माण एवं साजो सामान के क्रय का कार्य युद्ध स्तर पर किया गया। बहुत कम समय में बहुत अधिक कार्य सम्पन्न किया गया और इन कार्यों के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें भी प्राप्त हुईं। निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में कथित अनियमितताओं की जाँच डॉ० आर० एस० टोलिया, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास को सौंपी गयी तथा गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा साज–सज्जा से संबंधित जो सामान क्रय किये गये थे, कथित अनियमितताओं की जाँच, श्री केशव देसिराजु, सचिव, सिंचाई एवं ऊर्जा को सौंपी गयी।

4. इसके क्रम में विधान सभा के 3 मई, 2001 से 18 मई, 2001 तक चले सत्र के दौरान, दिनांक 18–05–01 को मा० सदस्य श्री अम्बरीष कुमार द्वारा आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण में तथा उनकी साज–सज्जा में कथित अनियमितताओं की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया गया था, और उस पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये मांग की गई थी। इस पर मा० मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सदन में आश्वासन दिया गया था, कि सभी निर्माण कार्यों एवं साजो सामान के क्रय में कथित अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जाँच करायी जाएगी और जाँच के परिणाम से अगले सत्र में सदन को अवगत कराया जाएगा।

B–जांच के आधार बिन्दु :–

(B)1 उपरोक्त शिकायतों पर की गयी दोनों जाँच आख्याओं के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिनांक 30–06–2001 को अधोहस्ताक्षरी को उनका परीक्षण करवाकर निष्कर्ष एवं की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में संस्तुति देने के आदेश मुख्य सचिव के गोपनीय पत्र संख्या 663/मु०स०/जाँच/2001 दिनांक 30–06–2001 के द्वारा दिये गये थे।

(B)2 शासन के उपरोक्त आदेशानुसार निम्नलिखित तीन स्पष्ट आधार बिन्दु जाँच हेतु बन रहे हैं :–

1. दोनों जाँच आख्याओं का परीक्षण कर, जाँच आख्याओं के निष्कर्ष प्राप्त करना और उन पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये संस्तुति करना।
2. यदि अनियमितताएं या कमी पायी गयी हों तो इस सम्बन्ध में यदि कोई वसूली की कार्यवाही की जानी है तो उसके सम्बन्ध में संस्तुति करना।
3. यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उनके विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करना।

C–जांच की प्रक्रिया :–

(C)1 उपरोक्त जाँच को सुनिश्चित करने के लिये निर्माण एजेंसियों से उनके द्वारा किये गये निर्माण के सम्बन्ध में विवरण प्राप्त करने हेतु सचिव, लो०नि०वि० को पत्र लिखे गये, साथ ही जो साज–सज्जा की सामग्री ग०मं०वि०नि० द्वारा क्रय की गयी, उसके सम्बन्ध में विवरण हेतु प्रबन्ध निदेशक को लिखा गया।

(6)2 प्रबन्ध निदेशक, म०मं०वि०नि० ने उनके द्वारा साज-सज्जा हेतु जो सामान क्रय किया गया था, उसके वाउचर आदि की फोटोप्रतियाँ उपलब्ध करायी गयीं।

(6)3 विभिन्न निर्माण एजेंसियों से उनके द्वारा किए गए निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में विवरण उपलब्ध कराने हेतु पत्र सचिव, लो०नि०वि० से अनुरोध किया गया जिसके क्रम में कार्यदायी संस्थाओं ने, उनके द्वारा किये गये निर्माणों से सम्बन्धित सूचनाएं उपलब्ध करायी गई।

(7) मुख्य सचिव द्वारा अपने पत्र में मुझसे यह भी अपेक्षा की गई थी कि उपरोक्त संस्तुति करने से पूर्व डॉ० आर०एस० टोलिया एवं श्री केशव देसिराजु द्वारा की गई जाँच आख्याओं को भी यथोचित रूप से संज्ञान में लिया जा सकता है।

(8) निर्माण संस्थाओं एवं म०मं०वि०नि० से आवश्यक कागजात उपलब्ध हो जाने पर डॉ० आर०एस० टोलिया, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास एवं श्री केशव देसिराजु, सचिव, सिंचाई एवं ऊर्जा से उनके द्वारा की गयी जाँच आख्याओं की प्रतियां प्राप्त की गयी। डॉ० आर०एस० टोलिया द्वारा की गई जाँच पताका-क एवं श्री केशव देसिराजु द्वारा की गई जाँच पताका-ख पर संलग्न है।

D--डॉ० आर०एस० टोलिया, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास द्वारा की गई निर्माण एवं भवनों के जीर्णोद्धार सम्बन्धी जाँच पर समीक्षात्मक टिप्पणी :-

(9) डॉ० आर०एस० टोलिया, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास द्वारा की गई जाँच आख्या का अध्ययन किया गया। उक्त जाँच के क्रम में तकनीकी आडिट श्री चमन लाल कपूर, तकनीकी सम्प्रेक्षक (TAC) से करवाया गया था। जाँच में निम्न उल्लेखनीय बिन्दु प्रकाश में आए :-

1. कार्य में प्रयुक्त सामग्री जैसे ईंट आदि की गुणवत्ता बाजार में इन सामग्रियों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। सामान्य रूप से बाजार में उपलब्ध ईंट विशिष्टियों के पूर्णतया अनुरूप नहीं होती है। कार्यों के समयबद्ध होने के कारण उपयुक्त ईंटों के लिए अधिक प्रतीक्षा सम्भव नहीं होती। अतः बाजार में उपलब्ध ईंटों का प्रयोग किया गया, तथा गुणवत्ता में मामूली अन्तर होने के कारण आवश्यक कटौती ठेकेदार के देयक से विभाग द्वारा की गई है।
2. कार्यों को समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना था, क्योंकि देहरादून को अन्तरिम राजधानी बनाए जाने का निर्णय दिनांक 23-10-2000 को लिया गया था एवं महामहिम राज्यपाल/मा० मुख्यमंत्री जी को दिनांक 9-11-2000 को शपथ दिलायी जानी थी। अतः चिनायी कार्य एवं प्लास्टर आदि के कार्यों में तराई (Curing) उपयुक्त मात्रा में नहीं की गई। अतः इसके लिए भी कुछ कटौतियां की गई है।
3. लकड़ी के कार्यों में प्रयुक्त लकड़ी की सीजनिंग तथा फिनीशिंग की कमी अनुमन्य छूट के अन्तर्गत पायी गई तथापि इस सम्बन्ध में भी कटौतियाँ की गयी है।

4. पेंटिंग, प्लास्टिक एमलसन, स्नोसम आदि कार्यों में भी सामान्य रूप से वर्कमैनशिप तथा पूर्ण नियंत्रण न होने के कारण डायल्यूटिम के लिए कटौतियाँ की गयी हैं।
5. इसके अतिरिक्त मार्बल तथा कोटा स्टोन फ्लोरिंग के कार्यों में घिसाई तथा पालिशिंग में कमी सामान्य रूप से सभी कार्यों में पायी गई है। अतः इस मद में भी आवश्यक कटौतियाँ की गयी हैं।

भवनवार, कार्य की लागत तथा कटौतियों का सारांश निम्न प्रकार है :–

क्र0सं0	कार्य	कार्यों की लागत राशि	वसूली राशि	प्रतिशत
1.	सचिवालय डायट भवन	51.05 लाख	रु0 39458.00	0.77 प्रतिशत
2.	सचिवालय IT भवन	28.97 लाख	रु0 27030.00	0.93 प्रतिशत
3.	सर्किट हाउस एनेक्सी मा0 मुख्यमंत्री आवास	60.56 लाख	रु0 46771.00	0.77 प्रतिशत
4.	बीजापुर राजभवन निर्माण	16.06 लाख	रु0 9319.00	0.58 प्रतिशत
	योग :–	156.64 लाख	रु0 122578.00	0.78 प्रतिशत
5.	विधान सभा के कार्य	73.37 लाख	रु0 72375.00	0.98 प्रतिशत

ऊपर क्रमांक 1 से 4 तक के कार्य लो0नि0वि0 द्वारा तथा क्रमांक 5 पर अंकित कार्य RES द्वारा कराए गये। कटौतियाँ अनुमन्य सीमा अन्तर्गत हैं।

6. तकनीकी जाँच में विभाग द्वारा सामान्य रूप से गुणवत्ता बनाए रखने का प्रयास किया गया होना पाया गया और विद्यमान परिस्थितियों में विभाग में अपनाई गई कार्य पद्धति भी जाँच अधिकारी द्वारा संतोषजनक स्तर की पायी गई।
7. तथापि अनुबंधों के परीक्षण से कुछ सामान्य त्रुटियाँ ग्रामीण अभियंत्रण सेवा तथा लो0नि0वि0 के कार्यों में पायी गई जिनका उल्लेख उपरोक्त प्रस्तरों में किया गया है।
8. नये राज्य में दोनों संगठनों के ऊपर जिस प्रकार का वरिष्ठ पर्यवेक्षण ऐसी परिस्थितियों में आवश्यक था, उसका अभाव जाँच अधिकारी द्वारा पाया गया।
9. जाँच अधिकारी द्वारा दिनांक 27–10–2000 तक किये जा रहे कार्यों तथा अपनाई गई प्रक्रिया के सम्बन्ध में पारदर्शिता का अभाव भी पाया गया, जिसके चलते भी शंकाओं एवं शिकायतों का क्षेत्र उत्पन्न हुआ। आख्या के अनुसार 27–10–2000 के बाद प्रतिदिन सायंकालीन पत्रकार वार्ताएं आयोजित कर, कार्यदायी संस्थाओं की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने का प्रयास किया गया, जिससे इन निर्माणों के संबंध में जो भ्रांतियां समाचार-पत्रों में प्रकाशित हो रही थी, उन पर रोक लगी, और वास्तविक स्थिति जन सामान्य को दैनिक रूप से प्राप्त होनी प्रारम्भ हुई।
10. श्री चन्द्रवीर सिंह, प्रभारी अधिशासी अभियंता/ अधीक्षण अभियंता के रूप में कार्यरत थे, परन्तु इनका नियंत्रण जाँच अधिकारी द्वारा अपर्याप्त पाया गया। इस प्रकार ग्रामीण अभियंत्रण सेवा में नए राज्य के स्तर पर एक पूर्णकालिक अधीक्षण

अभियंता के अभाव में प्रारम्भिक ठहराव और निर्देशन का अभाव लगातार रहा।

11. विद्युत सम्बन्धी कमियों के संबंध में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा की यह स्पष्टीकरण कि उनके पास पर्याप्त संख्या में इस प्रकार की विशेषज्ञता रखने वाला कोई अधिकारी उपलब्ध नहीं है, जाँच अधिकारी द्वारा सही पाया गया।

12. जाँच अधिकारी द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को जनपद स्तर के लघु कार्यों तक ही सीमित रखने, जब तक इस सेवा में कार्यरत अधिकारियों की गुणवत्ता स्तरीय नहीं हो जाती तब तक इन्हें वृहद निर्माण कार्य आवंटित न करने की संस्तुति की गई है।

13. जाँच अधिकारी द्वारा लो० नि० वि० के प्रारम्भिक निर्माण कार्य के दौर में मुख्य अभियंता स्तर से भी जिस प्रकार का वरिष्ठ पर्यवेक्षण अपेक्षित था वह स्थानीय निर्माण कार्यों हेतु उपलब्ध होना नहीं पाया गया।

14. तत्कालीन मण्डलायुक्त, गढ़वाल के स्तर से भी इन निर्माण कार्यों के पर्यवेक्षण की ओर पर्याप्त रूचि न लिया जाना पाया गया।

15. जाँच अधिकारी द्वारा पाया गया, कि तत्कालीन जिलाधिकारी के पास नये राज्य से सम्बंधित ऐसे कई अन्य विषय थे, जिसके कारण उनके स्तर से भी भवन निर्माण कार्यों का गहनतम अनुश्रवण कर सकना कठिन था।

16. तत्कालीन मुख्यालय लखनऊ से भी किसी प्रकार का प्रभावी अनुपलब्ध रहा और मार्गदर्शन मात्र टेलीफोन अथवा पत्राचार से ही जिला स्तरीय अधिकारी को दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे थे। इन निर्माण कार्यों को विभिन्न महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए येनकेन प्रकारेण ही स्थानीय निर्माण ऐजेंसियों द्वारा पूर्ण किया गया। जनसामान्य को, निश्चित ही तत्कालीन परिस्थितियों में उपलब्ध पर्यवेक्षण के नितान्त अभाव की जानकारी नहीं थी और लखनऊ से किसी प्रकार से सहयोग के अभाव में यह निर्माण कार्य आलोचना और समाचार-पत्रों के समाचारों का पात्र बन गये। जाँच अधिकारी का निश्चित मत है कि तकनीकी जाँच से आच्छादित कार्यों को विद्यमान सभी परिस्थितियों में संतोषजनक स्तर का माना जा सकता है।

E—श्री केशव देसिराजु, सचिव, सिंचाई एवं ऊर्जा द्वारा ग०मं०वि०नि० के स्तर पर की गई साज-सज्जा की खरीद सम्बन्धी जाँच पर समीक्षात्मक टिप्पणी :-

(11) निर्माण कार्यों के अलावा सचिवालय स्थापना हेतु, महामहिम राज्यपाल महोदय, मा० मुख्यमंत्री महोदय एवं विभिन्न मंत्रियों तथा अधिकारियों के कार्यालयों एवं आवासों के लिए साज-सज्जा का दायित्व गढ़वाल मण्डल विकास निगम को दिया गया था। विभिन्न प्रकार की साज-सज्जा के सम्बन्ध में श्री केशव देसिराजु, सचिव, सिंचाई एवं ऊर्जा द्वारा की गई जाँच आख्या का परीक्षण किया गया। जैसा पूर्व में उल्लेख किया गया यह कार्य ग०मं०वि०नि० को सौंपा गया था। अतः ग०मं०वि०नि० द्वारा जो सामान क्रय किये गये, उसके वाउचर आदि की फोटो प्रतियाँ उपलब्ध कराने हेतु उन्हें दिनांक 03-07-2001 को पत्र लिखा गया, जिसके क्रम में श्री देसिराजु द्वारा समय-समय पर क्रय किये गये सामानों से सम्बन्धित कागजातों की फोटो प्रतियाँ उपलब्ध कराई गयीं।

(12) श्री देसिराजु द्वारा जो जाँच आख्या प्रस्तुत की गई है, उसका सार निम्न प्रकार है :–

1. विभिन्न मदों में जो धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत हुई है उनका ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

मद	अवमुक्त धनराशि लाख रुपये में
कार्यालय व्यय	40.00
फर्नीचर एवं उपकरण	280.00
टेलीफोन	145.00
मशीनें एवं साज–सज्जा उपकरण	130.00
सामग्री एवं सम्पूर्ति	35.00
लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	134.00
कुल	769.00

2. कुल स्वीकृत रुपये 769.00 लाख के विपरीत कुल रुपये 3,14,36,807.40 व्यय तब तक किया गया था, जब तक जाँच अधिकारी द्वारा अपनी जाँच आख्या प्रेषित की गई थी। दिनांक 27–10–2001 तक ग0म0वि0नि0 से प्राप्त विवरण के अनुसार उपरोक्त स्वीकृति के विपरीत अब तक रु0 6,68,03,000.00 की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

3. क्रय का आधार :–साज–सज्जा एवं सामग्री के क्रय के लिये तत्कालीन आयुक्त गढ़वाल मण्डल की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव, उत्तरांचल विकास उ0प्र0 शासन द्वारा क्रय समिति गठित की गई थी, जिसमें सदस्य सचिव/ उपसचिव, मिनी सचिवालय, मण्डलीय विकास निगम के प्रबंध निदेशक, निगम के महाप्रबन्धक (वित्त) तथा संयुक्त निदेशक, उद्योग थे। बाद में महाप्रबन्धक वित्त के स्थान पर संयुक्त निदेशक, कोषागार को रख दिया गया था।

4. क्रय समिति द्वारा निर्णय लिया गया था कि जो उपकरण/ सामग्री उद्योग निदेशालय/DGS&D के दर अनुबन्ध पर उपलब्ध हैं, उनकी आपूर्ति दर अनुबंध के आधार पर ली जायेगी। शेष उपकरणों/ सामग्री के लिए निगम द्वारा अल्पकालिक निविदाएं आमंत्रित की जायेंगी। दर अनुबंध तथा निविदा द्वारा क्रय का अनुमोदन समिति द्वारा किया जायेगा। क्रय समिति द्वारा सामग्री क्रय हेतु पाँच बैठकें की गयी। दिनांक 23–10–2000 के बाद इस समिति की अध्यक्षता डॉ0 आर0 एस0 टोलिया, निदेशक, प्रशासन अकादमी को दे दी गयी। पुनः दिनांक 24–10–2000 से निदेशक, प्रशासन अकादमी को अध्यक्ष न बनाते हुए समितियों के कार्य के अनुश्रवण समीक्षा एवं समन्वय का कार्य सौंपा गया।

5. बैठक दिनांक 21–10–2000 में लकड़ी के फर्नीचर एवं स्टील के फर्नीचर के संबंध में इस प्रकार निर्णय लिया गया कि जहाँ कोटेशन के आधार पर क्रय किया जाना है वहाँ बैठक में चिन्हित आपूर्तिकर्ताओं से कोटेशन के आधार पर क्रय किया जाय तथा इस बैठक में राइसोग्राफ, डुप्लीकेटर, फोटोकोपियर,फैक्स

आदि के संबंध में भी निर्णय लिए गए। परन्तु इस बैठक के कार्यवृत्त पर अध्यक्ष/आयुक्त गढ़वाल मण्डल के हस्ताक्षर नहीं हैं।

6. दिनांक 25–10–2000 की बैठक में महामहिम श्री राज्यपाल तथा मा0 मुख्यमंत्री के कार्यालय तथा आवासों में फर्नीचर आदि की आपूर्ति के विषय में विचार हुआ। समिति द्वारा पाया गया कि दर अनुबंध के माध्यम से उचित गुणवत्ता के सामान मिलने की संभावना कम थी, जिसकी पुष्टि इस संबंध में जारी शासनादेश सं0 140/20–12–2000–11 राज्य/2000 लखनऊ, दिनांक 6 सितम्बर, 2000 (संलग्न पताका–ग) से भी हुई। इस पर समिति के एक सदस्य श्री विजेन्द्र पाल, सचिव, मिनी सचिवालय द्वारा आपत्ति की गई जिसे अध्यक्ष/आयुक्त गढ़वाल मण्डल द्वारा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के साथ वार्ता करने के उपरान्त निरस्त कर दिया गया। परन्तु इस निर्णय के बाद भी गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा महामहिम श्री राज्यपाल मा0 मुख्यमंत्री के कार्यालय और आवास को छोड़कर अन्य किसी कार्यालय अथवा आवास के लिए कोटेशन के आधार पर सामान क्रय नहीं किया गया, बल्कि क्रय दर अनुबंध अथवा केन्द्रीय भण्डार या राज्य सहकारी उपभोक्ता भण्डार से किया गया। इस प्रकार शासनादेश सं0 780/28–12–2000–11 राज्य/2000 लखनऊ दिनांक 20 अक्टूबर, 2000 (संलग्न पताका–घ) के ही तहत कार्यवाही हुई, क्रय समिति के निर्णय के अनुसार नहीं।

7. कार्यालय उपकरण :–राइसोग्राफ, फैक्स मशीन, फोटोकोपियर तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टाइपराईटरों तथा इलैक्ट्रानिक टाइपराईटरों के सम्बंध में जिन फर्मों से क्रय किया जाना था वह दिनांक 27–10–2000 की बैठक में निर्धारित किया गया था, अतः समाचार-पत्रों में विज्ञापन नहीं दिये गये।

8. लकड़ी का फर्नीचर :–महामहिम, मा0 मुख्यमंत्री, मा0 मंत्रिगणों के कार्यालय तथा आवास की लकड़ी के फर्नीचर के अनुमान लो0नि0वि0 द्वारा तैयार किए गये थे जिसमें सोफासैट के कुल 97 के अनुमान के विरुद्ध कुल 29 सोफासैट आपूर्ति किए गये। सेन्टर टेबल रुपये 6000.00 प्रतिनग की दर से 93 के विपरीत क्रमशः रुपये 1000.00, 1800.00, 2700.00 प्रतिनग की दर से कुल 4, 7 व 10 कुल 21 सेन्टर टेबिल खरीदी गयीं। सामान्य तौर से आपूर्ति किये गये फर्नीचर की गुणवत्ता ठीक है, परन्तु कुछ कार्यालयों में गुणवत्ता में कमी की शिकायत है।

9. इस्पात का फर्नीचर :–इस्पात का फर्नीचर केन्द्रीय भण्डार से रेट कान्ट्रेक्ट के आधार पर, मै0 भारत हार्डवेयर देहरादून तथा दून सहकारी कोआपरेटिव स्टोर से खरीदा गया। 80 रिवाल्विंग चेयर अनुमानित व्यय रुपये 10000.00 प्रति रिवाल्विंग चेयर के हिसाब से खरीदे जाने के अनुमान के विपरीत केन्द्रीय भण्डार से 16 नग रुपये 6364.00 प्रतिनग, मै0 भारत हार्डवेयर, देहरादून से रेट कान्ट्रेक्ट पर रुपये 2368.00 प्रतिनग के हिसाब से 32 तथा दून कोआपरेटिव, देहरादून से 15 नग रुपये 5600.00 प्रतिनग के हिसाब से खरीदा गया। रुपये 2500.00 प्रति टेबिल के हिसाब से 385 टेबिल के विरुद्ध रेट कान्ट्रेक्ट पर 515.00 की दर पर

दो फर्मों से कुल 133 टेबिल खरीदी गयीं। रु० 2000.00 की दर से 2020 आर्मलेस चेयर के अनुमान के विरुद्ध रेट कान्ट्रेक्ट पर रु० 278.00 की दर पर कुल 491 आर्मलेस चेयर खरीदी गयी। जाँच अधिकारी द्वारा अनुमान में संख्या एवं लागत बहुत अधिक लगाने को गलत माना गया। निगम द्वारा 30–10–2000 को उन्हीं आपूर्तिकर्ता संस्थाओं को आपूर्ति आदेश दिया गया जो क्रय समिति से अनुमोदित थे।

10. अन्य फर्नीचर यथा–पर्दे, फर्श आदि :–कुल 30966 वर्गमीटर कारपेट 7196 मीटर पर्दा तथा 10300 जूटमेटिंग का आंकलन किया गया, जिसके विपरीत कारपेट आदि सामान उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम निगम, देहरादून से खरीदा गया। कारपेट की दर रु0 23.85 से लेकर रु0 56.25 प्रति वर्गफुट थी। पर्दे की दर रु0 140.00 से लेकर रु0 250.00 तक एवं कुछ की रु0 1421.00 प्रति मीटर थी। कारपेट के आंकलन में 17000 वर्गफुट यमुना कालोनी में प्रस्तावित 11 मंत्रिगणों के आवासों के लिये था, जबकि अब तक 5–6 आवास ही उपलब्ध हो पाये हैं। यह खरीद यू0पी0 राज्य हथकरघा निगम से होने के कारण जाँच अधिकारी द्वारा इसमें कोई आपत्ति नहीं पायी गयी, परन्तु सचिवालय के कमरों में कारपेट की आवश्यकता का आंकलन ठीक से नहीं किया गया के बारे में उन्होंने अपनी जाँच में लिखा है।

11. लेखन–सामग्री :–रुपये 3.00 लाख की लेखन सामग्री मै0 दून कोआपरेटिव स्टोर से क्रय समिति के निर्णय के क्रम में खरीदी गयी। अतः जाँच अधिकारी द्वारा जाँच के बिन्दु नहीं पाये गये।

13. लेखन सम्बन्धी उपकरण–टाइपराईटर, फैक्स मशीन, फोटोकोपियर :–

12.1 टाइपराईटर :–115 हिन्दी टाइपराईटर, 20 अंग्रेजी टाइपराईटर तथा 5 इलेक्ट्रानिक टाइपराईटर रेट कान्ट्रेक्ट पर खरीदे गये।

12.2 फैक्स मशीन :–मोदी जिरोक्स से 30 फैक्स मशीन बिना रेट कान्ट्रेक्ट के खरीदी गयीं तथा 20 अतिरिक्त फैक्स मशीन HCL की रेट कान्ट्रेक्ट पर खरीदी गयीं, परन्तु रेट कान्ट्रेक्ट की अवधि 30–09–2000 को समाप्त हो चुकी थी।

12.3 फोटो कापियर :–विभिन्न मेक के 52 फोटो कापियर रेट कान्ट्रेक्ट पर खरीदे गये। 4 डिजीटल डुप्लीकेटर मॉडल 31एल मै0 HCL इनफोसिस सिस्टम से रुपये 3,68,000.00 की दर पर खरीदे गये। आदेश में डिजीटल डुप्लीकेटर/राईसोग्राफ की आपूर्ति अंकित की गई है। वास्तव में जो सामान खरीदा गया है वह डिजीटल/डुप्लीकेटर है राईसोग्राफ नहीं है। ग0मं0वि0नि0 द्वारा यह समझा गया कि राईसोग्राफ ब्राण्ड नाम न होते हुए तकनीकी नाम है। प्रक्रियात्मक रूप से इसमें गलती है और क्रय समिति को इस विषय पर सतर्कता से विचार करना चाहिये था, परन्तु राजधानी गठन के कार्य को जिस अल्प समय में कराया गया उसमें ऐसी त्रुटियाँ स्वाभाविक होंगी, यह जाँच अधिकारी का मत है। सामानों के क्रय के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी मात्र एक शिकायत राईसोग्राफ मशीन के क्रय के सम्बन्ध में ही प्राप्त हुई थी।

E–निष्कर्ष :–

(13) जाँच अधिकारी ने निष्कर्ष में लिखा है कि प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण से गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा सामग्री क्रय में किसी उल्लेखनीय अनियमितता किये जाने का प्रमाण नहीं पाया गया। अपनी जाँच आख्या में जाँच अधिकारी द्वारा इंगित किया गया है कि सामानों की खरीद के अनुमानों को अपने स्तर पर संशोधित करते हुए ग0मं0वि0नि0 ने शासन के हित में कार्य किया अन्यथा आवश्यकता से अधिक सामान क्रय हो जाता। लकड़ी एवं कार्यालय फर्नीचर की गुणवत्ता में कुछ कमियाँ जाँच अधिकारी द्वारा पायी गयी, परन्तु उन दिनों में कार्य जिस प्रकार किया जा रहा था, उसमें प्रबन्ध निदेशक अथवा किसी अन्य के लिये व्यवहारिक नहीं था कि वह हर चीज की गुणवत्ता की जाँच करते। कई कार्यालयों में काफी महंगे कारपेट आदि लगाए गये, परन्तु आधुनिक प्रकार के कारपेटों की सफाई के लिये कोई व्यवस्था नहीं कराई गयी।

जाँच अधिकारी द्वारा पाया गया कि राजधानी गठन का समय एक प्रकार से आपातकालीन समय था, जिसके कारण ग0मं0वि0नि0 की आवश्यकता क्रय के मामलों में बनी। भविष्य में यह कार्य राज्य सम्पत्ति द्वारा ही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाना आवश्यक है। शासन स्तर से अनावश्यक रूप से क्रय समिति के गठन में संशोधन होता रहा। अगर पूर्व में गठित व्यवस्था पर किन्हीं कारणों से शासन का विश्वास नहीं रहा और संशोधन की आवश्यकता महसूस हुई तब संशोधन व्यवस्था को बरकरार रखना चाहिए था। नई व्यवस्था को फिर रद्द करते हुए पुरानी ही व्यवस्था को कायम करना उचित नहीं था, और वर्तमान प्रकरण में की गई मौखिक शिकायतों की जड़ यही प्रतीत होती है।

G–निर्माण कार्यों की जाँच :–

मा0 मुख्यमंत्री महोदय के सर्किट हाउस ऐनेक्सी स्थित आवास के पुनरोद्धार एवं उसे मा0 मुख्यमंत्री की गरिमा के अनुरूप तैयार करने एवं उसमें आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये निम्नलिखित कार्य कराये गये :–

1. सिविल कार्य :–	स्वीकृत राशि	व्यय की राशि
(अ) नवनिर्माण	रु0 11.00 लाख	
(ब) आंतरिक चारदीवारी एवं आंतरिक मार्ग	रु0 22.25 लाख	
(स) भवन का जीर्णोद्धार	रु0 25.00 लाख	
योग	रु0 58.25 लाख	रु0 67.06 लाख

2. विद्युत से सम्बन्धित कार्य :–

(अ)	विद्युत कनेक्शन		रु0 10.00 लाख
(ब)	विद्युत का कार्य	रु0 15.00 लाख	रु0 15.00 लाख
(स)	अग्निशमन का कार्य	रु0 05.05 लाख	रु0 05.05 लाख
(द)	विद्युत लाईन शिफ्टिंग	रु0 02.10 लाख	रु0 02.10 लाख
	योग	रु0 22.15 लाख	रु0 32.15 लाख

बाह्य विद्युत कनेक्शन के लिये रु0 10.00 लाख की धनराशि लो0नि0वि0 द्वारा उ0प्र0पा0का0 को भुगतान की गई है, जिसकी अभी तक शासन से स्वीकृति अपेक्षित है। विद्युत लाइन शिफ्टिंग हेतु धनराशि भी लो0नि0वि0 द्वारा रु0 2.10 लाख उ0प्र0पा0का0 को भुगतान की गई थी। अवशेष रु0 20.05 लाख की धनराशि का भुगतान लो0नि0वि0 द्वारा विद्युत यांत्रिक खण्ड लो0नि0वि0, ऋषिकेश को किया गया था, जिसमें से उनके द्वारा मा0 मुख्यमंत्री आवास का आंतरिक विद्युतीकरण, स्ट्रीट लाईट एवं एयर कंडीशनर आदि पर धनराशि व्यय की गई है।

3. पेयजल सम्बन्धित :–

(अ)	पेयजल कार्य	रु0 20.39 लाख	रु0 19.59 लाख

बाह्य जल व्यवस्था एवं पानी की टंकी सम्बन्धी कार्य गढ़वाल जल संस्थान द्वारा किया गया है। इस कार्य हेतु एकमुश्त धनराशि लो0नि0वि0 द्वारा गढ़वाल जल संस्थान को भुगतान की गई थी।

महामहिम राज्यपाल आवास, जो कि बीजापुर गेस्टहाउस में बनाया गया था, वहाँ पर पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिये अतिरिक्त पानी की व्यवस्था, मुख्य सर्किट हाउस भवन, सर्किट हाउस एनेक्सी तथा मा0 मुख्यमंत्री आवास में पर्याप्त पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये रु0 19.59 लाख व्यय किये गये, जिसमें 15 प्रतिशत जल संस्थान का विभागीय सुपरवीजन व्यय भी सम्मिलित है। मूल प्राक्कलन में विजय कालोनी के नलकूप पर बूस्टर पम्प हेतु एक 63 के0वी0ए0 के जनरेटर की व्यवस्था एवं इसकी सुरक्षा व चलाने हेतु स्टाफ क्वार्टर के निर्माण एवं कुछ अन्य कार्यों का प्रस्ताव भी किया गया था। बिजली की सुचारू व्यवस्था को देखते हुए यह कार्य अभी सम्पादित नही कराया गया है।

4. साज–सज्जा :–

		स्वीकृत राशि	व्यय की राशि
(अ)	भवन में साज सज्जा का कार्य।	रु0 10.00 लाख	रु0 18.50 लाख

भवन में साज–सज्जा जिसमें कारपेट, कालीन, फर्नीचर आदि समस्त सामान ग0मं0वि0नि0 द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसके लिये एकमुश्त धनराशि लो0नि0वि0 द्वारा ग0मं0वि0नि0 को उपलब्ध कराई गई थी।

5. स्थल निरीक्षण :-

शिकायत में उल्लिखित भवनों के पुनरोद्धार में हुई कथित अनियमितताओं के संदर्भ में मा0 मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव महोदय के भवनों का कार्यदायी संस्था के अधिकारियों के साथ स्थल निरीक्षण किया गया। इन भवनों के सम्बन्ध में स्थल निरीक्षण में जो तथ्य स्पष्ट हुए उनका विवरण निम्न प्रकार है :-

5.1 मा0 मुख्यमंत्री आवास :-

मा0 मुख्यमंत्री आवास में सभी मदों में कुल रु0 137.30 लाख का व्यय हुआ। इस व्यय में स्थल पर जो कार्य किया गया, उसका मेरे द्वारा मौके पर लो0नि0वि0 के सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के साथ निरीक्षण किया गया, और किये गये कार्य की गुणवत्ता देखी गयी। लो0नि0वि0 द्वारा मा0 मुख्यमंत्री महोदय के आवास पर रु0 67.06 लाख का सिविल निर्माण कार्य किया गया।

देहरादून में कैन्ट रोड स्थित ओल्ड एनेक्सी (सर्किट हाउस) अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण अवस्था में था। उक्त भवन को प्रयोग में लिये जाने हेतु पूर्व प्रमुख अभियन्ता द्वारा इसे असुरक्षित घोषित कर दिया गया था, क्योंकि इस भवन में भूकम्प के कारण काफी मात्रा में बड़े-बड़े क्रेक्स उत्पन्न हो गये थे। भवन का लकड़ी से सम्बन्धित अधिकांश मैम्बर दीमक के कारण क्षतिग्रस्त हो गये थे। फर्श एवं छतों की स्थिति दयनीय थी एवं समस्त टायलेट जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे।

उच्चाधिकारियों के निर्णयानुसार उक्त भवन को माननीय मुख्यमंत्री आवास के रूप में परिवर्तित/परिवर्धित करने का कार्य लोक निर्माण विभाग की इस इकाई को सौंपा गया। कार्य हेतु सी0 बी0 आर0 आई0, रुड़की के विशेषज्ञों द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरान्त अपनी संस्तुति दी गई एवं उनकी संस्तुति के आधार पर ही भवन के पुनरोद्धार का कार्य कराया गया है। उनके अनुसार भवन की दीवारों में मुर्गा जाली व सरिया डालकर वाटरप्रूफिंग मैटिरियल के साथ रैट्रो फिटिंग का कार्य कराया जाना आवश्यक बताया गया। इसी प्रकार छत तथा लकड़ी के कार्य के सम्बन्ध में भी उनके द्वारा अपनी संस्तुति दी गई। तदनुसार कार्य कराने में भवन के जीर्णोद्धार तथा आन्तरिक जल-मल व्यवस्था में रु0 21.05 लाख का व्यय हुआ।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आवास में सुरक्षा प्रबन्धों को दृष्टिगत रखते हुए भवन के चारो ओर आन्तरिक एवं वाह्य चारदीवारी का निर्माण, पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा), जिलाधिकारी, देहरादून एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशों के अनुपालन में कराया गया। जिसमें आन्तरिक सुरक्षा दीवार की स्वीकृत धनराशि रु0 17.75 लाख के विरूद्ध 17.70 लाख का व्यय हुआ। भवन की वाह्य चारदीवारी का निर्माण रु0 13.96 लाख में राजधानी निर्माण के समय पूर्ण हो गया था।

माननीय मुख्यमंत्री आवास परिसर के आन्तरिक मार्गों के सुधार, नवनिर्माण पुलिया निर्माण तथा गेट्स के निर्माण में रु0 4.47 लाख का व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री महोदय के आगन्तुकों से मिलने तथा कार्यालय हेतु आगन्तुक कक्ष का निर्माण कराया गया जिस पर रु0 9.88 लाख की लागत आई।

मुख्यमंत्री आवास पर इस प्रकार विभिन्न मदों में निम्न प्रकार धनराशि व्यय हुई:-

1.	मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा हेतु निर्मित आन्तरिक चारदीवारी मय वेल्डेडमेश जाली फ्रेम सहित	रु0 17.70 लाख
2.	स्वागत कक्ष, मीटिंग हाल पैनल स्विच रूम के कार्य	रु0 9.88 लाख
3.	मुख्यमंत्री आवास हेतु बाह्य चारदीवारी का कार्य ग्रिल सहित	रु0 13.98 लाख
4.	पुलिया निर्माण, गेट एवं आन्तरिक मार्ग का कार्य	रु0 4.47 लाख
5.	मुख्य आवासीय भवन का जीर्णोद्धार	रु0 21.05 लाख
6.	विद्युत कनेक्शन हेतु उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन में जमा की गयी धनराशि	रु0 10.00 लाख
7.	विद्युत लाईन शिफ्टिंग हेतु उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन में जमा की गयी धनराशि	रु0 2.10 लाख
8.	अग्निशमन का कार्य	रु0 5.05 लाख
9.	आन्तरिक विद्युत का कार्य	रु0 15.00 लाख
10.	जल संस्थान द्वारा अनवरत पानी की व्यवस्था पर व्यय की गयी धनराशि	रु0 19.59 लाख
11.	मुख्यमंत्री आवास की साज-सज्जा पर ग0मं0वि0नि0 द्वारा व्यय की गयी धनराशि	रु0 18.50 लाख
	योग-	रु0 137.30 लाख

उपरोक्त से स्पष्ट है कि भवन के जीर्णोद्धार में मात्र रु0 21.05 लाख का व्यय हुआ है। इसके अतिरिक्त भवन को मा0 मुख्यमंत्री आवास के अतिविशिष्ट प्रयोग में लाये जाने हेतु नवनिर्माण के अधीन रु0 116.25 लाख का व्यय हुआ, जो कि मा0 मुख्यमंत्री की गरिमा एवं सुरक्षा के लिये अत्यन्त आवश्यक था।

5.2 मुख्य सचिव आवास पर किये गये निर्माण कार्यों की समीक्षा :-

मुख्य सचिव आवास के पुनरोद्धार पर किये गये कार्यों का निरीक्षण मेरे द्वारा लो0नि0वि0 के चकरोता खण्ड के अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के साथ किया गया, मुख्य सचिव के आवास पर जो निर्माण कार्य कराये गये हैं, उनका विवरण निम्न प्रकार हैं :-

मुख्य सचिव, के आवास के पुनरोद्धार/नवनिर्माण पर कुल व्यय रु0 23.80 लाख आया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

1.	मुख्य सचिव आवास परिसर के चारों ओर बाउण्ड्रीवाल का नवनिर्माण	रु0 5.38 लाख
2.	6 बैड की एक डारमेट्री, एक हेड कांस्टेबल कक्ष, एक सर्वेन्ट्स क्वार्टर एवं टायलेट ब्लाक का नवनिर्माण	रु0 6.70 लाख
3.	वाह्य जलमल व्यवस्था का कार्य	रु0 1.65 लाख
4.	मुख्य सचिव आवास के पुनरोद्धार	रु0 10.07 लाख
	योग	रु0 23.80 लाख

उपरोक्त कार्यों का आगणन रु0 16.83 लाख का उत्तर प्रदेश शासन, उत्तरांचल विकास अनुभाग–12 के शासनादेश सं0 321/28–12–2000 दिनांक 17–10–2000 द्वारा स्वीकृत था। इसमें आरक्षियों हेतु बैरक एवं सर्वेन्ट्स क्वार्टर का कार्य सम्मिलित नहीं था, जिसकी लागत रु0 6.70 लाख है। यह कार्य मुख्य सचिव महोदय के मौखिक आदेश पर आवश्यकता को देखते हुए, तत्समय कराया गया था। इसको सम्मिलित करते हुए पुनरीक्षित आगणन रु0 23.80 लाख का स्वीकृति हेतु भेजा गया है। इस प्रकार मुख्य सचिव के आवास के पुनरोद्धार पर रु0 10.07 लाख की धनराशि व्यय हुई। इसके अतिरिक्त रु0 13.73 लाख की धनराशि नवनिर्माण पर विभिन्न मदों में व्यय की गई।

H–उपरोक्त कथित अनियमितताओं पर समीक्षात्मक टिप्पणी :–

(13) डॉ0 आर0एस0 टोलिया, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास एवं श्री केशव देसिराजु, सचिव, ऊर्जा एवं सिंचाई, के द्वारा की गई विस्तृत जाँचों एवं डॉ0 टोलिया द्वारा कराए गए तकनीकी सम्प्रेक्षण को आधार मानते हुए, निष्कर्षों पर पहुँचा जा सकता है। अतः पुनः उन्हीं बिन्दुओं की जाँच का औचित्य नहीं है।

पूर्व पृष्ठ 2 पर B–जाँच के आधार बिन्दु के प्रस्तर 5(2)1 के क्रम में निम्न निष्कर्ष निकाले गये हैं, जिससे मैं सहमत हूँ :–

नवनिर्माण एवं पुनरोद्धार से सम्बन्धित कार्य

1. "जिस पृष्ठभूमि में, निर्माण कार्य सम्पन्न कराये गये, उसके परिप्रेक्ष्य में, तकनीकी जाँच में, विभाग द्वारा सामान्य रूप से गुणवत्ता बनाये रखने का अच्छा प्रयास किया गया और विभाग की कार्यपद्धति भी, जाँच अधिकारी द्वारा संतोषजनक स्तर की पायी गयी।"
2. अनुबंधों के परीक्षण से जो सामान्य त्रुटियाँ ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के कार्यों में पायी गई, उसी प्रकार की त्रुटियाँ लो0नि0वि0 के कार्यों में भी पायी गई। नये राज्य में दोनों संगठनों के ऊपर, जिस प्रकार का वरिष्ठ पर्यवेक्षण, ऐसी परिस्थितियों में आवश्यक था, उसका अभाव पाया गया, जो कि वर्णित परिस्थितियों में स्वाभाविक था।

3. दिनांक 24-10-2000 को प्रभारी, राजधानी क्षेत्र, का कार्यभार डॉ0 आर0एच0 टोलिया द्वारा ग्रहण किया गया एवं दिनांक 27-10-2000 से उनके द्वारा सायंकालीन पत्रकार वार्ताएं आयोजित कर, कार्यदायी संस्थाओं की कार्य प्रणाली को पारदर्शी कर दिया गया। इससे इन निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में जो भ्रांतियाँ, समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रही थीं, उन पर रोक लग गई और वास्तविक स्थिति जनसामान्य को दैनिक रूप से प्राप्त होनी प्रारम्भ हो गई।

4. विधानसभा में विद्युत सम्बन्धी कमियों के सम्बन्ध में, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के पास पर्याप्त विशेषज्ञता रखने वाला कोई अधिकारी उपलब्ध नहीं था। अतः उनसे यह कार्य नहीं करवाया जाना चाहिये था। जाँच अधिकारी द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को जनपद स्तर के लघु कार्यों तक ही सीमित रखने, जब तक इस सेवा में कार्यरत अधिकारियों की गुणवत्ता स्तरीय नहीं हो जाती, तब तक इन्हें, वृहद निर्माण कार्य आवंटित न करने की संस्तुति की गई है।

5. तत्कालीन मण्डलायुक्त, गढ़वाल द्वारा भी इन निर्माण कार्यों की ओर कोई रुचि नहीं ली जा रही थी और डॉ0 टोलिया के, देहरादून आगमन के, 5वें-6वें दिन उनके द्वारा विभिन्न निर्माण स्थलों का कदाचित पहली बार विस्तृत भ्रमण किया गया। तत्कालीन जिलाधिकारी के पास नये राज्य से सम्बन्धित ऐसे कई विषय थे, जिससे उनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती थी कि भवन निर्माण का गहनतम अनुश्रवण उनके स्तर पर हो सके।

सामग्री/साजो सामान क्रय सम्बन्धित कार्य

6. जाँच अधिकारी द्वारा, उनको प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण से, ग0मं0वि0नि0 स्तर पर सामग्री क्रय में, किसी प्रकार की अनियमितता किये जाने का उन्हें, कोई भी प्रमाण नहीं मिला। कई मामलों में सामानों की आवश्यकता का अनुमान सरसरी तौर पर लगाया गया, जिसे अपने स्तर पर संशोधित करते हुए, ग0मं0वि0नि0 ने शासन के हित में कार्य किया, अन्यथा, बहुत अधिक मात्रा में सामान का क्रय हो जाता। लकड़ी के फर्नीचर तथा कार्यालय फर्नीचर की गुणवत्ता में कुछ कमियाँ प्रकाश में आयीं। जिस प्रकार उन दिनों में कार्य किया जा रहा था, कदाचित प्र0नि0 अथवा किसी के लिये व्यवहारिक नहीं था कि, वे हर किसी चीज की गुणवत्ता की जाँच कराते। इस सम्बन्ध में अब विभिन्न कार्यालयों से आख्या प्राप्त की जा सकती है कि, आपूर्ति किये गये फर्नीचर की गुणवत्ता कैसी है।

7. ग0मं0वि0नि0 द्वारा किये गये सामानों के क्रय की टेस्ट चेकिंग, महालेखाकार की आडिट टीम द्वारा की गई थी। आडिट टीम द्वारा मांगी गई सूचनाएं उन्हें तत्समय उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। इस सम्बन्ध में महालेखाकार की टेस्ट टीम द्वारा, इन सामानों के क्रय की विस्तृत आडिट कराये जाने के सम्बन्ध में लिखा गया है। तदनुसार क्रय किये गये सामान का विस्तृत आडिट यथाशीघ्र करा लिया जाना उचित होगा।

8. जाँच अधिकारी द्वारा साज़ो सामान के क्रय के सम्बन्ध में अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि, आपातकालीन स्थितियों में सामान का क्रय म0म0वि0नि0 से कराया गया। भविष्य में यह कार्य, राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा ही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाना आवश्यक है।

अन्य कार्य

1. कतिपय निर्माण कार्यों की स्वीकृति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गयी थी, परन्तु जब वास्तविक कार्य स्थल पर किया गया तो कुछ अतिरिक्त कार्य भी परिस्थिति एवं आवश्यकतानुसार कराने पड़े थे। इन अतिरिक्त कार्यों की स्वीकृति सम्बन्धित विभाग को अपने स्तर पर कार्यवाही करने हेतु लिखा जा रहा है।
2. देहरादून में रेट्रो रिफ्लेक्टिव बोर्ड्स विभिन्न स्थानों पर विधिवत निविदाएं प्राप्त कर सक्षम अधिकारी से स्वीकृति के उपरान्त लगवाये गये थे। इन सभी बोर्ड्स की आपूर्ति अधिकृत कन्वर्टर (Converters) से ली गयी है जिसमें कुल 17 बोर्ड्स पर रुपये 64.27 लाख की धनराशि व्यय हुई।

पूर्व पृष्ठ 2 पर B--जाँच के आधार बिन्दु के प्रस्तर 5(2)2 के अनुसार यदि कार्यों में कोई कमी पायी गयी तो उसके सम्बन्ध में वसूली आदि की कार्यवाही निम्न प्रकार की गयी :-

1. कार्य में प्रयुक्त सामग्री जैसे ईंट, आदि की गुणवत्ता, ईंट विशिष्टियों के पूर्णतया अनुरूप नहीं थी। कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाना था, और प्रतीक्षा की जानी सम्भव नहीं थी। अतः बाजार में उपलब्ध ईंटों का प्रयोग किया गया। चिनायी कार्य एवं प्लास्टर आदि के कार्यों में तराई, उपयुक्त मात्रा में नहीं की गई। लकड़ी के कार्यों में प्रयुक्त लकड़ी की सीजनिंग तथा फिनिशिंग की कमी अनुमन्य छूट के अन्तर्गत पायी गयी। पेंटिंग, प्लास्टिक एमल्सन, स्नोसम आदि कार्यों में भी सामान्य रूप से वर्कमेनशिप तथा पूर्ण नियंत्रण न होने के कारण डायल्यूटिंग में कमी पायी गयी। मार्बल तथा कोटास्टोन फ्लोरिंग के कार्यों में घिसाई तथा पालिशिंग में कमी सामान्य रूप से पायी गयी।
2. निर्माण कार्यों में कमियों के लिये ठेकेदार के बिल से विभिन्न भवनों के लिये निम्न प्रकार कटौतियाँ की गई :-

क्र0सं0	कार्य	कार्यों की लागत राशि	वसूली राशि	प्रतिशत
1.	सचिवालय डायट भवन	रु0 51.05 लाख	रु0 39458.00	0.77 प्रतिशत
2.	सचिवालय IT भवन	रु0 28.97 लाख	रु0 27030.00	0.93 प्रतिशत
3.	सर्किट हाउस एनेक्सी मा0 मुख्यमंत्री आवास	रु0 60.66 लाख	रु0 46771.00	0.77 प्रतिशत

क्र0सं0	कार्य	कार्यों की लागत राशि	वसूली राशि	प्रतिशत
4.	बीजापुर राजभवन निर्माण	रु0 16.06 लाख	रु0 9319.00	0.58 प्रतिशत
	योग	रु0 156.64 लाख	रु0 122578.00	0.78 प्रतिशत
5.	विधानसभा के कार्य	रु0 73.37 लाख	रु0 72375.00	0.98 प्रतिशत

3. राजधानी निर्माण से सम्बन्धित मुख्य सचिव आवास, मा0 मंत्रीगणों के आवासों के पुनरोद्धार/नवनिर्माण से सम्बन्धित तकनीकी सम्प्रेक्षण श्री चमन लाल कपूर द्वारा किया गया। अत: तकनीकी सम्प्रेक्षण में उनके द्वारा भवनों के पुनरोद्धार/नवनिर्माण में जो कटौतियाँ ठेकेदार के देयक से संस्तुत की गयी हैं उस पर वर्तमान में कार्यवाही की जा रही है।

पूर्व पृष्ठ 2 पर B--जाँच के आधार बिन्दु के प्रस्तर 5(2)3 के अनुसार यदि कार्यों में कोई कमी पायी गयी तो उसके लिये दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध विभिन्न प्रकार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है :--

1. श्री चन्द्रवीर सिंह, प्रभारी अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता के रूप में कार्यरत थे, परन्तु इनका नियंत्रण जाँच अधिकारी द्वारा अत्यन्त कमजोर पाया गया। इस प्रकार ग्रामीण अभियंत्रण सेवा में नए राज्य के स्तर पर एक पूर्णकालिक अधीक्षण अभियन्ता के अभाव में प्रारम्भिक ठहराव और निर्देशन का अभाव लगातार व्याप्त रहा।
2. विद्युत सम्बन्धी कमियों के सम्बन्ध में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा की यह स्पष्ट स्वीकारोक्ति कि उनके पास पर्याप्त संख्या में इस प्रकार की विशेषज्ञता रखने वाला कोई अधिकारी उपलब्ध नहीं है, जाँच अधिकारी द्वारा सही पाया गया।
3. जाँच अधिकारी द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को जनपद स्तर के लघु कार्यों तक ही सीमित रखने, जब तक इस सेवा में कार्यरत अधिकारियों की गुणवत्ता स्तरीय नहीं हो जाती तब तक इन्हें वृहद् निर्माण कार्य आवंटित न करने की संस्तुति की गई है।
4. जाँच अधिकारी द्वारा लो0नि0वि0 के प्रारम्भिक निर्माण कार्य के दौर में मुख्य अभियन्ता स्तर से भी जिस प्रकार का वरिष्ठ पर्यवेक्षण अपेक्षित था वह स्थानीय निर्माण कार्यों हेतु उपलब्ध नहीं पाया गया।
5. जाँच अधिकारी ने तत्कालीन आयुक्त गढ़वाल मण्डल के स्तर से भी इन निर्माण कार्यों के पर्यवेक्षण की ओर पर्याप्त रुचि न लिया जाना पाया गया।
6. जाँच अधिकारी द्वारा पाया गया, कि तत्कालीन जिलाधिकारी के पास नए राज्य से सम्बन्धित ऐसे कई विषय थे, जिससे अपेक्षा नहीं की जा सकती थी कि भवन निर्माण का गहनतम अनुश्रवण कर सकें।
7. लखनऊ से भी किसी प्रकार का मार्गदर्शन मात्र टेलीफोन अथवा पत्राचार से ही जिला

स्तरीय अधिकारियों को प्राप्त हो रहा था। इन निर्माण कार्यों को विभिन्न महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए येनकेन प्रकारेण ही स्थानीय निर्माण एजेंसियों द्वारा पूर्ण किया गया। जनसामान्य को, निश्चित ही तत्कालीन परिस्थितियों में उपलब्ध पर्यवेक्षण के नितान्त अभाव की जानकारी नहीं थी और लखनऊ से किसी भी प्रकार से सहयोग के अभाव में यह निर्माण कार्य आलोचना और समाचार पत्रों के समाचारों का पात्र बन गये। जाँच अधिकारी का निश्चित मत है कि तकनीकी जाँच से आच्छादित कार्यों को सभी वर्णित परिस्थितियों में संतोषजनक स्तर का माना जा सकता है।

(एस0 के0 दास)
प्रमुख सचिव, गृह एवं राजस्व।

लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा राजधानी निर्माण से सम्बन्धित निर्माण कार्यों की जाँच : प्रथम प्रतिवेदन

पृष्ठभूमि :

1. उत्तरांचल राज्य के गठन के अन्तर्गत अनियमितताओं की शिकायत के क्रम में उत्तरांचल शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास को लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा किये गये समस्त निर्माण कार्यों में बरती गई वित्तीय, तकनीकी एवं प्रशासनिक अनियमितताओं की जाँच का कार्य सचिव कार्मिक विभाग के अ0शा0 पत्रांक: शून्य, दिनांक 12 दिसम्बर, 2000 द्वारा सौंपा गया और जाँच रिपोर्ट को 27-12-2000 तक प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई (पताका 'क')।
2. इससे पूर्व कि अब तक की गई जाँच के सम्बन्ध में विवरण प्रस्तुत किये जायें, यहाँ यह अवगत कराया जाना संगत प्रतीत होता है कि देहरादून को उत्तरांचल राज्य की राजधानी घोषित करने के शीघ्र उपरान्त जाँच अधिकारी को तत्कालीन उ0प्र0 शासन द्वारा अपने कार्यालय ज्ञाप दिनांक 23 अक्टूबर, 2000 के माध्यम से, जब कि वह उ0प्र0 प्रशासन अकादमी, नैनीताल के निदेशक के पद पर कार्यरत थे, उक्त कार्यालय ज्ञाप के माध्यम से नवीन उत्तरांचल राज्य के गठन हेतु सम्पूर्ण प्रबन्ध एवं व्यवस्था का प्रभारी नियुक्त किया गया। 23 अक्टूबर, 2000 के उक्त कार्यालय ज्ञाप में आवंटित कार्यों में से कार्य बिन्दु सं0 4 में उत्तरांचल सचिवालय एवं उत्तरांचल में स्थापित होने वाले विभागाध्यक्ष कार्यालयों को नियत तिथि से पूर्व कार्यशील बनाये जाने के लिए भी उत्तरदायित्व दिया गया था (संलग्नक 2)।
3. उ0प्र0 राज्य द्वारा दिये गये उत्तरदायित्वों के संदर्भ में जाँच अधिकारी द्वारा प्रारम्भ से ही यथा संभव वित्तीय अनुशासन और कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता लाने के लिए कई प्रयास किये गये जिसमें सर्वोच्च प्राथमिकता सभी प्रमुख भवनों को समय से तैयार करने को दी गई, उ0प्र0 शासन के उपरोक्त आदेश के क्रम में जाँच अधिकारी द्वारा 24-10-2000 को देहरादून आकर उसी रात्रि तत्कालीन विकास भवन (वर्तमान विधानसभा भवन) तथा अन्य सभी निर्माण कार्यों का भ्रमण किया गया। प्रथम रात्रि के भ्रमण से

ही यह अनुभव किया गया कि जिस गति से सभी निर्माण कार्य चल रहे हैं उस गति से निर्माण कार्य चलते रहने की दशा में नियत तिथि से पूर्व समस्त निर्माण कार्यों का पूर्ण होना असंभव है। तत्काल ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा और लोक निर्माण विभाग के अभियन्ताओं को निर्देश दिये गये कि समस्त निर्माण कार्यों में जो दो शिफ्ट में कार्य चल रहा था उसे 3 शिफ्टों में कर दिया और इस प्रकार से समस्त निर्माण कार्यों के अनवरत चलने की प्रक्रिया को मूर्त रूप दिया गया, उपरोक्त सभी निर्माण स्थलों को वरिष्ठ जनपद स्तरीय अधिकारियों को आवंटित किया गया और अगले दिन से 8 नवम्बर, 2000 तक प्रतिदिन दल सहित स्वयं रात्रि शिफ्ट निरीक्षण की व्यवस्था की गई, परिणाम स्वरूप सभी निर्माण स्थल आवश्यक कार्यों हेतु उपलब्ध हो गये बल्कि निर्माण के साथ-साथ उनकी साज-सज्जा के कार्य को भी पूर्ण कर लिया गया। केवल विधान मण्डल के कार्य को बाद में प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये जिससे विधान मण्डल की विशिष्टता के अनुरूप ही निर्माण कार्य और साज-सज्जा सम्भव हो सके। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए दोनों निर्माण एजेन्सियों को प्रतिदिन रात्रि शिफ्ट निरीक्षण के अतिरिक्त परामर्श देने के साथ-साथ 5-11-2000 को यह स्पष्ट कर दिया गया था कि निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त नियमानुसार तकनीकी प्रकोष्ठ के द्वारा कार्यों का भौतिक सत्यापन भी कराया जायेगा। 5-11-2000 को जो निर्देश मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा और प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम को प्रेषित किये गये थे वह संलग्न है (संलग्नक : 3)।

4. इस प्रकार से जहाँ तक निर्माण कार्यों और राजधानी की स्थापना से सम्बन्धित निर्माणेत्तर कार्यों की गुणवत्ता का प्रश्न है उस सम्बन्ध में नए राज्य के गठन से काफी पूर्व ही सभी विभागों को स-समय मौखिक और लिखित रूप से सचेत कर दिया गया था। निर्माणेतर कार्यों की जाँच श्री केशव देसिराजु के द्वारा सम्पन्न की जा रही है अतः इस प्रतिवेदन में केवल निर्माण कार्यों की ही जाँच आख्या प्रेषित की गई है।

5. विधान सभा तथा विधान सभा परिसर के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में गुमनाम शिकायती पत्र मा० ऊर्जा मंत्री जी को प्राप्त हुआ था जिसे मुख्य सचिव के माध्यम से जांचकर्ता को प्रेषित किया गया। प्राप्त शिकायती पत्र और उस पर मुख्य सचिव के निर्देश संलग्न हैं (संलग्नक : 4)।

6. इस जाँच आख्या में विधान सभा परिसर में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के माध्यम से कराये गये विद्युतीकरण को भी जाँच की परिधि में लाया गया है।

जाँच प्रगति :

7. जाँच कार्य प्राप्त होने के उपरान्त जाँच अधिकारी द्वारा 28 दिसम्बर, 2000 को निर्माण सम्बन्धी आवश्यक अभिलेख शासन को उपलब्ध करवाने और जाँच के दौरान प्रभारी अभियन्ताओं को स्थल निरीक्षण के समय उपलब्ध रहने के लिए निर्देशित किया गया। जारी निर्देश की प्रति संलग्न है (संलग्नक : 5)।

8. निर्माण कार्यों की जाँच मुख्यतः एक तकनीकी प्रकृति की जाँच है जिसमें प्रारम्भिक/विस्तृत स्वीकृत आगणनों की जाँच, निर्माण कार्यों के लिए किये गये अनुबन्ध/वर्क

आर्डर/सप्लाई आर्डर/मस्टररोल का विवरण, निर्माण कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं का सघन परीक्षण, राजकीय स्टोर से प्राप्त सामग्री/व्यय से सम्बन्धित विवरणों का मिलान, Schedule of Rates से तुलना के साथ–साथ प्रत्येक अनुबन्ध से आच्छादित विवरणों का मिलान करते हुए जहाँ गुणवत्ता में कमी आती है तब उसी अनुपात में भुगतान में कटौती के आदेश दिये जाते हैं, संक्षेप में, किसी भी तकनीकी संप्रेक्षक (Technical Audit) के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य एक समय साध्य कार्य है और उसमें एक सीमा तक ही शीघ्रता लायी जा सकती है। ज्ञातव्य है कि जाँच की अवधि में भी प्रथम विधान सभा सत्र को दृष्टिगत रखते हुए और विभिन्न कार्यालय भवनों में सतत सुधार कार्य और अतिरिक्त कार्यों को कराये जाने का कार्य निरन्तर जारी था और निर्माण एजेन्सियाँ उन कार्यों को भी साथ–साथ करने के लिए बाध्य थी। आसन्न विधान सभा सत्र को दृष्टिगत रखते हुए विधान सभा से सम्बन्धित कार्यों को भी द्रुत गति से पूर्ण कराया जा रहा था और इस कारण निर्माण एजेन्सियों के लिए यह संभव नहीं था कि वह ऐसे शीर्ष महत्व के कार्यों के साथ–साथ तकनीकी जाँच के दौरान हर स्तर पर दी जाने वाली सहायता के कार्य को भी एक साथ पूरा कर सकते। ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के द्वारा उक्त कठिनाई को 4–01–2001 को संसूचित किये जाने के कारण जाँचकर्ता अधिकारी द्वारा सचिव, मुख्यमंत्री जो उस समय सचिव, लोक निर्माण विभाग का कार्य भी देख रहे थे, 30 जनवरी, 2001 को अवगत कराया गया कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा से सम्बन्धित निर्माण कार्यों की जाँच को 1 फरवरी, 2001 से पूर्व प्रारम्भ कराया जाना संभव नहीं है अन्यथा इससे विधान सभा मण्डप के और विधान सभा भवन के शेष कार्यों की प्रगति बाधित होने की पूर्ण संभावना विद्यमान है। सचिव, मुख्यमंत्री को इस स्थिति से 30 जनवरी, 2001 को अवगत करा दिया गया। (संलग्नक : 6)।

9. स्वयं मा० मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव तथा सचिव, मुख्यमंत्री इस बात से भली भांति अवगत हैं कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा को विकास भवन को विधान सभा भवन में परिवर्तित करने के लिए कुल 171.100 लाख रुपये की राशि स्वीकृत हुई किन्तु 24–02–2001 तक स्वीकृत राशि के विपरीत मात्र 90 लाख रुपये की राशि ही अवमुक्त की जा सकी, उपरोक्त अवमुक्त राशि पर भी लम्बे समय तक डीसीएल जारी नहीं की गई जिसके परिणाम स्वरूप उक्त सेवा के निर्माण कार्य में लगभग ठहराव आ गया था, पहली मंत्रि परिषद की बैठक के उपरान्त जब स्वयं मुख्य सचिव द्वारा विधान मण्डप का भौतिक निरीक्षण किया गया था तब स्वयं उनके हस्तक्षेप के उपरान्त वित्त सचिव के निर्देश पर डीसीएल निर्गत हुआ। अतः समय–समय पर वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त भी धनराशि के भौतिक रूप से निर्माण एजेन्सी को उपलब्ध न होने के कारण भी भारी liabilities उठानी पड़ी और जिसके कारण भी निर्माण कार्य में अवरोध उत्पन्न हुआ और इसका प्रभाव निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर भी पड़ना नितान्त स्वाभाविक था। ज्ञातव्य है कि निर्माण कार्यों में एक सीमा तक तेजी लाई जा सकती है किन्तु उससे अधिक तेजी लाने पर गुणवत्ता का प्रभावित होना निश्चित है।

10. जहां तक गुमनाम शिकायती पत्र के आधार पर विधान सभा में परिलक्षित कमियों का प्रश्न है मुख्य सचिव से शिकायती पत्र प्राप्त होते ही उसी रात्रि सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा को गुमनाम शिकायती पत्र की प्रति के साथ यह निर्देश दिये गये थे कि वह शिकायती पत्र की विस्तृत जांच करें और 13-01-2001 को ही भौतिक निरीक्षण करके शासन को वस्तुस्थिति से अवगत करायें। उक्त निर्देश के साथ अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा को भी निर्देशित किया गया कि वह तत्काल सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा से व्यक्तिगत सम्पर्क करें और उन्हें सर्वोच्च वरीयता के आधार पर विधान सभा परिसर का भौतिक निरीक्षण करने में सहायता प्रदान करें। सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा को जांच अधिकारी द्वारा भेजे गये 12 जनवरी, 2001 की प्रति संलग्न है (संलग्नक: 7)।

11. सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा द्वारा 15.1.2001 को अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के साथ कार्यरत विद्युत ठेकेदारों के प्रतिनिधियों के समक्ष परिसर का निरीक्षण किया गया और अपने प्रतिवेदन की प्रति 16.1.2001 को जांचकर्ता को उपलब्ध कराई गई। सहायक निदेशक की जांच आख्या संलग्न है, (संलग्नक: 8)।

12. सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन पर एक गोपनीय टिप्पणी जांच अधिकारी द्वारा मुख्य सचिव को प्रस्तुत की गई जिस पर मुख्य सचिव द्वारा 24.1.2001 को उक्त रिपोर्ट पर अपने निर्देश निर्गत किये (संलग्नक: 9)।

13. उपरोक्त निर्देशों से अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा को अवगत कराया गया और अधिशासी अभियन्ता द्वारा यह अवगत कराया गया कि विद्युत अधिष्ठापन सम्बन्धी कार्य उ० प्र० पावर कारपोरेशन द्वारा विधान सभा परिसर में सम्पन्न किये गये हैं और प्रतिवेदन में इंगित 8 बिन्दुओं पर ,जो त्रुटियां दर्शाई गई हैं उनका निराकरण उ० प्र० पावर कारपोरेशन द्वारा कराया जा रहा है। ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन संबंधी कार्य को सम्पन्न नहीं किया गया।

14. विद्युत संबंधी त्रुटी के निराकरण के लिए ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के स्तर से निरन्तर अनुश्रवण कराया जा रहा है और इसकी प्रगति के संबंध में जो अन्तिम प्रतिवेदन उनसे प्राप्त हुआ है वह संलग्न है (संलग्नक: 10)।

जांच निष्कर्ष :

15. क्योंकि निर्माण संबंधी कार्यों की जांच को निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार ही किया जाता है। अतः प्रत्येक निर्माण कार्य का कक्षावार और बिन्दुवार निरीक्षण करने के लिये श्री चमन लाल कपूर, अभियन्ता, टैक्निकल ऑडिट सेल जो वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शाखा से सम्बद्ध है, के माध्यम से कराया गया। श्री कपूर द्वारा शाखा के विभिन्न समागों, विशेषतया ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत आने वाले प्रधानमंत्री ग्राम योजना से संबंधित वृहद कार्य को पूर्ण करने के साथ-साथ उपरोक्त तकनीकी जांच आख्या को सम्पन्न किया गया है। चूंकि तकनीकी प्रकोष्ठ में वर्तमान में वह एक मात्र अभियंता है। अतः अन्य शीर्ष महत्व के कार्यों के साथ-साथ निर्माण कार्यों की तकनीकी जांच को पूर्ण करने में विलम्ब होना स्वाभाविक था फिर भी उनके द्वारा विशेष प्रयास करके जिन तकनीकी जाँच कार्यों को पूरा किया गया है उसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

क्र0सं0	कार्य का नाम	वित्तीय स्वीकृति (रु0 लाख में)	आगणन राशि (लाख रु0 में)	अनुबंध राशि (लाख रु0 में)	अनुबंधों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
	लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित कार्य					
1.	डायट भवन (सचिवालय) के जीर्णोद्धार एवं सुधार आदि कार्य	126.54	65.17	51.06	12	स्तम्भ 3 के अनुसार स्वीकृत राशि में सिविल कार्य के साथ-साथ साज-सज्जा आदि का कार्य भी सम्मिलित था जो कि गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा करवाया गया
2.	आई0टी0आई0 (सचिवालय) के जीर्णोद्धार एवं सुधार आदि कार्य	58.58	32.00	27.97	10	स्तम्भ 4 की आगणन राशि में केवल सिविल कार्य की राशि सम्मिलित है
3.	सर्किट हाउस एनेक्सी (मा0 मुख्यमंत्री आवास) के जीर्णोद्धार एवं सुधार आदि कार्य	116.69	58.25	60.56	8	अनुबंध राशि में कन्टी-जेंसी, छुट-पुट कार्यों पर व्यय तथा कुछ अवशेष कार्यों की राशि सम्मिलित नहीं है
4.	बीजापुर सिंचाई नि0 भवन (श्री राज्यपाल आवास) के जीर्णोद्धार एवं सुधार कार्य	54.50	28.07	16.06	7	
	योग	356.31	183.49	156.64	37	
	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा निर्मित					
5.	विधान भवन निर्माण एवं सुधार कार्य	171.84	106.64	73.37		
	महायोग	528.15	290.13	230.01		

16. लोक निर्माण विभाग के द्वारा चार स्थलों पर निर्माण कार्य कराये गये हैं जब कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा केवल विधान सभा भवन से सम्बन्धित कार्य ही सम्पन्न किये गये हैं। ज्ञातव्य है कि अभी भी लोक निर्माण विभाग द्वारा सचिवालय के मिनी सचिवालय (वर्तमान वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शाखा) विकास भवन में कार्य प्रगति पर है। अतः इस निर्माण कार्य के पूर्ण होने तक तकनीकी संप्रेक्षण का कार्य सुरक्षित रखा गया है। वैसे अब तक जो भी निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुके हैं उनका तकनीकी परीक्षण कार्य प्रारम्भ हो चुका है। इस प्रतिवेदन में मिनी सचिवालय के अतिरिक्त आवासीय भवनों तथा पुलिस मुख्यालय भवन की तकनीकी जाँच कार्य को सम्मिलित नहीं किया गया है किन्तु जितने निर्माण कार्य आंशिक रूप से भी पूर्ण हो चुके हैं उनकी जाँच प्रारम्भ की जा चुकी है। मिनी सचिवालय, आवासीय परिसरों और पुलिस मुख्यालय भवन की तकनीकी जाँच को जाँच के दूसरे और अन्तिम प्रतिवेदन से आच्छादित किया जायेगा।

17. मा० मुख्यमंत्री आवास, बीजापुर, श्री राज्यपाल निवास, सचिवालय का डाइट भवन और सचिवालय का आई०टी०आई० परिसर तकनीकी जाँच से आच्छादित किया जा चुका है और इन 4 भवनों में निर्माण कार्य अभी तक किया गया है उसे क्रमशः 8, 7, 12 तथा 10 कुल 37 अनुबन्धों के माध्यम से लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्ण किया गया है। इन 4 निर्माण स्थलों पर किये गये कार्यों की कुल लागत 156.64 लाख रु० है। इस प्रकार से लोक निर्माण विभाग के जो कार्य 37 अनुबन्धों के माध्यम से 156. 64 लाख रु० की लागत में थे जिनमें तकनीकी जाँच का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

18. ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा जो अब तक कार्य किया गया है उसे 13 अनुबन्धों के माध्यम से सम्पन्न किया गया और तकनीकी जाँच में अब तक 73.37 लाख रु० की लागत के निर्माण कार्य की तकनीकी जाँच सम्पन्न की जा चुकी है। इस प्रकार से लोक निर्माण विभाग और ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों में से अब तक 50 अनुबन्धों के माध्यम से जो 230.01 लाख रु० का कार्य किया गया है उसकी तकनीकी जाँच इस प्रतिवेदन से आच्छादित की गई है।

19. इस प्रतिवेदन में केवल इन दोनों विभागों के द्वारा उपलब्ध राशि में पूर्ण किये गये सिविल कार्यों की ही तकनीकी जाँच की गई है। निर्माण कार्यों में सिविल कार्यों के अतिरिक्त जो कार्य विद्युत या निर्माणेत्तर हुए उनमें से केवल विद्युत और अवशेष निर्माण कार्यों को ही द्वितीय तथा अन्तिम जाँच प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जायेगा। जैसा कहा गया है निर्माणेत्तर कार्यों की जाँच का कार्य श्री केशव देसिराजु द्वारा किया जा रहा है।

विधान सभा भवन :

20. ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा विधान सभा भवन में कराये गये सिविल कार्यों की जाँच के सम्बन्ध में विस्तृत तकनीकी जानकारी संलग्न है (संलग्नक : 12)। तकनीकी जाँच के आधार पर 73.37 लाख रुपये में समाप्त किये गये कार्यों की लागत राशि के विपरीत जिन 13 अनुबंधों का परीक्षण किया गया उससे रु० 72,375 हजार रुपये की कटौती किये जाने की अनुशंसा की गई है। तकनीकी जाँच से यह निष्कर्ष निकलता

है कि ग्रामीण अभियन्त्रण द्वारा सामान्य रूप से गुणवत्ता बनाये रखने का अच्छा प्रयास किया गया है तथा विभाग की कार्य पद्धति सामान्य रूप से ठीक है। सिविल कार्यों के निर्माण में पूर्ण रूप से विशिष्टियों पर दृढ़ता सम्भव नहीं है अतः प्रत्येक अनुबन्ध के परीक्षण के उपरान्त और इसका किये गये निर्माण से मिलान करने के उपरान्त जहाँ भी कमियाँ पायी गई उसके लिए आनुपातिक कटौती प्रस्तावित की गई है।

21. कार्यों को समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना प्रस्तावित था और जिसे जाँच के पूर्ववर्ती प्रस्तरों में इंगित किया गया है। चिनाई कार्य एवं प्लास्टर आदि के कार्यों में तराई (Curing) उपयुक्त मात्रा में सम्भव नहीं हो सकी और इस कारण से भी कटौतियाँ प्रस्तावित की गई है। लकड़ी के कार्यों में प्रयुक्त लकड़ी के कार्यों में प्रयुक्त लकड़ी की सीजनिंग तथा फिनिशिंग में कमी यद्यपि अनुमन्य छूट के अन्तर्गत पायी गई फिर भी इस कमी के सम्बन्ध में भी कटौतियाँ प्रस्तावित की गई।

22. पेन्टिंग, प्लास्टर, इमरशन, स्नोसम आदि कार्यों में भी सामान्य रूप से वर्कमैनशिप तथा पूर्ण नियंत्रण न हो सकने के कारण जो डाइल्यूटिंग देखने में आई उनके लिए भी कटौतियाँ प्रस्तावित की गई।

23. मार्बल तथा कोटा स्टोन के कार्यों में घिसाई तथा पोलिशिंग में कमी लगभग सामान्य रूप से समस्त कार्यों में पायी गई और इन मदों में भी आवश्यक कटौतियाँ प्रस्तावित की गई।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के कार्य से सम्बन्धित निष्कर्ष :

24. विधान सभा भवन के 73.37 लाख रुपये के निर्माण कार्यों में सामान्य रूप से कार्यों की गुणवत्ता अच्छे स्तर की पायी गई है किन्तु सीमान्तर्गत पाई गई त्रुटियों की वसूली ठेकेदार के अन्तिम देयक अथवा धरोहर राशि से की जानी चाहिए। इस प्रकार से इन कार्यों में पायी गई त्रुटियों के विरुद्ध 72,375/– हजार रुपये की कटौतियाँ ठेकेदारों के अन्तिम देयक अथवा धरोहर राशि से अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण द्वारा की जानी है। इस प्रकार से प्रस्तावित वसूली कार्य की लागत राशि का 0.98 प्रतिशत है जो कि अनुमन्य सीमान्तर्गत है। (विस्तृत तकनीकी जाँच आख्या: संलग्नक : 11)।

लोक निर्माण विभाग : निष्कर्ष :

25. लोक निर्माण विभाग द्वारा सिविल कार्यों का निर्माण कार्य डाइट, आई०टी०आई०, तत्कालीन सर्किट हाउस, एनेक्सी भवन (वर्तमान मुख्यमंत्री आवास) तथा तत्कालीन बीजापुर सिंचाई भवन (वर्तमान राजभवन) में सम्पन्न किया गया। इन निर्माण कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति क्रमशः 126.54 लाख रु०, 58.58 लाख रु०, 116.69 लाख रु० तथा 54.50 लाख रु० कुल 356.49 लाख रु० थी जिसके विरुद्ध क्रमशः 65.17 लाख रु० डाइट, 32.00 लाख रु० आई०टी०आई०, 58.25 लाख रु० सर्किट हाउस एनेक्सी तथा 28.07 लाख रु० बीजापुर सिंचाई भवन हेतु कुल 183.49 लाख रु० आगणन के अनुसार उपलब्ध करायी गई।

26. इस उपलब्ध करायी गई धनराशि रु0 183.49 लाख रु0 के विपरीत इन भवनों में क्रमशः 12, 10, 8 तथा 7 कुल 37 अनुबंधों के माध्यम से कार्य पूर्ण कराया गया जिसका अनुबंध राशि 156.64 लाख रु0 था। विभाग द्वारा अब तक इन 4 स्थानों पर कराये गये कार्यों को जाँच से आच्छादित किया गया है जिनमें से कुल 35 अनुबंधों के विरुद्ध वसूली प्रस्तावित की गई है।

27. तकनीकी जाँच में यह पाया गया है कि विभाग द्वारा सामान्य रूप से गुणवत्ता बनाए रखने का अच्छा प्रयास किया गया है और विभाग की कार्य पद्धति भी श्रेष्ठ स्तर की थी। जाँच अधिकारी यद्यपि निर्माण कार्यों की कठिन परिस्थितियों से सहमत है किन्तु वह पूर्ण किए गए कार्य को श्रेष्ठ स्तर का न मूल्यांकित करके उसे संतोषजनक स्तर का पाता है।

28. अनुबन्धों के परीक्षण से जो सामान्य त्रुटियाँ ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के कार्यों में पायी गयी उसी प्रकार की त्रुटियाँ लोक निर्माण विभाग के कार्यों में भी पाई गई हैं।

29. निष्कर्ष के तौर पर जाँच आख्या के उपरान्त जो कटौतियाँ प्रस्तावित हैं उनमें सचिवालय व्हाइट भवन से रु0 39458.00 सचिवालय आई0टी0आई0 भवन से 27030.00 रु0, सर्किट हाउस एनेक्सी भवन से रु0 46771.00 और बीजापुर भवन से रु0 9319.00 की कटौतियों के प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की जाती है। इस प्रकार से लोक निर्माण विभाग के द्वारा अब तक किए गए सिविल कार्यों, जिनको इस प्राथमिक जाँच आख्या से आच्छादित किया गया है, में से कुल रु0 122578.00 की कटौती किए जाने की संस्तुति की जाती है। इन कटौतियों को अनुबन्धकार ठेकेदार के अन्तिम व्ययक अथवा धरोहर राशि से किए जाने की अनुशंसा की जाती है, जिसका क्रियान्वयन सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

30. लोक निर्माण विभाग द्वारा सम्पन्न किए गए सिविल कार्यों की विस्तृत तकनीकी जाँच आख्या संलग्न है (संलग्नक : 12)।

सामान्य निष्कर्ष :

31. जाँच आख्या के इस प्रथम प्रतिवेदन में इस प्रकार से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि तत्कालीन विद्यमान परिस्थितियों में सीमित समय के अन्तर्गत पूर्ण किए जाने वाले निर्माण कार्यों को पूर्ण करने के लक्ष्य, समय-समय पर वास्तविक रूप से उपलब्ध कराई जाने वाली वित्तीय स्वीकृतियों में अवरोध के परिप्रेक्ष्य में अब तक जिन सिविल कार्यों की तकनीकी जाँच की गई है, उनका निर्माण स्तर संतोषजनक कहा जा सकता है, चूँकि जाँच अधिकारी स्वयं उस समय प्रभारी, राजधानी निर्माण के रूप में इन कार्यों का सतत् सामान्य पर्यवेक्षण कर रहा था और इस प्रकार से उस समय की विशेष परिस्थितियों से पूर्णतः भिज्ञ है, अतः उपरोक्त परिस्थितियों में दोनों विभागों के द्वारा जाँच से आच्छादित निर्माण कार्यों को संतोषजनक स्तर का पाया गया। जो कटौतियाँ प्रस्तावित की गयी हैं वह उचित हैं और इसके साथ ही अनुमन्य परिधि के अन्दर भी हैं, नये राज्य में दोनों संगठनों के ऊपर जिस प्रकार का वरिष्ठ पर्यवेक्षण ऐसी परिस्थितियों में आवश्यक था उसका अभाव भी स्वयं जाँच अधिकारी द्वारा प्रभारी राजधानी निर्माण के रूप में अनुभव किया गया।

32\. जहाँ तक जन सामान्य में इन निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में अनियमितता की आशंका है, उसका एक कारण 24 अक्टूबर, 2000 से पूर्व निर्माण स्थलों पर किसी भी प्रकार की सूचना जन सामान्य को उपलब्ध न कराने के कारण ही उत्पन्न हुई। 24 अक्टूबर, 2000 से पूर्व जन सामान्य को निर्माणाधीन कार्यों के सम्बन्ध में कोई भी सूचना प्रशासन द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जा रही थी। इससे भी विभिन्न प्रकार की भ्रान्तियां उत्पन्न हुई। जांच अधिकारी द्वारा प्रभारी राजधानी निर्माण के रूप में 24 अक्टूबर, 2000 को कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही 27 अक्टूबर, 2000 से नियमित रूप से सायंकालीन पत्रकार वार्ता भी आयोजित कराना प्रारम्भ किया गया जिसमें निर्माण कार्यों से सम्बन्धित हर प्रकार की सूचना उन्हें उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त प्रत्येक निर्माण स्थल पर एक पट्टिका भी सार्वजनिक रूप से लगा दी गयी जिसमें प्रत्येक निर्माण स्थल पर स्वीकृत धनराशि, उपलब्ध धनराशि, उक्त तिथि तक किया गया व्यय तथा प्रत्येक शिफ्ट में कार्यरत अभियन्ताओं व मजदूरों की संख्या भी दिये जाने का प्रयास किया गया। निर्माण कार्यों में इस प्रकार की पारदर्शिता लाये जाने के उपरान्त प्रारम्भ में जिस प्रकार के आरोप–प्रत्यारोप लगाये जा रहे थे, उनमें काफी कमी आयी। उपरोक्त पत्रकार वार्ता और निर्माण स्थलों पर सूचना उपलब्ध कराने के प्रयासों से जो लाभ हुआ उसे 27 अक्टूबर, 2000 से पूर्व के समाचार पत्रों और 27 अक्टूबर के बाद के समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों से भी अनुभव किया जा सकता है। यदि प्रारम्भ में ही नियमित रूप से दैनिक संवाददाताओं से सम्पर्क का लाभ दिया जाता और निर्माण स्थलों पर जिस प्रकार की पारदर्शिता बाद में लाने का प्रयास किया गया यदि दी गयी होती तो जिस प्रकार का प्रचार समाचार माध्यमों से हुआ, वह कदाचित नहीं होता। यह अंकित करने की भी आवश्यकता है कि नये राज्य के निर्माण के साथ इन दोनों निर्माण विभागों के लखनऊ में स्थित वरिष्ठतम अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार का भौतिक पर्यवेक्षण कार्य किया जाना बन्द कर दिया गया था और ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी एक अधिशासी अभियन्ता स्तर के अधिकारी श्री गैरोला थे। लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठतम अधिकारियों में से अधीक्षण अभियन्ता श्री जैन और श्री बलदेव सिंह अधिशासी अभियन्ता थे। श्री गैरोला को किसी भी प्रकार का वरिष्ठ मार्गदर्शन या अन्य स्तर से सहायता प्राप्त नहीं हो रही थी। प्रभारी अधिकारी राजधानी निर्माण के रूप में जांचकर्ता द्वारा पौड़ी से श्री चन्द्रवीर सिंह जो प्रभारी अधिशासी अभियन्ता के रूप में कार्यरत थे, को जिलाधिकारी पौड़ी से परामर्श करके सम्बद्ध किया गया। उन्हें निर्देश दिये गये कि वह अन्य निकटस्थ जनपदों से पर्याप्त संख्या में सहायक अभियंताओं और अवर अभियन्ताओं को सम्बद्ध करें। श्री चन्द्रवीर सिंह यद्यपि प्रभारी अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता के रूप में कार्यरत थे किन्तु इनका नियन्त्रण अत्यन्त कमजोर पाया गया और कदाचित् इसका कारण उनका श्री गैरोला के समकक्षीय अधिकारी होना था। इस प्रकार से ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में नये राज्य के स्तर पर एक पूर्णकालिक अधीक्षण अभियन्ता के अभाव में प्रारम्भिक ठहराव और निर्देशन का अभाव लगातार व्याप्त रहा। यहां तक कि सम्बद्ध किये जाने के बाद श्री चन्द्रवीर सिंह द्वारा जो कुछ भी सहायता श्री गैरोला को उपलब्ध करायी जा सकती थी उसको भी पूरी कटिबद्धता के साथ उपलब्ध कराने में विशेष रुचि नहीं दिखाई

गई। ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के कार्यों की जो भी आलोचना हुई है उसका मुख्य कारण न्यूनतम अधीक्षण अभियंता तक के उपलब्ध न होने के कारण भी कही जा सकती है।

33. विद्युत सम्बन्धी कमियों के सम्बन्ध में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा की यह स्पष्ट स्वीकारोक्ति कि उनके पास पर्याप्त संख्या में इस प्रकार की विशेषज्ञता रखने वाला कोई अधिकारी आज की तिथि में भी उपलब्ध नहीं है, सत्य है। ग्रामीण अभियन्त्रण का जो पुनर्गठन किया जा रहा है उसमें इस कमी को पूरा किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। वरिष्ठ पर्यवेक्षण के अभाव में भी जिस प्रकार से विधान सभा भवन सम्बन्धी जो कार्य पूरा किया जा सका वह ग्रामीण अभियन्त्रण के मानकों के अनुरूप हो सकता है किन्तु इसे राज्य स्तरीय मानक की संज्ञा नहीं दी जा सकती। जाँच अधिकारी का स्पष्ट निष्कर्ष है कि इस अभियन्त्रण सेवा को केवल जनपद स्तर के लघु कार्यों तक ही सीमित रखना उचित होगा और जब तक इस सेवा में कार्यरत अधिकारियों की गुणवत्ता स्तरीय नहीं हो जाती तब तक इन्हें वृहद निर्माण कार्यों को आवंटित न किया जाय। साथ ही ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा को भविष्य में जिला स्तर पर आवंटित होने वाले कार्यों को देखते हुए इनमें कार्यरत अधिकारियों का सेवा कालीन प्रशिक्षण और विद्युत विंग के अभियन्ताओं की पूर्ति भी यथाशीघ्र की जाय।

34. जहाँ तक लोक निर्माण विभाग का प्रश्न है वहाँ भी उ0प्र0 में उपलब्ध किसी भी मुख्य अभियन्ता स्तर का मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण राजधानी निर्माण कार्यों को प्राप्त न हो सका। श्री बी0सी0 गुलाटी, मुख्य अभियन्ता स्तर–1 के विभागीय अधिकारी हैं किन्तु इनका मुख्यालय भी अल्मोड़ा था और ये अक्सर निर्माण स्थल के पर्यवेक्षण के स्थान पर अन्य प्रकार के निर्माण स्थलों के निरीक्षण पर भ्रमणरत पाये गये, स्वयं मुख्य सचिव द्वारा भी कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त श्री गुलाटी को निर्देशित करना पड़ा कि राजधानी में चल रहे निर्माण कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए वे अपना कैम्प कार्यालय देहरादून ही बनायें और निर्माण कार्यों को अपना वरिष्ठ मार्ग दर्शन प्रदान करें। 24 अक्टूबर के उपरान्त अपने सम्पूर्ण अनुभव के आधार पर जाँच अधिकारी का यह निश्चित मत है कि प्रारम्भिक निर्माण कार्य के दौर में मुख्य अभियन्ता स्तर से भी जिस प्रकार का वरिष्ठ पर्यवेक्षण अपेक्षित था वह स्थानीय निर्माण कार्यों को उपलब्ध नहीं हो सका। अक्सर रात्रि कालीन भ्रमणों के दौरान जाँच अधिकारी को निर्माणाधीन कार्यों में तेजी लाने के लिए और गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए अधीक्षण अभियन्ता श्री जैन और श्री सिंह को कठोर मौखिक चेतावनियाँ भी दी जाती रही। जाँचकर्ता को यह इंगित करने में कोई भी संकोच नहीं है कि यद्यपि तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्यों में गति लाने के लिए भरसक प्रयास किये जा रहे थे किन्तु जाँच अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व इन्हें भी कोई वरिष्ठ मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा था। तत्कालीन मण्डलायुक्त द्वारा भी इन निर्माण कार्यों की ओर कोई रूचि नहीं ली जा रही थी और जाँच अधिकारी के देहरादून आगमन के उपरान्त पांचवें–छठे दिन उनके द्वारा विभिन्न निर्माण स्थलों का कदाचित् पहली बार विस्तृत भ्रमण किया गया। तत्कालीन जिलाधिकारी के पास नये राज्य से सम्बन्धित अनेकों ऐसे विषय थे जिससे उनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती थी कि वह निर्माण

कार्यों का गहनतम अनुश्रवण कर सकें। जहाँ तक लखनऊ से किसी प्रकार का मार्गदर्शन प्राप्त होने का प्रश्न था तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारी मात्र दूरभाष तथा पत्राचार के माध्यम से ही जिलास्तरीय अधिकारियों का मार्गदर्शन कर रहे थे।

35. जिस प्रकार का पर्यवेक्षण और स्थिति इस प्रथम जाँच प्रतिवेदन में इंगित की गई है कदाचित् उससे उत्पन्न जनसामान्य के रोष के कारण ही जाँच अधिकारी को 23 अक्टूबर, 2000 को प्रभारी राजधानी निर्माण के रूप में कार्य आवंटित किया गया। जाँच अधिकारी का निश्चित मत है कि जिस प्रकार की परिस्थितियों में यह निर्माण कार्य सम्पन्न किये जा सके और उन्हें विभिन्न महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिये येन केन प्रकारेण पूर्ण किये जा सकें यह अवश्य ही स्थानीय निर्माण एजेन्सियों के लिये प्रशंसा का विषय है। जन सामान्य को निश्चय ही तत्कालीन परिस्थितियों में उपलब्ध पर्यवेक्षण के नितान्त अभाव की जानकारी नहीं थी और लखनऊ से किसी भी प्रकार से सहयोग के अभाव में यह निर्माण कार्य आलोचना और समाचार पत्रों के समाचारों का पात्र बन गये। निष्कर्ष तौर पर यह कहा जा सकता है कि जिन परिस्थितियों में, अब तक तकनीकी जाँच से आच्छादित कार्यों को पूर्ण किये जाने का प्रश्न है, यह निश्चय ही संतोषजनक स्तर के माने जा सकते हैं।

36. शेष निर्माण कार्यों में भी कई भवनों में निर्माण कार्य निरन्तर जारी हैं अतः यद्यपि इन सभी भवनों के सिविल कार्यों की तकनीकी जाँच प्रारम्भ की जा चुकी है किन्तु जब तक यह निर्माण कार्य पूरे नहीं हो जाते तब तक अग्रेतर जाँच इन निर्माण कार्यों को बाधित किया जाना उचित नहीं होगा। जैसा कहा गया है तकनीकी जाँच के सम्बन्ध में न केवल समस्त अभिलेखों का अत्यन्त विस्तृत विवरण किया जाना आवश्यक है वही सम्बन्धित अभियन्ताओं का भी तकनीकी जाँच के समय उपलब्ध रहना आवश्यक है। स्पष्टतया एक ही समय में निर्माण कार्य और तकनीकी जाँच साथ-साथ नहीं चल सकते।

37. अब एक पूर्णकालिक सचिव लोक निर्माण विभाग कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं और अब नये राज्य में जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं उनका समानान्तर तकनीकी पर्यवेक्षण गुणवत्तापूर्वक पूर्ण किये जाने के लिये आवश्यक संसाधन उपलब्ध है। अतः यह भी निवेदित है कि यदि अवशेष जाँच कार्य को स्वयं सचिव लोक निर्माण विभाग के स्तर पर ही सम्पन्न किया जा सके तब जाँचकर्ता को अपने अन्य वरीयता वाले कार्यों की ओर अपेक्षित ध्यान दिये जाने के लिए आवश्यक समय मिल सकेगा।

(डा0 आर0एस0 टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त
वन एवं ग्राम्य विकास
11-4-2001

प्रिय राकेश

उत्तरांचल राज्य के गठन के अन्तर्गत गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा क्रय की गई सामग्री में अनियमितताओं की जाँच विषयक आपके पत्र संख्या 230/कार्मिक–जाँच/2000 दिनांक 12–12–2000 एवं पत्र संख्या 44/एक–4/2001, दिनांक 20–1–2001 के क्रम में मेरी जाँच आख्या संलग्न है। आख्या प्रस्तुत करने में देरी के लिये मुझे खेद है।

भवनिष्ठ

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(केशव देसिराजु)

श्री राकेश शर्मा
सचिव,
कार्मिक विभाग,
उत्तरांचल शासन।

जाँच आख्या

I. पृष्ठभूमि :–

शासन के आदेश दिनांक 12–12–2000 के द्वारा उत्तरांचल राज्य के गठन के अन्तर्गत गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा क्रय की गई सामग्रियों में अनियमितताओं की शिकायत के क्रम में मुझे जाँच करने हेतु निर्देशित किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि शासन के उक्त आदेश में कथित शिकायतों का कोई उल्लेख नहीं है। मै० आर०बी० इण्टरप्राइजेज के पत्र दिनांक 15–12–2000 में गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा क्रय किये गये राइसोग्राफ मशीन के सम्बन्ध में शिकायत की गई है। अन्य किसी प्रकार का शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अतः जाँच के दौरान मैंने गढ़वाल मण्डल विकास निगम के द्वारा क्रय किये गये सभी सामग्रियों से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों का इस उद्देश्य से परीक्षण किया कि क्या स्पष्ट रूप से कोई अनियमितता हुई, क्या आवश्यकताओं के अनुमान लगाने में सही प्रक्रिया अपनाई गई या नहीं, और क्या क्रय की प्रक्रिया में अथवा क्रय किये गये सामग्री की गुणवत्ता में कोई अनियमितता या कमी तो नहीं रही, आदि।

जाँच में मुझे गढ़वाल मण्डल विकास निगम से कई अभिलेखों की फोटो प्रतियाँ उपलब्ध कराई गई हैं। दिनांक 1–5–2001 को श्री आर०के० वर्मा, तत्कालीन प्रबन्धक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम से विचार–विमर्श किया गया।

II. स्वीकृतियां:-

नये राज्य के गठन के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार के उत्तरांचल विकास विभाग द्वारा इस प्रकार वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की गई :

क्र0सं0	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	उद्देश्य	धनराशि लाख रु0 में
1.	988/28-12-2000-5(राज्य)/2000 3-11-2000	महामहिम राज्यपाल एवं मा0 मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह हेतु	रु0 35.00
2.	987/28-12-2000-5(राज्य)/2000 दिनांक 3-11-2000	विभिन्न अवस्थापना व्ययों हेतु कार्यालय व्यय, फर्नीचर, टेलीफोन मशीनें आदि	रु0 100.00
3.	5021/28-4-2000-22 दिनांक 8-11-2000	विभिन्न अवस्थापना व्ययों हेतु कार्यालय व्यय, फर्नीचर, टेलीफोन मशीनें, लेखन सामग्री आदि	रु0 30.00
4.	698/28-12-2000-5(राज्य)/2000 दिनांक 17-10-2000	विभिन्न प्रशासनिक एवं अवस्थापना व्ययों हेतु कार्यालय व्यय, फर्नीचर, टेलीफोन मशीनें, लेखन सामग्री आदि	रु0 24.00
5.	696/28-12-2000-5(राज्य)/2000 दिनांक 17-10-2000	विभिन्न अवस्थापना व्ययों हेतु कार्यालय व्यय, फर्नीचर, टेलीफोन मशीनें, लेखन सामग्री आदि	रु0 470.00
6.	516/28-12-2000-5(राज्य)/2000 दिनांक 5-10-2000	विभिन्न अवस्थापना व्ययों हेतु कार्यालय व्यय, फर्नीचर, टेलीफोन मशीनें, लेखन सामग्री आदि	रु0 50.00
7.	515/28-12-2000-5(राज्य)/2000 दिनांक 5-10-2000	विभिन्न प्रशासनिक एवं अवस्थापना व्ययों हेतु कार्यालय व्यय, फर्नीचर, टेलीफोन मशीनें, लेखन सामग्री आदि	रु0 40.00
8.	514/28-12-2000-5(राज्य)/2000 दिनांक 5-10-2000	विभिन्न प्रशासनिक एवं अवस्थापना व्ययों हेतु कार्यालय व्यय, फर्नीचर, टेलीफोन मशीनें, लेखन सामग्री आदि	रु0 20.00

शासनादेश 514/28-12-2000-5 (राज्य)/2000, दिनांक 5-10-2000 में यह स्पष्ट किया गया है कि साज-सज्जा की आपूर्ति सम्बन्धित मण्डलीय विकास निगम द्वारा की जायेगी। इस प्रकार के निर्देश अन्य शासनादेशों में भी उल्लिखित हैं।

सभी 8 शासनादेशों में स्वीकृत धनराशियों का मदवार विवरण संलग्न संलग्नक एक में है। कुल मदवार आवंटन इस प्रकार है :

मद	अवमुक्त धनराशि लाख रु० में
कार्यालय व्यय	40.00
फर्नीचर एवं उपकरण	280.00
टेलीफोन	145.00
मशीनें एवं साज-सज्जा उपकरण	130.00
सामग्री एवं सम्पूर्ति	35.00
लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	134.00
कुल	769.00

उक्त स्वीकृत रु० 7,69,00,000.00 के सापेक्ष गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा कुल व्यय रु० 3,14,36,807.40 किया गया है जिसका संक्षिप्त विवरण संलग्नक-अ पर है।

क्रय की गयी सामग्री मुख्य रूप से इन श्रेणियों में है : 1. लकड़ी का फर्नीचर, 2. इस्पात का फर्नीचर, 3. अन्य फर्नीचर यथा-पर्दे फर्श आदि, 4. लेखन सामग्री, 5. लेखन सम्बन्धित उपकरण यथा- टाइपराईटर, फैक्स मशीन, फोटो कापीयर एवं 6. एयर कण्डीशनर आदि। इसके अतिरिक्त टेलीफोन, विज्ञापन, शपथ ग्रहण समारोह तथा अन्य मदों पर व्यय हुआ है जिन बिन्दुओं पर विशेष जाँच नहीं की गई है।

III. <u>क्रय का आधार</u> :

विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के क्रय से सम्बन्धित उपरोक्त 8 शासनादेश निर्गत होने से पूर्व ही उत्तरांचल विकास अनुभाग 12 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 6-9-2000 जारी हुआ जिसमें दोनों गढ़वाल तथा कुमायूँ मण्डलों में कार्यालयों के लिये उपकरणों के क्रय हेतु मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में क्रय समिति गठित की गई, जिसके सदस्य मिनी सचिवालय के सचिव/उप सचिव, सम्बन्धित मण्डलीय विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक, सम्बन्धित मण्डलीय विकास निगम के महाप्रबन्धक (वित्त) तथा सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, उद्योग थे। तत्पश्चात कार्यालय ज्ञाप 28-9-2000 से मण्डलीय विकास निगम के महाप्रबन्धक वित्त के स्थान पर संयुक्त निदेशक, कोषागार को रखा गया। उक्त क्रय समिति को यह भी निर्देश दिया गया कि जो उपकरण/सामग्री उद्योग निदेशालय, डी०जी०एस०एण्ड०डी० के अनुबन्ध पर उपलब्ध है उनकी आपूर्ति दर अनुबन्ध के माध्यम से ली जायेगी। शेष उपकरणों/सामग्री के लिये निगम द्वारा अल्पकालिक निविदायें आमंत्रित की जायेगी। यह भी स्पष्ट किया गया है कि दर अनुबन्ध तथा निविदा द्वारा क्रय का अनुमोदन उपरोक्त समिति द्वारा किया जायेगा।

पुनः कार्यालय ज्ञाप 23–10–2000 से श्री आर०एस० टोलिया, निदेशक उ0प्र0 प्रशासन अकादमी, नैनीताल को नवीन राज्य के गठन हेतु सम्पूर्ण व्यवस्था का प्रभारी नियुक्त किया गया तथा पूर्व कार्यालय ज्ञाप 6–9–2000 को इस सीमा तक संशोधित किया गया कि मण्डलायुक्त, गढ़वाल के स्थान पर निदेशक, उ0प्र0 प्रशासन अकादमी, नैनीताल समिति के अध्यक्ष बने। तत्पश्चात कार्यालय ज्ञाप 24–10–2000 से आदेशों को पुनः संशोधित करते हुये निदेशक, उ0प्र0 अकादमी को क्रय समितियों के अध्यक्ष न बनाते हुये समितियों के कार्य के अनुश्रवण, समीक्षा एवं समन्वय का कार्य सौंपा गया।

IV. क्रय समिति की बैठकें :

उक्त आदेशों के क्रम में सामग्री क्रय के प्रत्येक प्रकरण औपचारिक रूप से समिति के सामने प्रस्तुत हुये। दिनांक 13–10–2000, 16–10–2000, 21–10–2000, 25–10–2000 एवं 27–10–2000 की बैठकों के कार्यवृत्त उपलब्ध है।

बैठक दिनांक 13–10–2000, 16–10–2000 एवं 20–10–2000 में समिति द्वारा कुछ मार्ग दर्शक सिद्धान्त सुनिश्चित किये गये। बैठक दिनांक 21–10–2000 में लकड़ी के फर्नीचर तथा स्टील फर्नीचर के सम्बन्ध में इस प्रकार निर्णय लिया गया कि जहाँ कोटेशन के आधार पर क्रय किया जाना है वहाँ बैठक में चिन्हित आपूर्तिकर्ताओं से कोटेशन के आधार पर क्रय किया जाय। उक्त बैठक में अन्य कार्यालय उपकरण यथा–राइसोग्राफ, डुप्लीकेटर, फोटो कापियर, फैक्स आदि के सम्बन्ध में निर्णय लिये गये परन्तु यह उल्लेखनीय है कि उक्त 21.10 की बैठक के कार्यवृत्त पर अध्यक्ष/आयुक्त, गढ़वाल मण्डल के हस्ताक्षर नहीं हुये हैं।

पुनः 25–10–2000 की बैठक में, जिस बैठक के कार्यवृत्त पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर है, इस निर्णय को दोहराया गया कि महामहिम श्री राज्यपाल तथा मा0 मुख्यमंत्री के कार्यालय तथा आवासों में फर्नीचर आदि की आपूर्ति के लिये, चूँकि दर अनुबन्ध के माध्यम से उचित गुणवत्ता के मिलने की सम्भावना कम है, अतः इनकी आपूर्ति स्थानीय कोटेशन के आधार पर कर दी जाय। इस सम्बन्ध में पृथक से इसी आशय का शासनादेश भी प्राप्त हुआ। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अन्य कार्यालयों में भी गुणवत्ता एवं समय को ध्यान में रखते हुये इसी प्रकार कोटेशन के आधार पर क्रय किया जाय। अभिलेखों से प्रतीत होता है कि इस बिन्दु विशेष पर समिति के एक सदस्य, श्री विजेन्द्र पाल, सचिव, मिनी सचिवालय की आपत्ति रही जिस आपत्ति को अध्यक्ष/गढ़वाल आयुक्त द्वारा मुख्य सचिव से वार्ता करने के उपरान्त निरस्त किया गया। परन्तु इस निर्णय के बावजूद, गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा महामहिम और मा0 मुख्यमंत्री के कार्यालय और आवास को छोड़कर अन्य किसी कार्यालय अथवा आवास के लिये कोटेशन के आधार पर क्रय नहीं किया गया। अर्थात शासनादेश के ही तहत कार्यवाही हुई न कि क्रय समिति के निर्णय के अनुसार।

V. उपकरण क्रय के सम्बन्ध में निर्णय :

27–10–2000 की बैठक में इस प्रकार निर्णय लिये गये :

1. राइसोग्राफ मशीन की आपूर्ति :

प्रथम चरण में 4 राइसोग्राफ मशीन की आपूर्ति तथा द्वितीय चरण में 14 राइसोग्राफ मशीन की आपूर्ति हेतु मै0 स्टेटजिक मार्केटिंग क0 को क्रय आदेश का निर्णय लिया गया।

2. फैक्स मशीन :

प्रथम चरण में 50 तथा द्वितीय चरण में 25 मशीन खरीदने का निर्णय हुआ साथ-साथ मै0 स्टेटजिक मार्केटिंग से 20 तथा मोदी जीरोक्स से 30 खरीदने का निर्णय हुआ।

3. फोटो कापीयर :

प्रथम चरण में 51 तथा द्वितीय में 52 फोटो मशीन क्रय करने का निर्णय हुआ। प्रथम चरण की 51 को क्रमशः मै0 मोदी जीरोक्स, देहरादून से 35, मै0 स्ट्रेटेजिक, मार्केटिंग से 8 तथा मै0 एन0 के0 सिस्टम केनन से 8 क्रय करने का निर्णय हुआ।

4. इलैक्ट्रोनिक टाइपराइटर :

शासन द्वारा इंगित की गई 170 इलेक्ट्रोनिक टाइपराइटर के स्थान पर कुल 5 इलेक्ट्रोनिक टाइपराइटर खरीदने का निर्णय हुआ। यह निर्णय इसलिये लिया गया कि चूंकि शासन की ओर से कम्प्यूटीकरण की ओर है अतः इलेक्ट्रोनिक टाइपराइटर की आवश्यकता नहीं रहेगी।

5. हिन्दी एवं अंग्रेजी टाइपराइटर :

शासन द्वारा हिन्दी टाइपराइटर 230 तथा अंग्रेजी की 30 अनुमोदित टाइपराइटर में से 115 हिन्दी टाइपराइटर तथा 20 अंग्रेजी टाइपराइटर क्रय किया जाने का निर्णय लिया गया तथा शेष द्वितीय चरण में। उक्त 115 हिन्दी में बड़े साइज 77 एवं छोटे साइज की 20, अंग्रेजी में बड़े साइज के 13 एवं छोटे साइज के 7 क्रय करने की संस्तुति की गई। यह भी निर्णय हुआ कि गोदरेज टाइपराइटर का क्रय किया जाय।

6. स्टील फर्नीचर :

इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि उद्योग निदेशालय, लखनऊ द्वारा अनुमोदित फर्मों में से उत्तरांचल में स्थित फर्मों को वरीयता देते हुये दर अनुबन्ध एवं उनकी क्षमता के आधार पर क्रय किया जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि अधिकारियों एवं अन्य मा0 मंत्रियों के कार्यालय एवं आवास हेतु स्टील फर्नीचर केन्द्रीय भण्डार तथा सरकारी दुकानों से क्रय किया जाय।

7. लकड़ी का फर्नीचर :

इस प्रकार निर्णय लिया गया कि मा0 मुख्यमंत्री कान्फ्रेंस रूम, मुख्य सचिव कान्फ्रेंस रूम कान्फ्रेंस कुल 4 कान्फ्रेंस टेबिलों का कोटेशन आधार पर किया जाय। इसी प्रकार महामहिम राज्यपाल तथा मा0 मुख्यमंत्री के आवास तथा कार्यालय हेतु फर्नीचर का क्रय कोटेशन के आधार पर करने के निर्णय लिया गया।

6. कारपेटिंग एवं पर्दा :

कारपेटिंग एवं पर्दा के क्रय के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि समस्त क्रय यू0पी0 हैण्डलूम से किया जाय।

7. एयर कण्डीशनर :

यह निर्णय लिया गया कि कैरियर मैक के 5 एयर कण्डीशनर 2 टन क्षमता के मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय हेतु क्रय का निर्णय लिया गया। यह उल्लेखनीय है कि 25–10–2000 की बैठक में मै0 कैरियर कं0 से 10 एयर कण्डीशनर के क्रय पर सहमति हुई थी जो विधान सभा में आर0ई0एस0 द्वारा खरीद कर लगाये गये।

V. कार्यालय ज्ञाप दिनांक 6–9–2000, 23–9–2000 तथा 24–9–2000 में की गई व्यवस्था से उत्पन्न विसंगति :

दिनांक 27–10–2000 के आदेशों में जहाँ राइसोग्राफ मशीन, फैक्स मशीन, फोटो कापीयर, इलेक्ट्रोनिक, हिन्दी तथा अंग्रेजी टाइपराइटरों में क्रमशः 4, 50, 51, 5, 115 और 20 अदद क्रय करने का अनुमोदन प्राप्त हुआ वहाँ 28–10–2000 के आदेशों से राजधानी पुनर्गठन आयुक्त ने क्रमशः 4, 44, 49, 0, 112 और 18 अदद खरीदने के आदेश दिये गये। इसके अतिरिक्त उसी तिथि के आदेशों से राजधानी पुनर्गठन आयुक्त ने 53 कम्प्यूटर भी खरीदने के आदेश दिये। यह आदेश उनके द्वारा कदाचित कार्यालय ज्ञाप 24–10–2000 के क्रम में दिये गये, जिसमें उन्हें क्रय समिति के कार्यों की अनुश्रवण और समीक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया, परन्तु वास्तविकता यह है कि गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा मण्डलायुक्त की समिति के अनुमोदन के ही अनुसार क्रय किया गया। स्पष्ट रूप से कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24–10–2000 व्यवहारिक नहीं था। इस घटना से यह भी स्पष्ट है कि उन दिनों में शासन के उच्चतम स्तर पर भी अफरा–तफरी रही।

VI. क्रय का विवरण :

जहाँ तक क्रय किये जाने की प्रक्रिया का प्रश्न है तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम ने मुझे बताया कि यद्यपि कि कोटेशन के आधार पर क्रय करने की अनुमति प्राप्त हुई थी तथापि सभी मामलों में दर अनुबन्ध अथवा केन्द्रीय भण्डार या राज्य सहकारी उपभोक्ता भण्डार से क्रय किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि 27–10–2000 की बैठक में राइसोग्राफ, फैक्स मशीन, फोटो कापीयर तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टाइपराइटरों तथा इलेक्ट्रोनिक टाइपराइटर के सम्बन्ध में जिन फर्मों से क्रय किया जाना था वह भी स्पष्ट किया गया। इसी कारण से सामानों की आपूर्ति हेतु समाचार पत्रों में तथा अन्य माध्यमों से नोटिस आदि प्रकाशित नहीं किये गये हैं और निर्धारित/फर्मों पर आपूर्ति आदेश दे दिये गये।

1. लकड़ी का फर्नीचर

प्रस्तुत अभिलेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि महामहिम के कार्यालय तथा आवास, मा0 मुख्यमंत्री के कार्यालय तथा आवास तथा मा0 मंत्रीगणों के कार्यालय तथा आवास

के लकड़ी के फर्नीचर का अनुमान लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया है। जहाँ सोफासेटों का कुल 97 सेटों का अनुमान लगाया गया वहाँ अभिलेखों के अनुसार गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा 29 सोफासेट की आपूर्ति कराई गई। इसी प्रकार जहाँ रु0 6030.00 प्रति नग पर 93 सेन्टर टेबिलों का अनुमान लगाया गया वहाँ गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा क्रमशः 1000.00, 1800.00 तथा 2700.00 रु0 प्रति नग पर कुल 4, 7 तथा 10 कुल 21 सेन्टर टेबिलों की आपूर्ति कराई गई है।

लकड़ी के फर्नीचर में कई अन्य प्रकार की चीजें दी गई हैं परन्तु यह स्पष्ट है कि अनुमान बड़ी सरसरी तरीके से किया गया है। साथ–साथ आपूर्ति आदेश देते समय अनुमान पर ध्यान ही नहीं दिया गया है। चूँकि लकड़ी के फर्नीचर की आपूर्ति गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा किया गया अतः इसमें विशेष जाँच की आवश्यकता नहीं है परन्तु फर्नीचर की गुणवत्ता पर ध्यान देना आवश्यक है। सामान्य तौर से आपूर्ति किये गये फर्नीचर की गुणवत्ता ठीक है परन्तु कुछ कार्यालयों में गुणवत्ता की कमी की शिकायत है।

2. इस्पात का फर्नीचर

राजधानी गठन के क्रम में विभिन्न कार्यालयों में कई प्रकार के इस्पात के फर्नीचर खरीदे गये हैं। प्रस्तुत अभिलेखों में कहीं पर सामानवार कुल माँग का विवरण उपलब्ध नहीं है। अलग–अलग प्रस्तुत विवरण पत्रों के आधार पर बनी तालिका संलग्नक–ब पर है। यह उल्लेखनीय है कि इस्पात के फर्नीचर के अनुमान करते समय 11 मंत्री, 12 सचिव, 16 विशेष सचिव, 16 संयुक्त सचिव, 16 उप सचिव, 17 अनु सचिव, 50 अनुभाग अधिकारी तथा 50 कार्यालय का मानक अपनाया गया है। यह समस्त अनुमान अवर अभियन्ता द्वारा तैयार किये गये हैं, जिस पर सहायक अभियन्ता तथा जी0एम0सी0 का अनुमोदन है। इससे उच्च स्तर पर अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है।

इस्पात का फर्नीचर तीन स्रोतों से क्रय किया गया है। केन्द्रीय भण्डार से रेट कान्ट्रेक्ट के आधार पर, मै0 भारत हार्डवेयर, देहरादून से तथा दून सहकारी कोआपरेटिव स्टोर से। तीनों स्रोतों से प्राप्त किये गये सामान तथा क्रय के विवरण के परीक्षण से यह स्पष्ट है कि इस्पात के फर्नीचर की आवश्यकता का अनुमान जो लगाया गया और सामान जो खरीदा गया दोनों की कोई समानता नहीं है। उदाहरण के रूप में 80 रिवालविंग चेयर का अनुमान लगाया गया तथा अनुमानित व्यय रु0 10,000.00 प्रति रिवालविंग चेयर माना गया। वास्तव में केन्द्रीय भण्डार से 16 नग रु0 6364.00 प्रति नग, मै0 भारत हार्डवेयर, देहरादून से रेट कान्ट्रेक्ट 32 नग रु0 2388.00 प्रति नग तथा दून कोआपरेटिव, देहरादून से 15 नग रु0 5600.00 प्रति नग के हिसाब से खरीद गया है। इसी प्रकार जहाँ रु0 2500.00 की दर पर 385 टाइपिस्ट टेबिल का अनुमान लगाया गया वहाँ रेट कान्ट्रेक्ट के आधार पर रु0 515.00 की दर पर 2 फर्मों से कुल 133 टेबिल खरीदे गये। इसी प्रकार जहाँ रु0 2000.00 की दर पर 2020 आर्मलेस चेयर का अनुमान लगाया गया वहाँ रेट कान्ट्रेक्ट के आधार पर रु0 278.00 की दर पर कुल 491 आर्मलेस चेयर खरीदे गये हैं।

इस्पात के फर्नीचर का क्रय रेट कान्ट्रेक्ट के आधार पर किया गया है या केन्द्रीय भण्डार एवं कोआपरेटिव से खरीदा गया है। अतः दर के सम्बन्ध में किसी प्रकार की शंका नहीं है परन्तु स्पष्ट रूप से अनुमान लगाने का कार्य बड़ी सरसरी तरीके से किया गया है। अनुमान लगाते समय वास्तविक दरों पर ध्यान ही नहीं दिया गया। साथ-साथ अनुमान के एकदम विपरीत मात्रा में क्रय किया गया है। इस प्रकार की कार्य प्रणाली अत्यन्त गलत है विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि इस मद पर कुल रू0 44.43 लाख का व्यय हुआ है। अभिलेखों से यह भी स्पष्ट है कि गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा 30-10-2000 को उन्हीं आपूर्तिकर्ता संस्थाओं को आपूर्ति आदेश दिया गया है जो क्रय समिति द्वारा अनुमोदित थे। अतः कोटेशन मंगाने की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई।

3. अन्य फर्नीचर यथा-पर्दे फर्श आदि

प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार कारपेट तथा पर्दों की आवश्यकता संलग्नक तालिका में प्रस्तुत विवरण के अनुसार आंकलित किया। कुल 30966 वर्ग मीटर कारपेट, 7190 मीटर पर्दा तथा 10300 जूट मैटिंग का आंकलन है।

उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम निगम, देहरादून को आदेश संख्या 22, दिनांक 7-11-2000, आदेश संख्या 23, दिनांक 7-11-2000 तथा आदेश संख्या 24, दिनांक 7-11-2000 दिये गये। बिलों के अनुसार इस प्रकार कारपेट खरीदे गये। उक्त बिलों में कई प्रकार के कारपेट खरीदे गये जिसकी दरें रू0 56.25 प्रति वर्ग फुट से लेकर रू0 23.85 प्रति वर्ग फुट तक की थी। इसी प्रकार कई दरों के पर्दे भी खरीदे गये। कुछ रू0 140 प्रति मीटर कुछ रू0 250 प्रति मीटर और कुछ रू0 1421 प्रति मीटर।

प्रस्तुत अभिलेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि मोटे तौर से जहाँ कारपेटों की आवश्यकता को लगभग 31000 वर्ग फुट आंकलित किया गया, वहाँ एकेलिक कारपेट 25000 वर्ग फुट तथा यूनीटेक्स कारपेट 10000 वर्ग फुट खरीदा गया है। यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि कारपेट की आवश्यकताओं की क्या किसी भी स्तर पर समीक्षा हुई या नहीं। आंकलन में लगभग 17000 वर्ग फुट यमुना कालोनी में प्रस्तावित मा0 मंत्रीगण हेतु 11 आवास के लिये आवंटित है, परन्तु उक्त कालोनी में आज तक मात्र 5 या 6 आवास उपलब्ध हो पाये हैं।

पर्दे तथा कारपेट का क्रय यू0पी0 राज्य हथकरघा निगम से किया गया है, जो आपत्तिजनक नहीं है। परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि क्या फर्नीशिंग के स्तर पर सही विचार हुआ या नहीं। उदाहरण के लिये क्रय समिति को इस पर विचार करना चाहिये था कि राजभवन के लिये किस स्तर या दर के कारपेट तथा पर्दे आदि की आवश्यकता है और सचिवालय के कार्यालयों की क्या आवश्यकता है। ऐसे सब मामलों में मानक निर्धारण नहीं हुआ प्रतीत होता है।

इस बिन्दु पर भी ध्यान नहीं किया गया कि क्या वास्तव में सचिवालय आदि के कमरों में कारपेटों की आवश्यकता है या नहीं। विशेष रूप से जब सचिवालय में रख-रखाव आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। कारपेटों का और किसी सीमा तक पर्दों

का लाभ तभी है जब इनका रख-रखाव ढंग से किया जाता है। सरकारी कार्यालयों को ऐसी कोई सम्भावना न होते हुये किसी सक्षम स्तर पर इस बिन्दु पर विचार आवश्यक था।

4. लेखन सामग्री

लेखन सामग्री पर मै0 दून कोआपरेटिव स्टोर से क्रय समिति के निर्णय के क्रम में रु0 3.00 लाख की लेखन सामग्री खरीदी गई। लेखन सामग्री की व्यवस्था तथा दरों के निर्धारण हेतु समिति गठित की गई। कमेटी की संस्तुतियों को प्रबन्ध निदेशक के स्तर पर स्वीकार किया गया। उक्त क्रय में जाँच के बिन्दु प्रतीत नही होते हैं।

5. लेखन सम्बन्धित उपकरण यथा-टाइपराईटर, फैक्स मशीन, फोटो कापीयर

टाइपराइटर

प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार प्रारम्भ में 230 हिन्दी टाइपराइटर, 33 अंग्रेजी टाइपराइटर तथा 170 इलेक्ट्रोनिक टाइपराइटर की मांग प्रस्तुत हुई। दिनांक 27-10-2000 के निर्णय के अनुसार 115 हिन्दी टाइपराइटर, 20 अंग्रेजी टाइपराइटर तथा 5 इलेक्ट्रोनिक टाइपराइटर का क्रय किया गया। इलेक्ट्रोनिक टाइपराइटर (SCRIPTA DW 8K MEMORY) की आपूर्ति हेतु आदेश 30-10-2000 मै0 गोदरेज एण्ड बॉयस, लखनऊ को दिया गया, जिन्होंने प्रत्येक इलेक्ट्रोनिक टाइपराइटर का रु0 28,400.00 का दाम स्वीकार हुआ। पत्रावली पर रेट कान्ट्रेक्ट सूचना 9-8-99, जिसकी वैधता 30-6-2000 तक थी, की प्रतिलिपि उपलब्ध है, जिसमें उक्त इलेक्ट्रोनिक टाइपराइटर का दाम रु0 28,400.00 स्पष्ट है, और जिसमें अन्य फर्मों के साथ मै0 गोदरेज एवं बॉयस का भी अनुमोदन है।

हिन्दी टाइपराइटरों में Godrej 138 cm. तथा Godrej 47 cm. का उल्लेख है, जिनका 31-11-2000 तक वैध रेट कान्ट्रेक्ट क्रमशः रु0 7690.00 तथा रु0 8901.00 का मै0 गोदरेज एण्ड बॉयस के पक्ष में है। इसी प्रकार अंग्रेजी टाइपराइटरों में Godrej 138 cm. तथा Godrej 47 cm. का उल्लेख है, जिनका 31-11-2000 तक वैध रेट कान्ट्रेक्ट क्रमशः रु0 7461.00 तथा रु0 8792.03 का मै0 गोदरेज एण्ड बॉयस के पक्ष में है।

फैक्स मशीन

प्रारम्भ में 70 फैक्स मशीनों की आवश्यकता आंकी गई, जिसका निर्णय दिनांक 27-10-2000 द्वारा 50 संशोधित किया। प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा दिनांक 30-10-2000 को मै0 मोदी जीरोक्स को रु0 23000.00 की दर पर 30 फैक्स मशीनों का आदेश दिया। आपूर्ति आदेश दिनांक 31-10-2000 से 20 अतिरिक्त फैक्स मशीनें मै0 स्ट्रेजिक मार्केटिंग, देहरादून से रु0 17995.00 के हिसाब से खरीदें गये।

मै0 मोदी जीरोक्स पर किये गये आपूर्ति आदेश के क्रम में रेट कांटेक्ट उपलब्ध नहीं है। मै0 स्ट्रेजिक मार्केटिंग, देहरादून पर दिये गये आदेश के क्रम में मै0 गोदरेज पैसेफिक कं0 लि0 के नाम से रु0 17595.00 का रेट कान्टेक्ट 30-9-2000 तक उपलब्ध है। क्रय

समिति द्वारा मै० एच०सी०एल० के फैक्स मशीन को क्रय करने का निर्णय लिया गया। अभिलेखों में ऐसा प्रमाण है कि मै० स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मै० एच०सी०एल० के अधिकृत प्रतिनिधि है।

फोटो कापीयर

फोटो कापीयर क्रय के सम्बन्ध में लिखित शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है। मै० आर०बी० इण्टरप्राइजेज के पत्र दिनांक 15-12-2000 में यह कहा गया है कि यद्यपि कि गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा राइसोग्राफ मशीन हेतु कोटेशन आदि मांगे गये, तथापि अन्त में डिजीटल डुप्लीकेटर खरीदे गये। इनका कथन यह भी है कि राइसोग्राफ मशीन एक विशिष्ट चीज है जिसकी आपूर्ति उन्हीं के द्वारा की जाती है।

प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वप्रथम 109 फोटो कापीयर तथा 77 डुप्लीकेटर की मांग प्रस्तुत हुई। दिनांक 27-10-2000 को यह निर्णय लिया गया कि 51 फोटो कापीयर तथा 4 डुप्लीकेटर का क्रय किया जाय। पृथक से राजधानी पुनर्गठन आयुक्त द्वारा प्रशासन अकादमी के कार्यों के लिये एक अतिरिक्त फोटो कापीयर खरीदने का आदेश दिया गया। इस प्रकार कुल 52 फोटो कापीयर खरीदे गये (36 मोदी जीरोक्स, 8 कैनन इण्डिया लि० और 8 एच०सी०एल० इन्फोसिस सिस्टम)। साथ-साथ 4 एच०सी०एल० इन्फोसिस सिस्टम डुप्लीकेटर भी खरीदे गये।

मोदी जीरोक्स फोटो कापीयर रु० 96000/- प्रति फोटो कापीयर की दर पर मोदी जीरोक्स तथा एच०सी०एल० इन्फोसिस सिस्टम से तथा कैनन इण्डिया लि० से रु० 96500/- पर खरीदा गया है। यह क्रय रेट कान्ट्रेक्ट के आधार पर हुये हैं।

अभिलेखों से स्पष्ट है कि आदेश संख्या 6, दिनांक 6-10-2000 द्वारा मै० एच०सी०एल० इन्फोसिस सिस्टम से रु० 368000 की दर पर 4 डिजीटल डुप्लीकेटर मॉडल 315 खरीदे गये। उक्त आदेश में विषय डिजीटल डुप्लीकेटर/राइसोग्राफ की आपूर्ति अंकित की गई है। शिकायतकर्ता मै० आर०बी० इण्टरप्राइजेज के प्रतिनिधि से बहुत विस्तृत सूचनायें भी मांगी गई। यह स्पष्ट है कि आपूर्ति आदेश डिजीटल/डुप्लीकेटर का बताया जाता है तथापि सामान जो क्रय किया गया, अर्थात ए०सी०एल० इन्फोसिस सिस्टम मॉडल 315 राइसोग्राफ नहीं है।

तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक द्वारा बताया गया कि मूल निर्णय डुप्लीकेटर को क्रय करने के सम्बन्ध में था। सामान्य चर्चा में इस उपकरण को राइसोग्राफ नाम से कहा जाता है जबकि वास्तव में राइसोग्राफ किसी एक विशेष ब्राण्ड के डुप्लीकेटर है। (यह उल्लेखनीय है कि सामान्य चर्चा में कई बार इस्पात की अलमारी को गोदरेज कहा जाता है। इस प्रकार के और भी उदाहरण हैं।) दिनांक 27-10-2000 की बैठक के कार्यवृत्त से यह स्पष्ट है कि दोनों मै० स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग तथा मै० आर०बी० इण्टरप्राइजेज द्वारा प्रस्तुत विवरणों पर विचार हुआ। यद्यपि कि कार्यवृत्त में इस तथ्य का उल्लेख नहीं है, तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक ने बताया कि बैठक के समय मै० आर० बी० इण्टरप्राइजेज द्वारा अपने माल का प्रदर्शन दो बार अवसर दिये जाने के बावजूद नहीं

करा पाये। इसी क्रम में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि मै0 स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग से ही खरीदा जाय।

अभी मै0 आर0बी0 इन्टरप्राइजेज की शिकायत है कि अगर मै0 स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग से क्रय करना था तो उनसे डुप्लीकेटर क्रय किया जा सकता था न कि राइसोग्राफ जो एक विशिष्ट आइटम है, जिसके लिये वे स्वयं अधिकृत वितरणकर्ता हैं। मैंने इस पर विचार किया। स्पष्ट रूप से आपूर्ति आदेश में राइसोग्राफ नाम नहीं होना चाहिये था जबकि वह ब्राण्ड नाम है जबकि उद्देश्य डुप्लीकेटर खरीदने का था। मै0 आर0बी0 इन्टरप्राइजेज के शिकायती पत्र में भी इस बात को स्वीकार किया गया है कि गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा यह समझा गया राइसोग्राफ ब्राण्ड नाम न होते हुये तकनीक का नाम है। प्रक्रियात्मक रूप से इसमें गलती है और क्रय समिति को इस विषय पर और सतर्कता से विचार करना चाहिये था परन्तु राजधानी गठन के कार्य को जिस अल्प समय में कराया गया, उसमें ऐसी त्रुटियाँ स्वाभाविक हैं।

6. एयर कण्डीशनर आदि

दिनांक 27–10–2000 को क्रय समिति द्वारा 5 कैरियर स्पिल्ट एयर कण्डीशनर क्रय करने का निर्णय लिया गया। जिसके क्रम में आदेश संख्या 15/ई0पी0/2000 दिनांक 1–11–2000 से रु0 35910.00 की दर से 6 स्पिल्ट ए0सी0 एवं रु0 2700.00 के छः न0 ट्रान्सफारमर मै0 कैरियर एयरकॉन लि0, गाजियाबाद को आर्डर दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि आपूर्ति आदेश में 5 के स्थान पर 6 गलती से अंकित हुआ है जिस त्रुटि को प्रबन्ध निदेशक के आदेश दिनांक 2–11–2000 द्वारा सही किया गया है।

VII. निष्कर्ष :

जैसा कि पूर्व में भी कहा गया है कि राजधानी के गठन के समय पर सामग्री क्रय के विषय पर वर्तमान जाँच बिना किसी स्पष्ट शिकायत से प्रारम्भ कर ली गई है। शासन के स्पष्ट मार्ग–दर्शक सिद्धान्त हैं कि किसी भी मामले में, और विशेष ऐसे मामलों में जहाँ अधिकारियों विशिष्ट से सम्बन्धित है, बिना पर्याप्त आधार पर जाँच प्रारम्भ करना अनुचित होगा। उ0प्र0 शासन के सामान्य नीति में, जो वर्तमान में उत्तरांचल में भी लागू है, में ऐसा भी प्राविधान है शिकायत प्रकरण पर तभी जाँच कराई जाय जब शिकायतकर्ता द्वारा अपने शिकायत वर्तमान प्रकरण में ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च स्तर पर किन्हीं व्यक्तियों द्वारा शिकायत किये जाने पर जाँच प्रारम्भ की गई है। यह स्वस्थ परम्परा नहीं है। साथ–साथ जब जाँच प्रारम्भ कर दी गई है किसी विशेष शिकायतकर्ता से बयान या प्रमाण प्राप्त करने का भी अवसर नहीं रहा।

एक मात्र लिखित शिकायत जो प्राप्त हुई है, राइसोग्राफ मशीन से सम्बन्धित है। इस पर जो भी कार्यवाही वांछित थी वह सीधे गढ़वाल मण्डल विकास निगम से की जा सकती है।

प्रस्तुत अभिलेखों का परीक्षण करते समय तथा तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक से विचार से यह स्पष्ट है कि राजधानी गठन जैसे अति महत्वपूर्ण कार्य बहुत ही अल्प समय में कराया गया। क्रय समिति आदि की कार्यवाही दिनांक 13–10–2000 से प्रारम्भ हुई।

जिसके बाद सामग्री क्रय के अतिरिक्त अन्य प्रकार के कार्य भी चल रहे थे। देहरादून में अन्तरिम राजधानी के रूप में चयन भी बहुत देरी से हुआ। इन सब चीजों पर ध्यान देना इसलिये आवश्यक है कि देहरादून में स्थित अधिकारियों को बहुत ही अल्प समय में कई कुछ कार्य कराना पड़ा और कार्य कराने के लिये हर प्रकार का दबाव भी डाला गया। अगर इस दौरान प्रक्रियात्मक त्रुटियाँ हुई हैं तो उनको स्वाभाविक मानना पड़ेगा।

इस पर भी ध्यान देना आवश्यक है कि शासन स्तर से भी अनावश्यक समस्यायें पैदा कराई गई थी। समस्त क्रय करने हेतु गठित समिति की अध्यक्षता में पुनर्गठन के 15 दिन पहले तक संशोधन किये गये थे। तत्कालीन आयुक्त के स्थान तत्कालीन निदेशक, प्रशासन अकादमी को रखना और इन आदेशों को तुरन्त वापस लेना और उसके पश्चात तत्कालीन निदेशक, अकादमी को तत्कालीन आयुक्त की समिति के कार्यों के अनुश्रवण एवं समीक्षा हेतु उत्तरदायी बनाया। यह सब कार्यवाही प्रशासनिक दृष्टिकोण से अनुचित थी। ऐसे वातावरण में त्रुटियों की सम्भावना अत्यधिक हो जाती है।

प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण से गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा सामग्री क्रय में किसी प्रकार की अनियमितता किये जाने का कोई प्रमाण नहीं है। परन्तु उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में कुछ विशेष बिन्दुओं पर ध्यान की आवश्यकता है :

1. कई मामलों में आवश्यकता का अनुमान बहुत सरसरी तरीके से लगाया गया। उक्त अनुमानों को अपने स्तर पर संशोधित करते हुये आपूर्ति आदेश देने में गढ़वाल मण्डल विकास निगम से शासन के हित का कार्य किया अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में सामान का क्रय किया जाता।
2. लकड़ी के फर्नीचर तथा कार्यालय फर्नीचर की गुणवत्ता में कुछ कमियाँ प्रकाश में आई जिस प्रकार उन दिनों में कार्य किया जा रहा था यह कदाचित प्रबन्ध निदेशक तथा किन्हीं अन्य के लिये व्यवहारिक नहीं था कि वे हर किसी चीज की गुणवत्ता की जाँच कराये परन्तु अभी यह उचित होगा कि सभी कार्यालयों से निर्धारित प्रोफार्मे पर यह जानकारी प्राप्त कर ली जाय कि राजधानी गठन के समय क्या–क्या फर्नीचर उपलब्ध कराये गये तथा आज की तिथि अर्थात छः माह के पश्चात फर्नीचरों की क्या स्थिति है।
3. कई कार्यालयों में काफी महंगे कारपेट आदि लगाये गये परन्तु सरकारी व्यवस्था में कहीं पर भी आधुनिक प्रकार के कारपेटों की सफाई के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। इसकी व्यवस्था तुरन्त होनी चाहिये।
4. क्रय समिति द्वारा द्वितीय चरण के आरक्षित उपकरण आदि तथा उ0प्र0 सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित रु0 7.69 करोड़ में से अवशेष धनराशि दोनों की विस्तृत समीक्षा पुनः किसी उच्च स्तरीय कमेटी कराया जाना आवश्यक है।
5. जाँच के दौरान ऐसा प्रकाश में आया कि अभी भी सरकारी कार्यालयों तथा आवासों में सरकारी व्यय पर दिये जाने वाले उपकरण, सामान, फर्नीशिंग आदि का क्या मानक हो। कार्यालयों के फर्नीचर को निर्धारित करने में फिर भी समस्या नहीं होनी चाहिये परन्तु आवासों के लिये मानक निर्धारित करना समस्याग्रस्त हो

सकता है। अगर इस प्रकार के मानक पूर्व से उपलब्ध हो तब इनको लागू किया जाना आवश्यक है। दीर्घकाल में सभी का हित इसी में है।

6. राजधानी गठन का समय एक प्रकार से आपातकालीन समय था, जिस समय गढ़वाल मण्डल विकास निगम की आवश्यकता क्रय के मामलों में बनी। भविष्य में यह कार्य राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा ही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाना आवश्यक है। जहाँ निगम के माध्यम से क्रय के मामलों में सुविधा निश्चित रूप से है वहाँ उसका दुरूपयोग की पूरी सम्भावना है।

7. शासन स्तर से अनावश्यक रूप से क्रय समिति के गठन में संशोधन होता रहा। अगर पूर्व में गठित व्यवस्था पर किन्हीं कारणों से शासन का विश्वास नहीं रहा और संशोधन की आवश्यकता महसूस हुई, तब संशोधित व्यवस्था को बरकरार रखनी चाहिये थी। नई व्यवस्था को फिर रद्द करते हुये पुरानी ही व्यवस्था को कायम करना गलत था और वर्तमान प्रकरण में की गई मौखिक शिकायतों का जड़ यही प्रतीत होता है।

अतः जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत।

(केशव देसिराजु)
सचिव।

Item	Gov. (Of. & Res.)	C.M. (Of. & Res.)	Spr, Dy. Spr, Min. etc. Off.	Spr, Dy. Spr, Min. etc. Res.	C.S. (Of. & Res.)	Sec.	Spl Sec.	Jt. Sec.	Dy. Sec.	Under Sec.	S.O.	Of. Room	Total
Steel Almirah (@ Rs. 10000)	4	4											8
Steel Almirah Big (@ Rs. 5000)	2		15										17
Steel Almirah Small (@ Rs. 3500)			35										35
Side Rack (@ Rs. 25000)					1								1
Steel Rack	4+10	10+6	40	8+8+4	2+6	12	16	16	32	68	450	500	1186
Revolving Chair	1+4	4+3	16	2+2+1	1+2	12	16	16					80
Office Chair	9+40	40+30		20+20+9	20+20	12	16	16	48	85	250	1250	1885
Chair Padded			25										25
Stationery Cabinet	2+4	4+4		2+2	1+2	12	16	16	1	17		250	333
Typist Table (3' by 2')	4+4	4+8	25	2+2+1	2				32	51		250	
Table 5' by 3'			15										15
Table 4' by 2.5'			30										30
Executive Table			16		1								17

Item	Gov. (Of. & Res.)	C.M. (Of. & Res.)	Spr. Dy. Spr. Min. etc. Off.	Spr. Dy. Spr. Min. etc. Res.	C.S. (Of. & Res.)	Sec	Spl Sec.	Jt. Sec.	Dy. Sec.	Under Sec.	S.O.	Of. Room	Total
Armless Chair	30+20	60+40	20	30+30+20	30				96	204	200	1250	2020
Chair With Arm (cane)			60										60
Folding Bed	10	10		6+6+6	6								44
Steel Wardrobe (@ Rs. 5000)		6		2+2+2	1+2	12	16	16	16	34	250	250	609
Office Table (@ Rs. 1500)											250		250
Sofaset (@ Rs. 20000)	3	9	16+3+3	22+2	2+3	12	16						91
Sofaset (@ Rs. 25000)	6												6
Center Table (@ Rs. 6000)	3	9	16	32	2+3	12	16						93

उत्तर प्रदेश शासन

उत्तरांचल विकास अनुभाग–12

संख्या 140/128–12–2000–11 राज्य/2000
लखनऊ : दिनांक 6 सितम्बर, 2000

कार्यालय ज्ञाप

विषय :–उत्तरांचल राज्य के गठन के सम्बन्ध में नियत दिनांक के पूर्व सम्पादित की जाने वाली प्रशासनिक प्रबन्ध व्यवस्था के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक–2000 को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हो गयी है एवं उत्तरांचल राज्य का विधिवत गठन 01 नवम्बर, 2000 तक हो जायेगा। इस हेतु आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्थायें उक्त दिनांक के पूर्व अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर ली जानी होंगी।

प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रमुख मद निम्न प्रकार हैं :–

1. असेम्बली भवन का चयन एवं प्रश्नगत भवन की मरम्मत एवं पुर्नोद्धार।
2. सचिवालय भवन का चयन एवं प्रश्नगत भवन की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार।
3. उपरोक्त भवनों में वर्तमान में कार्यरत कार्यालयों को अन्य स्थान पर भेजने की व्यवस्था।
4. उच्च न्यायालय के भवन का चयन एवं प्रश्नगत भवन की मरम्मत व पुर्नोद्धार।
5. मुख्यमंत्री व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के आवासों का चिन्हीकरण एवं उनका पुर्नोद्धार एवं उच्चीकरण।
6. असेम्बली भवन में अथवा उसके निकट संसदीय एवं विधायी सचिवालय के लिए भवन का चयन एवं उसकी मरम्मत एवं जीर्णोद्धार।
7. विधान सभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, मंत्रीगण एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए आवास का चयन तथा उसकी मरम्मत एवं जीर्णोद्धार।
8. सचिवालय भवन में प्रमुख सचिव/सचिव तथा समकक्ष अधिकारीगण के लिए कार्यालय कक्षों का चिन्हीकरण एवं उनकी मरम्मत एवं पुर्नोद्धार।
9. ऐसे प्रमुख विभागाध्यक्षों एवं निदेशालयों जिनका कार्यालय उत्तरांचल क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है, के लिए स्थान का चयन, कार्यालय भवन का चयन एवं तत्संबंधी भवन की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार।
10. उत्तरांचल राज्य में तैनात होने वाले वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आवासीय भवनों का चिन्हीकरण एवं तत्संबंधी भवन की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार अथवा अन्य व्यवस्था।
11. सभी कार्यालयों के लिए कार्यालय उपकरण एवं साज–सज्जा की व्यवस्था। इसमें संचार व्यवस्था, सेक्रेटेरियल व्यवस्था (कम्प्यूटर, टाइपराइटर, फोटो कापीयर आदि), फर्नीचर एवं स्टोरेज मुख्य हैं।
12. सामान्य सुविधायें जैसे लाइब्रेरी, स्टोर, आर्काइव, प्रेस रूम आदि की व्यवस्था।
13. ट्रांजिट आवास के लिए भवनों, अतिथि गृहों एवं ट्रांजिट हॉस्टल का चयन एवं का चिन्हीकरण एवं उच्चीकरण।

14. वाहनों की आवश्यकता का आंकलन एवं इनकी व्यवस्था आदि।

विधान सभा और सचिवालय की अन्तिम व्यवस्था का कार्य तो तभी प्रारम्भ किया जा सकेगा, जब राजधानी का स्थान तय कर लिया जाता है। किन्तु फिर भी भवनों का चिन्हीकरण, आगणनों के गठन तथा अन्य प्रारम्भिक कार्यवाही अभी से सम्पादित की जानी है। प्रत्येक दशा में कार्यालय भवनों एवं आवासीय तथा अन्य व्यवस्थाओं की आवश्यकता देहरादून/नैनीताल दोनों में ही होनी होगी।

उपरोक्त व्यवस्थायें करने के लिए निम्नवत कार्यवाही की जायेगी :-

1. भवनों की व्यवस्था

यह कार्य मण्डलायुक्त, मण्डलीय विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक तथा मिनी सचिवालय के सचिव/उप सचिव की समिति द्वारा किये जायेंगे। समिति द्वारा निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये जायेंगे :-

1. उपरोक्त वर्णन के अनुसार उत्तरांचल राज्य में विभिन्न कार्यालयों एवं आवासीय प्रयोजनों हेतु स्थलों एवं भवनों के चिन्हीकरण का कार्य।
2. प्रश्नगत भवनों को खाली कराने तथा उनमें कार्यरत कार्यालयों को अन्यत्र स्थानान्तरित कराने का कार्य।
3. विभिन्न कार्यालय भवनों मरम्मत, जीर्णोद्धार, विस्तार व आन्तरिक बैठने की व्यवस्थायें के लिए डिजाइन व आगणन आदि तैयार कराने का कार्य।
4. विधान सभा की व्यवस्था का डिजाइन तैयार कराने का कार्य एवं तद्नुसार आगणनों की तैयारी।
5. आवासीय भवनों की मरम्मत आदि के लिए आगणनों का तैयार किया जाना।
6. तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भवन अथवा आवास किराये पर लिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था।
7. साज-सज्जा के लिए भवनवार आगणनों का अनुमोदन।

भवनों के पुर्नोद्धार/मरम्मत का कार्य लोक निर्माण विभाग से कराया जायेगा तथा भवनों की साज-सज्जा आगणन लोक निर्माण विभाग द्वारा गठित किये जायेंगे और साज-सज्जा की आपूर्ति का कार्य मण्डलीय विकास निगम द्वारा किया जायेगा।

2. कार्यालयों के लिए उपकरणों/वाहनों की आपूर्ति

सचिवालय सहित विभिन्न कार्यालयों के लिए आवश्यक उपकरणों/वाहनों को सूचीबद्ध कर उनकी संख्या का आंकलन करने का कार्य सचिव (२), विशेष सचिव, सचिवालय प्रशासन, विशेष सचिव श्री के०सी० मिश्रा, संयुक्त सचिव श्री रुस्मानी तथा राज्य सम्पत्ति अधिकारी द्वारा किया जायेगा। वाहनों की आपूर्ति कर अनुबन्ध पर उत्तरांचल विकास विभाग द्वारा ली जायेगी। दोनों मण्डलों के कार्यालय की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित

अधिकारियों की समिति गठित की जाती है :-

(1) मण्डलायुक्त अध्यक्ष
(2) मिनी सचिवालय के सचिव/उपसचिव
(3) मण्डलीय विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक
(4) मण्डलीय विकास निगम के महाप्रबन्धक (वित्त)
(5) मण्डलीय संयुक्त उद्योग निदेशक।

जो उपकरण/सामग्री उद्योग निदेशालय अथवा डी०जी०, एस०एन०डी० के दर अनुबन्ध पर उपलब्ध है उनकी आपूर्ति दर अनुबन्ध के माध्यम से ली जायेगी। शेष उपकरणों/सामग्री के लिए निगम द्वारा अल्पकालिक निविदायें आमंत्रित की जायेंगी। दर अनुबन्ध एवं निविदा द्वारा क्रय का अनुमोदन उपरोक्त समिति द्वारा किया जायेगा तथा निगम समय से आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।

एस०एन० शुक्ल
प्रमुख सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आयुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ, देहरादून/नैनीताल।
2. सचिव/उप सचिव, मिनी सचिवालय, देहरादून/नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, देहरादून/नैनीताल।
4. मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि० (उत्तरांचल), अल्मोड़ा।
5. प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल विकास निगम लि०, देहरादून/नैनीताल।
6. सचिव, सचिवालय प्रशासन, उ०प्र० शासन।
7. श्री के०सी० मिश्र, विशेष सचिव, उत्तरांचल विकास विभाग।
8. मण्डलीय संयुक्त निदेशक, उद्योग।
9. राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उ०प्र० शासन।

आज्ञा से,
(राजू शर्मा)
सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

उत्तरांचल विकास अनुभाग–12

संख्या 780 / 28–12–2000–11 राज्य / 2000
लखनऊ : दिनांक 20 अक्टूबर, 2000

कार्यालय ज्ञाप

विषय :–उत्तरांचल राज्य के गठन के सम्बन्ध में नियत दिनांक के पूर्व सम्पादित की जाने वाली प्रशासनिक प्रबन्ध व्यवस्था के सम्बन्ध में।

उक्त के सम्बन्ध में कार्यालय ज्ञाप संख्या 140 / 28–12–2000–11 राज्य / 2000 दिनांक 8 सितम्बर, 2000 को निम्न प्रकार संशोधित करने का निर्णय हुआ है :–

श्री राज्यपाल तथा माननीय मुख्यमंत्री के आवास व कार्यालय कक्षों की साज–सज्जा के सम्बन्ध में दर अनुबन्ध पर क्रय अनिवार्यता शिथिल की जाती है। उक्त साज–सज्जा के कार्य हेतु क्रय की व्यवस्था कोटेशन प्राप्त कर किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह निर्देश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

एस0एन0 शुक्ल
प्रमुख सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, देहरादून।
2. प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड, देहरादून।

आज्ञा से,
(राजू शर्मा)
सचिव।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 49 मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित हो गया)।

सचिव, विधान सभा,
उत्तरांचल।

दिनांक : 3–12–2001

पी0एस0यू0पी0 (आर0ई0) 8 विधान सभा / 334–16–10–2002–200 पुस्तकें (कम्प्यूटर / ऑफसेट)।